ईईएसएल

11वीं वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

दृष्टि

महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के साथ, अल्प कार्बन भविष्य को सक्षम बनाने हेतु स्थायी ऊर्जा समाधान के लिए सार्वभौमिक पहुंच।

मिशन

नवाचारों और बाजार निर्माण दृष्टिकोणों के साथ जिम्मेदार ऊर्जा अपनाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र को सक्षम बनाना।

ईईएसएल द्वारा भारत को ऊर्जा दक्ष बनाने का एक दशक सफलतापूर्वक पूर्ण, #दस साल, बेमिसाल का आयोजन

विषयवस्तु

कंपनी की जानकारी	5
11वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	6
निदेशक की रिपोर्ट	22
वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	37
वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष	39
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	46
सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर	49
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर	53
प्रबंधन चर्चा और विश्लेशण रिपोर्ट	54
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत परिलब्धि और कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और परिलब्धि) नियम, 2014 के नियम 5 (1) के प्रकटन का कथन	57
भारतीय सीएजी की टिप्पणियां	60
सांविधिक लेखाकार की रिपोर्ट (एकल)	65
एकल वित्तीय परिणाम	75
सांविधिक लेखाकार की रिपोर्ट (समेकित)	138
समेकित वित्तीय परिणाम	146
प्रपत्र एओसी – 1	220

ईईएसएल के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन

बांग्लादेश

- समावेशी और नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (एसआरईडीए) के साथ समझौता ज्ञापन
- **0.52 लाख** एलईडी बल्बों और **519** एलईडी स्ट्रीट लाइटों को सीसीएमएस के साथ आपूर्ति की गई।

यूनाइटेड किंगडम

ट्राइजनरेशन

सउदी अरब

- **नेशनल एनर्जी सर्विस कंपनी** (एनईएससीओ) के साथ समझौता ज्ञापन
- प्रिसेंस अल जवाहरा स्ट्रीट, रियाद में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की परियोजना

थाइलैंड

- ईईएसएल द्वारा **एसडब्ल्यूएजी ईवी में 5 मिलियन यूएस डॉलर** का निवेश

मालदीव

- **पर्यावरण मंत्रालय, मालदीव सरकार** के साथ समझौता ज्ञापन
- **2 लाख एलईडी बल्बों और 2500 एलईडी स्ट्रीट लाइटों** की आपूर्ति की गई।

यूएई

- **700 करोड़** - निविदा मूल्यांकन के अधीन – स्ट्रीट लाइटिंग
- आरएके नगर निगम के लिए लेन देन सलाहकार

म्यांमार

- विदेश मंत्रालय द्वारा **1 मिलियन यूएस डॉलर** के एलईडी बल्बों और 2500 एलईडी स्ट्रीट लाइटों के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन जारी

वियतनाम

- **उजाला** के लिए ईवीएन के साथ समझौता ज्ञापन

ईईएसएल के कार्य परिणाम (मिलियन रु. में)

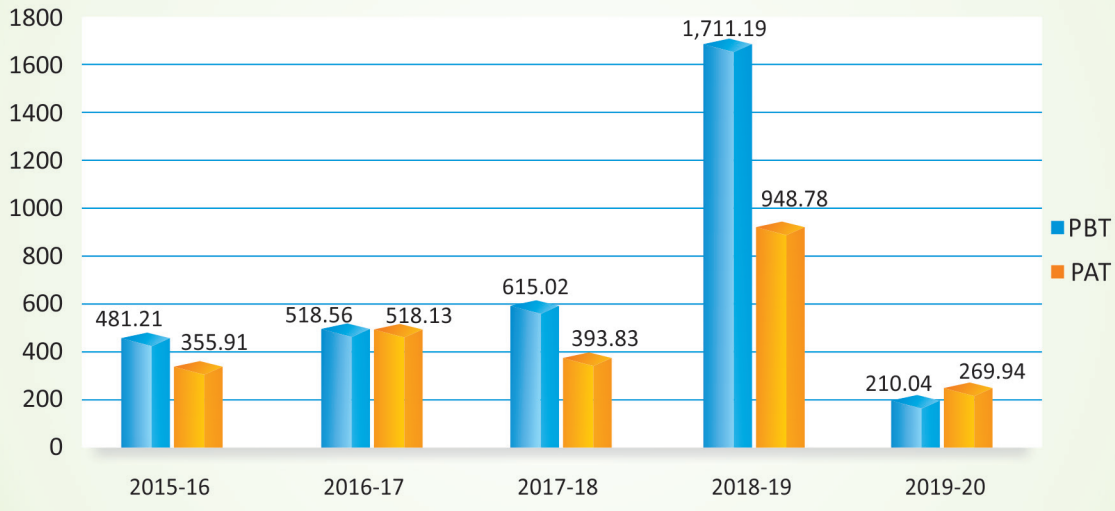

ईईएसएल का संसाधन आधार 2019-20 (मिलियन रु. में)

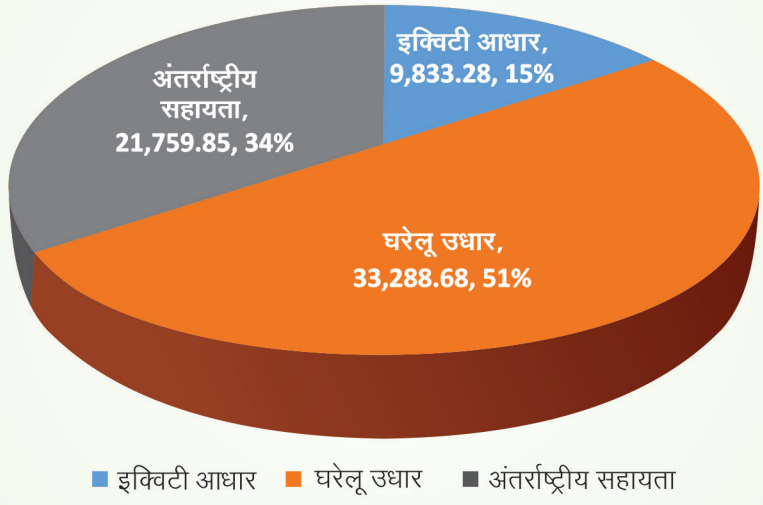

प्रचालन से राजस्व (मिलियन रु. में)

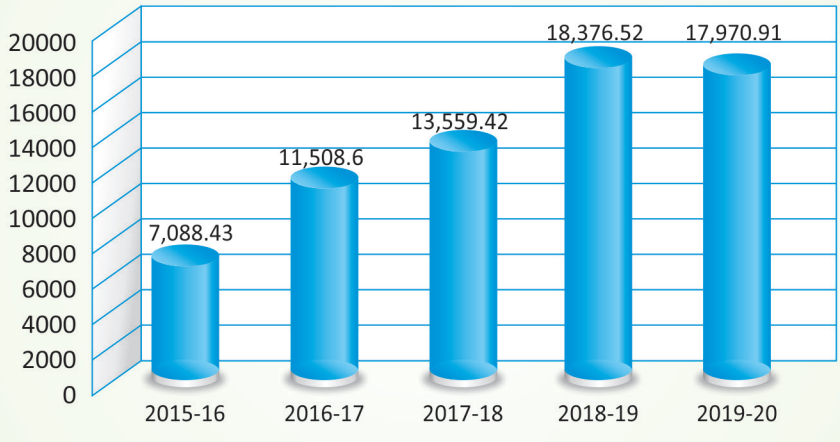

कंपनी की जानकारी

अध्यक्ष	श्री राजीव शर्मा
कार्यकारी उपाध्यक्ष	श्री सौरभ कुमार (1 अगस्त, 2020 से प्रभावी)
प्रबंध निदेशक	श्री रजत कुमार सूद (7 अक्तूबर, 2020 से प्रभावी) श्री शंकर गोपाल (1 अगस्त, 2020 से 7 अक्टूबर, 2020 तक अतिरिक्त प्रभार) श्री सौरभ कुमार (31 जुलाई, 2020 तक, 1 दिसंबर, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक अतिरिक्त प्रभार सहित)
निदेशक (वाणिज्यिक)	श्री शंकर गोपाल
निदेशक (परियोजनाएं और व्यापार विकास)	श्री वेंकटेश द्विवेदी
नामित निदेशक	श्री राज पाल श्री अभय बाकरे श्री आदित्य डार (22 अगस्त, 2020 से प्रभावी) श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (23 दिसंबर, 2020 से प्रभावी) श्री आर. लक्ष्मणन (1 मई, 2020 से 9 नवंबर, 2020 तक) श्री सी. के. मंडल (30 मई, 2020 से 13 अगस्त, 2020 तक) श्री मोहित भार्गव (30 मई, 2020 तक) श्री संजीव गर्ग (16 मार्च, 2020 तक)
स्वतंत्र निदेशक	सीतापथी चंदर (3 अगस्त, 2020 तक) सुश्री गौरी त्रिवेदी (4 अगस्त, 2020 तक)
मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री शंकर गोपाल (11 दिसंबर, 2020 तक) श्री लोकेश कुमार अग्रवाल (11 दिसंबर, 2020 से प्रभावी)
कंपनी सचिव	सुश्री पूजा शुक्ला
सीआईएन	यू40200डीएल2009पीएलसी196789
पंजीकृत कार्यालय	एनएफएल बिल्डिंग, 5वां और 6वां तल, कोर–।।।, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
आंतरिक लेखापरीक्षक	मैसर्स जैन एंड मल्होत्रा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 42–बी, हनुमान लेन, हनुमान मंदिर के पास, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
सांविधिक लेखापरीक्षक	मैसर्स के. के. सोनी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 130, (पहला तल), सरोजिनी मार्केट, नई दिल्ली – 110023
बैंकर्स	एक्सिस बैंक कैनरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक आईडीएफसी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजया बैंक येस बैंक इंडसइंड बैंक एचडीएफसी बैंक पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा
शेयर बाजार	बीएसएफ लिमिटेड
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, चौथा तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर पारेल, मुम्बई – 400013 सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, फिरोज़ जीजीभाई टावर्स, 17वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001
रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पहले कार्वी केफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), कार्वी सेलेनियम, टॉवर – बी, प्लॉट 31 और 32, गाची बोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032
डिबेंचर न्यासी	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा तल ई, एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400025

11वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड के शेयरधारकों की 11वीं वार्षिक आम बैठक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, एनएफएल भवन, 5वां और 6वां तल, कोर–।।।, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में शनिवार, 30 जनवरी, 2021 को सुबह 10.00 बजे निम्नलिखित कार्यों के लेन–देन के लिए आयोजित की गई।

सामान्य कार्य :

1. इन पर विचार करना तथा अपनाना

   (क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरणों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट; तथा

   (ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण तथा इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

2. सीएजी पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, ईईएसएल (1)/3 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को दर्ज करना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

3. श्री राज पाल (डीआईएन : 02491831) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो चक्रानुक्रम के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के नाते उन्होंने फिर से स्वयं की नियुक्ति के लिए इच्छा व्यक्त की है।

4. श्री अभय बाकरे (डीआईएन : 08104259) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो चक्रानुक्रम के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के नाते उन्होंने फिर से स्वयं की नियुक्ति के लिए इच्छा व्यक्त की है।

विशेष कार्य :-

5. कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन

कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाए :

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (किसी भी वैधानिक संशोधन (नों) या उसके पुनः अधिनियमन सहित, इस समय लागू) की धारा 14 और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत कोई अन्य लागू कानून/नियम, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अंतर्नियमों में प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि अनुलग्नक –1 में संलग्न है, कंपनी के मौजूदा अंतर्नियमों में निहित संबंधित अनुच्छेदों के प्रतिस्थापन में एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को सभी आवश्यक कार्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए सामान्य, प्रणाली या उचित हो सकता है।''

6. कंपनी के नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव शर्मा (डीआईएन : 00973413) की नियुक्ति

कंपनी के नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव शर्मा (डीआईएन : 00973413) को नियुक्त करने पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए।

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम) की धारा 152, 161 (3) और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री राजीव शर्मा (डीआईएन : 00973413), या जिन्हें कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और 9 नवंबर, 2020 से अध्यक्ष, ईईएसएल के रूप में नामित किया गया था और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर हैं और जिनके संबंध में कंपनी में निदेशक के पद के लिए एक प्रत्याशी होने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त किया है, उनकी नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित की गई है, और इसके द्वारा उन्हें कंपनी के नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे क्रमानुसार से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को सभी कार्य करने और पूर्वगामी संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या उपाय सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

7. कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नामित कार्यकारी उपाध्यक्ष (अंतरिम प्रभार) के रूप में श्री सौरभ कुमार (डीआईएन : 06576793), प्रबंध निदेशक, एडिना यूके लिमिटेड की नियुक्ति

कंपनी के नामित कार्यकारी उपाध्यक्ष (अंतरिम प्रभार) के रूप में श्री सौरभ कुमार (डीआईएन : 06576793) की पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाए।

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 198, 203 और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 के साथ पठित (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, यदि आवश्यक हो, श्री सौरभ कुमार, प्रबंध निदेशक (एडिना यूके लिमिटेड), जिन्हें 1 अगस्त, 2020 से एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और कार्यकारी उपाध्यक्ष (अंतरिम प्रभार) के रूप में नामित किया गया और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और ईईएसएल के बोर्ड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद के लिए नियमित नियुक्ति तक कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष (अंतरिम प्रभार) के रूप में नामित किया जाता है। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनी 78वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित और यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों पर और वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे :

- वेतन (भत्ते और अनुलाभ सहित)–शून्य

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और ऐसे सभी अनिवार्य, उचित या वांछनीय माने गए उक्त सभी कार्यों, विलेखों और चीजों को करने और एतद्द्वारा पूर्व कथित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देष्य से सभी आवश्यक दस्तावेजों, आवेदनों और विवरणियों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है।''

8. कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रजत कुमार सूद (डीआईएन : 06582245) की नियुक्ति

कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रजत कुमार सूद (डीआईएन : 06582245) को नियुक्त करने पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या

इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए।

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 198, 203 और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 के साथ पठित (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, यदि आवश्यक हो, श्री रजत कुमार सूद (डीआईएन : 06582245) को 7 अक्तूबर, 2020 से 5 साल या सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए इस पद पर रहने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भी पहले हो, नीचे बताए अनुसार पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के नियमों और शर्तों पर चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है :–

- शर्तें और निबंधन तथा पारिश्रमिक और अनुलाभ : अनुलग्नक–2 में बताई गई शर्तें और निबंधनों के अनुसार।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और ऐसे सभी अनिवार्य, उचित या वांछनीय सभी कार्यों, विलेखों और दायित्वों को करने और एतद्द्वारा पूर्व कथित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दस्तावेजों, आवेदनों और विवरणियों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है।''

9. कंपनी में नामित निदेशक के रूप में श्री आदित्य डार (डीआईएन : 08079013) की नियुक्ति

श्री आदित्य डार (डीआईएन : 08079013) को कंपनी में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए।

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम) की धारा 152, 161 (3) और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों (किसी भी संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, इसके तहत बनाए गए नियमों और कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद के अनुसार, श्री आदित्य डार (डीआईएन : 08079013), या जिन्हें एनटीपीसी लिमिटेड के दिनांक 13 अगस्त, 2020 के पत्र के अनुसार, कंपनी में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 22 अगस्त, 2020 से प्रभावी है, जिनका कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक में समाप्त हो रहा है, और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी में निदेशक के पद के लिए एक प्रत्याशी होने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त किया है, उनकी नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित की गई है, और इसके द्वारा उन्हें कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और ऐसे सभी अनिवार्य, उचित या वांछनीय माने गए उक्त सभी कार्यों, विलेखों और चीजों को करने और एतद्द्वारा पूर्व कथित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दस्तावेजों, आवेदनों और विवरणियों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है।''

10. कंपनी में नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन : 08530587) की नियुक्ति

कंपनी में नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन : 08530587) को नियुक्त करने पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए।

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम) की धारा 152, 161 (3) और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों (किसी भी संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, इसके तहत बनाए गए नियमों और कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद के अनुसार, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन : 08530587), या जिन्हें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड के दिनांक 23 दिसंबर, 2020 के पत्र के अनुसार, कंपनी में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 23 दिसंबर, 2020 से प्रभावी है, जिनका कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक में समाप्त हो रहा है, और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी में निदेशक के पद के लिए एक प्रत्याशी होने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उनकी नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित की गई है, और इसके द्वारा उन्हें कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगी।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और ऐसे सभी अनिवार्य, उचित या वांछनीय माने गए उक्त सभी कार्यों, विलेखों और चीजों को करने और एतद्द्वारा पूर्व कथित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दस्तावेजों, आवेदनों और विवरणियों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है।''

11. श्री सौरभ कुमार (डीआईएन : 06576793), प्रबंध निदेशक, एडिना यूके लिमिटेड की प्रबंध निदेशक, ईईएसएल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 1 दिसंबर, 2019 से 30 जुलाई, 2020 तक नियुक्ति।

कंपनी के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 1 दिसंबर, 2019 से 30 जुलाई, 2020 तक श्री सौरभ कुमार (डीआईएन : 06576793), प्रबंध निदेशक, एडिना यूके लिमिटेड की नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए।

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 198, 203 और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 के साथ पठित (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, यदि आवश्यक हो, और कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद के संगत प्रावधान श्री सौरभ कुमार (डीआईएन : 06576793) को 1 दिसंबर, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रानुक्रम द्वारा निम्नानुसार बताई गई कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनी 78वीं बैठक में अनुमोदित नियम और शर्तें सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं : –

- वेतन (भत्ते और अनुलाभ सहित)–शून्य

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और ऐसे सभी अनिवार्य, उचित या वांछनीय माने गए उक्त सभी कार्यों, विलेखों और चीजों को करने और एतद्द्वारा पूर्व कथित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दस्तावेजों, आवेदनों और विवरणियों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है।''

12. श्री एस गोपाल (डीआईएन : 08339439), निदेशक (वाणिज्यिक) की 1 अगस्त, 2020 से 7 अक्तूबर, 2020 तक प्रबंध निदेशक, ईईएसएल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्ति

श्री एस गोपाल (डीआईएन : 08339439), निदेशक (वाणिज्यिक) की 1 अगस्त, 2020 से 7 अक्तूबर, 2020

तक प्रबंध निदेशक, ईईएसएल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए।

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 198, 203 और इसके किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार तथा निदेशक मंडल की नामांकन एवं परिलब्धि समिति की अनुशंसा के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची 5 तथा इसके बनाए गए नियमों के साथ पठित (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित इस समय लागू), और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद के संगत प्रावधान और समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार, श्री एस गोपाल, निदेशक (वाणिज्यिक) (डीआईएन : 08339439), एतद्द्वारा प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, कंपनी में 1 अगस्त, 2020 से 7 अक्तूबर, 2020 तक निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में उनकी नियुक्ति के मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार, वे चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और ऐसे सभी अनिवार्य, उचित या वांछनीय माने गए उक्त सभी कार्यों, विलेखों और चीजों को करने और एतद्द्वारा पूर्व कथित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दस्तावेजों, आवेदनों और विवरणियों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है।''

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : एसीएस 18008

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.01.2021

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा की जाती है और धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक या उस विधि से जैसा कि कंपनी वार्षिक आम बैठक में निर्धारित कर सकती है, में तय किया जाना होता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु सीएजी ने मेसर्स के. के. सोनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 000947 एन), नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सदस्य कृपया कार्य की मात्रा और प्रचलित मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक तय करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करें।
2. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के पात्र सदस्य स्वयं की जगह इस मतदान में भाग लेने और मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए, यह कंपनी के अपने पंजीकृत कार्यालय या उसके प्रशासनिक कार्यालय में बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत भरी गई, मुहर लगी और हस्ताक्षरित होनी चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी प्रपत्र संलग्न है।
3. इस सूचना में विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार संगत व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
4. बैठक में भाग लेने हेतु अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने तथा उनकी ओर से मतदान करने के लिए कंपनी को अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति भेजें।
5. इस सूचना और संलग्न विवरण में संदर्भित सभी संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत / कॉर्पोरेट कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच अवलोकन के लिए उपलब्ध होंगे और बैठक में भी अवलोकन के लिए उपलब्ध होंगे।
6. वार्षिक आम बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा सभी सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई–मेल पते कंपनी के पास उपलब्ध हैं, जब तक कि किसी सदस्य ने इसकी भौतिक प्रति हेतु अनुरोध नहीं किया हो।
7. मार्ग मानचित्र : संलग्न

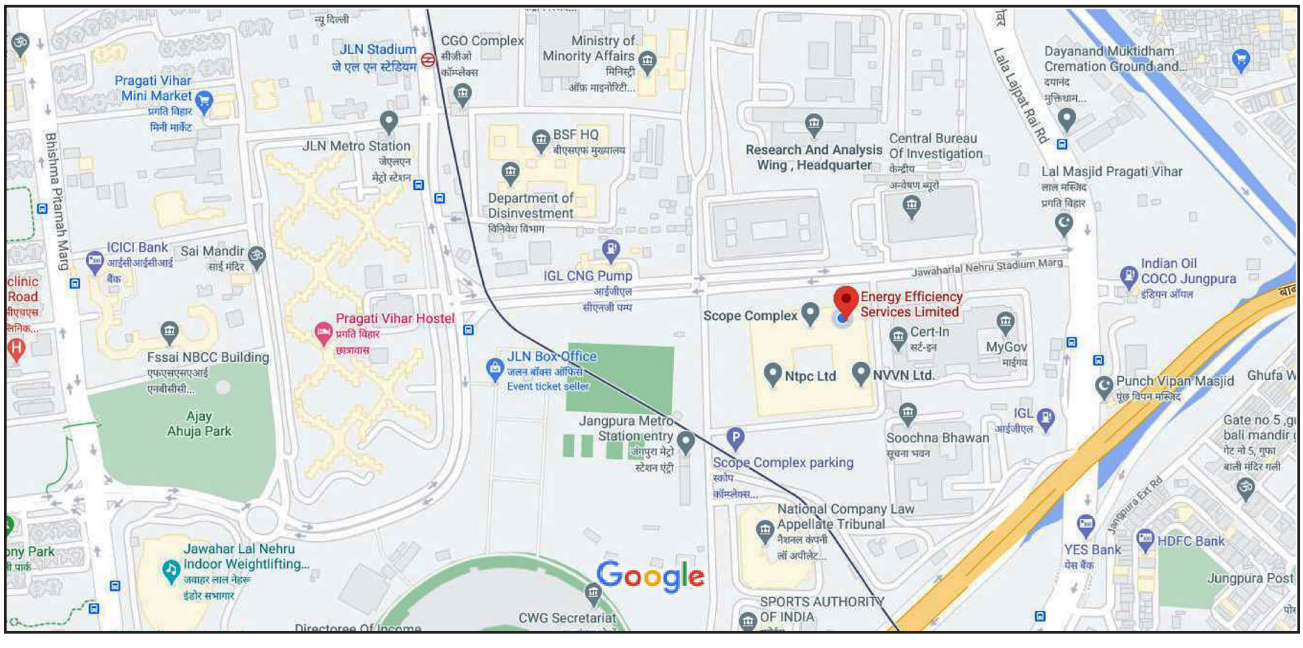

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक रूप में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 5

प्रवर्तकों को समय–समय पर अधिक इक्विटी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, 15 जनवरी, 2020 को प्रवर्तकों के बीच अनुपूरक अनुबंध संख्या 5 को निष्पादित किया गया था, जिसमें प्रवर्तक की अधिकतम शेयरधारिता की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49.9 प्रतिशत कर दी गई थी। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2020 के माध्यम से कंपनी में कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद के सृजन को मंजूरी दी। इसी को देखते हुए उक्त उद्देश्य के लिए प्रवर्तकों के बीच 15 जनवरी, 2021 को अनुपूरक अनुबंध संख्या 6 निष्पादित किया गया।

निदेशक मंडल ने कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद के कथित प्रभाव को संशोधित करने की मंजूरी दी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 में अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित किया जाता है कि कंपनी की आम बैठक में पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करके अपनी अंतर्नियमावली को बदला जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ईईएसएल की अंतर्नियमावली के उपरोक्त खण्ड में हाइलाइट किए गए संशोधनों की आवश्यकता है, जिसे अनुलग्नक –। में रखा गया है।

कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड विशेष संकल्प के रूप में संकल्प पर आपके अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं. 6

निदेशक मंडल ने आरईसी लिमिटेड के पत्र संख्या एसईसी–1/241/2020/429 दिनांक 9 नवंबर, 2020 के अनुसार और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री राजीव शर्मा को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें कंपनी की 85वीं बोर्ड बैठक में ईईएसएल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार, श्री राजीव शर्मा कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय में कार्यरत हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक पद हेतु श्री राजीव शर्मा की उम्मीदवारी को दर्शाते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी को डीआईआर–2 के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति और यह घोषणा भी प्राप्त हुई है कि वे फॉर्म डीआईआर–8 में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ–साथ, उनका अनुभव, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद और अन्य विवरण, इस नोटिस का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक को आम बैठक में साधारण संकल्प के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इसलिए, कंपनी के सदस्यों के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तावित संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्री राजीव शर्मा को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 7

एडिना यूके लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सौरभ कुमार के 2 दिसंबर, 2019 से नामांकन के परिणामस्वरूप, उन्होंने 30 नवंबर, 2019 को कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि, कंपनी की 78वीं बोर्ड बैठक में ईईएसएल के नए बोर्ड की नियुक्ति तक कंपनी के सुचारू कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री सौरभ कुमार को 1 दिसंबर, 2019 को 3 माह की अवधि से प्रभावी या नए पदधारी के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक, प्रबंध निदेशक, ईईएसएल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जिसे आगे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 तक दो बार, प्रत्येक बार 3 माह के लिए किया गया।

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 2020 के पत्र और 1 अगस्त, 2020 को प्रवर्तक कंपनियों के सीएमडी और ईईएसएल के अध्यक्ष के बीच ईईएसएल बोर्ड प्रशासन के पुनर्गठन हेतु आयोजित की गई बैठक के कार्यवृत्तों के अनुसार तथा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2020 के पत्र, और कंपनी की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, अपनी 85 वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा श्री सौरभ कुमार को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें 1 अगस्त, 2020 से कार्यकारी उपाध्यक्ष (अंतरिम प्रभार) के रूप में नामित किया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार, श्री सौरभ कुमार कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय में कार्यरत हैं। कंपनी को डीआईआर–2 के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति और यह घोषणा भी प्राप्त हुई है कि वे फॉर्म डीआईआर–8 में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197 और 203 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, 1 अगस्त, 2020 से कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में की नियुक्ति के लिए सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ–साथ, उनका अनुभव, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद और अन्य विवरण, इस नोटिस का हिस्सा हैं।

श्री सौरभ कुमार को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 8

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 102 (iii) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के तहत परिभाषित खोज और चयन समिति की सिफारिश के अनुसार, निदेशक मंडल ने 5 नवंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, श्री रजत कुमार सूद को 7 अक्तूबर, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो आम बैठक में कंपनी के सदस्यों और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन है, यदि लागू कानून के तहत आवश्यक हो। कंपनी को डीआईआर–2 के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति और यह घोषणा भी प्राप्त हुई है कि वे फॉर्म डीआईआर–8 में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197 और 203 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, 7 अक्तूबर, 2020 से कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री रजत कुमार सूद की नियुक्ति के लिए सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है।

श्री रजत कुमार सूद को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 9

निदेशक मंडल ने श्री आदित्य डार को एनटीपीसी लिमिटेड के 13 अगस्त, 2020 के पत्र के अनुसार एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और 22 अगस्त, 2020 को ईईएसएल के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नामित किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार, श्री आदित्य डार कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय में कार्यरत हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक पद हेतु श्री आदित्य डार की उम्मीदवारी को दर्शाते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी को डीआईआर–2 के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति और यह घोषणा भी प्राप्त हुई है कि वे फॉर्म डीआईआर–8 में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ–साथ, उनका अनुभव, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद और अन्य विवरण, इस नोटिस का हिस्सा हैं। वह चक्रानुसार सेवानिवृत्ति के पास है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक को आम बैठक में साधारण संकल्प के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इसलिए, कंपनी के सदस्यों के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तावित संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्री आदित्य डार को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 10

पीएफसी लिमिटेड के 23 दिसंबर, 2020 के ई–मेल के अनुसार, निदेशक मंडल ने 23 दिसंबर, 2020 से श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और ईईएसएल के बोर्ड में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नामित निदेशक के रूप में नामित किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय में हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक पद हेतु श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की उम्मीदवारी को दर्शाते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी को डीआईआर–2 के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति और यह घोषणा भी प्राप्त हुई है कि वे फॉर्म डीआईआर–8 में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगी। उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ–साथ, उनका अनुभव, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद और अन्य विवरण, इस नोटिस का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक को आम बैठक में साधारण संकल्प के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इसलिए, कंपनी के सदस्यों के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तावित संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 11

एडिना यूके लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सौरभ कुमार के 2 दिसंबर, 2019 से नामांकन के परिणामस्वरूप, उन्होंने 30 नवंबर, 2019 को कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि, कंपनी के सुचारू कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए, ईईएसएल बोर्ड ने अपनी 78 वीं बोर्ड बैठक में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री सौरभ कुमार को प्रबंध निदेशक, ईईएसएल का अतिरिक्त प्रभार 1 दिसंबर, 2019 से 3 माह अवधि या ऐसे समय तक के लिए दिया था जब तक नया पदधारक प्रबंध निदेशक इस पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, जिसे 31 अगस्त, 2020 तक प्रत्येक बार 3 माह के लिए दो बार आगे तक बढ़ा दिया गया था।

जबकि विद्युत मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 2020 के पत्र और 1 अगस्त, 2020 को प्रवर्तक कंपनियों के सीएमडी और ईईएसएल के अध्यक्ष के बीच ईईएसएल बोर्ड प्रशासन के पुनर्गठन हेतु आयोजित की गई बैठक के कार्यवृत्तों के अनुसार तथा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2020 के पत्र के अनुसार, उन्होंने 30 जुलाई, 2020 को प्रबंध निदेशक, ईईएसएल के अतिरिक्त प्रभार को त्याग दिया और 1 अगस्त, 2020 से कार्यकारी–उपाध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में शामिल हुए। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सदस्यों के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तावित संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्री सौरभ कुमार को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 12

निदेशक मंडल, विद्युत मंत्रालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2020 के अनुसरण में और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, ईईएसएल के बोर्ड में नए पदाधिकारी के शामिल होने तक श्री शंकर गोपाल, निदेशक (वाणिज्यिक) को 1 अगस्त, 2020 से प्रबंध निदेशक, ईईएसएल के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री रजत कुमार सूद को 7 अक्तूबर 2020 को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उस तिथि से श्री शंकर गोपाल ने उक्त तिथि को प्रबंध निदेशक का पद छोड़ दिया। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों के विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्री शंकर गोपाल को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प के साथ संबंध या दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

बोर्ड साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : एसीएस 18008

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.01.2021

प्रॉक्सी फॉर्म

(फॉर्म सं. एमजीटी - 11)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार)

नाम : ..... **फोलियो सं.** .....

पंजीकृत पता : ..... **धारित शेयरों की सं** ..... **शेयर**

मैं, उपरोक्त नामित कंपनी के ..... शेयरों का सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा नियुक्त करता हूं :

1.	**प्रॉक्सी का नाम**			
	पंजीकृत पता		हस्ताक्षर	
	ई–मेल आईडी			
या उनके विफल रहने पर				
2.	**प्रॉक्सी का नाम**			
	पंजीकृत पता		हस्ताक्षर	
	ई–मेल आईडी			

शनिवार, 30 जनवरी, 2021 को सुबह 10:00 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनएफएल बिल्डिंग, 5वां और 6वां तल, कोर–।।।, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	संकल्प	के पक्ष में	के खिलाफ
सामान्य कार्य			
1.	इन पर विचार करना तथा अपनाना (क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरणों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट; तथा (ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण तथा इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।		
2.	सीएजी पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, ईईएसएल (1)/3 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को रिकॉर्ड करना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।		
3.	श्री राज पाल (डीआईएन : 02491831) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो चक्रानुक्रम के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के नाते उन्होंने फिर से स्वयं की नियुक्ति के लिए इच्छा व्यक्त की है।		
4.	श्री अभय बाकरे (डीआईएन : 08104259) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो चक्रानुक्रम के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के नाते उन्होंने फिर से स्वयं की नियुक्ति के लिए इच्छा व्यक्त की है।		
विशेष कार्य			
5.	कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन		
6.	कंपनी के नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव शर्मा (डीआईएन : 00973413) की नियुक्ति		
7.	कंपनी के नामित कार्यकारी उपाध्यक्ष (अंतरिम प्रभार) के रूप में श्री सौरभ कुमार (डीआईएन : 06576793), प्रबंध निदेशक, एडिना यूके लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति		
8.	कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रजत कुमार सूद (डीआईएन : 06582245) की नियुक्ति		
9.	कंपनी में नामित निदेशक के रूप में श्री आदित्य डार (डीआईएन : 08079013) की नियुक्ति		
10.	कंपनी में नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन : 08530587) की नियुक्ति		
11.	श्री सौरभ कुमार (डीआईएन : 06576793), प्रबंध निदेशक, एडिना यूके लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, ईईएसएल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 1 दिसंबर, 2019 से 30 जुलाई, 2020 तक नियुक्ति।		
12.	श्री एस गोपाल (डीआईएन : 08339439), निदेशक (वाणिज्यिक) की 1 अगस्त, 2020 से 7 अक्तूबर, 2020 तक प्रबंध निदेशक, ईईएसएल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्ति		

इस पर हस्ताक्षर किए ..... दिन 20..... को

शेयरधारकों के हस्ताक्षर ————————————————————

प्रॉक्सी धारक (कों) के हस्ताक्षर ————————————————————

1 रुपए का राजस्व स्टाम्प लगाएं

टिप्पणी :

1. प्रॉक्सी का यह प्रपत्र प्रभावी होने हेतु, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत रूप से पूरा किया जाना चाहिए और इसे जमा किया जाना चाहिए।
2. एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।
3. कृपया बॉक्स में दर्शाए गए प्रस्तावों के सामने उपयुक्त कॉलम में सही का निशान (√) लगाएं। यदि आप किसी या सभी प्रस्तावों के सामने 'के लिए' या 'के खिलाफ' कॉलम खाली छोड़ देते हैं, तो आपके प्रॉक्सी को उस तरीके से वोट करने की पात्रता होगी, जैसा वह उचित समझे।

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण :

नाम	जन्म तिथि / आयु	नियुक्ति की तिथि	योग्यता	अनुभव	कंपनी में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	अन्य निदेशकताएं
श्री सौरभ कुमार	14 दिसम्बर, 1967 / 53 वर्ष	07/05/2013	नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज, टोक्यो, जापान से सार्वजनिक नीति में मास्टर डिग्री के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर	उन्हें भारतीय आयकर प्रशासन, विद्युत मंत्रालय में बजट और वित्त में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है। वे 2007–2010 के दौरान सचिव, बीईई थे। उन्होंने पिछले 2 वर्षों से यूएनईपी, बैंकॉक के साथ भी कार्य किया और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दों को संभाल रहे थे।	शून्य	7	ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम एडिना एक्विजिशन लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड, आयरलैंड ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड एडिना यूके लिमिटेड ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
श्री राजीव शर्मा	1 जून, 1960 / 60 वर्ष	05/02/2018	जी बी पंत विश्वविद्यालय से बी.टेक (इलेक्ट्रिकल) और आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए	उनके पास 33 वर्षों से अधिक का विद्युत क्षेत्र का विविध अनुभव है। उनके पास केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और पावर ग्रिड जैसे प्रमुख संगठनों में विद्युत क्षेत्र की नीति बनाने, सुधार उपायों को शुरू करने तथा लागू करने और परियोजना कार्यान्वयन का 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर– एपीडीआरपी) जैसी सरकार की प्रमुख योजनाओं का वास्तुकार माना जाता है। इसके अलावा, उनके पास विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और प्रमुख विद्युत क्षेत्र के सुधारों को लागू करने का 13 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें प्रमुख नवरत्न कंपनियों अर्थात् पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड में बोर्ड स्तर का लगभग 8 वर्ष का अनुभव शामिल है।	शून्य	8	शून्य .

नाम	जन्म तिथि / आयु	नियुक्ति की तिथि	योग्यता	अनुभव	कंपनी में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	अन्य निदेशकताएं
श्री राज पाल	22 अप्रैल, 1961 / 59 वर्ष	14/07/2016	अर्थशास्त्र में परास्नातक और एम. फिल और विकासशील अर्थशास्त्र संस्थान, टोक्यो, जापान से विकास अध्ययन में डिप्लोमा	उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि में कार्य करने का लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण में सलाहकार, आर्थिक विनियमन के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में, वे ऊर्जा संरक्षण, नीति एवं योजना तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान एवं समन्वय प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव हैं।	शून्य	3	नीपको टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
श्री अभय बाकरे	25 जुलाई, 1966 / 54 वर्ष	08/05/2018	1988 में (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से बी.ई., जनवरी 1990 में आईआईटी खड़गपुर से एम.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) और प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक (बीईई से)	उन्हें दिल्ली मेट्रो और कोलकाता मेट्रो विस्तार परियोजनाओं सहित कई रेलवे परियोजनाओं में काम करने का अनुभव है। उन्होंने पीसीआरए और अन्य तेल कंपनियों के माध्यम से दिन–प्रतिदिन के जीवन में सरल, ईंधन बचत उपायों को अपनाने पर उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी मीडिया अभियान भी चलाया है। बीईई में शामिल होने से पहले, उन्होंने रेल मंत्रालय के नव निर्मित पर्यावरण निदेशालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। वे रेलवे के लिए आईएनडीसी के विकास के लिए नोडल अधिकारी थे।	शून्य	4	शून्य
श्री रजत कुमार सूद	27 अक्तूबर, 1969/ 51 वर्ष	07/10/2020	श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एसजीएसआईटीएस), इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में बीई और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से पीजीडीएम (कार्यनीति)।	उनके पास ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन, प्रदर्शन में सुधार, व्यापार कार्यनीति और अधिग्रहण के क्षेत्र में 29 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने परिवर्तनकारी सुधारों और पुनर्गठन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है – जिससे बिजली उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तन प्रदर्शन में सुधार हुआ है।	शून्य	शून्य	लुमेनी कंसल्टिंग एलएलपी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी

नाम	जन्म तिथि / आयु	नियुक्ति की तिथि	योग्यता	अनुभव	कंपनी में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	अन्य निदेशकताएं
श्री आदित्य डार	30 जनवरी, 1966 / 54 वर्ष	22 / 08 / 2020	लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी (ऑनर्स) और एमडीआई, गुड़गांव से पीजीडीएम (वित्त)	उनके पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, दीर्घकालिक वित्तीय योजना, पूंजी का निर्माण और ओ एंड एम बजट और नियामक संबंध से निवेशक सेवाओं, संसाधन जुटाने के क्षेत्रों में 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है।	शून्य	शून्य	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	30 अप्रैल 1967 / 53 वर्ष	23 / 12 / 2020	वाणिज्य और वही खाता में स्नातक की डिग्री।	उनके पास विद्युत क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनएचपीसी), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल), आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे संगठनों में कार्य करने का 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें निधि प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, लेखा को अंतिम रूप देने, उधार नीतियां, संसाधन जुटाने आदि के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है।	शून्य	शून्य	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड चेयूर इंफ्रा लिमिटेड, अंशकालिक अध्यक्ष पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड बिहार मेगा पावर लिमिटेड देवघर मेगा पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड ततिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड पीटीसी इंडिया लिमिटेड

उपस्थिति पावती

कृपया उपस्थिति पर्ची भरें और इसे बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर दें

बैठक का स्थान : तिथि और समय :

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए एक पंजीकृत शेयरधारक / प्रॉक्सी हूं और कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में शनिवार, 30 जनवरी, 2021 को सुबह 10:00 बजे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनएफएल भवन, 5वां और 6वां तल, कोर – III, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक -1

अनुच्छेद	कंपनी की अंतर्नियमावली के मौजूदा अनुच्छेद	कंपनी की अंतर्नियमावली के प्रस्तावित अनुच्छेद
1.12ए	–	''ईवीसी'' का अर्थ कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष होगा।
3	जब तक पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति न हो, कोई भी पार्टी या अन्य शेयरधारक, किसी भी समय, अपने संबंधित संबद्ध व्यक्तियों / सहयोगियों के साथ, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं रखेगा।	जब तक पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति न हो, कोई भी पार्टी या अन्य शेयरधारक, किसी भी समय, अपने संबंधित संबद्ध व्यक्तियों / सहयोगियों के साथ, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 49.9 प्रतिशत से अधिक नहीं रखेगा और यह कि पार्टियां समय के साथ जेवीसी की प्रदत्त शेयर पूंजी के अधिकतम 49.9 प्रतिशत तक अपनी शेयरधारिता को सीमित करने का प्रयास करेंगी।
102 (i) प्रबंधन संरचना	102 (i) कंपनी के पास प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यात्मक निदेशकों की अपनी व्यावसायिक प्रबंधन टीम होगी। व्यावसायिक प्रबंधन टीम का नेतृत्व प्रबंध निदेशक करेंगे। 102 (ii) शेयरधारकों द्वारा अंतिम नियंत्रण के अधीन, कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। तथापि, कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन प्रबंध निदेशक के पास निहित होगा।	102 (i) कंपनी के पास कार्यकारी उपाध्यक्ष (ईवीसी), प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की अपनी व्यावसायिक प्रबंधन टीम होगी। व्यावसायिक प्रबंधन टीम का नेतृत्व कार्यकारी उपाध्यक्ष करेंगे। 102 (ii) शेयरधारकों द्वारा अंतिम नियंत्रण के अधीन, कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। तथापि, कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन प्रबंध निदेशक के पास निहित होगा। कार्यकारी उपाध्यक्ष ईईएसएल और इसकी समूह कंपनियों के दक्ष कार्यों, कॉर्पोरेट उद्देश्यों और निष्पादन मानकों के लिए निदेशक मंडल के प्रति जिम्मेदार होंगे। कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रशासनिक रूप से अध्यक्ष, ईईएसएल को रिपोर्ट करेंगे और कार्यात्मक रूप से ईईएसएल के बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। ईईएसएल के दिन–प्रतिदिन के संचालन की देखरेख बोर्ड द्वारा निर्देशित प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों द्वारा की जाएगी। ईवीसी का कार्य विवरण इस प्रकार होगा :– 1. प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और बोर्ड के परामर्श से मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टि और लक्ष्यों को निर्धारित करने में ईईएसएल का समर्थन करें। 2. मात्रात्मक वितरण योग्य सहित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दीर्घकालिक कार्यनीति विकसित करें, जिसकी निगरानी की जा सके। 3. बाहरी पणधारकों जैसे सरकारों, ईईएसएल व्यापार की रुचियों हेतु संगत व्यापारिक समुदाय, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्मकों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों के साथ संबंधों का प्रबंधन करना। 4. सामान्य लक्ष्य और सामंजस्यपूर्ण संचालन के तालमेल और उपलब्धि हेतु समूह की कंपनियों के बीच समन्वय। 5. समूह के रूप में ईईएसएल के लिए निर्धारित समग्र दृष्टिकोण और लक्ष्यों हेतु समूह कंपनियों की तालमेल कार्यनीतियां। 6. बाहरी पणधारकों के लिए ईईएसएल समूह की क्षमताओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7. ईईएसएल समूह के दृष्टिकोण, लक्ष्यों और कार्यनीति के प्रति संभावित निवेशकों, ऋणदाताओं और भावी शेयरधारकों के साथ प्रभावी संवाद की सुविधा प्रदान करना। 8. समूह कंपनियों के बीच जोखिम प्रबंधन, कुशल पूंजी आबंटन में सक्रिय रूप से संलग्न करना। 9. प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

	102 (iii) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रबंध निदेशक का चयन 'खोज एवं चयन समिति' द्वारा किया जाएगा जिसमें सचिव (विद्युत), पार्टियों के सीएमडी और डीजी, बीईई शामिल होंगे और कंपनी के कार्यों और व्यापार के प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार उक्त नियमों और शर्तों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रबंध निदेशक, बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो बोर्ड द्वारा विशिष्ट प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित की जा सकती हैं। 102 (iv) 23 अक्तूबर, 2018 के संयुक्त उद्यम और पूरक समझौते के अधिनियम और खंड 7.3 के प्रावधानों के अधीन, प्रबंध निदेशक को छोड़कर कंपनी के अन्य कार्यात्मक निदेशकों का चयन अध्यक्ष, ईईएसएल; प्रबंध निदेशक सहित ईईएसएल की चयन समिति द्वारा किया जाएगा; प्रवर्तक कंपनियों, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में से एक–एक प्रतिनिधि, प्रमोटर कंपनियों से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए या खुली भर्ती के माध्यम से, यदि प्रमोटर कंपनियों में से कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहीं चुना जा सकता है, ऐसे शर्तें और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किए जा सकते हैं। 102 (v) सोर्सिंग, खरीद, कार्मिक, वित्त और अन्य वाणिज्यिक और प्रबंधकीय निर्णयों सहित कंपनी का कार्यात्मक प्रबंधन एमडी के पास होगा, जिसके पास कंपनी के दिन – प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकार और जिम्मेदारी होगी, जिसके लिए उपयुक्त शक्ति बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती है। इसी प्रकार बोर्ड ऐसी किसी भी शक्ति और अधिकार को वापस ले सकता है या रद्द कर सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है।	102 (iii) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का चयन 'खोज एवं चयन समिति' द्वारा किया जाएगा जिसमें सचिव (विद्युत), पार्टियों के सीएमडी और डीजी, बीईई शामिल होंगे और कंपनी के कार्यों और व्यापार के प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार उक्त नियमों और शर्तों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो बोर्ड द्वारा विशिष्ट प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित की जा सकती हैं। 102 (iv) 23 अक्तूबर, 2018 के संयुक्त उद्यम और पूरक समझौते के अधिनियम और खंड 7.3 के प्रावधानों के अधीन, कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को छोड़कर कंपनी के अन्य कार्यात्मक निदेशकों का चयन अध्यक्ष, ईईएसएल; प्रबंध निदेशक सहित ईईएसएल की चयन समिति द्वारा किया जाएगा; प्रवर्तक कंपनियों, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में से एक–एक प्रतिनिधि, प्रमोटर कंपनियों से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए या खुली भर्ती के माध्यम से, यदि प्रमोटर कंपनियों में से कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहीं चुना जा सकता है, ऐसे शर्तें और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किए जा सकते हैं। 102 (अ) सोर्सिंग, खरीद, कार्मिक, वित्त और अन्य वाणिज्यिक और प्रबंधकीय निर्णयों सहित कंपनी का कार्यात्मक प्रबंधन एमडी के पास होगा, जिसके पास कंपनी के दिन – प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकार और जिम्मेदारी होगी, जिसके लिए उपयुक्त शक्ति बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती है। इसी प्रकार बोर्ड ऐसी किसी भी शक्ति और अधिकार को वापस ले सकता है या रद्द कर सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है।
103	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन कंपनी के निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी जिसमें नामित निदेशक, अंशकालिक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं। कंपनी के पहले निदेशक होंगे :– 1. श्री आर एस शर्मा, अध्यक्ष, एनटीपीसी 2. श्री राजीव शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं), पीएफसी 3. श्री रामा रमन, ईडी (टी एंड डी), आरईसी 4. श्री एन एस सोधा, महाप्रबंधक, पावरग्रिड 5. श्री देवेंद्र सिंह, आईएएस, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय 6. श्री राकेश जैन, संयुक्त सचिव (एफ एंड ए), विद्युत मंत्रालय।	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन कंपनी के निदेशकों की संख्या चार से कम और चौदह से अधिक नहीं होगी जिसमें नामित निदेशक, अंशकालिक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं। कंपनी के पहले निदेशक होंगे :– 1. श्री आर एस शर्मा, अध्यक्ष, एनटीपीसी 2. श्री राजीव शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं), पीएफसी 3. श्री रामा रमन, ईडी (टी एंड डी), आरईसी 4. श्री एन एस सोधा, महाप्रबंधक, पावरग्रिड 5. श्री देवेंद्र सिंह, आईएएस, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय 6. श्री राकेश जैन, संयुक्त सचिव (एफ एंड ए), विद्युत मंत्रालय।

	प्रत्येक पक्षकार द्वारा एक–एक निदेशक को नामित किया जाएगा, जो यह भी निर्धारित करेंगे कि उनके संबंधित नामित व्यक्ति किस अवधि के लिए पद धारण करेंगे और एमडी को छोड़कर कार्यात्मक निदेशकों को एओए के धारा 102 (iv) के अनुसार प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित किया जाएगा। पक्षकारों द्वारा नामित निदेशकों के अलावा, दो अंशकालिक निदेशक यदि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड में शामिल किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 या समय–समय पर संशोधित के प्रावधानों के अधीन सभी निदेशकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी। कार्यकारी निदेशकों अर्थात् प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना और व्यापार विकास) के 3 स्वीकृत पद हैं। बोर्ड को आवश्यकता होने पर कुल 13 निदेशकों में से 1 अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक के पद को स्वीकृत करने की अधिकार होगा। बोर्ड कंपनी के समग्र कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। जेवीसी का कार्य हमेशा बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।	प्रत्येक पक्षकार द्वारा एक–एक निदेशक को नामित किया जाएगा, जो यह भी निर्धारित करेंगे कि उनके संबंधित नामित व्यक्ति किस अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष और एमडी को छोड़कर कार्यात्मक निदेशकों को एओए के खंड 102 (iv) के अनुसार प्रत्येक पक्षकार द्वारा चुना जाएगा। पक्षकारों द्वारा नामित निदेशकों के अलावा, दो अंशकालिक निदेशक यदि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड में शामिल किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 या समय–समय पर संशोधित के प्रावधानों के अधीन सभी निदेशकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी। कार्यकारी निदेशकों अर्थात् कार्यकारी उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना और व्यापार विकास) निदेशक (वाणिज्य) के 5 स्वीकृत पद हैं। बोर्ड को आवश्यकता होने पर कुल 13 निदेशकों में से 1 अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक के पद को स्वीकृत करने की अधिकार होगा। बोर्ड कंपनी के समग्र कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। जेवीसी का कार्य हमेशा बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।
114	न तो बोर्ड और न ही उसकी कोई समिति (चाहे बोर्ड की बैठक में या समिति की बैठक में या परिपत्र / संकल्प द्वारा या अन्यथा) और न ही इसके एमडी और न ही कंपनी की ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई कार्रवाई करेगा, सिवाए निदेशकों के बहुमत के सकारात्मक मत को छोड़कर, जिसमें बहुमत में ''एनटीपीसी, पीएफसी, पावरग्रिड और आरईसी'' द्वारा नामित प्रत्येक के कम से कम एक निदेशक का सकारात्मक वोट शामिल होगा : क. कंपनी का वार्षिक राजस्व बजट। ख. विकास की पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं, कंपनी का पूंजी बजट और किसी भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, पूंजीगत व्यय के कार्यक्रम सहित विस्तार योजनाएं या पूंजीगत उपकरण की खरीद जो 10 करोड़ रुपए से अधिक है। ग. कंपनी का समापन। घ. कंपनी के संपूर्ण उपक्रम या काफी हद तक अथवा पूरा का उसके हिस्से का स्थानांतरण, बिक्री, पट्टे, विनिमय, गिरवी और/या निपटान से संबंधित कोई भी मामला। ङ. कंपनी की अधिकृत या जारी षेयर पूंजी में वृद्धि या अन्यथा परिवर्तन। च. नए निवेशक का प्रवेश।	न तो बोर्ड और न ही उसकी कोई समिति (चाहे बोर्ड की बैठक में या समिति की बैठक में या परिपत्र / संकल्प द्वारा या अन्यथा) और न ही इसके कार्यकारी उपाध्यक्ष या एमडी और न ही कंपनी की ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई कार्रवाई करेगा, सिवाए निदेशकों के बहुमत के सकारात्मक मत को छोड़कर, जिसमें बहुमत में ''एनटीपीसी, पीएफसी, पावरग्रिड और आरईसी'' द्वारा नामित प्रत्येक के कम से कम एक निदेशक का सकारात्मक वोट शामिल होगा : क. कंपनी का वार्षिक राजस्व बजट। ख. विकास की पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं, कंपनी का पूंजी बजट और किसी भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, पूंजीगत व्यय के कार्यक्रम सहित विस्तार योजनाएं या पूंजीगत उपकरण की खरीद जो 10 करोड़ रुपए से अधिक है। ग. कंपनी का समापन। घ. कंपनी के संपूर्ण उपक्रम या काफी हद तक अथवा पूरा का उसके हिस्से का स्थानांतरण, बिक्री, पट्टे, विनिमय, गिरवी और/या निपटान से संबंधित कोई भी मामला। ङ. कंपनी की अधिकृत या जारी शेयर पूंजी में वृद्धि या अन्यथा परिवर्तन। च. नए निवेशक का प्रवेश।

	छ. किसी भी ऋण या अन्य उधार लेने या किसी भी ऋण या अन्य कागजात या प्रतिभूति को जारी करने का अधिकार या विकल्प जो पूरे या उसके हिस्से या किसी ऐसे कागजात या प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, या किसी भी अर्जित ब्याज को कम्पनी के शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार रखता है। ज. इससे संबंधित कोई भी मामला :– i. सहायक कंपनी/कंपनियों के गठन सहित कंपनी/कंपनियों का प्रवर्तन। ii. साझेदारी में प्रवेश करना और/या लाभ साझा करने की व्यवस्था करना। iii. किसी अन्य कंपनी में शेयर लेना या अन्यथा प्राप्त करना और धारण करना। iv. कंपनी की किसी भी परिसंपत्ति को गिरवी रखना या उस पर ऋण भार करना और कॉर्पोरेट गारंटी जारी करना (व्यापार वारंटी के अलावा) या सामान्य देयताओं को व्यय करना, सिवाय वार्षिक परिचालन और पूंजी बजट में निर्धारित राशि या कार्यशील पूंजी की जरूरतों की खरीद हेतु आवश्यकता के रूप में, या जैसा कि किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी कर उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकता है। v. कंपनी द्वारा लाभांश की सिफारिशें/अनुमोदन। vi. कंपनी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित विदेशी सहयोग से जुड़ी व्यवस्था। झ. कंपनी के नाम में परिवर्तन। ञ. कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ हेतु किसी भी लाभ के बंटवारे, या किसी शेयर विकल्प या अन्य समान योजनाओं में प्रवेश करना। किसी भी पार्टी के नामित निदेशकों की उनके विधिवत नियुक्त विकल्पों सहित संभावित अनुपस्थिति की स्थिति में, ऐसे निदेशक ई–मेल, फैक्स या संचार के किसी अन्य सहमत विधि से ऐसे किसी भी मामले के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। बशर्ते, जबकि, यदि ऐसी पार्टी के नामित निदेशक की अनुपस्थिति के कारण और ऐसी पार्टी के किसी भी नामित निदेशक की सहमति के अभाव में ई–मेल, फैक्स या किसी अन्य सहमत विधि द्वारा बताए गए ऐसे किसी मामले कंपनी को संचार के मामले में, इस तरह के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है तो उक्त मद पर विचार करने हेतु उक्त बोर्ड बैठक को उस दिन, समय और स्थान तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जैसा कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है। यदि इस तरह की स्थगित बैठक में भी, किसी पार्टी का कोई नामित निदेशक मौजूद नहीं है या ऐसे किसी मामले के संबंध में ऐसी पार्टी के किसी भी नामित निदेशक की सहमति कंपनी को नहीं भेजी जाती है, तो उस स्थिति में यदि बोर्ड के एक–तिहाई सदस्य उपस्थित होते हैं, तो वे यहां ऊपर उल्लिखित किसी भी विपरीत बात के होने के बावजूद भी मूल कार्यसूची में शामिल सभी मामलों पर विचार करने और निर्णय लेने के पात्र होंगे। (17.03.2013 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधित)	प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, या किसी भी अर्जित ब्याज को कम्पनी के शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार रखता है। ज. इससे संबंधित कोई भी मामला :– i. सहायक कंपनी/कंपनियों के गठन सहित कंपनी/कंपनियों का प्रवर्तन। ii. साझेदारी में प्रवेश करना और/या लाभ साझा करने की व्यवस्था करना। iii. किसी अन्य कंपनी में शेयर लेना या अन्यथा प्राप्त करना और धारण करना। कंपनी की किसी भी परिसंपत्ति को गिरवी रखना या उस पर ऋण भार करना और कॉर्पोरेट गारंटी जारी करना (व्यापार वारंटी के अलावा) या सामान्य देयताओं को व्यय करना, सिवाय वार्षिक परिचालन और पूंजी बजट में निर्धारित राशि या कार्यशील पूंजी की जरूरतों की खरीद हेतु आवश्यकता के रूप में, या जैसा कि किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी कर उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकता है। v. कंपनी द्वारा लाभांश की सिफारिशें/अनुमोदन। vi. कंपनी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित विदेशी सहयोग से जुड़ी व्यवस्था। झ. कंपनी के नाम में परिवर्तन। ञ. कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ हेतु किसी भी लाभ के बंटवारे, या किसी शेयर विकल्प या अन्य समान योजनाओं में प्रवेश करना। किसी भी पार्टी के नामित निदेशकों की उनके विधिवत नियुक्त विकल्पों सहित संभावित अनुपस्थिति की स्थिति में, ऐसे निदेशक ई–मेल, फैक्स या संचार के किसी अन्य सहमत विधि से ऐसे किसी भी मामले के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। बशर्ते, जबकि, यदि ऐसी पार्टी के नामित निदेशक की अनुपस्थिति के कारण और ऐसी पार्टी के किसी भी नामित निदेशक की सहमति के अभाव में ई–मेल, फैक्स या किसी अन्य सहमत विधि द्वारा बताए गए ऐसे किसी मामले कंपनी को संचार के मामले में, इस तरह के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है तो उक्त मद पर विचार करने हेतु उक्त बोर्ड बैठक को उस दिन, समय और स्थान तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जैसा कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है। यदि इस तरह की स्थगित बैठक में भी, किसी पार्टी का कोई नामित निदेशक मौजूद नहीं है या ऐसे किसी मामले के संबंध में ऐसी पार्टी के किसी भी नामित निदेशक की सहमति कंपनी को नहीं भेजी जाती है, तो उस स्थिति में यदि बोर्ड के एक–तिहाई सदस्य उपस्थित होते हैं, तो वे यहां ऊपर उल्लिखित किसी भी विपरीत बात के होने के बावजूद भी मूल कार्यसूची में शामिल सभी मामलों पर विचार करने और निर्णय लेने के पात्र होंगे। (17.03.2013 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधित)

अनुलग्नक -।।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड
विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी
ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED
A JV of PSUs under the Ministry of Power

संदर्भ सं.: ईईएसएल/0320/1366

22 सितम्बर, 2020

सेवा में,
श्री रजत कुमार सूद
जे–120, दूसरा क्रॉस रोड, कोरमंगला, तीसरा ब्लॉक
बैंगलोर अर्बन, कर्नाटक –560034
मो. नंबर – 9845170908

विषय : प्रबंध निदेशक, ईईएसएल के पद के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव

प्रिय महोदय,
हमारे साथ आयोजित आपके साक्षात्कार के संदर्भ में, आपको ईईएसएल परिवार का सदस्य बनने हेतु आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आपके नियुक्ति प्रस्ताव के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं :

1.	वेतनमान	–	1,80,000–3,40,000 रु. (आईडीए वेतनमान)
2.	मूल वेतन	–	1,80,000 रु.
3.	परिवर्तनीय डीए	–	नियमों के अनुसार
4.	नियुक्ति स्थान	–	ईईएसएल कॉर्पोरेट कार्यालय, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर –3, 5वीं मंजिल लोधी रोड, नई दिल्ली
5.	नियुक्ति की अवधि	–	5 (पांच) वर्ष या सेवानिवृत्ति की तिथि तक जो भी पहले हो।

इसके अलावा, आप पर लागू होने वाले नियुक्ति की मानक शर्तें और निबंधन तथा स्वीकार्य विभिन्न लाभ और भत्ते संलग्न अनुलग्नक में दिए गए हैं।
आप कृपया हमें इस पत्र के जारी होने की तारीख से 05 दिनों के अंदर हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति और शामिल होने की आपकी इच्छा के बारे में बता सकते हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त स्वीकृति के साथ विधिवत रूप से भरे हुए संलग्न वचनपत्र को ई–मेल द्वारा **recruitment@eesl.co.in** पर भेजने का अनुरोध किया जाता है।
हमारे सेवा नियमों में आवश्यक है कि आपके शामिल होने से पहले आपको चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए। आप कृपया अपनी चिकित्सा जांच केवल सरकारी अस्पतालों/सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों (प्रारूप संलग्न) में ही कराएं। इसके बाद, आप 21 अक्तूबर, 2020 तक ऊपर बताए अनुसार पदस्थापना के स्थान पर कार्य भार लेने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विभाग में रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको शामिल होने के समय कुछ दस्तावेज लाने होंगे, जो अनुबंध में भी दिए गए हैं।
हम आपके हमारे साथ जुड़ने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध साझा करने की आशा करते हैं।

धन्यवाद,

आपका आभारी,
ईईएसएल के लिए और उसकी ओर से

(हरलीन सचदेवा)
एजीएम (एचआर)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

पंजीकृत कार्यालय: एन.एफ.एल. बिल्डिंग, पाँचवा और छठा तल, कोर-3, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष: +91 (011) 45801260, **फैक्स:** +91 (011) 45801265
वेबसाईट: www.eeslindia.org

REGISTERED OFFICE: NFL Building, 5th & 6th Floor, Core-III, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Tel.: +91 (011) 45801260, Fax: +91 (011) 45801265
Website: www.eeslindia.org

CIN : U40200DL2009PLC196789 | **GSTIN:** 07AACCE4248H1ZQ

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में नियुक्ति की मानक शर्तें और निबंधन

1. कार्यभार संभालने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है :
   क) आपकी शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि, हाल में ली गई दो फोटो, जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है)/निःशक्त प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र, मूल रूप से, प्रतियों के साथ।
   ख) चार सत्यापन फॉर्म पर हाल में ली गई पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित चार फोटो लगी हुई।
   ग) उक्त प्रारूप में उल्लिखित व्यक्ति में से एक पहचान–सह–चरित्र प्रमाण पत्र जो आपसे संबंधित नहीं है।
   घ) अपने अंतिम नियोक्ता से निर्मुक्ति का आदेश।
   ङ) अपने पिछले नियोक्ता से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र।
   च) हाल में ली गई पासपोर्ट आकार के फोटो।
2. कंपनी के नियमों में चरित्र और पूर्ववृत्त के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य हेतु ऊपर उल्लिखित सत्यापन प्रपत्रों को संबंधित अधिकारियों से सत्यापित किया जाना चाहिए। यदि उक्त प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो कंपनी बिना कोई कारण बताए आपकी सेवा के दौरान किसी भी समय बिना किसी सूचना के ईईएसएल में आपके रोजगार को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है (यह शर्त सरकारी/पीएसयू कर्मचारी पर लागू नहीं है)।
3. हम आशा करते हैं कि आप अनुप्रमाणन प्रपत्रों आदि में या उन प्रपत्रों में सही जानकारी देने का उचित ध्यान रखेंगे, जिन्हें कार्य भार ग्रहण के समय आपको भरने की आवश्यकता होगी। यदि बाद की तारीख में कोई साक्ष्य मिलता है कि आपके द्वारा आपके आवेदन/व्यक्तिगत बायोडेटा/फॉर्म में दिया गया विवरण गलत या गलत या भ्रामक है या विज्ञापित विनिर्देशों से मेल नहीं खाता है और/या जानकारी आदि को छिपाया गया है, तो कंपनी नियुक्ति के इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए बाध्य होगी। आपके कार्य भार ग्रहण करने के बाद इस तरह के साक्ष्य सामने आने की स्थिति में, आपकी सेवा किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है और आपको तदनुसार कंपनी के नियोजन से हटा दिया जाएगा।
4. (क) आपने अनु. जाति/अनु. ज. जाति/अ. पि. व. श्रेणियों से संबंधित होने का दावा किया है, तो नियुक्ति अनंतिम है और सक्षम अधिकारियों से सत्यापित जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के अधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने या क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने का आपका दावा झूठा है, जैसा भी मामला हो तो कोई कारण बताए बिना और किसी पूर्वाग्रह के बिना भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों या कंपनी के नियमों के तहत झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आपकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
   (ख) धर्म परिवर्तन के मामले में, इस तरह के परिवर्तन के तुरंत बाद प्रबंधन को उचित सूचना दी जानी चाहिए।
5. कंपनी के नियमों की आवश्यकताओं के कारण, आपको अपना कार्य भार ग्रहण करने के समय एक प्रमाण पत्र देना होगा कि यदि आप पहले से ही विवाहित है, तो आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं हैं और आप कंपनी की अनुमति प्राप्त किए बिना दोबारा शादी नहीं करेंगे, भले ही आप पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसी शादी की अनुमति हो।
6. कंपनी में शामिल होने पर आपका पद प्रस्ताव पत्र में बताया जाएगा। जबकि, आपको समय–समय पर सौंपे गए कार्य के आधार पर इसे बदला जा सकता है।
7. (क) कंपनी में नए होने के कारण, आप प्रारंभ में एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे। यदि आप अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक माह का नोटिस देकर या एक माह की नोटिस अवधि के बदले वेतन देकर ऐसा कर सकते हैं। यदि कंपनी आपकी परिवीक्षा अवधि के दौरान आपके रोजगार को समाप्त करने का निर्णय लेती है तो भी यह समान रूप से लागू होगा।
   (ख) परिवीक्षा अवधि का समापन करना या अन्यथा ईईएसएल नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परिवीक्षा के संतोषजनक समापन के बाद, जिसके लिए आपको एक पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा, आप 3 माह का नोटिस देकर या 3 माह के नोटिस की अवधि के बराबर वेतन देकर अपनी सेवा देना बंद कर सकते हैं। यदि कंपनी आपकी पुष्टि के बाद आपके रोजगार को समाप्त करने का निर्णय लेती है तो भी यह समान रूप से लागू होगा।
8. ईईएसएल के साथ आपका रोजगार कंपनी के नियमों और प्रशासनिक आदेश/नीतियों द्वारा विनियमित किया जाएगा जो समय–समय पर लागू हो सकते हैं।
9. कंपनी के पास भारत या विदेशों में कहीं भी अपने कार्यालय/परियोजनाओं/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और किसी भी सरकारी विभाग/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या किसी अन्य संगठन आदि में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. ईईएसएल नियुक्ति के इस प्रस्ताव में किसी भी अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो कंपनी में शामिल होने से पहले या बाद में किसी भी समय कंपनी की मौजूदा नीति, नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं हैं।

वेतनमान और लाभ संरचना

1.0 वेतन संरचना

1.1 वेतनमान

(i) वेतनमान : 1,80,000–3,40,000

(ii) कार्यपालक का मूल वेतन वेतनमान के निचले स्तर पर नियत किया जाएगा।

1.2 वार्षिक वेतन वृद्धि

(i) वार्षिक वेतन वृद्धि की दर मूल वेतन का 3 प्रतिशत होगी।

(ii) वेतन वृद्धि की मानक तिथियां निम्नानुसार होंगी।

नियुक्त कर्मचारी /इसके बीच पदोन्नत	मानक तिथि
1 जनवरी और 31 मार्च	1 जनवरी
1 अप्रैल और 30 जून	1 अप्रैल
1 जुलाई और 30 सितम्बर	1 जुलाई
1 अक्तूबर और 31 दिसम्बर	1 अक्तूबर

1.3 महंगाई भत्ता (डीए)

कार्यपालक को प्रचलित दर पर औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) का भुगतान किया जाएगा।

2.0 अनुलाभ और भत्ते

2.1 आवास किराया भत्ता या कंपनी पट्टे पर आवासीय आवास

कार्यपालक नीचे दिए गए अनुसार एचआरए या कंपनी लीज पर आवास का लाभ उठा सकते हैं : –

- आवास किराया भत्ता (एचआरए)

एचआरए की दर मूल वेतन (दिल्ली / एनसीआर क्षेत्र में लागू) की 24 प्रतिशत' की दर है।

- कंपनी के पट्टे पर आवासीय आवास

कंपनी के पट्टे पर आवासीय आवास को किराए पर लेने हेतु मासिक किराए की सीमा 36000 रुपए ' (दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के लिए लागू) होगी। प्रति माह आवास किराया वसूली (एचआरआर) मूल वेतन का 10 प्रतिशत या वास्तविक किराया, जो भी कम हो, कार्यकारी से वसूल किया जाएगा।

*अन्य स्थानों के लिए दरें अलग–अलग होंगी।

2.2 अन्य अनुलाभ और भत्ते

(i) अन्य अनुलाभों और भत्तों के लिए "कैफेटेरिया दृष्टिकोण" अपनाया जाएगा, जिससे कार्यकारी अधिकारियों को अनुलाभों के दिए गए सेट या कैफेटेरिया से चुनने की सुविधा प्रदान होगी और भत्ते इस शर्त के अधीन हैं कि इन अनुलाभों और भत्तों का कुल योग मूल वेतन के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

2.3 चिकित्सा लाभ :

ओपीडी व्यय : चिकित्सा उपचार के लिए ओपीडी व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यपालक को पूर्व संशोधित वेतनमान पर अधिकतम एक माह की अधिकतम वार्षिक सीमा के अधीन वास्तविक रूप में की जाएगी अर्थात् बिल/वाउचर/चिकित्सा के दवा के पर्चे जमा करने पर 100000 रुपए (75000–100000 रुपए)।

आईपीडी व्यय : ईईएसएल चिकित्सा नीति के अनुसार कर्मचारियों को 10 लाख रुपए की वार्षिक सीमा के साथ आंतरिक चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान है।

दुर्घटना बीमा : ईईएसएल कर्मचारी 50 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आते हैं।

समूह बीमा योजना : 7,00,000 रु. का कवरेज

3.0 अन्य लाभ

3.1 अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ)

कंपनी के नियमों के अनुसार ईपीएफ का भुगतान कार्यकारी को किया जाएगा।

3.2 उपदान

उपदान भुगतान अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उपदान देय होगी।

3.3 कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति परिभाषित अंशदान योजना

(i) एक पेंशन योजना जिस पर ईईएसएल समूह सेवानिवृत्ति निधि के लिए मूल + डीए का लगभग 9 प्रतिशत योगदान देता है (जैसा कि वर्ष दर वर्ष के आधार पर तय किया गया है)

(ii) सदस्य सेवानिवृत्ति पर/योजना के तहत वर्णित अनुसार पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

3.4 अन्य लाभों की सूची नीचे दी गई है :

अन्य लाभ		
क्र. सं.	**लाभ के प्रकार**	**राशि**
1	मोबाइल हैंड सेट	02 वर्ष में एक बार 50,000 (कर सहित)
2	डेटा कार्ड	वास्तविक के अनुसार
3	लैपटॉप	कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा
4	**आवास भवन अग्रिम**	
	खरीद के लिए	20,00,000 रुपए
	नवीनीकरण / संशोधन के लिए	5,00,000 रुपए
5	वाहन अग्रिम	6,50,000 रुपए
6	बहुउद्देशीय अग्रिम	चार माह पूर्व–संशोधित मूल + डीए
7	फर्नीचर अग्रिम	एक माह पूर्व–संशोधित मूल
8	**छुट्टियां**	64
	ईएल – 30	
	एचपीएल – 20	
	आरएच – 2	
	सीएल – 12	
9	अवकाश नकदीकरण (ईएल)	कंपनी के नियम के अनुसार
10	ई–वाहन	कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा
11	आवासीय कार्यालयों के लिए फर्नीचर / फर्निशिंग	5 लाख वार्षिक
12	परिचर शुल्क	16770 रुपए प्रति माह
13	बिजली प्रतिपूर्ति	6500 रुपए प्रति माह
14	मनोरंजन व्यय	7500 रुपए प्रति माह
15	निष्पादन से संबंधित भुगतान	कंपनी के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर परिवर्तनीय वेतन का भुगतान किया जाएगा।

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर 11वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रचालन से राजस्व 17,970.91 मिलियन रुपए है और इस अवधि के लिए कुल राजस्व 18,731.01 मिलियन रुपए है। वर्ष 2019–20 में कंपनी का निवल लाभ 269.03 मिलियन रुपए है।

क. वित्तीय निष्पादन

1.1 वित्तीय की मुख्य विशेषताएं (एकल) :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ नीचे दी गई हैं:

(मिलियन रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
शेयर पूंजी का भुगतान	9,833.28	6,752.04
कुल राजस्व (अन्य आय सहित)	18,731.01	19,356.74
मूल्यह्रास और करों से पहले लाभ	4,761.95	4,976.66
घटाएं : मूल्यह्रास	4,551.91	3,498.70
कर पूर्व लाभ /(हानि)	210.04	1,477.96
घटाए : पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0	0
घटाएं : कराधान का प्रावधान		
– वर्तमान वर्ष	12.90	706.06
– पहले के वर्षों	(59.37)	0
– आस्थगित कर क्रेडिट	(12.52)	(20.65)
कर के बाद लाभ / (हानि)	269.03	792.55
जोड़ें : अन्य व्यापक आय/(व्यय)	0.91	(2.21)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	269.94	790.34

1.2 मुक्त भंडार और लाभांश में स्थानांतरण

कंपनी के मुक्त भंडार में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी।

1.3 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 22 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी 74वीं बोर्ड बैठक में सभी मौजूदा शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अधिकार के आधार पर 1279.20 मिलियन रुपए की राशि के इक्विटी शेयर जारी किए और प्रस्तावित किए। प्रस्ताव को केवल एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सब्सक्राइब किया गया था, जहां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड ने एनटीपीसी लिमिटेड के पक्ष में अपने प्रस्ताव को त्याग दिया था। परिणामस्वरूप, 12 सितंबर, 2019 को एनटीपीसी लिमिटेड को 981.20 मिलियन रुपए की राशि के इक्विटी शेयर आबंटित किए गए थे।

इसलिए, आज की तिथि में, कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार है :

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या / 10 रु. प्रत्येक	धारिता का प्रतिशत
1.	एनटीपीसी लिमिटेड और उसके नामिती	46,36,10,000	47.15
2.	आरईसी लिमिटेड और उसके नामिती	21,81,00,000	22.18
3.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके नामिती	24,55,00,000	24.97
4.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और उसके नामिती	5,61,18,350	5.70
	कुल	**98,33,28,350**	**100**

इस पर विचार करते हुए कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की शेयरधारिता के 10 प्रतिशत से कम है, पीजीसीआईएल को ईईएसएल के बोर्ड में निदेशक को नामित करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि जेवीए की धारा 7.3 में प्रदान किया गया है।

1.4 निवल मूल्य तथा प्रति शेयर आय

31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी का निवल मूल्य 11351.12 मिलियन रुपए (डीआरआर सहित) था, जबकि पिछले वर्ष यह 8114.34 मिलियन रुपए था। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का ईपीएस 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के 1.21 रुपए की तुलना में 0.29 रुपए है।

1.5 संसाधन जुटाना

कंपनी ने क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू), एजेंस फ्रैंचाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से विदेशी ऋण में 9,330.57 मिलियन रुपए जुटाए। 31 मार्च, 2020 तक विदेशी दीर्घावधि उधारों के संबंध में बकाया राशि 21,639.46 मिलियन रुपए है।

कंपनी ने अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू बैंक से घरेलू ऋण के रूप में 9300 मिलियन रुपए जुटाए हैं। 31 मार्च, 2020 को घरेलू दीर्घकालिक उधारों के संबंध में बकाया राशि 2480 मिलियन रुपए है।

ईईएसएल ने 31 मार्च, 2020 तक बकाया मूल्य के 11500 मिलियन रुपए के प्रतिभूति / प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय बॉन्ड जारी किए थे जो बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। बकाया बॉन्डों का विवरण इस प्रकार है:

	बॉन्ड सीरीज -1		बॉन्ड सीरीज -2	बॉन्ड सीरीज -3	बॉन्ड सीरीज -4
	एसटीआरपीपी-बी	एसटीआरपीपी-सी			
प्रतिभूति विवरण	प्रतिभूति, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर– संचयी, गैर– परिवर्तनीय बॉन्ड	प्रतिभूति, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर– संचयी, गैर– परिवर्तनीय बॉन्ड	प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर – संचयी, गैर – परिवर्तनीय बॉन्ड	प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर – संचयी, गैर – परिवर्तनीय बॉन्ड	प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर – संचयी, गैर – परिवर्तनीय बॉन्ड
जारी करने की विधि	निजी प्लेसमेंट आधार पर	निजी प्लेसमेंट आधार पर	निजी प्लेसमेंट आधार पर	निजी प्लेसमेंट आधार पर	निजी प्लेसमेंट आधार पर
बॉन्डों की संख्या	1250	1250	4500	2000	1250
आईएसआईएन	आईएनई688वी 07025	आईएनई688 वी07033	आईएनई688वी 08015	आईएनई688वी 08023	आईएनई688वी 08031
अंकित मूल्य / निर्गम मूल्य	₹10,00,000/-	₹20,00,000/-	₹10,00,000/-	₹10,00,000/-	₹10,00,000/-
जुटाई गई कुल राशि	₹1250 मिलियन	₹2500 मिलियन	₹4500 मिलियन	₹2000 मिलियन	₹1250 मिलियन
जारी करने की तिथि	20.09.2016	20.09.2016	18.07.2017	10.01.2018	29.01.2018
कूपन की दर	8.07 प्रतिशत	8.07 प्रतिशत	7.80 प्रतिशत	8.15 प्रतिशत	8.29 प्रतिशत
क्रेडिट की दर	सीएआरई–'एए' आईसीआरए –'एए–	सीएआरई–'एए' आईसीआरए –'एए–'	सीएआरई–'एए' आईसीआरए –'एए–'	सीएआरई–'एए' आईसीआरए –'एए–	सीएआरई–'एए' आईसीआरए–'एए–

1.6 नकद ऋण/अल्पकालिक सुविधा

31 मार्च, 2020 तक, कंपनी ने 7900 मिलियन रुपए की राशि का अल्पावधि ऋण प्राप्त किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों नामतः सीएआरई और आईसीआरए द्वारा अल्पावधि ऋणों के संबंध में कंपनी को ''ए1'' का दर्जा दिया गया है।

ख. प्रचालन की मुख्य विशेषताएं

2. राष्ट्रीय कार्यक्रम

2.1 उजाला

माननीय प्रधान मंत्री ने 5 जनवरी, 2015 को उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 77 करोड़ तापदीप्त बल्बों को बदलकर उनकी जगह एलईडी बल्बों को लगाना है। 31 मार्च, 2020 तक, ईईएसएल ने सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को कवर करते हुए 36.62 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 47.56 बिलियन किलोवॉट घंटा की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है, जिसमें 9,552 मेगावॉट की चरम मांग और प्रति वर्ष 38.53 मिलियन टन कार्बन डाइ ऑक्साइड की जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है। एलईडी बल्ब के खरीद मूल्य में मांग के एकत्रीकरण के कारण 310 रुपए (जनवरी, 2014) से 39.90 रुपए (सितंबर, 2019) तक काफी गिरावट आई है। कार्यक्रम आम आदमी के साथ महत्वपूर्ण पैमाने पर जुड़ने में सक्षम रहा है और अब तक, सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 8.75 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने इन एलईडी बल्बों का उपयोग करने का लाभ उठाया है, इस प्रकार, यह दुनिया में सबसे बड़ा गैर–सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम है। उजाला कार्यक्रम के बारे में जानकारी एक वेबसाइट www.ujala.gov.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है जिसमें उजाला योजना की वास्तविक समय प्रगति की निगरानी की जाती है। उजाला योजना के तहत ईईएसएल एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा दक्ष पंखे भी वितरित कर रहा है :

- **एनर्जी एफिशिएंसी एलईडी ट्यूब लाइट्स :** 31 मार्च, 2020 तक, ईईएसएल ने 72.02 लाख एलईडी ट्यूबलाइट वितरित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 315.44 मिलियन किलोवॉट घण्टा की अनुमानित ऊर्जा बचत होती है, जिससे 144 मेगावॉट की चरम मांग और प्रति वर्ष 258669 टन कार्बन डाइऑक्साइड की जीएचजी उत्सर्जन में कमी आती है।
- **ऊर्जा दक्ष पंखे :** ईईएसएल द्वारा 50 वॉट के बीईई 5 स्टार रेटेड ऊर्जा दक्षता वाले छत के पंखे प्रदान किए जाते हैं। 31 मार्च, 2020 तक, ईईएसएल ने इस योजना के तहत 25.35 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 217.18 मिलियन किलोवॉट घण्टा की अनुमानित ऊर्जा बचत होगी और 58 मेगावॉट की चरम मांग और प्रति वर्ष 1,78,093 टन कार्बन डाइऑक्साइड जीएचजी उत्सर्जन में कमी आएगी।

2.2 राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम (एसएलएनपी)

माननीय प्रधान मंत्री ने पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों को लगाने हेतु 5 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम (एसएलएनपी) का शुभारंभ किया। ईईएसएल पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों के साथ अपनी लागत पर बदल देता है (नगर पालिकाओं को निवेश करने की आवश्यकता के बिना) और परिणामस्वरूप नगरपालिका की ऊर्जा और रखरखाव लागत में कमी का उपयोग ईईएसएल को एक अवधि में चुकाने हेतु किया जाता है। ईईएसएल नगर पालिकाओं के साथ जो अनुबंध करता है, वह आम तौर पर 7 वर्ष की अवधि का होता है, जहां यह न केवल न्यूनतम ऊर्जा बचत (आम तौर पर 50 प्रतिशत) की गारंटी देता है, बल्कि नगरपालिकाओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और रखरखाव भी प्रदान करता है। 31 मार्च, 2020 तक, ईईएसएल ने पूरे भारत में 28 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 80.04 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित की हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 5375.53 मिलियन यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है, जिसमें 895.92 मेगावॉट की चरम मांग और

प्रति वर्ष 3.70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है।

यह दुनिया में कहीं भी एलईडी स्ट्रीट लाइट की सबसे बड़ी स्थापना है। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 1508 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यक्रम को नामांकित किया गया है, जिसमें से 972 शहरी स्थानीय निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। एसएलएनपी कार्यक्रम के बारे में जानकारी एक वेबसाइट www.slnp.eeslindia.org के माध्यम से प्रसारित की जाती है। संगठन जो एसएलएनपी योजना की प्रगति की निगरानी करता है।

ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना : ईईएसएल ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं को उसी सेवा मॉडल पर लागू कर रहा है जिस तरह से नगर पालिकाओं के लिए राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम है। ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश राज्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां ईईएसएल आंध्र प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट की जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट बदल रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दक्षता लाइटिंग की व्यवस्था के उपयोग को बढ़ावा देना, लाइटिंग में ऊर्जा की खपत को कम करना है जिससे डिस्कॉम को चरम मांग का प्रबंधन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और सड़कों पर सुरक्षा और निरापदता बढ़ाने में मदद मिलती है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, तेलंगाना और झारखंड राज्यों में प्रति वर्ष 1982.69 मिलियन यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ **330.45 मेगावॉट की बचत की गई चरम मांग और जीएचजी उत्सर्जन में 1.37 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के साथ अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ 29.52 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई हैं।** ईईएसएल अन्य राज्यों के साथ ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चर्चा कर रहा है।

31 मार्च, 2020 तक 1.10 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट की कुल स्थापना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 7358.22 मिलियन यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत होती है, जिसमें 1226.37 मेगावॉट की चरम मांग और प्रति वर्ष 5.07 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की जीएचजी उत्सर्जन में कमी होती है।

2.3 राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम (एसएमएनपी)

ईईएसएल ने पारंपरिक मीटरों को बदलने हेतु किराए के आधार पर उपयोगिताओं को स्मार्ट मीटर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम (एसएमएनपी) शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों की जगह इन्हें बदलकर स्मार्ट मीटर लगाना है। 31 मार्च, 2020 तक, ईईएसएल विभिन्न डिस्कॉम के साथ कार्य कर रहा था और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र और एनडीएमसी – दिल्ली में 1.2 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। एसएमएनपी को लागू करने के जरिए, एनडीएमसी अपने सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर प्रदान करने वाली पहली उपयोगिता बन गई है जिसमें एनडीएमसी की ओर से कोई अग्रिम निवेश नहीं किया गया है। बिहार भारत में प्रीपेड स्मार्ट मीटर परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य था। भारत में स्मार्ट मीटर परियोजना को लागू करते हुए, ईईएसएल सबसे तेज 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन के कारण, डिस्कॉम को प्रति ग्राहक मिलने वाले राजस्व में औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ईईएसएल ने पूरे भारत में स्मार्ट मीटर स्थापना की वास्तविक समय की निगरानी हेतु राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम डैशबोर्ड – https://smnp.eeslindia.org का शुभारंभ किया।

ईईएसएल ने एनआईआईएफ के साथ मिलकर पूरे भारत में स्मार्ट मीटर परियोजना के फास्ट ट्रैक कार्यान्वयन के लिए मेसर्स इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया।

2.4 राष्ट्रीय ई-वाहन कार्यक्रम

माननीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा 7 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय ई–वाहन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ईईएसएल ने बड़े पैमाने पर मितव्ययिता प्राप्त करने हेतु थोक में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करके मांग को एकत्रित किया है। ईईएसएल द्वारा विभिन्न सरकारी संगठनों में पट्टे पर लिए गए मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलकर ये इलेक्ट्रिक वाहन पट्टा / एकमुश्त खरीद के आधार पर सरकारी संस्थाओं को प्रदान किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 1542 ई–कारें तैनात की गई हैं और पंजीकरण/आबंटन के अधीन हैं। ई–कार को चार्ज करने हेतु 342 एसी और 192 डीसी चार्जर भी लगाए गए हैं। ईईएसएल ने 42 शहरों में विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों के 150 से अधिक विभागों के साथ समझौता ज्ञापन और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ईईएसएल ने पूरे भारत में ईवी परिनियोजन की वास्तविक समय की निगरानी के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन डैशबोर्ड– https://ev.eeslindia.org का शुभारंभ किया।

2.5 सार्वजनिक चार्जिंग मूल संरचना

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने हेतु, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा दिसंबर 2018 में जारी ''इलेक्ट्रिक वाहनों – और मानकों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर'', प्रयोक्ताओं के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए 3 कि.मी. × 3 कि.मी. ग्रिड में कम से कम एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के विकास का सुझाव दिया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने इस कदम का समर्थन करने के अपने प्रयास में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ईईएसएल पहले से ही कई राज्य सरकारों को नवाचारी व्यापार मॉडल लाकर और सार्वजनिक चार्जिंग मूल संरचना के त्वरित रोल–आउट के कार्यान्वयन हेतु अपना समर्थन प्रदान कर रहा है।

ईईएसएल ने 15 से अधिक नगर पालिकाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल), नव रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरएवीएनपी) और न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण (एनकेडीए) के साथ औपचारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ईईएसएल ने 31 मार्च 2020 तक, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल), महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो) और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एथॉरिटी (नोएडा) में भारत मानक एसी–001 (10 किलोवॉट) और भारत डीसी–001 (15 किलोवॉट) ईवी चार्जर्स वाले 84 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ईईएसएल सार्वजनिक चार्जर के उपयोग को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रबंधन करता है।

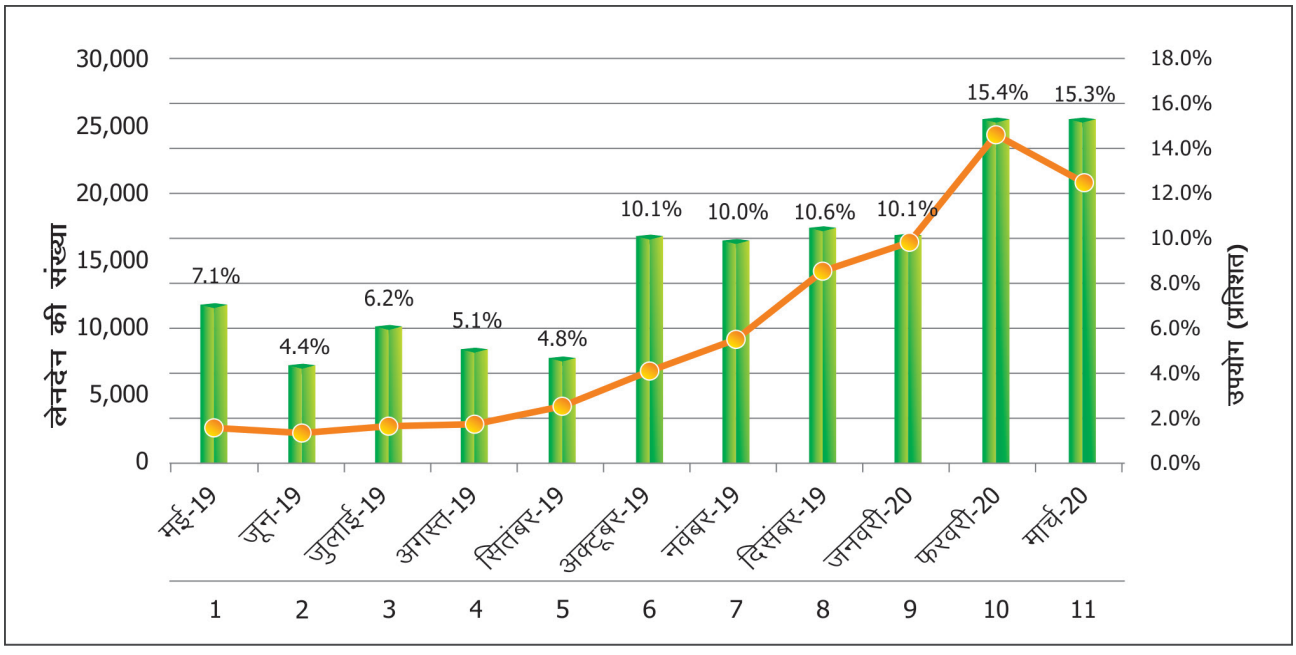

टिप्पणी – मार्च के माह में कोविड–19 के कारण उपयोग में गिरावट आई है।

2.6 सौर कार्यक्रम

क. **सौर रूफ टॉप कार्यक्रम :** ईईएसएल ने पूरे भारत में सौर पीवी आधारित रूफटॉप कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। आगे बढ़ते हुए, ईईएसएल ने सौर पीवी आधारित रूफ टॉप परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), अंडमान और निकोबार बिजली विभाग (एएनईडी), महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), आंध्र प्रदेश लिमिटेड का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) और केरल पर्यटन विकास निगम (केटीडीसी) जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख. **विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम :** ईईएसएल ने अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें डिस्कॉम सब स्टेशनों पर खाली / अप्रयुक्त भूमि पर छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों के कार्यान्वयन के माध्यम से मौजूदा कृषि फीडरों को सौरीकृत किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की "मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना" के तहत एमएसईडीसीएल, महाराष्ट्र की खाली / अनुपयोगी / अतिरिक्त भूमि में 0.3 मेगावॉट से 10 मेगावॉट तक की 500 मेगावॉट की विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ईईएसएल और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के बीच बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु सभी सबस्टेशन स्थलों में व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। 31 मार्च, 2020 तक 50.10 मेगावॉट की संचयी क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, ईईएसएल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ईईएसएल ने पूरे भारत में सौर परियोजना स्थापना की वास्तविक समय की निगरानी हेतु विकेन्द्रीकृत सौर परियोजना निगरानी डैशबोर्ड – https://solar.eeslindia.org को शुरू किया।

2.7 कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम)

ईईएसएल बीईई 5–स्टार ऊर्जा दक्षता कृषि पंपों को वितरित करने हेतु ऊर्जा दक्षता पम्प कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह कार्यक्रम 7 अप्रैल, 2016 को आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा से शुरू किया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में प्रायोगिक परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। ईईएसएल एजीडीएसएम परियोजना के पहले चरण में कृषि प्रधान राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा बाकी राज्यों को दूसरे चरण में लिया जाएगा। सितंबर, 2017 के पहले सप्ताह में आंध्र प्रदेश में बीईई द्वारा 1 लाख पुराने पम्पों को बदलकर उनकी जगह 5 स्टार रेटिड पंपों लगाने के साथ हेतु एजीडीएसएम परियोजना शुरू की गई थी। 31 मार्च, 2020 तक, आंध्र प्रदेश राज्य में 72,070 पम्प स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 13 अक्तूबर 2017 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और मार्च 2020 तक राज्य में 1826 पम्प स्थापित किए गए। इस वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आंध्र प्रदेश में कम से कम 1000 पम्प और उत्तर प्रदेश में अन्य 1000 पम्प स्थापित करने का लक्ष्य है।

2.8 भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (बीईईपी)

ईईएसएल द्वारा भारत में वाणिज्यिक मौजूदा भवनों (ज्यादातर सरकारी भवनों) को एलईडी लाइट्स, 5–स्टार रेटेड एसी, 5–स्टार रेटेड पंखे जैसे ऊर्जा दक्षता उपकरणों के साथ रेट्रोफिट करने हेतु भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (बीईईपी) को लागू किया जाता है। ईईएसएल ने 31 मार्च, 2020 तक, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों सहित 10,411 भवनों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का निर्माण पूरा कर लिया है। ऊर्जा लेखा परीक्षा में इन भवनों में 30–50 प्रतिशत तक की ऊर्जा बचत क्षमता

दिखाई गई हैं। इन भवनों में प्रमुख हस्तक्षेप लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के क्षेत्र में हैं।

2.9 अटल ज्योति योजना (अजय)

ईईएसएल को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ऑफ–ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना के तहत एक उप–योजना, अटल ज्योति योजना (अजय) हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें ऐसे ग्रामीण, अर्ध –शहरी और शहरी क्षेत्र शामिल हैं जहां बिजली के पर्याप्त पहुंच का लाभ नहीं मिलते हैं। योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग, प्रदर्शन और प्रतिरूप के लिए 'सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम' प्रदान करना है जिससे सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। ईईएसएल ने 31 मार्च, 2020 तक, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों में अजय चरण–। के तहत 1.35 लाख सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

अजय के चरण –। योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद, अजय के चरण –।। में ग्रामीण, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों में 3,04,500 सौर स्ट्रीट लाइट (एसएसएल) की स्थापना शामिल होगी, जहां बिजली के पर्याप्त कवरेज का लाभ नहीं मिलता है। यह योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों, अंडमान और निकोबार के द्वीपों, लक्षद्वीप, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है, जिसमें 13 राज्यों के अतिरिक्त 48 महत्वाकांक्षी जिले शामिल हैं। ईईएसएल ने 31 मार्च, 2020 तक भारत के विभिन्न राज्यों में अजय चरण– ।। के तहत 62000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की हैं।

2.10 सौर अध्ययन लैंप योजना (एसओयूएल)

सौर अध्ययन लैंप की योजना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है और इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटीबी) द्वारा असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों के स्कूली छात्रों (कक्षा 1 से कक्षा 12) के लिए 7 मिलियन सौर अध्ययन लैंप के वितरण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार घरेलू ग्रिड कनेक्टिविटी 50 प्रतिशत से कम है। 31 मार्च 2020 तक, 4 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक सौर अध्ययन लैंप वितरित किए जा चुके हैं। इसमें इन राज्यों के 62 जिलों और लगभग 12000 गांवों को शामिल किया गया। 190 असेंबली–सह–वितरण केंद्रों (एडीसी) में मुख्य रूप से महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों सहित लगभग 7500 स्थानीय समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। यह कार्यक्रम मार्च, 2020 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था।

2.11 अति - दक्षता वाले एसी कार्यक्रम

ईईएसएल ने जुलाई 2019 में दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में 50,000 एसी लगाने के लिए अति–दक्ष एयर कंडीशनर (एसईएसी) कार्यक्रम शुरू किया। ईईएसएल ने टाटा पावर, बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना पावर के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उपभोक्ताओं को अति–दक्ष एसी लगाने करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रायोगिक कार्यक्रम प्रतिस्थापन बाजार और नई उच्च ईई प्रौद्योगिकी के साथ नई स्थापना, दोनों पर लक्षित किया गया। इन एसईएसी में उच्च 5.4 आईएसईईआर है और इन के शुभारंभ के वर्ष के दौरान 41,300 रुपए की आकर्षक दर पर बाजार में प्रस्तुत किए गए पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट आर32 का उपयोग किया जाता है। इस योजना को दिल्ली एनसीआर बाजार का अध्ययन करने के बाद, देश भर में शुरू किया गया था और विभिन्न जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों का आयोजन किया गया था। समर्पित कार्यक्रम, सम्मेलनों के दौरान प्रस्तुतिकरण, कार्यक्रम, कॉर्पोरेट्स के साथ आमने–सामने की बैठकें आदि। इस कार्यक्रम में तेजी लाने और वाणिज्यिक और संस्थागत ग्राहकों हेतु नए व्यापार मॉडल का नवाचार करने के लिए, जीईएफ–6 के तहत एडीबी वित्तपोषण और ईईआरएफ अनुदान (5 मिलियन डॉलर का) का उपयोग किया जाएगा। सफलता के आधार पर, कार्यक्रम को 2020 में बढ़ाया जाएगा।

2.12 ट्राइ - जनरेशन

मार्च 2018 में एडिना के अधिग्रहण के अनुपालन में ईईएसएल/ईपीएएल ट्राइ–जनरेशन (इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और कूलिंग) के व्यापार को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि एडिना के पास इस व्यापार का तकनीकी ज्ञान है। इस अधिग्रहण के माध्यम से, ईईएसएल भारत में सीएचपी प्रौद्योगिकी लाने, उद्योगों को एक एकीकृत सेवा की पेषकष प्रदान करने का भी इरादा रखता है, जिससे वे प्रौद्योगिकी स्थापना हेतु किसी अग्रिम लागत के बिना ही उपकरण रखरखाव, बिजली, ताप और विद्युत प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। दिसंबर 2018 के माह में, भारत में उभरते सीएचपी/ट्राइ – जनरेशन व्यापार को पूरा करने हेतु एडिना (ईपीएसएल ट्राइ –जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नामित) की एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया गया था।

ट्राइ – जनरेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिजली के साथ–साथ हीटिंग और कूलिंग दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ईईएसएल का अनोखा पे ऐज यू सेव (पीएवायएस) बिजनेस मॉडल, जिसमें क्लाइंट की ओर से कोई अग्रिम निवेश नहीं होता है। इसका पुनः भुगतान बचत से किया जाना है, जो भारत में बड़े पैमाने पर सीएचपी और ट्राइ –जनरेशन को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ईईएसएल सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के साथ प्रदर्शन की गारंटी देगा। ईईएसएल एक एकीकृत टर्नकी समाधान की प्रस्तुत करेगा – एंड टू एंड सर्विस और रखरखाव प्रदान करेगा। 31 अगस्त 2020 तक :

- महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, परीक्षण और कमीशनिंग चरण के तहत 800 किलोवॉट ट्राइजेन सॉल्यूशन, अक्तूबर 2020 तक कमीशन करने और कार्य सौंपने की उम्मीद है।
- ट्राइ –जनरेशन प्रोजेक्ट्स को लागू करने हेतु महाराष्ट्र सरकार और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- इनोवेटिव इन्फोकॉम 2.0 मेगावॉट के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को गैस आधारित बिजली स्थापित करने और वितरित करने की संभावनाओं की खोज करने के लिए ईईएसएल राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर विभिन्न एलएनजी आपूर्तिकर्ता के

साथ चर्चा कर रहा है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विभिन्न स्थानों पर बर्नर टिप गैस की कीमत और उपलब्धता की पेषकष कर सकते हैं।

- भारत में लगभग 200 से अधिक मेगावॉट की बड़ी संभावनाओं का पता लगाते हुए, सभी अलग – अलग चरण में हैं।

2.13 नगर पालिका ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (एमईईपी)

बाजार परिवर्तन की सुविधा हेतु और भारत में बड़े पैमाने पर नगर ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (एमईईपी) को दोहराने के लिए, ईईएसएल ने 28 सितंबर 2016 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में एमओयूडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ईईएसएल ने 31 मार्च, 2020 तक 304 शहरों के लिए अध्ययन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ईईएसएल ने पश्चिम बंगाल राज्य में 39 यूएलबी के साथ कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और परियोजना वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, उत्तराखंड, गोवा, चंडीगढ़ जैसी कुछ अन्य राज्य सरकारों ने ईईएसएल के माध्यम से अदक्ष पंपों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पम्पों को बदलने हेतु परियोजना को लागू करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

3. अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन /कार्यक्रम

3.1 वैश्विक पर्यावरण सुविधा-5 (जीईएफ-5)- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार परिवर्तन को बढ़ावा देना।

ईईएसएल इस परियोजना को यूनिडो, एमएसएमई मंत्रालय, बीईई और सिबडी के सहयोग से भारत में 10 एमएसएमई समूहों (सूरत, अंकलेश्वर, जोरहाट, वेल्लोर, जालंधर और बटाला, वाराणसी, सुंदरगढ़, हावड़ा, पूर्वी गोदावरी, मुजफ्फरनगर) में लागू कर रहा है। विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करने हेतु ईईएसएल को 3 मिलियन डॉलर का जीईएफ अनुदान आबंटित किया गया है जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2019–20 में परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- यूनिडो के माध्यम से 968,000 डॉलर जीईएफ अनुदान प्राप्त हुआ।
- ईईएसएल में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) जून 2018 में स्थापित की गई थी और तीन परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) को अगस्त 2018 में कार्य पर रखा गया था।
- कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 6 फरवरी, 2019 को माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- शेयरधारकों तक बेहतर और केंद्रित पहुंच के लिए इस परियोजना हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया गया है।
- ईईएसएल ने जीईएफ–5 परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 5 क्लस्टर संघों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- संकल्पना का प्रमाण और स्केलिंग अप हेतु 24 प्रौद्योगिकियों की पहचान और अनुमोदन (कार्य तकनीकी समूह द्वारा) किया गया है।
- सूरत (2) और वेल्लोर (1) में तीन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन पूरा हो गया है।
- 10 क्लस्टरों में 700 से अधिक सर्वेक्षण/बहु–विचार मंथन सत्र और कार्यशालाएं/ऊर्जा लेखा परीक्षा / बेसलाइन अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं।

3.2 वैश्विक पर्यावरण सुविधा - 6 (जीईएफ- 6) - भारत : ''ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार बनाना और रखरखाव करना''

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है, भारत में ईई के कार्यान्वयन को और गति देने हेतु अपने जीईएफ–6 चक्र के तहत **'ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार बनाना और बनाए रखना'** परियोजना के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ भागीदारी की है। यह परियोजना औपचारिक रूप से नवंबर 2017 के माह में शुरू की गई थी और जनवरी 2018 से प्रभावी हुई। ईईएसएल द्वारा 2018–2022 तक कार्यान्वित इस पांच वर्षीय परियोजना को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

इस परियोजना का उद्देश्य है : 1) मौजूदा बाजार क्षेत्रों में निवेश का विस्तार करना और उसे बनाए रखना, 2) बाजार में विविधीकरण का निर्माण करना और 3) प्रतिरूप और स्केलिंग अप। इस परियोजना में कुल 453 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण शामिल है जिसमें 18. 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जीईएफ अनुदान शामिल है। उपलब्ध जीईएफ अनुदान में से, ''एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड'' (ईईआरएफ) की स्थापना और संचालन हेतु 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए गए हैं। नवंबर 2018 के दौरान ईईएसएल और एडीबी के बीच इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जीईएफ परियोजना के समर्थन से निम्नलिखित प्रगति हुई है :

घटक 1

1. घटक 1 के तहत विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लक्ष्यों की तुलना में भौतिक प्रगति नीचे दी गई है :
   - एलईडी घरेलू लाइटिंग : लक्ष्य : 39,776,293; उपलब्धि : 77,299,840 (लक्ष्य प्राप्त, 194 प्रतिशत)
   - बीईई 5 स्टार रेटिड सीलिंग फैन्स : लक्ष्य : 2,128,298; उपलब्धि : 873,669 (41.1 प्रतिशत प्रगति पर)
   - एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग : लक्ष्य : 1,505,942; उपलब्धि : 6,111,587 (प्राप्त लक्ष्य, 405.8 प्रतिशत)
   - 5–स्टार वॉटर पम्प (एजीडीएसएम) : लक्ष्य : 229,532 नग; उपलब्धि : 72,276 (31.5 प्रगति पर)
2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ग्रामीण उजाला कार्यक्रम का एक आधारभूत सर्वेक्षण पूरा किया गया था, जिसमें बाधाओं और अवसरों सहित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु उपयोगी जानकारी दी गई थी;
3. आंध्र प्रदेश में एजीडीएसएम कार्यक्रम का एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया गया है और वर्तमान में जारी है।

घटक 2

1. 1.5 टीआर क्षमता के 50,000 अति–दक्षता वाले एसी

(एसईएसी), 40,000 आईई3 मोटर्स (विभिन्न दर के लिए) और 200 ईवी चार्जर (फास्ट चार्जिंग क्षमता) की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इन तीनों में से, जून 2019 के दौरान एसईएसी के लिए एलओए रखा गया था और शेष दो के लिए, अगस्त 2019 के दौरान मोटरों हेतु और नवंबर 2019 के दौरान चार्जर्स के लिए एलओए रखा गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

2. घटक 2 प्रौद्योगिकियों (एसईएसी, आईई3 मोटर्स और ईवी चार्जर्स) में से तीन के बाजार मूल्यांकन के लिए, आरएफपी मांगे गए और एलओए जारी किए गए।
3. भारत भर के विभिन्न शहरों में ईईएसएल के कार्यक्रमों और प्रस्तुत किए गए लोकप्रिय बनाने हेतु लगभग 20 कार्यशालाओं, सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन / व्यवस्था / समर्थन किया गया।

घटक 3

1. परियोजना द्वारा विकास कार्यनीति और संगठनात्मक पुनर्गठन अध्ययन के संबंध में गतिविधियों को आंशिक समर्थन प्रदान किया।
2. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, जीईएफ–6 परियोजना के सहयोग से निम्नलिखित वेबसाइटें विकसित की गई हैं :
3. सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए जीईएफ परियोजना वेबसाइट और वेबसाइटों का विकास;
   - जीईएफ – 6 वेबसाइटें – gef6.eeslindia.org
   - ईईएसएलमार्ट – eeslmart.in
   - एनएमआरपी वेब पोर्टल – motor.eeslindia.org

   अति–दक्षता वाले एसी, एनएमआरपी और ईवीपीसीआई के लिए ब्रोशर, स्टैंडी, फ्लायर्स, बैनर आदि जैसे संचार टूल्स तैयार किए गए हैं और संबंधित शेयरधारकों और सम्मेलनों और कार्यशालाओं के दौरान भी परिचालित किए गए हैं।

4. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का विवरण

ईईएसएल की सहायक / सहयोगी कंपनियों का विवरण इस प्रकार है :

क. ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड (ईपीएएल)

ईईएसएल की यूके स्थित सहायक कंपनी, ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड (बाद में ''ईपीएएल'' के रूप में संदर्भित) है जिसमें उसके पास 84.55 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। 31 मार्च 2020 तक, ईपीएएल की चुकता शेयर पूंजी जीबीपी 35,182,100 थी। ईपीएएल ने पूरे यूके में शिक्षा और रमणीय क्षेत्रों (स्कूलों, जिला परिषद, गोल्फ कोर्स) में 6 ग्राहकों के साथ दो स्टेप–डाउन सहायक कंपनियों अर्थात् एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड और क्रेयटन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से 6 ऑपरेटिंग ऊर्जा दक्षता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन संविदाओं की अवधि 9 से 18 वर्ष तक होती है। ईपीएएल यूनाइटेड किंगडम (यूके) में संयक्त ताप और बिजली (सीएचपी), गैस और डीजल बिजली उत्पादन समाधान के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता, इंस्टॉलर और रखरखाव प्रदाता एडिना में संपूर्ण 100 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। एडिना समूह के अधिग्रहण के माध्यम से, ईईएसएल का इरादा भारत में सीएचपी प्रौद्योगिकी लाने का था और पहला चरण भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करना था। दिसंबर 2018 के माह में, भारत में उभरते सीएचपी / ट्राइ –जनरेशन व्यापार को पूरा करने हेतु एडिना (ईपीएसएल ट्राइ–जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नामित) की एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान, ईपीएएल ने 160.55 मिलियन रुपए (जीबीपी 1.69 मिलियन) का लाभ कमाया है। ईपीएएल के तहत कंपनियों की सूची और ईपीएएल और इसकी सहायक कंपनियों में पद धारण करने वाले अधिकारियों के नाम निम्नानुसार हैं : –

क. ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड – सौरभ कुमार, स्टीवन फॉक्स, शंकर गोपाल, अमित कुमार कौशिक

ख. एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड – अमित कुमार कौशिक, अमित कुमार भारद्वाज, नितिन वाधवा

ग. क्रेयटन एनर्जी लिमिटेड – अमित कुमार कौशिक, अमित कुमार भारद्वाज, नितिन वाधवा

घ. ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड – सौरभ कुमार, स्टीवन फॉक्स, अमित कुमार कौशिक

ङ एडिना एक्विजिशन लिमिटेड – सौरभ कुमार, स्टीवन फॉक्स, अमित कुमार कौशिक

च. एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड – सौरभ कुमार, स्टीवन फॉक्स, शंकर गोपाल, अमित कुमार कौशिक, ह्यू केर रिचमंड

छ. एडिना लिमिटेड – ह्यू केर रिचमंड, अमित कुमार कौशिक, नितिन वाधवा

ज. एडिना यूके लिमिटेड – सौरभ कुमार, ह्यू केर रिचमंड, अमित कुमार कौशिक, नितिन वाधवा

झ. एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड – ह्यू केर रिचमंड, अमित कुमार कौशिक, कैथरीन मार्गरेट जिनजेल

ञ. आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड – ह्यू केर रिचमंड, अमित कुमार कौशिक, नितिन वाधवा

ट. स्टैनबेक लिमिटेड – ह्यू केर रिचमंड, अमित कुमार कौशिक, नितिन वाधवा

ठ. एल एडिना मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड – ह्यू केर रिचमंड, अमित कुमार कौशिक, नितिन वाधवा

ड. एडिना पावर लिमिटेड – ह्यू केर रिचमंड, अमित कुमार कौशिक, नितिन वाधवा

ढ. ईपीएसएल ट्राइ –जेनरेशन प्रा. लिमिटेड – सौरभ कुमार, शंकर गोपाल, अमित कुमार कौशिक

ख. एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर ओडिशा राज्य में सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से, जुलाई, 2017 में एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक एसपीवी को निगमित किया गया था। ईईएसएल के पास कंपनी में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। 31 मार्च 2020 तक, एनईईएसएल की चुकता शेयर पूंजी 0.1 मिलियन रु. थी। वर्ष 2019–20 के दौरान एनईईएसएल ने 1.28 मिलियन रु. का लाभ कमाया है।

ग. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज एलएलसी (यूएई)

ईईएसएल ने संयुक्त अरब एमिरेट्स, मध्य पूर्व और अफ्रीका

में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में सभी प्रमुख सरकारी निकायों द्वारा अनुमोदित एक ईएससीओ, मेसर्स हंसा एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी के साथ साझेदारी में एक संयुक्त उद्यम (जेवी) – एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज एलएलसी का गठन किया है।

हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के एक हिस्से के रूप में, हम मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं और ऊर्जा दक्षता सेवा एलएलसी क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिए विशाल क्षमता का उपयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस उद्यम के साथ, हमारे अनुभव से इस क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लाभ होगा, जिसमें हंसा एनर्जी गहन क्षेत्र ज्ञान और स्थानीय विशेषज्ञता प्रदान करती है। संयुक्त उद्यम के लिए फोकस के मुख्य क्षेत्र होंगे :

- एलईडी स्ट्रीट लाइट्स
- बिल्डिंग रेट्रोफिट्स (वाणिज्यिक और औद्योगिक)
- ट्राइजनरेशन
- सौर कार्यक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज एलएलसी द्वारा कार्यान्वित ये कार्यक्रम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) और ईएससीओ बिजनेस मॉडल के मिश्रण के अंतर्गत होंगे। इस प्रयास से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी, ऊर्जा और मौद्रिक बचत में वृद्धि, और मध्य पूर्व में चरम मांग से बचाव होने की उम्मीद है।

घ. इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड या ''इंटेलीस्मार्ट'', एनआईआईएफ (नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) और ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे भारत सरकार के स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन से वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बिलिंग और संग्रह क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। स्मार्ट मीटर स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम की नींव की तरह काम करेंगे जो नए विकसित हो रहे ऊर्जा मिश्रण की चुनौतियों का सामना करने और प्रत्येक भारतीय को निर्बाध 24X7 बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह खुदरा स्तर पर वितरण क्षेत्र में बिजली सेवा प्रदाताओं की अंतःक्रियाशीलता को सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी एक कदम होगा।

ङ. कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीईएसएल)

सीईएसएल ईईएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है – स्वच्छ, सस्ती और विष्वसनीय ऊर्जा देने की कोशिश करेगी, और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संगम पर स्थित ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। कन्वर्जेंस भारत में अल्प सेवा पाने वाले ग्रामीण समुदायों में विकेन्द्रीकृत सौर विकास अनुभव पर आधारित है, और समय के साथ, बैटरी ऊर्जा भंडारण का उपयोग करके, गांवों में बिजली कृषि पंपों, स्ट्रीट लाइटिंग, घरेलू प्रकाश व्यवस्था और खाना पकाने के साधनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करेगा। यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन और इसके बुनियादी संरचना और डिजाइन बिजनेस मॉडल को सक्षम करने के लिए भी काम करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक/सहयोगी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरणों के अनुलग्नक के रूप में प्रदान की गई है और इसलिए, संक्षेपण के कारण यहां दोहराया नहीं गया है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयास

ईईएसएल के पास मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मूलसंरचना मौजूद है। कंपनी ने सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता और निर्णय लेने में सुधार के लिए अपने सभी व्यापारिक कार्यों को एकीकृत करने के लिए एसएपी – एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) एप्लिकेशन लागू किया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा किया गया है :

- **एसएपी-ईआरपी को अपनाना**

  हमने एचएएनए पर एसएपी–ईआरपी समाधान कार्यान्वित किया है जिसके बदले में उत्पादकता बढ़ती है, बेहतर सूची प्रबंधन, गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, सामग्री लागत में कमी आती है, प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन, कम ओवरहेड्स से लाभ को बढ़ावा मिलता है। इससे संगठन के अंदर और बाहर परिचालन दक्षता, उत्पादकता और पारदर्शिता में वृद्धि की गई है। हम व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में लगातार सुधार कर रहे हैं।

- **प्रबंधन डैशबोर्ड**

  हमने ईईएसएल की सभी व्यापारिक योजनाओं के लिए संपूर्ण आईटी आधारित विश्लेशण समाधान कार्यान्वित किया है, एक प्रबंधन डैशबोर्ड जिससे हमारे प्रबंधन और ग्राहकों को समग्र परियोजना प्रगति, ऊर्जा बचत और कार्बनडाइऑक्साइड में आने वाली कमी का पता लगाने में मदद मिलती है।

  सभी डैशबोर्ड पब्लिक फेसिंग हैं। हमने डैशबोर्ड का उपयोग करके प्रत्येक ईईएसएल व्यापार योजना के बारे में सार्वजनिक डोमेन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी है।

- **एलईडी स्ट्रीट लाइट में सीसीएमएस (केंद्रीय नियंत्रण और निगरानी प्रणाली)**

  इंटेलिजेंट स्ट्रीटलाइट का नया चलन आर्थिक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकास दोनों पर केंद्रित है। सीसीएमएस आधारित स्ट्रीट लाइटिंग समाधान देश में कार्यान्वित किया गया जिससे एलईडी लाइटों की रिमोट मॉनिटरिंग और नियंत्रण को संबोधित किया गया था। सीसीएमएस से डेटा विष्लेशिकी में मदद मिलती है जो राज्य में पूर्वानुमान, डीएसएम गतिविधियों को लोड करने में मदद देता है। मरम्मत और रखरखाव की नौकरियों के लिए इन्हें बदलने के समय में कमी आती है जो नगर पालिका के लिए अप्रत्यक्ष बचत के रूप में कार्य करेगा।

- **सभी योजनाओं के लिए 16x7x365 ग्राहक सहायता केंद्र**

  मुद्दों को हल करने और चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर सेवाओं को किराए पर लिया जाता है जो बेहतर ग्राहक संपर्क और बढ़े हुए थ्रुपुट के लिए ज्यादातर सभी क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करता है जिससे ग्राहक सेवा में सुधार होता है और उपभोक्ता शिकायतों का

त्वरित समाधान होता है और शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान होता है और शेयरधारक खुश रहते हैं।

- **क्लाउड डेटा सेंटर सेटअप**

  हमने टियर–3 क्लाउड डेटा सेंटर पर आईटी एप्लिकेशन तैनात किए हैं ताकि हमारे शेयरधारक सभी आईटी एप्लिकेशन को कहीं से भी सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से एक्सेस कर सकें। हमने बैकअप, आईटी सुरक्षा, आपदा बहाली, भंडारण स्थान और नेटवर्किंग के लिए सर्वोत्तम उद्यम प्रथाओं को अपनाया है। एमपीएलएस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करके सभी क्षेत्रीय और सीओ कार्यालय एक–दूसरे से निर्बाध रूप से जुड़े हुए हैं।

- **ई-अपशिष्ट प्रबंधन**- पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के दिशा–निर्देशों के अनुसार डेस्कटॉप, लैपटॉप, इस्तेमाल किए गए कार्ट्रिज, प्रिंटर आदि जैसे ई–अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) समाधान** - आंतरिक दक्षता को बेहतर करने और पारदर्शिता के लिए, आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय में समुचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सॉल्यूशन कार्यान्वित किया है और इसे कंपनी के सभी कार्यालयों में कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। ईईएसएल के प्रमुख कार्यालय साइटों को अधिक सुरक्षित और सुरक्षित नेटवर्क एमपीएलएस से जोड़ा गया है।

  आने वाले वर्ष 2020–21 में, कई आईटी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं अर्थात मेलिंग प्लेटफॉर्म को गूगल से माइक्रोसॉफ्ट में स्थानांतरित करना, विभिन्न केपीआई के साथ प्रबंधन के लिए बिजनेस डैशबोर्ड, प्रबंधित प्रिंट सेवाएं, एसेट मैनेजमेंट, ई–वे बिल, ई–इनवॉइसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीसीएमएस डेटा आदि का समेकन।

6. संस्थागत सुदृढ़ीकरण

ईईएसएल दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को कार्यान्वित कर रहा है, और इसे ध्यान में रखते हुए, ईईएसएल में नियमित अभ्यास के रूप में संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। ईईएसएल तकनीकी सहायता, संगठनात्मक पुनर्गठन, क्षमता निर्माण, प्रक्रिया के मानकीकरण, परियोजना निष्पादन और निगरानी आदि प्रदान करने के लिए मैकिन्से, ईएंडवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी जैसे प्रमुख परामर्श संगठनों से जुड़ा है। ईईएसएल भारत और दुनिया भर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों/बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और विश्व बैंक, एडीबी, एएफडी, केएफडब्ल्यू, यूएसएआईडी, यूएनईपी आदि जैसे प्रमुख पर्यावरण प्राधिकरणों के साथ तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तपोषण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए भी जुड़ा हुआ है।

7 राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए संगठन में कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष के दौरान कम्प्यूटर सिस्टम पर हिन्दी में कार्य करने के लिए हिन्दी भाषा तथा हिन्दी टंकण/आशुलिपि के लिए प्रशिक्षण एवं हिन्दी कार्यशालाएं प्रदान की गईं। नियम 3 (3) के तहत कार्यालय और मानक निविदाओं, नेम प्लेट, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित सील/स्टाम्प में प्रयुक्त सभी फॉर्म द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) बनाए गए थे। द्विभाषी टेलीफोन निर्देशिका उपलब्ध है। ईईएसएल की वेबसाइट और कंपनी के लोगो का हिंदी अनुवाद भी प्रगति पर है। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों से अवगत कराया गया और उन्हें केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिंदी पखवाड़ा भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है जिसमें बहुत सारी हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं।

8. मानव संसाधन प्रबंधन

8.1 जनशक्ति

मानव संसाधन प्रबंधन का फोकस एक सक्षम संस्कृति का निर्माण करना और आवश्यक कौशल सेट के साथ प्रेरित कार्य बल सुनिश्चित करना है। कंपनी अत्यधिक प्रेरित प्रतिभा पूल बनाने के लिए उद्योग में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित और तैयार कर रही है। इस वर्ष ईईएसएल ने कई नए उद्यमों में प्रवेश किया है और चुनौतियों का सामना करने के लिए बहु–कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या निम्नानुसार दी गई है:

स्थान	कर्मचारियों की संख्या			
	नियमित	नियत कार्यकाल	सलाहकार	तृतीय पक्ष
भारत	263	120	36	425
यूनाइटेड किंगडम	2	-	-	-
मालदीव	-	-	-	-
रियाद	1	-	-	-
कुल	**266**	**120**	**36**	**425**

8.2 औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान भागीदारी संस्कृति और संचार के खुले माध्यमों पर जोर दिया जा रहा है जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण रहा और वर्ष के दौरान किसी भी कार्यदिवस की हानि नहीं हुई।

8.3 कर्मचारी कल्याण

कंपनी में कर्मचारी कल्याण और उन्हें शामिल करने की गतिविधियां इस तरह से डिजाइन की गई है कि कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों के उन्मुख हों, उनमें टीम भावना का विकास हो, संबंध की भावना निर्मित हो, कार्य–जीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित हो और प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी परिदृष्य में कर्मचारी कंपनी के साथ जुड़े रहें। आपकी कंपनी के कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिजनों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं पैनलबद्ध अखिल भारत के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, समूह बीमा योजना और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हमारी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति निधि की शुरुआत की है। कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में कर्मचारी वार्षिक स्वास्थ्य जांच और ओपीडी की सुविधा भी प्रदान की गई है। वर्ष भर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सव समारोहों आदि का आयोजन किया गया। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ महिला दिवस समारोह जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए।

8.4 मानव संसाधन विकास

हमें अपने अत्यधिक सक्षम और प्रेरित और सक्षम मानव संसाधनों पर गर्व है जिन्होंने कंपनी को उसकी वर्तमान ऊंचाइयों पर लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। हम दृढ़ता से मानते हैं कि हमारे कर्मचारी हमारी कंपनी के साल दर साल शानदार प्रदर्शन के पीछे मौजूद प्रेरक शक्ति हैं। वर्ष के दौरान, हमने ईईएसएल नॉलेज सेंटर नामक एक अलग प्रकोष्ठ बनाकर आंतरिक अधिगम केंद्र को मजबूत किया है, इस टीम का मुख्य कार्य 'निष्पादन और सीखने की प्रदायगी' है। ईईएसएल टीम वर्क को महत्व देता है और यह सुव्यवस्थित प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की पेशकश करने वाला एक सक्रिय संगठन है। इसकी प्रशिक्षण प्रणाली को संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

8.5 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए एक ''आंतरिक शिकायत समिति'' का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। हमारा संगठन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने पर जोर देता है और सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर संवेदीकरण पर विशेष बल दिया जाता है।

8.6 महिला सशक्तीकरण के लिए अनुकूल नीतियां

विश्व बैंक में दक्षिण एशिया जेंडर एंड एनर्जी फैसिलिटी (एसएजीई) ने कई शेयरधारकों के सहयोग से, एक क्षेत्रीय नेटवर्क के रूप में वी पावर की स्थापना की है। वी पावर का उद्देश्य ऊर्जा परियोजनाओं और संस्थानों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी का समर्थन करना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) शिक्षा में महिलाओं के संबंध में मानक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। ईईएसएल विश्व बैंक द्वारा वी पावर नेटवर्क का एक कार्यनीतिक भागीदार बनने के लिए भी सहमत हो गया है और संगठन में इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, ईईएसएल के दो प्रतिभागियों ने पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क (वी पावर) में दक्षिण एशिया महिला 20–21 नवंबर, 2019–एशियाई विकास बैंक, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, अच्छी प्रथाओं के बारे में जानने के लिए दक्षिण एशिया के विभिन्न संगठनों के बीच साप्ताहिक कॉल की व्यवस्था की जा रही है। ईईएसएल के विकास को सक्षम बनाने के लिए निरंतर सीखने के एक भाग के रूप में, ईईएसएल की महिला कर्मचारियों के लिए एक गुणात्मक प्रश्नावली विकसित की गई और जारी की गई। इस प्रश्नावली से कंपनी को महिला कर्मचारियों की जरूरतों और आवश्यकताओं को समझने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त, अच्छी प्रथाओं के बारे में जानने के लिए दक्षिण एशिया के विभिन्न संगठनों के बीच साप्ताहिक कॉल की व्यवस्था की जा रही है। ईईएसएल के विकास को सक्षम करने के लिए निरंतर सीखने के एक भाग के रूप में, सार्थक डेटा–संग्रह के लिए ईईएसएल की महिला कर्मचारियों के लिए एक गुणात्मक प्रश्नावली विकसित की गई थी। इस प्रश्नावली से कंपनी को महिला कर्मचारियों की जरूरतों और आवश्यकताओं को समझने में मदद मिली।

8.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोक शिकायतों का निवारण

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) की अध्यक्षता में एक समर्पित लोक शिकायत और सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ है, जिसे संगठन के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में भी नामित किया गया है। यह प्रकोष्ठ जनता के कल्याण के लिए पारदर्शी शासन का आधार है। हम एक अद्वितीय विभाग हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जन कल्याणकारी कार्यों में सीधे अपनी लगन और उत्साह का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

सभी आरटीआई अनुरोधों को अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय से कम समय में पूरा कर दिया जाता है, जबकि सभी जन शिकायतों को अलग–अलग समयसीमा में हल किया जाता है, जो आम तौर पर 30 दिन या उससे कम होता है। यह विभाग संगठन में उच्च स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करना जारी रखता है। इस प्रकोश्ठ को बनाने के लिए जनशक्ति के संरेखण के बाद, इस संगठन ने एक स्व–विनियमन और नैतिक रूप से संवेदनशील संगठन का मुख्य सूत्रधार बनने के लिए उदाहरण स्थापित किया है। यह नोट करना अत्यंत संगत है कि शून्य सूचना का अधिकार आवेदनों और शून्य जन शिकायतों ने हमारे डेस्क को अनुत्तरित और अनसुना कर दिया है। ईईएसएल ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण आरटीआई और लोक शिकायत प्रसंस्करण का प्रबंधन करता है और पूरे समय कागज रहित कार्य सुनिश्चित करता रहा है। हम सहयोगी, त्वरित और कुशल कार्य वितरण को बढ़ावा देने के लिए अपने आंतरिक कामकाज को धीरे–धीरे क्लाउड पर स्थानांतरित कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, हमें ईईएसएल में लगभग 250 सूचना के अधिकार (आरटीआई) हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ईईएसएल में आरटीआई दाखिल करने की प्रक्रिया आसान और सरल है। एक आवेदक सीधे ईईएसएल के साथ अपने आरटीआई अनुरोध दर्ज करने के लिए **https://rtionline.gov.in/** पर लॉग ऑन कर सकता है। यह आरटीआई एमआईएस पोर्टल ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए एक दक्ष और उत्तरदायी वेबसाइट है। इसके अलावा, बाद में फाइलिंग के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान वेब पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे पर किया जा सकता है। ईईएसएल में एक आरटीआई आवेदन को समाप्त करने में लगने वाला औसत समय लगभग 23 दिन है, जो कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार निर्धारित 30–दिन की समय–सीमा से 7 दिन कम है।

शिकायतें आम तौर पर ईमेल, नियमित डाक या प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अत्यधिक संवेदनशील वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं जो केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के नाम से संचालित होती हैं। इसका वेब पता **https://pgportal.gov.in** है। यह पोर्टल सभी नागरिकों के लिए सरकार में उच्च अधिकारियों की जांच के तहत ईईएसएल को अपने सरोकारों के बारे में तुरंत रिपोर्ट करने के लिए खुला है। वर्ष 2017 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना के बाद से अब तक इस विभाग द्वारा लगभग 600 जन शिकायतों का

समाधान किया जा चुका है।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

वित्तीय वर्ष 2019 – 20 के लिए सीएसआर बजट 19.39 मिलियन रुपए था, जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं:–

क. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत

- उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के वंचित परिवारों के लिए 150 से अधिक शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए 7.85 मिलियन रुपए का निवेश।
- स्वच्छता पखवाड़ा में 0.24 मिलियन रुपए का योगदान

ख. कौशल विकास के अंतर्गत :-

- विकलांग छात्रों के उपयोग के लिए कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए दिशा फाउंडेशन को 0.07 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता
- छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 0.01 मिलियन रुपए का व्यय

ग. स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत

- अखिल भारतीय आधार पर चुने गए गंभीर रूप से बीमार वंचित बच्चों के जन्मजात हृदय दोष (सीएचडी) के उपचार के लिए 3.99 मिलियन रुपए का व्यय।
- पश्चिम बंगाल के शहरी स्थानीय निकायों के निकट चिकित्सा शिविर के लिए 0.04 मिलियन रुपए का निवेश
- कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सहायता के लिए विकसित पीएम केयर्स फंड में 4.5 मिलियन रुपए का योगदान।
- टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के वितरण, बैड एंड गुड टच पर शिक्षा प्रदान करने के लिए 0.62 मिलियन रुपए का व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अपेक्षित कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति हमारी वेबसाइट (**www.eeslindia. org**) पर उपलब्ध है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार अपेक्षित सूचना अनुलग्नक–1 के अनुसार दी गई है।

10. मनोनयन और पारिश्रमिक नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप धारा (3) के तहत जरूरी कंपनी की मनोनयन और पारिश्रमिक नीति हमारी वेबसाइट (**www.eeslindia.org**) पर उपलब्ध है।

11 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है और हमारी वेबसाइट (**www.eeslindia.org**) पर उपलब्ध है।

12 ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत आवश्यक ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेष से संबंधित कुछ खास नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास अपनी कोई भी निर्माण सुविधा नहीं है।

13 विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

विदेशी मुद्रा की आय एवं व्यय निम्नानुसार रहा है :

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (रु. में)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (रु. में)
विदेशी मुद्रा में व्यय	1,76,76,109	81,36,38,876
विदेशी मुद्रा में आय	30,82,370	2,57,49,161

14 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में नियुक्त किया है।

15 निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बोर्ड और बोर्ड की समितियां

कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। हालांकि, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों, श्री सीतापति चंदर और सुश्री गौरी त्रिवेदी ने अगस्त, 2020 में इस्तीफा दे दिया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 8 बार विधिवत बैठक हुई। बैठकों की तारीखें इस प्रकार हैं : 27 मई 2019, 2 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019, 14 अगस्त 2019, 26 सितंबर 2019, 13 नवंबर 2019, 11 दिसंबर 2019 और 25 फरवरी 2020.

निदेशकों की पुनः नियुक्ति :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, श्री राज पाल और श्री अभय बाकरे कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण, उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किया है।

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विविध भूमिका के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावी निश्पादन हेतु निम्न समितियों का गठन किया है : –

क. लेखा परीक्षा समिति :

वित्तीय वर्ष के दौरान 5 अप्रैल 2019, 27 मई 2019, 2 जुलाई 2019, 26 सितंबर 2019, 10 नवंबर 2019 और 13 नवंबर 2019 को छह (6) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है' :

सदस्य :

श्री आर लक्ष्मणन – अध्यक्ष
श्री आदित्य डार – सदस्य
श्री वी. द्विवेदी – सदस्य

विशेष अतिथि :

एमडी, ईईएसएल (निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार)
प्रमुख – वित्त / सीजीएम वित्त / सीएफओ

की उपस्थिति में :

कंपनी सचिव

ख. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

दो (2) सीएसआर समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2019–20

के दौरान 26 सितंबर, 2019 और 25 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी। समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है :

सदस्य :
श्री राज पाल – अध्यक्ष
श्री आर लक्ष्मणन – सदस्य
श्री आदित्य डार –सदस्य

विशेष अतिथि :
सीएसआर प्रकोष्ठ के प्रमुख

की उपस्थिति में :
कंपनी सचिव

ग. मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति

वित्तीय वर्ष के दौरान 2 जुलाई 2019, 14 अगस्त 2019, 10 नवंबर 2019 और 11 दिसंबर 2019 को चार (4) मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित की गईं। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है':

सदस्य :
श्री आर लक्ष्मणन – अध्यक्ष
श्री आदित्य डार – सदस्य
श्री वी. द्विवेदी – सदस्य

विशेष अतिथि :
निदेशक (वित्त)
सीएफओ प्रमुख (एचआर)

की उपस्थिति में :
कंपनी सचिव

घ. परियोजना उप-समिति

वित्तीय वर्ष के दौरान 8 अप्रैल 2019 और 27 मई, 2019 को दो (2) परियोजना–उप समिति की बैठकें आयोजित की गईं। समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है :

सदस्य :
श्री सौरभ कुमार – अध्यक्ष
श्री रजत कुमार सूद – सदस्य
श्री राज पाल – सदस्य
श्री एस. गोपाल – सदस्य
श्री वेंकटेश द्विवेदी – सदस्य

विशेष अतिथि :
व्यापार इकाई (कार्यनीतिक विकास) व्यापार इकाई (लाइटनिंग)

की उपस्थिति में :
कंपनी सचिव

ङ. व्यापार विकास समिति

वित्तीय वर्ष के दौरान 5 अप्रैल 2019, 6 मई 2019, 2 जुलाई 2019, 7 सितंबर 2019, 10 नवंबर 2019 और 25 फरवरी 2020 को छह (6) व्यापार विकास समिति की बैठकें आयोजित की गईं। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :

सदस्य :
श्री सौरभ कुमार – अध्यक्ष
श्री रजत कुमार सूद – सदस्य
श्री वी. द्विवेदी – सदस्य
श्री आर लक्ष्मणन – सदस्य
श्री आदित्य डार – सदस्य

विशेष अतिथि :
व्यापार इकाई (कार्यनीतिक विकास)

की उपस्थिति में :
कंपनी सचिव

*30 सितंबर, 2020 तक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्येक निदेशक द्वारा बैठकों में शामिल होने का विवरण निम्नानुसार है

निदेशक के नाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या		सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या		एनआरसी बैठकों की संख्या		पीएससी बैठकों की संख्या		बीडीसी बैठकों की संख्या	
	पात्र	उपस्थित	पात्र	उपस्थित	पात्र	उपस्थित	पात्र	उपस्थित	पात्र	उपस्थित	पात्र	उपस्थित
श्री राजीव शर्मा	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री सौरभ कुमार	7	7	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6
श्री शंकर गोपाल	8	8	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
श्री वेंकटेश द्विवेदी	8	7	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6
श्री राज पाल	8	3	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-
श्री अभय बाकरे	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री संजीव गर्ग	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री मोहित भार्गव	8	7	6	5	-	-	4	3	-	-	-	-
श्री सीतापति चंदर	8	7	6	6	2	2	4	4	-	-	6	6
सुश्री गौरी त्रिवेदी	8	4	6	4	2	2	4	3	-	-	6	6

16 निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण :

कंपनी द्वारा स्थापित और बनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और अनुपालन प्रणालियों की रूपरेखा के आधार पर, आंतरिक, सांविधिक, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और बाह्य परामर्शदाताओं द्वारा किए गए कार्य और लेखा परीक्षा समिति सहित प्रबंधन और संगत बोर्ड समितियों द्वारा की गई समीक्षाओं के आधार पर, बोर्ड की राय है कि कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पर्याप्त और प्रभावी थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, निदेशक मंडल, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार, पुष्टि करता है कि :

क) वार्षिक लेखा को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

ख) लेखा नीतियों के चयन में, इन्होंने सांविधिक लेखा परीक्षकों से परामर्श लिया और इन्हें निरंतर रूप से लागू किया गया ताकि निर्णय देकर अनुमान लगाए कि ये उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और उसकी अवधि के लिए कंपनी के कार्यों की स्थिति और कंपनी के लाभ के बारे में सत्य और निष्पक्ष जानकारी दी जा सकें।

ग) इन्होंने अपने समुचित ज्ञान और क्षमता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए और धोखाधड़ी का पता लगाते हुए इसकी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम की जा सकें;

घ) इन्होंने जारी कंपनी के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ङ) इन्होंने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार किए हैं और उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

च) इन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां संकल्पित की हैं और उक्त प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्यरत थीं।

17 स्वतंत्रता की घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई थी कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

18 लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

19 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के तहत रिपोर्टिंग

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 और इसमें अब तक के बाद के संशोधनों पर सार्वजनिक प्रापण नीति को अधिसूचित किया है। उक्त नीति के संदर्भ में, आवश्यक विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 (करोड़ (रु.) में)	अक्टूबर तक वास्तविक (वित्तीय वर्ष 2020-21) करोड़ (रु.) में)	लक्षित वित्तीय वर्ष 20-21 (करोड़ (रु.) में)
i	*कुल वार्षिक प्रापण (मूल्य में)	2,965.91	1,913.00	3,114.21
क.	बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	672.58	1,629.30	1,970.21
ख.	कुल वार्षिक प्रापण (मूल्य में) - घरेलू प्रापण	2,293.33	283.70	1,144.00
ii	**एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	573.37	39.46	286.00
iii	केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	-	-	-
IV	***कुल प्रापण में से एमएसई (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से प्रापण की प्रतिशत आयु	25.0%	13.9%	25.0%
V	कुल प्रापण में से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण की प्रतिशत आयु	-	-	-
VI	एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	ईईएसएल द्वारा आवश्यक उत्पादों और सेवाओं की बेहतर समझ पाने और विक्रेताओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा और संभावित विक्रेताओं से जुड़ने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तदनुसार, भागीदार एजेंसियों द्वारा आयोजित पूर्व-निविदा बैठकों, विक्रेता बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया गया है।		
VII	उसके हाइपरलिंक द्वारा वार्षिक एमएसई खरीद प्रोफाइल को वेबसाइट पर अपलोड करने की पुष्टि	1. निम्नलिखित यूआरएल पर सरकारी आदेश (परिपत्र संख्या 17/7/09) के अनुसार प्रापण डेटा मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। [https://www.eeslindia.org/tenders.html] 2. सरकारी आदेश (परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30/07/2012) के अनुसार, त्रैमासिक आधार पर प्रापण डेटा नियमित रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजा जाता है।		

*परियोजनाओं का पूर्ण संविदा मूल्य नहीं है (जैसे कि जहां भुगतान प्रतिषत आधारित आदि हैं) कुल की गणना करते समय शामिल नहीं किए गए हैं।

**निविदा प्रक्रिया के दौरान ईएमडी/निविदा दस्तावेज शुल्क के लिए संबंधित विक्रेताओं द्वारा मांगी गई छूट के आधार पर विक्रेताओं को एमएसई के रूप में चुना जाता है। डेटा में ओटीई, एलटीई, एसटीई, नामांकन आदि के माध्यम से सौंपे गए कार्य शामिल हैं।

***एमएसई से प्रापण के प्रतिशत की गणना घरेलू वित्त पोषित परियोजनाओं के सापेक्ष की जाती है।

20 सतर्कता/व्हिसल ब्लोअर नीति

आपकी कंपनी अपने प्रचालनों में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करती है और इसकी निगरानी के लिए, कंपनी के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग है। आपकी कंपनी में स्थापित सतर्कता में कॉर्पोरेट केंद्र में सतर्कता अधिकारी शामिल हैं और वे सतर्कता तंत्र के विभिन्न पहलुओं का निपटान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, सतर्कता विभाग को उनतीस शिकायतें प्राप्त हुईं और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर लाया गया। एक शिकायत में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। जहां भी आवश्यक पाया गया, कार्य प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया गया। इसके अलावा कर्मचारी को जागरूक करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। वर्ष के दौरान, विभिन्न स्थानों / सीसी में चार निवारक सतर्कता कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 115 कर्मचारियों ने भाग लिया।

21 वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष प्रपत्र संख्या एमजीटी–9 में संलग्नक–2 के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

22 संविदाओं के विवरण या संबंधित पक्षकारों के साथ व्यवस्था

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अपने संबंधित पक्षकारों में से किसी के साथ कोई सामग्रीगत लेनदेन नहीं किया। सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन कार्य के सामान्य दौर में थे और इन पर एक दूरी बनाए रखते हुए विचार विमर्श किया गया था। तदनुसार संबंधित पक्षकार के लेनदेन के प्रकटन की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 134 (4) (एच) के तहत आवश्यक है, जो प्रपत्र एओसी–2 में लागू नहीं है।

23 ऋण, गारंटी और निवेशों के विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए वित्तीय विवरणों (एकल) के नोट्स का हिस्सा हैं।

24 चालू संगठन की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्री आदेश

हमारे डीए के खिलाफ वसूली के मुद्दे चल रहे हैं जिसके लिए हमने संविदात्मक शर्तों के अनुसार कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा, ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश में ''वैट मांग और जुर्माना'' की काफी राशि का भुगतान किया है। कानूनी दृष्टिकोण से कंपनी के संचालन के संबंध में, कोई नोटिस या निर्णय या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें ईईएसएल का संचालन और अस्तित्व तत्काल खतरे / संकट में प्रतीत होता है।

25 जमा

आज तक, कंपनी ने किसी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए, कोई भी जमा मौजूद नहीं है जो अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है।

26 निदेशकों और बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है, स्वतंत्र निदेशकों/बोर्ड/समितियों सहित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन या तो बोर्ड द्वारा या नामांकन और पारिश्रमिक समिति या स्वतंत्र/नामित निदेशक द्वारा किया जाता है।

27 लेखा परीक्षक

27.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्ति अधिकारों का उपयोग करके दिनांक 31 जुलाई, 2019 को जारी पत्र के माध्यम से मेसर्स के के सोनी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण 000947एन), नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखाकार नियुक्त किया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए उनका पारिश्रमिक तय करने के अधिकार से निदेशक मंडल को अधिकृत करने के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन कंपनी के निदेशक मंडल की आगामी वार्षिक आम बैठक में लिया जाएगा।

27.2 सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स आस्तिक त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षण करने हेतु कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। इसके लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

27.3 आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जैन एंड मल्होत्रा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

27.4 लागत लेखा परीक्षक

लागत लेक्षा परीक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

28 प्रबंधन का उत्तर :

सांविधिक लेखाकारों और सचिवीय लेखाकारों के अवलोकन/सलाह पर प्रबंधन का उत्तर इस रिपोर्ट के क्रमशः अनुलग्नक – 4 और अनुलग्नक – 5 में संलग्न है।

29 सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया।

ख) कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रणों सहित उचित निगरानी प्रक्रिया के लिए एक पर्याप्त प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें विभिन्न लेन देनों की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, सांविधिक कानूनों, विनियमनों एवं कंपनी की नीतियों के साथ प्रचालन और अनुपालन की दक्षता सुनिश्चित की जाती है।

ग) 31 मार्च, 2020 और इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रतिबद्ध ताओं या सामग्री में ऐसे कोई बदलाव नहीं हुए, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़े।

घ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी भी कर्मचारी के लिए कोई भी शेयर जारी नहीं किए हैं।

ङ) कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

छ) कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

30 प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेशण रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं और इन्हें अनुलग्नक – 6 में संलग्न किया गया है।

31 कर्मचारियों के विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और परिलब्धि) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के तहत आवश्यक जानकारी अनुलग्नक – 7 के अनुसार के अनुसार दी गई है।

32 आभार :

कंपनी के निदेशक निरंतर सहयोग और सहायता के लिए भारत सरकार, खास तौर पर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के आभारी हैं। निदेशक निरंतर सहयोग और विश्वास के लिए राज्य सरकारों, राज्य इलेक्ट्रिक बोर्डों, राज्य पावर यूटिलिटीज और अन्य उधारकर्ताओं को धन्यवाद प्रेषित करते हैं।

निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा प्रशंसनीय, समर्पण और ईमानदारी की भावना से किए गए कार्य की प्रशंसा करना चाहते हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों की उम्मीदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगी और हार्दिक सहयोग तथा हर समय प्राप्त समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देती है।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड

तिथि : 30.01.2021

स्थान : नई दिल्ली

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष
(डीआईएन : 00973413)

अनुलग्नक- I

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और वेब का संदर्भ शामिल है - सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का लिंक :

ईईएसएल की सीएसआर नीति स्वास्थ्य स्वच्छता, पीने के पानी, शिक्षा, क्षमता निर्माण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक बुनियादी संरचना के विकास और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत आवश्यक कंपनी के पर्यावरण स्थायित्व, कंपनी की सीएसआर नीति की दिशा में योगदान देने वाली गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित है, जो हमारी वेबसाइट (**www.eeslindia.org**) पर उपलब्ध है।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

सदस्य :
श्री राज पाल – अध्यक्ष
श्री आर लक्ष्मणन – सदस्य
श्री आदित्य डार – सदस्य

विशेष आमंत्रित :
सीएसआर प्रकोष्ठ के प्रमुख

की उपस्थिति में :
कंपनी सचिव

3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ : 9,69.83 मिलियन रुपए

4. सीएसआर व्यय निर्धारित करें (उपरोक्त मद 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत) : 19.39 मिलियन रुपए

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण :

क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : 19.39 मिलियन रुपए

ख. अव्ययित राशि : 2.07 मिलियन रुपए

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिलों को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के उप-शीर्षों पर खर्च की गई राशि : (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्षया कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.	गंभीर रूप से बीमार वंचित बच्चों के जन्मजात हृदय दोष (सीएचडी) के उपचार के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य और स्वच्छता	अखिल भारतीय आधार पर	3.99 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 3.80 मिलियन रुपए ओवरहेड्स – 0.19 मिलियन रुपए	3.99 मिलियन रुपए	जेनेसिस फाउंडेशन के माध्यम से
2.	छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन के वितरण की दिशा में, बैड एंड गुड टच पर शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यय	स्वास्थ्य और स्वच्छता	जिला– टिहरी गढ़वाल राज्य– उत्तराखंड	0.62 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 0.56 मिलियन रुपए ओवरहेड्स – 0.056 मिलियन रुपए	0.62 मिलियन रुपए	उदंगकार जन कल्याण फाउंडेशन के माध्यम से
3.	शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	स्वच्छ भारत अभियान	जिला – उधमसिंह नगर राज्य– उत्तराखंड	7.85 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 7.14 मिलियन रुपए ओवरहेड्स – 0.71 मिलियन रुपए	7.14 मिलियन रुपए	ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	चिकित्सा शिविर के लिए निवेश	स्वास्थ्य और स्वच्छता	निकटवर्ती यूएलबी राज्य – पश्चिम बंगाल	0.04 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 0.04 मिलियन रुपए	0.04 मिलियन रुपए	
5.	विकलांग छात्रों के उपयोग के लिए कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए दिशा फाउंडेशन को वित्तीय सहायता	कौशल विकास	जयपुर, राजस्थान	0.07 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 0.07 मिलियन रुपए	0.07 मिलियन रुपए	
6.	कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सहायता के लिए विकसित पीएम केयर्स फंड में योगदान	स्वास्थ्य और स्वच्छता	जिला – नई दिल्ली राज्य – दिल्ली	4.5 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 4.5 मिलियन रुपए	4.5 मिलियन रुपए	
7.	स्वच्छता पखवाड़ा की ओर	स्वच्छ भारत अभियान	जिला – नई दिल्ली राज्य – दिल्ली	0.24 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 0.24 मिलियन रुपए	0.24 मिलियन रुपए	
8.	छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास	जिला – नई दिल्ली राज्य – दिल्ली	0.01 मिलियन रुपए	प्रत्यक्ष व्यय – 0.01 मिलियन रुपए	0.01 मिलियन रुपए	
कुल				**17.32 मिलियन रुपए**		**17.32 मिलियन रुपए**	

*कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण दें

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षो या उसके किसी हिस्से के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण बताएगी : कारण अनुलग्नक-क में निर्दिष्ट।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड के लिए

श्री राज पाल
निदेशक
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन : 02491831

श्री रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06582245

अनुलग्नक-क

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/गतिविधि	अनुमानित व्यय	अव्ययित सीएसआर राशि	कारण/स्पष्टीकरण
1.	वित्तीय वर्ष 2019–20 की सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन करना	1.5 मिलियन रुपए	1.5 मिलियन रुपए	एजेंसियों ने कोविड–19 के दौर में कार्य करने में अपनी अक्षमता दिखाई है क्योंकि साइटों के भौतिक सर्वेक्षण के लिए जनशक्ति की तैनाती और लाभार्थियों के साथ बातचीत उचित नहीं है।

अनुलग्नक-II

प्रपत्र सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

i.	सीआईएन	यू40200डीएल2009पीएलसी196789
ii.	पंजीकरण की तिथि	10.12.2009
iii.	कंपनी का नाम	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड
v.	कंपनी की उप श्रेणी	भारतीय गैर सरकारी कंपनी
vi.	कंपनी का पता	एनएफएल बिल्डिंग, 5वीं और 6वीं मंजिल, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
vii.	सूचीबद्ध/गैर सूचीबद्ध	सूचीबद्ध (कंपनी के ऋणपत्र सूचीबद्ध हैं)
viii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम और पता	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31–32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032, भारत दूरभाष सं. : +91 (40) 6716 2222; फैक्सः + 91 (040) 2343 1551

II. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 फीसदी या उससे अधिक योगदान करने वाली सभी कारोबारी गतिविधियां निम्न हैं :–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	वस्तुओं की बिक्री	47990	37.35 %
2.	सेवाओं की बिक्री	74909	62.65 %

III. धारकों, सहयोगी और सहायक कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	धारक/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड पता : एडिना यूनिट 12 और 13, रग्बी पार्क, बैलेचले रोड, स्टॉकपोर्ट, यूनाइटेड किंगडम, एसके4 3ईजे	10568873	सहायक	84.55	2(87)
2.	एनेस्को एनर्जी सर्विसेज (साउथ) लिमिटेड पता : एडिना यूनिट 12 और 13, रग्बी पार्क, बैलेचले रोड, स्टॉकपोर्ट, यूनाइटेड किंगडम, एसके4 3ईजे	08112903	सहायक	84.55	2(87)
3.	क्रेयटन एनर्जी लिमिटेड पता : एडिना यूनिट 12 और 13, रग्बी पार्क, बैलेचले रोड, स्टॉकपोर्ट, यूनाइटेड किंगडम, एसके4 3ईजे	07729268	सहायक	84.55	2(87)
4.	ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड पता : एडिना यूनिट 12 और 13, रग्बी पार्क, बैलेचले रोड, स्टॉकपोर्ट, यूनाइटेड किंगडम, एसके4 3ईजे	11217655	सहायक	84.55	2(87)

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	धारक/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
5.	एडिना एक्विजिशन लिमिटेड पता : एडिना यूनिट 12 और 13, रग्बी पार्क, बैलेचली रोड, स्टॉकपोर्ट, यूनाइटेड किंगडम, एसके4 3ईजे	11216307	सहायक	84.55	2(87)
6.	एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड पता : डेलायर हाउस, यूनिट 4 स्वॉर्ड्स बिजनेस पार्क स्वॉर्ड्स कंपनी डबलिन	151045	सहायक	84.55	2(87)
7.	एडिना लिमिटेड पता : डेलेयर हाउस, यूनिट 4 स्वॉर्ड्स बिजनेस पार्क स्वॉर्ड्स कंपनी डबलिन	108087	सहायक	84.55	2(87)
8.	एडिना यूके लिमिटेड पता : 13 रग्बी पार्क, बैलेचले रोड, स्टॉकपोर्ट, चेशायर, एसके4 3ईजे	05660595	सहायक	84.55	2(87)
9.	एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड पता : लेवल 28, 10 ईगल स्ट्रीट, ब्रिस्बेन क्यूएलडी 4000 ऑस्ट्रेलिया	एबीएन 77166334416	सहायक	84.55	2(87)
10.	आर्मोरा होल्डिंग्स लिमिटेड पता : डेलायर हाउस, यूनिट 4 स्वॉर्ड्स बिजनेस पार्क स्वॉर्ड्स कंपनी डबलिन	197018	सहायक	84.55	2(87)
11.	स्टैनबेक लिमिटेड पता : डेलायर हाउस, यूनिट 4 स्वॉर्ड्स बिजनेस पार्क स्वॉर्ड्स कंपनी डबलिन	343017	सहायक	84.55	2(87)
12.	एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड पता : लिसू इंडस्ट्रियल एस्टेट वेस्ट, मोइरा रोड, लिस्बर्न, काउंटी एंट्रीम, बीटी28 2आरई	एनआई029915	सहायक	84.55	2(87)
13.	एडिना पावर लिमिटेड पता : रथडाउन रोड, लिसू इंडस्ट्रियल एस्टेट वेस्ट, लिस्बर्न, काउंटी एंट्रीम, बीटी28 2आरई	एनआई048701	सहायक	84.55	2(87)
14.	ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड पंजी. कार्यालय : कोर–3, 5वीं और 6वीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	यू74999डीएल2018 एफटीसी343317	सहायक	84.55	2(87)
15.	एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड पंजी. कार्यालय : डी–40, जी/एफ, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020, भारत	यू74999डीएल2017 एफटीसी320579	सहयोगी	26	2(6)
16.	इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	यू31900डीएल2019 पीटीसी357400	सहयोगी	49	2(6)
17.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	0105562176709	सहयोगी	49	2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i. श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष अर्थात 01.04.2019 की शुरूआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष अर्थात 31.03.2020 के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
(क) प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) कॉर्पोरेशन निकाय	407829082	267375268	675204350	100	983328082	268	983328350	100	45.63
(ङ) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुलयोग (क) (1) :	**407829082**	**267375268**	**675204350**	**100**	**983328082**	**268**	**983328350**	**100**	**45.63**
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) कॉर्पोरेशन निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क) (2)									
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	**407829082**	**267375268**	**675204350**	**100**	**983328082**	**268**	**983328350**	**100**	**45.63**
(ख) सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1) संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआईएस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (विशिष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (1) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) गैर संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) कॉर्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष अर्थात 01.04.2019 की शुरूआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष अर्थात 31.03.2020 के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ii) प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (विशिष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (2) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुलयोग (क+ख+ग)	**407829082**	**267375268**	**675204350**	**100**	**983328082**	**268**	**983328350**	**100**	**45.63**

ii) **प्रवर्तकों की शेयरधारिता**

शेयरधारकों के नाम	वर्ष अर्थात 01.04.2019 के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष अर्थात 31.03.2020 के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में बदलाव का प्रतिशत
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त कुल शेयरों का प्रतिशत	
एनटीपीसी लिमिटेड	24,55,00,000	36.36%	शून्य	46,36,10,000	47.15	शून्य	88.84
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,55,00,000	36.36%	शून्य	24,55,00,000	24.96	शून्य	शून्य
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,77,04,350	5.58%	शून्य	5,61,18,350	5.71	शून्य	48.84
आरईसी लिमिटेड	14,65,00,000	21.70%	शून्य	21,81,00,000	22.18	शून्य	48.87
कुल	**67,52,04,350**	**100%**		**98,33,28,350**	**100%**		

(iii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता में बदलाव : शून्य

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	67,52,04,350	**100**	-	-
वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/कमी	-	-		-
1. 8 जून 2020 को राइट्स के आधार पर शेयरों का आबंटन			**21,00,02,000**	
2. 12 सितंबर 2020 को राइट्स के आधार पर शेयरों का आबंटन			**9,81,22,000**	
वर्ष के अंत में	-	-	**98,33,28,350**	**100**

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरधारक पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जी.डी.आर. तथा ए.डी.आर. धारकों को छोड़कर) : शून्य

शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	.	-	-	-
वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/कमी	.	-	-	-
वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने की तिथि पर)	-	-	-	-

(v) निदेशक और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता – शून्य

	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	.	-	-	-
वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/कमी	.	-	-	-
वर्ष के अंत में	.	-	-	-

(vi) ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं (लाख रु. में) :

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा बचत	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (01.04.2019)				
(i) मूलधन	92,679.08	266,354.55	-	3,59,033.63
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	2,133.58	3,012.86	-	5,146.44
(iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	499.30	-	499.30
कुल (i+ii+iii)	**94,812.66**	**2,69,866.71**	**-**	**3,64,679.37**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
जमा	1,03,248.28	93,296.19	-	1,96,544.47
कमी	-	-11,443.19	-	-11,443.19
निवल परिवर्तन	1,03,248.28	81,853.00	-	1,85,101.28
वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2020)				
(i) मूलधन	1,91,000	3,47,894.60	-	5,38,894.60
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	7,060.94	3,325.81	-	10,386.75
(iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	0	1,203.88	-	1,203.88
कुल (i+ii+iii)	**1,98,060.94**	**3,52,424.29**	**-**	**5,50,485.23**

(vi) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक : (राशि रु. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	एमडी / डब्ल्यूडीओ / मैनेजर का नाम		
		श्री सौरभ कुमार (प्रबंध निदेशक)	श्री एस. गोपाल (पूर्णकालिक निदेशक)	श्री वेंकटेश द्विवेदी (पूर्णकालिक निदेशक)
1.	सकल वेतन क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	70,76,462	52,38,410	45,42,430
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0	-	-
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-		
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	-	-
4.	आयोग – लाभ का प्रतिशत – अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (क)	**70,76,462**	**52,38,410**	**45,42,430**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**अनुसूची 5 के अनुसार**	**अनुसूची 5 के अनुसार**	**अनुसूची 5 के अनुसार**

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक : (राशि रु. में)

पारिश्रमिक का विवरण	श्री सीतापति चंदर (स्वतंत्र निदेशक)	सुश्री गौरी त्रिवेदी (स्वतंत्र निदेशक)	कुल राशि
1. स्वतंत्र निदेशक			
• बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	4,80,000	3,61,100	8,41,100
• कमीशन	-	-	-
• अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
कुल (1)			
2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
• बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-
• कमीशन	-	-	-
• अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
कुल (2)	-	-	-
कुल (ख) = (1+2)	4,80,000	3,61,100	8,41,100
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	4,80,000	3,61,100	8,41,100
अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमा	धारा 197 के अनुसार	धारा 197 के अनुसार	.

ग. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक : (राशि रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
		श्री एस. गोपाल	श्रीमती पूजा शुक्ला
1.	सकल वेतन		
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	52,38,410	26,49,750
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-	-
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	-
4.	कमीशन – लाभ का प्रतिशत – अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
	कुल	52,38,410	26,49,756

(vii) जुर्माना/दण्ड/संयोजित अपराध :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/दंड शुल्क का विवरण यदि लगाया गया	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
वर्ष के दौरान कंपनी या इसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों, यदि कोई हो, के खिलाफ कंपनी अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई भी किसी प्रकार का जुर्माना/दंड/दंड शुल्क नहीं लगाया गया था।					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

तिथि : 30.01.2021
स्थान : नई दिल्ली

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष
(डीआईएन : 00973413)

अनुलग्नक - III

प्रपत्र सं. एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

प्रति,
सदस्य, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड
एनएफएल बिल्डिंग, 5वीं और 6वीं मंजिल,
कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

निगमन की तिथि : **10.12.2009**
प्राधिकृत शेयर पूंजी : **3,50,00,000,000 रुपए**
भुगतानित शेयर पूंजी : **9,833,283,500 रुपए**

हमने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में उल्लिखित) के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि इसने हमें कॉर्पोरेट संचालन/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए उचित आधार प्रदान किया और इस पर मैंने अपनी राय व्यक्त की है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बही खातों, कागजात, लघु बही खातों, फॉर्म और दाखिल की गई विवरणी तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 ('लेखा परीक्षा अवधि') को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह कि कंपनी में उचित बोर्ड–प्रक्रिया और अनुपालन–प्रणाली विद्यमान है और उसका नीचे दर्शाए अनुसार अनुपालन किया गया है :

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा रखे गए बही–खातों, लघु पुस्तकों, फार्मों, दाखिल की गई विवरणी और अन्य अभिलेखों की प्रावधानों के अनुसार जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के तहत; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप–नियम के तहत; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू)।**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिषानिर्देष : –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निशेध) विनियम, 2015; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम पूंजी और अपेक्षाओं का प्रकटन) विनियम, 2009; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिषानिर्देष, 1999; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूची) विनियम, 2008; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू क्योंकि कंपनी की ऋण प्रतिभूतियां बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं)।**

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से निपटने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम और षेयर स्थानांतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993. **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009; **और (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

मैं / हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के साथ इसके अनुपालन की भी जांच की है :

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते, यदि लागू हो; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू क्योंकि कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों को बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया है और कंपनी ने सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में किया है)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के संबंध में उल्लिखित विषय पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

कंपनी ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और अपने अनुच्छेद 7 (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों की न्यूनतम राशि खर्च नहीं की।

ख. कंपनी ने 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों (एफएलए रिटर्न) पर वार्षिक रिटर्न के फॉर्म के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के सभी प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुआ, वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची और विस्तृत मदों को तय करने के लिए एजेंडा को कम से कम सात दिन पहले अग्रिम में भेज दिया गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

अधिकतर निर्णयों पर सहमति बन जाती है जबकि असहमत सदस्यों के विचार दर्ज किए जाते हैं और कार्यवृत्तों में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

आस्तिक त्रिपाठी एंड एसोसिएट के लिए

कंपनी सचिव

आस्तिक मणि त्रिपाठी
प्रोपराइटर
एफसीएस नंबर 8670
सी पी नं.: 10384
यूडीआईएनः एफ008670बी001597721

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22.12.2020

इस रिपोर्ट को हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे ''अनुलग्नक – क'' के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक - क

प्रति
सदस्य,
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
एनएफएल बिल्डिंग, 5वीं और 6वीं मंजिल,
कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड रखना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जैसा कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना उचित था।
3. सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर किया गया था कि सचिवालय के अभिलेखों में सही तथ्य दर्ज किए गए थे। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अनुसरण किया है, वे हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बही खातों के सटीक और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहां–कहीं भी आवश्यक है, हमने कानूनों के अनुपालन, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

आस्तिक त्रिपाठी एंड एसोसिएट के लिए
कंपनी सचिव
आस्तिक मणि त्रिपाठी
प्रोपराइटर
एफसीएस नंबर 8670
सी पी नं.: 10384

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22.12.2020

भारत सरकार के उजाला और एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को रोशन करने के पांच सफल वर्ष पूरे किए

अनुलग्नक - IV

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का उचित सुझाव	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी कुछ डेटा संकलित करने और विभिन्न राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य संगठनों के साथ अपनी एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) मॉडल और अन्य परियोजनाओं, योजना के तहत दुकानों और परिसंपत्तियों का सत्यापन और अन्यथा और स्थापित की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में समाधान, स्थापित संपत्ति लंबित पूंजीकरण और पूंजीकृत संपत्ति (संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के पूंजीकरण सहित वेतन, ऋण / बांड पर ब्याज और विदेशी मुद्रा लाभ / हानि सहित आदि) और परिसंपत्तियों के तहत किए गए विभिन्न समझौतों के तहत देय, प्राप्य और देय राशियों का संकलन करने की प्रक्रिया में है जिनके प्रति समझौतों के अनुसार राजस्व (लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार) बुक किया गया है। हम उन अंतरों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो मौजूद हो सकते हैं और विभिन्न लेखा शीर्षों पर उनके प्रभाव जैसे कि प्रगतिशील पूंजीगत कार्य, संपत्ति संयंत्र और उपकरण, मालसूची, व्यापार प्राप्य/ देय, राजस्व मान्यता और विवरण पर कोई अन्य परिणामी प्रभाव यदि कोई हो, इस तरह के सत्यापन और समाधान के पूरा होने तक लंबित है।	कंपनी संकलन करने की प्रक्रिया में है और इस तरह के संकलन / सत्यापन के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी बड़े अंतर की उम्मीद नहीं होती है, और उक्त अभ्यास के पूरा होने के बाद यदि कोई अंतर होते हैं तो उनके लिए जिम्मेदार होगी।
2.	सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं और अन्य ग्राहकों से देय व्यापार प्राप्तियां हैं। 31 मार्च 2020 (31.03.2019 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए 60,454.34 लाख रुपए) की स्थिति के अनुसार 360 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 103,564.26 लाख रुपए की महत्वपूर्ण राशि बकाया है। कंपनी ने अभ्यावेदन किया है कि कंपनी मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) से अपना राजस्व कमाती है और इसलिए इस तरह की प्राप्तियों से जुड़े जोखिमों को महत्वहीन माना जाता है और बाकी ग्राहकों के लिए, कंपनी गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं / ग्राहकों की बकाया राशि की अवधि बढ़ने, विशिष्ट ऋण परिस्थितियों, प्रकृति और ऋण योग्यता जैसे कारकों के आधार पर ऋण जोखिम का आकलन / मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई रिकॉर्ड या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ऐसा मूल्यांकन और आकलन किया गया है। तथापि, गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं से 30.09.2019 तक 360 दिनों से अधिक के लिए बकाया राशि के संबंध में 849.61 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस तरह के मूल्यांकन के बाद अपेक्षित क्रेडिट हानि के कारण संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों पर किसी भी संभावित भत्ते के कारण वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं।	कंपनी अपना राजस्व सरकारी संस्थानों / उपक्रमों (केंद्र और राज्य दोनों) और अन्य ग्राहकों से कमाती है और उनसे व्यापार प्राप्तियां होती हैं जो व्यवसाय के सामान्य दौर से उत्पन्न होती हैं। सरकारी एजेंसियों का कुल प्राप्य का लगभग 91 प्रतिशत हिस्सा है। कंपनी जिस वातावरण के आधार पर जिसमें व्यापार प्राप्य का संचालन करती है, उसे डिफॉल्ट (बिगड़ा क्रेडिट) माना जाता है, जब कुछ मापदंडों जैसे कि देय राशि की उम्र, ग्राहकों की प्रकृति, इसके क्रेडिट योग्यता, आदि के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर प्राप्य की वसूली की संभावना बिगड़ रही है और भत्ते के लिए इसे व्यवस्थित आधार पर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में ऐसी प्राप्तियों से जुड़े प्रतिपक्ष जोखिम महत्वहीन हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में तथा और इकाइयां जो बहुत बड़ी संख्या में हैं। कंपनी अभी भी उपरोक्त मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम के आकलन / मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। कंपनी इस तरह के मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाली किसी भी बड़ी क्रेडिट हानि की उम्मीद नहीं करती है और इस तरह के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद क्रेडिट हानि, यदि कोई हो, के लिए भत्ते प्रदान करेगी।

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का उचित सुझाव	प्रबंधन का उत्तर
3.	वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिनके लिए वित्तीय विवरणों में आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों का उपयोग करते हुए हानि भत्ता मापा जाता है, कंपनी ने नोट संख्या 44 (ए) (ii) में अभ्यावेदन किया है – ''कंपनी के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम कम है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो पिछले देय हैं, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय हैं। हालांकि, कंपनी ने 31 मार्च 2020 (31 मार्च 2019 : 196.65 लाख रुपए) को समाप्त वर्ष के दौरान 196.65 लाख रुपए की संदिग्ध प्राप्य राशि के प्रावधान को मान्यता दी है। मामलों की पहचान की प्रक्रिया और मुकदमे के तहत राशि (प्रावधान और अनुवर्तन के लिए नीति तैयार करने सहित) को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कंपनी किसी भी सबूत को प्रदर्शित करने और प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है कि ऐसे मामलों में डिफॉल्ट के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानि के कारण ऐसे संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों पर भत्ता सृजित करने के उद्देष्य से प्रबंधन की नीति में परिभाषित रूप में बकाया की उम्र बढ़ने, विशिष्ट क्रेडिट परिस्थितियों, प्रकृति और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता जैसे कारकों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का पता लगाने के लिए वास्तव में आकलन / मूल्यांकन किया गया था। इसलिए, हम इस तरह के मूल्यांकन के बाद अपेक्षित क्रेडिट हानि के कारण ऐसे संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों (जो वसूली के लिए मुकदमे के अधीन हैं) पर आगे संभावित भत्ते के कारण वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं।	सरकारी संस्थाओं से जुड़े काउंटर पार्टी जोखिम (जो व्यापार प्राप्तियों का लगभग 91 प्रतिशत हिस्सा है) महत्वहीन हैं। गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, कंपनी समय–समय पर भुगतान प्राप्त कर रही है, भले ही कुछ बकायों की प्राप्ति में देरी हो। इसलिए, प्रबंधन के मद्देनजर, इन ग्राहकों में दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है और डिफॉल्ट का जोखिम कम है। प्रबंधन का मानना है कि पिछले देय व्यापार प्राप्य ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर पूर्ण रूप से संग्रहणीय हैं (कुछ मामलों को छोड़कर जो मुकदमे के विभिन्न चरणों में हैं और जिनके लिए व्यवस्थित आधार पर संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया जा रहा है)। भुगतान में देरी के मामले में ग्राहकों के साथ समझौता कानूनी सहारा प्रदान करता है। कंपनी ने कुछ ग्राहकों के संबंध में मुकदमे की कार्यवाही शुरू की है। चूंकि ये मामले विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों में अलग–अलग चरणों में हैं, जिसका अंतिम परिणाम अभी तय होना बाकी है, एहतियात के तौर पर कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2019–20 तक 589.94 लाख रुपए के संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया है। मुकदमों के भविष्य के परिणाम के आधार पर यदि आवश्यक हो तो कंपनी आगामी वर्षों में व्यवस्थित आधार पर इन प्राप्तियों के शेष के प्रावधान करेगी।
4.	कंपनी ने पिछले वर्षों में 4287.50 लाख रुपए की राशि के 'विज्ञापन व्यय' को स्थगित कर दिया था, जिसमें से पिछले वर्षों से संबंधित 30.09.2019 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में 1071. 88 लाख की राशि प्रभारित की गई है, मीडिया / विज्ञापन व्यय के रूप में और 'उजाला कार्यक्रम पर जागरूकता से संबंधित व्यय' पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में कोई और समायोजन नहीं किया गया है। कंपनी 3215.62 लाख रुपए की शेष राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' पर इंड एएस 38 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत एकल वित्तीय विवरणों में अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत दिखाए गए पूर्व भुगतानित व्यय के रूप में आस्थगित और वहन करना जारी रखती है, जिसके अनुसार इस तरह के व्ययों को उस वर्ष में लाभ और हानि खाते से शुल्क लिया जाएगा जिस वर्ष यह खर्च किया गया था।	ईईएसएल ने भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (डीईएलपी/उजाला) के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 से शुरू करने के बाद 4 साल में पूरे देश में 77 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने का लक्ष्य रखा है। प्रति एलईडी बल्ब कार्यक्रम की लागत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें एलईडी बल्ब की खरीद की लागत, वितरण और जागरूकता की लागत, इक्विटी पर वापसी, अन्य वित्तीय लागत और लागू कर शामिल हैं। ईईएसएल ने शुरू में राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही राज्यों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विज्ञापनदाताओं पर डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम की पर्याप्त राशि खर्च की थी। जागरूकता की लागत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है और कार्यक्रम की लागत का हिस्सा है। ऐसे में जागरूकता की लागत का एलईडी बल्बों की संख्या में विस्तार करने की जरूरत है जिन्हें वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का उचित सुझाव	प्रबंधन का उत्तर
		तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों में केवल जागरूकता खर्च का वह हिस्सा जो वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वितरित बल्बों की वास्तविक संख्या के अनुपात में हैं, वर्ष की शुरुआत में कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित करने के लिए हिसाब किया जाता है और शेष राशि को बाद के वर्षों में बल्ब वितरण के आधार पर बाद के वर्षों के लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित करने के लिए ले जाया जाता है। इसलिए, जागरूकता व्ययों को आगे बढ़ाने के लिए ईईएसएल द्वारा किया गया कार्य उचित है और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के तहत विवरण में इसे प्रकट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में शेष राशि 3215.62 लाख रुपए को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
5.	कंपनी ने पुरानी पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी ऊर्जा दक्ष स्ट्रीटलाइटों को लगाने के लिए नगर निगम के साथ समझौता किया है। कंपनी विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी में कुछ राशि रखती है जो पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं और खातों की बही में पूंजीकृत नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि परिसंपत्ति नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र के उपयोग / प्राप्ति के लिए उपलब्ध हो सकती है, जो संपत्ति योजना और उपकरण पर भारतीय लेखा मानक 16 के प्रावधान के साथ असंगत है जिसमें परियोजनाओं को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास की आवश्यकता होती है। इसके प्रभाव का कंपनी द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसे विभिन्न परियोजनाओं का पता लगाने के लिए एक अभ्यास करने की आवश्यकता है जहां परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है लेकिन नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र लंबित है।	भारतीय लेखा मानक 16 के पैरा 55 के अनुसार, 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण', एक परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब यह उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, अर्थात जब यह स्थान और स्थिति में होता है, तो यह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक होता है। प्रबंधन ने विभिन्न समझौतों के माध्यम से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में निश्चित संख्या में लाइटों की स्थापना / प्रतिस्थापन द्वारा ऊर्जा दक्षता सेवाएं प्रदान करने का कार्य किया है। यद्यपि समय–समय पर प्रगतिशील तरीके से प्रतिष्ठापन / प्रतिस्थापन किए जा रहे हैं, फिर भी ऊर्जा दक्षता को साकार करने का मूल उद्देश्य तभी पूरा होता है जब यूएलबी में बड़ी संख्या में लाइटें स्थापित की जाती हैं। ग्राहकों के साथ अनुबंध में स्थापित लाइटों के लिए राजस्व की बिलिंग से पहले पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है जो आम तौर पर बैचों में किया जाता है। तदनुसार, परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध हैं अर्थात वांछित ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के बाद ही जब बड़ी संख्या में लाइटें स्थापित की जाती हैं, सत्यापित की जाती हैं और तदनुसार संबंधित यूएलबी द्वारा पूर्ण घोषित की जाती है। कंपनी पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर परियोजना को पूंजीकृत करती है क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि परियोजना को कार्यान्वित किया गया है और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम है। तदनुसार, कंपनी पूंजीकरण की तारीख से मूल्यह्रास वसूल करती है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का उचित सुझाव	प्रबंधन का उत्तर
6.	कंपनी ने कुछ कल्पनाओं / अनुमानों के आधार पर यूएलबी के साथ समझौतों के तहत राजस्व को मान्यता दी है जैसे परियोजना की शुरुआत की तारीख को यूएलबी से प्राप्त पहले पूर्णता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट पूरा होने की तारीख के रूप में लिया जाता है, पीएमसी, एएमसी, ब्याज के लिए वास्तविक खर्च (अप्रत्यक्ष वित्त लागतों सहित), इक्विटी पर पूर्व / पश्चात कर रिटर्न (कुछ मामलों में) एक निश्चित प्रतिशत पर अधिक है जो समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत से अलग है। कंपनी ऐसे और अन्य मामलों पर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सभी समझौतों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है और तदनुसार सभी समझौतों को औपचारिक रूप देगी, हम इस तरह के स्पष्टीकरण और समझौतों के औपचारिकीकरण के लंबित इन मान्यताओं के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	कंपनी ऐसे और अन्य मामलों पर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सभी समझौतों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है और तदनुसार सभी संबंधित समझौतों को औपचारिक रूप दिया जाएगा।
7.	व्यापार देय और व्यापार प्राप्य (संबंधित पार्टी लेनदेन सहित) पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन हैं जो समाधान पर उत्पन्न हो सकते हैं। हम एकल वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर तब तक टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जब तक इस तरह की पुष्टि/ समाधान नहीं किया जाता है।	कंपनी पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और इस तरह की पुष्टि / समाधान के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी बड़े अंतर की अपेक्षा नहीं करती है। कंपनी इस तरह के अभ्यास के पूरा होने के बाद परिणामी समायोजन के लिए जिम्मेदार होगी।
8.	कंपनी ने बाहरी एजेंसी के माध्यम से नोट 40 में दर्शाई गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्यांकन किया है। कंपनी के पास पर्याप्त जानकारी / उसकी कार्यप्रणाली के अभाव में, हम उक्त नोट में दर्शाए गए उचित मूल्यों की शुद्धता और कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	वित्तीय परिसंपत्तियों / दायित्वों के उचित मूल्य की गणना करने की गतिविधि विशिष्ट प्रकृति की है और तदनुसार बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है। एजेंसी ने अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करने और इकाई विशिष्ट अनुमानों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया है। कंपनी ने बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर विश्वास किया है।
9.	कंपनी ने अनुमान के आधार पर कुछ डिस्कॉम्स में इंस्टॉल किए गए स्मार्ट मीटरों के लिए 528.02 लाख रुपए का बिना बिल का राजस्व बुक किया है, जहां औपचारिक समझौते अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी अवधि के विस्तार, दरों में परिवर्तन आदि के लिए कुछ समझौतों में स्पष्टीकरण / संशोधन लेने की प्रक्रिया में है, जिसके प्रभावों पर उस वर्ष में विचार किया जाएगा जिसमें ऐसे संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर, प्रति मीटर के आधार पर एसएमएनपी प्रणाली एकीकरण के लिए एक विक्रेता नियुक्त किया है। कंपनी ने प्रति मीटर के आधार पर खर्च बुक किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता के साथ भुगतान की शर्तों को संशोधित और औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में है कि सभी भुगतान प्रति मीटर के आधार पर आनुपातिक रूप से किए गए हैं। हम औपचारिक समझौतों आदि के निष्पादन के लंबित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त के प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	कंपनी ने विभिन्न राज्य डिस्कॉम में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए हैं और संबंधित डिस्कॉम के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के आधार पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और औपचारिक समझौते अभी भी निष्पादित किए जाने बाकी हैं। समझौतों को अंतिम रूप देने तक, इन डिस्कॉम में इंस्टॉल मीटरों के लिए 528.02 लाख रुपए के बिल न किए गए राजस्व को संबंधित इंस्टॉल सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट के आधार पर अनुमानित आधार पर गणना में लिया गया है। कंपनी उस पर राजस्व बुकिंग में किसी बड़े अंतर की परिकल्पना नहीं करते हैं। कंपनी डिस्कॉम से प्रति मीटर प्रति माह के आधार पर राजस्व वसूल कर रही है, तदनुसार, व्यय प्रति मीटर प्रति माह के आधार पर खातों में जमा / प्रदान किया जाता है। कंपनी अनुबंध में आवश्यक संशोधन करने के लिए भुगतान शर्तों के संबंध में विक्रेता के साथ बातचीत कर रही है।

अनुलग्नक - V

वित्तीय वर्ष 2019 - 20 की सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों का टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और इसके अनुच्छेद 7 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़ गए प्रावधानों के तहत सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम राशि खर्च नहीं की।	एजेंसियों ने कोविड–19 चरण में यह कार्य करने में अपनी अक्षमता दिखाई है क्योंकि साइटों के भौतिक सर्वेक्षण के लिए जनशक्ति की तैनाती और लाभार्थियों के साथ बातचीत उचित नहीं है।
2.	कंपनी ने 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों (एफएलए रिटर्न) पर वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।	इसे परिचालन संबंधी मुद्दों के कारण दायर नहीं किया जा सका। कंपनी आवश्यक अनुपालन करने की प्रक्रिया में है।

ईईएसएल ने 41,300 रुपए में भारत का अपनी तरह का पहला सुपर एनर्जी एफिशिएंट एसी पेश किया

अनुलग्नक - VI

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास

2010 2010 में, **'उन्नत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन' (एनएमईईई),** भारत सरकार की एक नीति में संकेत किया गया है कि ऊर्जा दक्षता और संरक्षण (ईई एंड सी) के लिए निवेश की संभाव्यता हेतु 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए की संभाव्यिता मौजूद है और शेष 44,000 करोड़ रुपए अन्य मुख्य मांग पक्ष के आर्थिक क्षेत्रों के लिए हैं। विश्व बैंक की नवंबर 2016 में जारी रिपोर्ट ने संकेत दिया कि भारत का ऊर्जा दक्षता बाजार 1.6 लाख करोड़ रुपए का है। नवीनीकृत मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) बाजार की संभावना 178 अरब किलोवॉट प्रति वर्ष ऊर्जा बचत का अनुमान है।

आईईए विश्लेषण के अनुसार, भारत ने ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे वर्ष 2000–18 की अवधि में अतिरिक्त 15 प्रतिशत ऊर्जा मांग और 300 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सका है। मौजूदा नीतियों के आधार पर, भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक दोगुनी हो सकती है, बिजली की मांग संभावित रूप से बढ़ी हुई उपकरण स्वामित्व और शीतलन आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप तीन गुना हो सकती है। ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार के बिना, भारत को 2050 तक देश में 1 बिलियन एयर कंडीशनिंग इकाइयों की मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ने की आवश्यकता होगी। अपनी ऊर्जा दक्षता महत्वाकांक्षा के स्तर को बढ़ाकर, भारत 2040 तक ऊर्जा आयात में प्रति वर्ष लगभग 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत कर सकता है और प्रति वर्ष 875 टेरावॉट घंटे बिजली उत्पादन से बचाव कर सकता है, जो भारत की वर्तमान वार्षिक बिजली उत्पादन का लगभग आधा है।

अब तक, समग्र बाजार के 10 प्रतिशत से कम हिस्से को एस्को विधि द्वारा मुख्य रूप से लाइटिंग तथा कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। बड़े पैमाने के विकास पर अनेक महत्वपूर्ण विनियामक, संस्थागत और निधिकरण बाधाओं से रुकावट है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासन के तहत चार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। ईईएसएल एक सुपर–ऊर्जा सेवा कंपनी है जो उपभोक्ताओं, उद्योगों और सरकारों को ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और संबंधित समाधानों के माध्यम से उनकी ऊर्जा जरूरतों को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है।

स्मार्ट मीटरिंग डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए आईपीडीएस और उदय दोनों के तहत भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों में से है। विद्युत मंत्रालय की एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) शुरू करने की कार्यनीति के अनुसार, स्मार्ट मीटर चरणों में लगाए जाने हैं, जिसका लक्ष्य कुल उपभोक्ता आधार 250 मिलियन को कवर करना है।

एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) वैश्विक कार्यसूची में सबसे आगे हैं। भारत सरकार (जीओआई) भारत में ईवी अपनाने को बढ़ावा दे रही है और हाल ही में 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी अपनाने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है। कई राज्य सरकारों ने ईवी के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अपने संबंधित राज्यों में ईवी अपनाने में तेजी लाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

ईवी अपनाने में प्रमुख बाधाओं में से एक सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी संरचना की अनुपलब्धता है। भारत सरकार ने ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं की घोषणा की है। 14 दिसंबर 2018 को, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एमओपी ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ष 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 70 शहरों और 20 प्रतिशत राजमार्गों को कवर करने का भी प्रस्ताव रखा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने हाल ही में मॉडल बिल्डिंग बाय–लॉज (एमबीबीएल), 2016 और शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के साथ, भवन परिसर में पीसीएस में सभी चार्जिंग पॉइंट्स के लिए पावर लोड के बराबर अतिरिक्त पावर लोड में होना चाहिए, जो संचालित किया जाना है।

सरकार ने देश में 2022 तक 100 गीगावॉट सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट, पवन से 60 गीगावॉट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावॉट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावॉट शामिल है। सरकार त्वरित मूल्यह्रास, अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों और हानियों की छूट, गृह ऋण के हिस्से के रूप में सौर रूफटॉप प्रणालियों का वित्तपोषण, और स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति जैसे विभिन्न वित्तीय और प्रचार प्रोत्साहन प्रदान करके देश में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा दे रही है।

भारत में निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा की मांग में उच्च वृद्धि के साथ ऊपर की ओर रुझान देखा जा रहा है। यह मानव की सुविधा और तेजी से औद्योगिकीकरण की लगातार बढ़ती मांग के कारण है। इस मांग को आपूर्ति पक्ष और मांग दोनों पक्षों से संबोधित करने की आवश्यकता है। ट्राइजेनरेशन या कंबाइंड कूलिंग, हीटिंग एंड पावर (सीसीएचपी) स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा करके और आपूर्ति करके इसे संबोधित करता है। इन प्रणालियों को भवन स्तर या उद्योग स्तर पर कार्यान्वित किया जा सकता है। ऐसी प्रणालियां जब जिला स्तर पर स्थापित की जाती हैं तो उन्हें जिला ऊर्जा प्रणाली कहा जाता है। ट्राइजेनरेशन के फायदे न केवल उच्च दक्षता है बल्कि यह अत्यधिक विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल भी है।

इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, ईईएसएल

पीएवाईएस मॉडल की अवधारणा का लाभ उठा रहा है, जो ईईएसएल की अधिकांश परियोजनाओं के लिए एक सफल व्यावसायिक प्रस्ताव रहा है।

आउटलुक

ऊर्जा दक्षता एक अल्प कार्बन भविष्य में परिवर्तन के लिए भारत की कार्यनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है जिसमें भारत के देश स्तर के उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है; नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बड़े पैमाने पर और तेज गति से ईई परियोजना का कार्यान्वयन समय की आवश्यकता है। भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए, भारत में ईएससीओ (ऊर्जा सेवा) उद्योग सही दिशा में बढ़ रहा है। ईईएसएल को सुपर ईएससीओ के रूप में स्थापित किया गया है, जो लाइटिंग, भवन, ई–मोबिलिटी, स्मार्ट मीटरिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों में दुनिया के सबसे बड़े गैर–सब्सिडी वाले ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को उस पैमाने पर कार्यान्वित कर रहा है जिसे कोई भी संगठन हासिल करने में सक्षम नहीं है।

विश्लेशण के अनुसार, ईईएसएल अगले 5 वर्षों में ऊर्जा दक्षता की कुल बाजार क्षमता के 16 प्रतिशत से अधिक हासिल कर लेगा। ईईएसएल किसी सब्सिडी के बिना या पूंजीगत व्यय के समाधान–संचालित नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अपने पे–एज–यू–सेव (पीएवाईएस) मॉडल का उपयोग करके ऐसा करने में सक्षम है, जिससे उपभोक्ता द्वारा किसी भी अग्रिम पूंजी निवेश की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ईईएसएल द्वारा पूरा निवेश एक निर्धारित परियोजना अवधि में मुद्रीकृत ऊर्जा बचत के माध्यम से वसूल किया जाता है। ईईएसएल द्वारा अपनाई गई एकत्रीकरण कार्यनीतियों की लागत में कमी और इसके बिजनेस मॉडल की सफलता से आने वाले वर्षों में ईईएसएल के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया गया है।

पिछले वर्षों की सफलता और निवेश के आधार पर ईईएसएल अपने परिपक्व कार्यक्रमों से लेकर नए कार्यक्रमों तक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करेगा। ईईएसएल इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटर, विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों, ट्राइजेनरेशन, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए अपने कार्यक्रमों को मजबूत बनाएगा। ईईएसएल भारत और दुनिया भर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों / बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और विश्व बैंक, एडीबी, एएफडी, केएफडब्ल्यू, यूएसएआईडी, यूएनईपी आदि जैसे प्रमुख पर्यावरण प्राधिकरणों के साथ तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्त पोषण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए भी जुड़ा हुआ है।

ईईएसएल का सुदृढ़ीकरण

ईईएसएल ने ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन परियोजनाओं के निष्पादन में घरेलू विशेषज्ञता का विकास किया है। टीम के पास ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों ने प्रधान नवाचार का अपार ज्ञान है। ईईएसएल को अपने मजबूत संस्थागत प्रवर्तकों से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त है। ईईएसएल ने परिणाम, मजबूत ब्रांड और डोमेन विशेषज्ञता प्रदान करने के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड का निष्पादन किया है। पिछले कुछ वर्षों में, ईईएसएल ने अपने मूल ग्राहक आधार–वितरण जनोपयोगिताओं और नगर निगम इकाइयों के साथ उत्कृष्ट संबंधों का विकास किया है। ईईएसएल ने मांग पक्ष एकत्रीकरण पद्धति में कदम उठाया है जिससे ऊर्जा दक्ष उपकरणों की कीमतों में कमी आई है। वर्तमान में ईईएसएल के पास बहु और द्विपक्षीय एजेंसियों से सस्ते वित्त उपलब्धता के विकल्प उपलब्ध है। यह हमारे ग्राहकों को मूल्यवान और बेहतर लाभ पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईईएसएल कुछ ऐसे संगठनों में से एक है जिसने देश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं में सफल निष्पादन किया है।

ईईएसएल की दुर्बलताएं

ईईएसएल के आने वाले भविष्य के लिए वृद्धि के लिए पूरी तैयारी प्रक्षेपित की है। पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता ईईएसएल के लिए एक बड़ी चुनौती है। भविष्य में ईईएसएल की वृद्धि को ऊर्जा देने के लिए वर्तमान इक्विटी आधार छोटा है। प्रवर्तकों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार कंपनी में इक्विटी का संचार करते रहे हैं। हालांकि, विकास पथ पर विचार करते हुए, ईईएसएल को आईपीओ सहित अतिरिक्त इक्विटी जुटाने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता होगी।

अवसर

ईईएसएल के साथ वितरण जनोपयोगिताओं के उत्कृष्ट कार्य संबंध हैं। उनके पास ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन से संबंधित नियमों और नीतियों की भी गहरी समझ है। बड़े पैमाने की ऊर्जा दक्ष लाइटिंग प्रौद्योगिकी में उनकी सफलता से वे अन्य ऊर्जा खपत करने वाली प्रौद्योगिकियों विशेष रूप से पंखों और एयर कंडीशनरों के विकास और उन्हें लागू करने के लिए एक प्रमुख प्रत्याशी बने हैं। वितरण जनोपयोगिताओं के अलावा, ईईएसएल ने पूरे भारत में शहरी स्थानीय निकायों के साथ मजबूत संबंध विकसित किया है, जिसमें अधिकांश परियोजनाओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों और दृष्टि को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

ईईएसएल स्मार्ट ग्रिड, ट्राइ–जेनरेशन और औद्योगिक चिलर्स सहित दूसरे अभिनय ईई प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए व्यावहारिक व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए वित्त पोषण एजेंसियों के साथ भी काम कर सकता है।

विदेशों में अवसर : ईईएसएल भारत के बाहर अपने समाधान देने की मजबूत स्थिति में है। ईईएसएल ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ साझेदारी की है। ईईएसएल ने यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, सऊदी अरब, यूएई, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

खतरे, जोखिम और चिंताएं

ईईएसएल ने ऊर्जा दक्ष लाइटिंग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानक प्रस्ताव कार्यक्रम और ऑन–बिल निधिकरण की सफलता प्रदर्शित की है। इससे जनोपयोगिता कंपनियों में ईईएसएल से

स्वतंत्र रहकर अपने कार्यक्रमों के निष्पादन की रुचि बढ़ी है। पुनः ईईएसएल के लिए लागत ऋण के रखरखाव ईईएसएल और उनके उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के एक स्थायी स्तर पर किया जाना चाहिए।

इन प्रौद्योगिकियों के तीव्र परियोजना से बाजार में कमी पैदा हो सकती है क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं की विनिर्माण क्षमता ईईएसएल की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं भी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप बाजार में सस्ते आयात और खराब गुणवत्ता के उत्पादों का वितरण बढ़ सकता है।

ईईएसएल के बढ़ते व्यापार पोर्टफोलियो के साथ, ईईएसएल की प्राप्तियां भी बढ़ रही हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है, जिसके लिए ईईएसएल में वाणिज्यिक विभाग मजबूत निगरानी तंत्र के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। हालांकि, अधिकांश बकाया राशि राज्यों / सरकारी ग्राहकों की ओर से हैं और ईईएसएल को भारत सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण वाले राज्यों से अच्छा समर्थन मिल रहा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था रखती है जो विभिन्न लेनदेन, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन के सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है। एक समान अनुपालन के लिए बिजली के उचित प्रतिनिधिमंडल और लेखांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन मौजूद है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में है, नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अनुभवी कंपनियों द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जाती है।

इसके अलावा आंतरिक नियंत्रणों को पूरा करने के लिए, ईईएसएल ने पहले से ही एक ईआरपी प्रणाली लागू की है।

मानव संसाधन / औद्योगिक संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति

31 मार्च 2020 तक कंपनी की कुल जनशक्ति 847 है जिसमें 266 नियमित कर्मचारी, 120 नियत अवधि के कर्मचारी, 36 सलाहकार, 425 तृतीय पक्ष कर्मचारी शामिल हैं। अनुभवी और नए अधिकारियों और कर्मचारियों का अद्वितीय मिश्रण वाले इस टैलेंट पूल के साथ, परियोजना निष्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।

वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 40.56 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 1837.65 करोड़ रुपए से घटकर 1797.09 करोड़ रुपए हो गई। कर पूर्व लाभ 2018–19 में 147.79 करोड़ रुपए की तुलना में 2019 –20 में 21.00 करोड़ रुपए हो गया था। वर्ष 2019–20 में कंपनी का शुद्ध लाभ 26.90 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की निवल संपत्ति में 39.89 प्रतिशत (811.44 करोड़ रुपए से 1135.12 करोड़ रुपए तक) की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, वर्ष 2018–19 में अचल परिसंपत्ति 3016.63 करोड़ रुपए से बढ़कर 4021.92 करोड़ रुपए हो गई। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वृद्धि के कारण अचल परिसंपत्ति में वृद्धि हुई।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019–20 के अंत तक ईईएसएल द्वारा निष्पादित परियोजनाओं में प्रति वर्ष लगभग 55 बिलियन कि. वॉ. घं. ऊर्जा की बचत की गई, लगभग 11,000 मेगावॉट की चरम मांग और सालाना लगभग 43 मिलियन टन कार्बनडाइऑक्साइड की बचत की।

ईईएसएल ने पारे और सीसे के प्रदूषण को रोकने के लिए परियोजनाओं के दौरान पुराने लाइटिंग भंडार को नष्ट करने में समुचित ध्यान दिया। यह भंडार बिजली नियामक आयोग और स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नष्ट किया जाता है।

श्रेणीवार या उत्पादवार निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 तक, ईईएसएल ने पूरे भारत में अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। ईईएसएल ने 31 मार्च, 2020 तक 36.22 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब, 23.20 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे और 71.83 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 1.07 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया है।

- स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी) के तहत ईईएसएल ने 11.92 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं
- विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम के तहत ईईएसएल ने लगभग 102 मेगावॉट बिजली की विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की संचयी क्षमता स्थापित की है।
- राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत ईईएसएल ने 1,514 ई–वाहन तैनात की हैं।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ईईएसएल ने 94 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं
- बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम (बीईईपी) के तहत ईईएसएल ने 10,411 इमारतों में रेट्रोफिटिंग का काम पूरा कर लिया है
- कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) कार्यक्रम के तहत ईईएसएल ने कृषि पंपों की 73,900 संख्या स्थापित किए हैं।

अनुलग्नक - VII

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) के तहत पारिश्रमिक के प्रकटीकरण का विवरण

i. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक के लिए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात और वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी निदेशक, कंपनी सचिव या प्रबंधक, यदि कोई हो, के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि।

क्र. सं.	निदेशक / केएमपी का नाम और पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशक/ केएमपी का पारिश्रमिक (मिलियन रु. में)	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक/ केएमपी का पारिश्रमिक (मिलियन रु. में)	वित्तीय वर्ष 2019-20 में पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रतिशत	औसत पारिश्रमिक (वित्तीय वर्ष 2019-20)* (मिलियन रु. में)	कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक के लिए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात	औसत पारिश्रमिक (वित्तीय वर्ष 2018-19)* (मिलियन रु. में)	औसत में प्रतिशत वृद्धि
1	श्री सौरभ कुमार**	5.846	7.076	21	1.49	4.75	1.39	39.84
2	श्री शंकर गोपाल**	5.12	5.238	2	1.49	3.52	1.39	10%
3	श्री वेंकटेश द्विवेदी**** निदेशक परियोजनाएं और व्यापार विकास)	3.73	4.542	22	1.49	3.05	1.39	10%
4	सुश्री पूजा शुक्ला कंपनी सचिव	2.533	2.65	5	1.49	1.78	1.39	10%

*कंपनी के रोल पर स्थायी कर्मचारियों का औसत पारिश्रमिक।

**श्री सौरभ कुमार के पारिश्रमिक में पूर्ण और अंतिम निपटान शामिल है जिसमें अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी भुगतान शामिल है।

श्री सौरभ कुमार के एडिना यूके लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में 2 दिसंबर, 2019 से प्रभावी नामांकन के परिणामस्वरूप उन्होंने 30 नवंबर, 2019 को कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, नए उम्मीदवार की नियुक्ति तक कंपनी के सुचारू कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, ईईएसएल बोर्ड ने अपनी 78 वीं बोर्ड बैठक में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री सौरभ कुमार को 1 दिसंबर, 2019 को 3 महीने की अवधि के लिए या नए पदधारी प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय तक ईईएसएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया था, जिसे शून्य पारिश्रमिक पर 31 अगस्त, 2020 तक प्रत्येक 3 महीने के लिए दो बार बढ़ाया गया था। वे एडिना से 15000 पाउंड का मासिक वेतन और कर प्राप्त करते हैं।

***श्री शंकर गोपाल को 07.02.2019 से प्रभावी रूप से निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया और कंपनी के सीएफओ के रूप में फिर से 07.02.2019 को प्रभावी रूप से नामित किया गया।

****श्री वेंकटेश द्विवेदी का पारिश्रमिक वित्त वर्ष 2018–19 के लिए माध्य प्रयोजन के लिए पूर्ण रूप से लिया गया क्योंकि उन्हें 07.02.2019 को निदेशक (परियोजना और व्यावसाय विकास) के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ii)	वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि	39.84 प्रतिशत
(iii)	कंपनी के रोल पर स्थायी कर्मचारियों की संख्या	31 मार्च, 2020 तक : 266 31 मार्च, 2019 तक : 258
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कर्मियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से ही औसत प्रतिशत वृद्धि और प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि और उसके औचित्य के साथ इसकी तुलना और विवरण कि क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां हैं।	प्रबंधकीय कर्मियों सहित कंपनी के कर्मचारियों के मूल पारिश्रमिक में औसतन 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई
(v)	पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।	हां

(vi) शीर्ष 10 कर्मचारियों द्वारा आहरित किए गए पारिश्रमिक के संदर्भ में विवरण :

क्र. सं.	नाम और पदनाम	रोजगार की प्रकृति (चाहे संविदात्मक या अन्यथा)	प्राप्त पारिश्रमिक (मिलियन रु. में)	योग्यता	रोजगार के आरंभ की तिथि	आयु (जन्म की तिथि)	अंतिम रोजगार	कंपनी में आयोजित इक्विटी शेयरों की संख्या	यदि किसी निदेशक या प्रबंधक के रिश्तेदार हैं, तो ऐसे निदेशक या प्रबंधक का नाम
1	श्री सौरभ कुमार (प्रबंध निदेशक)	स्थायी	8.05	बी. टेक (आईआईटी कानपुर) पब्लिक पॉलिसी में स्नातकोत्तर	06.05.2013	54 वर्ष (14.12. 1967)	यूएनईपी	शून्य	लागू नहीं
2	श्री शंकर गोपाल (निदेशक – वाणिज्यिक)	स्थायी	5.32	बी.कॉम (हॉर्न), सी.डब्ल्यू.ए (आईसीडब्ल्यूएआई)	08.06.2016	54 वर्ष (08.07. 1967)	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	लागू नहीं
3.	श्री वेंकटेश द्विवेदी निदेशक (परियोजनाएं और व्यापार विकास)	स्थायी	4.55	बी.ई., एमबीए (आईआईएम कोलकाता) ऊर्जा लेखा परीक्षक	07.10.2013	52 वर्ष (26.05. 1969)	टेक सॉल्यूशन ग्लोबल एलएलपी	शून्य	लागू नहीं
4.	श्री तरुण तायाल, (महा प्रबंधक – वाणिज्यिक)	स्थायी	4.35	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), यूनिवर्सिटी ऑफ ईएनपीसी, पेरिस	07.11.2013	43 वर्ष (31.08. 1978)	अमेरिप्राइज फाइनेंशियल इंडिया	शून्य	लागू नहीं
5.	श्री राज कुमार, रखरा (महा प्रबंधन तकनीकी)	स्थायी	4.10	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.), ऊर्जा लेखा परीक्षक	05.09.2016	46 वर्ष (21.03. 1975)	बीएचईएल	शून्य	लागू नहीं
6.	श्री प्रभात कुमार, (महा प्रबंधन तकनीकी)	स्थायी	4.05	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)	21.12.2016	47 वर्ष (11.11. 1974)	टीयूवी नॉर्ड सीईआरटी जीएमबीएच	शून्य	लागू नहीं
7.	श्री अजय राज, (उप महा प्रबंधक – तकनीकी)	स्थायी	3.99	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.), ऊर्जा लेखा परीक्षक	15.06.2016	42 वर्ष (14.11. 1979)	एचसीएल इंफोसिस्टम्स लि.	शून्य	लागू नहीं
8.	श्री सौम्य प्रसाद गरनायक (सीजीएम – तकनीकी)	स्थायी	3.98	पीजी (प्लांट इंजी.)	01.07.2016	52 वर्ष (03.06. 1969)	आईसीएफ इंटरनेशनल	शून्य	लागू नहीं

क्र. सं.	नाम और पदनाम	रोजगार की प्रकृति (चाहे संविदात्मक या अन्यथा)	प्राप्त पारिश्रमिक (मिलियन रु. में)	योग्यता	रोजगार के आरंभ की तिथि	आयु (जन्म की तिथि)	अंतिम रोजगार	कंपनी में आयोजित इक्विटी शेयरों की संख्या	यदि किसी निदेशक या प्रबंधक के रिश्तेदार हैं, तो ऐसे निदेशक या प्रबंधक का नाम
9.	श्री समीर अग्रवाल (एजीएम–फाइनेंस)	स्थायी	3.95	बी. कॉम (ऑनर्स), सीए (आईसीएआई), सी.डब्ल्यू.ए. (आईसीडब्ल्यूएआई	09.01.2014	53 वर्ष (07.07. 1968)	रेल टेल	शून्य	लागू नहीं
10.	श्री दीपक गर्ग (एजीएम – फाइनेंस)	स्थायी	3.95	बी. कॉम (ऑनर्स), सीए (आईसीएआई), सी.डब्ल्यू.ए. (आईसीडब्ल्यूएआई)	27.12.2013	48 वर्ष (13.09. 1973)	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि.	शून्य	लागू नहीं

टिप्पणियां :

क. पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

ख. उपरोक्त तालिका के प्रयोजन के लिए पारिश्रमिक को कंपनी की कुल लागत (टीसीसी) के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें परिवर्तनीय निष्पादन संबंधी वेतन शामिल है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित नियम के अनुसार कंपनी का कोई भी कर्मचारी वर्ष भर इस प्रकार नियुक्त नहीं था जो एक वर्ष में एक करोड़ रुपए और दो लाख या उससे अधिक के पारिश्रमिक प्राप्त करता। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का कोई भी कर्मचारी वर्ष के एक भाग के लिए नियुक्त नहीं था जो प्रति माह आठ लाख पचास हजार रुपए या उससे अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष
(डीआईएन : 00973413)

तिथि : 30.012021
स्थान : नई दिल्ली

श्री आर के सिंह ने एनडीएमसी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर परियोजना का उद्घाटन किया; इससे एनडीएमसी को सालाना 12.47 करोड़ रु. की बचत होगी।

गोपनीय

संख्या.: DGA (Energy)/Rep/01-41/Acs/EESL-SFS/2020-21/562

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
का कार्यालय
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

सत्यमेव जयते

डी.के.शेखर, आई.ए. & ए.स
D. K. SEKAR, IA&AS

दिनांक/Dated: 21/1/2021

सेवा में,

प्रबंध-निदेशक
एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड
नई दिल्ली

महोदय,

विषयः-31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नकः- यथोपरि।

डी.के.शेखर

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनैक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 27 नवंबर 2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया जाना व्यक्त होता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जो अधिनियम के खंड धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करता हो या उसका पूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21/01/2021

(डी.के. शेखर)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक (ऊर्जा)
दिल्ली

गोपनीय

संख्या.: DGA (Energy)/Rep/01-73/Acs/EESL-CFS/2020-21/ 565

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
का कार्यालय
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिनांक/Dated: 25/01/2021

सेवा में,

प्रबंध-निदेशक
एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड
नई दिल्ली

महोदय,

विषयः-31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b), एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नकः- यथोपरि।

डी.के.शेखर

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनैक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 21 दिसंबर 2020 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया जाना व्यक्त होता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनर्जी एफिषिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) और धारा 143 (6) (ए) अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू नहीं हैं, जो संबंधित कानूनों के तहत विदेशी देशों में निगमित निजी संस्थाएं हैं, जिनके सांविधिक लेखा परीक्षकों और पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्ति के लिए संबंधित कानून हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों के पूरक लेखा परीक्षा का संचालन किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जो अधिनियम के खंड धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करता हो या उसका पूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
तिथि :

(डी.के. शेखर)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक (ऊर्जा)
दिल्ली

अनुलग्नक - I

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जहां अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) लागू नहीं हैं

सहायक कंपनियां

1. ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड
2. एनेस्को एनर्जी सर्विसेज (साउथ) लिमिटेड
3. क्रेयटन एनर्जी लिमिटेड
4. ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड
5. एडिना एक्विजिशन लिमिटेड
6. एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड
7. एडिना लिमिटेड
8. एडिना यूके लिमिटेड
9. एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड
10. आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड
11. स्टेनबैक लिमिटेड
12. एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड
13. एडिना पावर लिमिटेड
14. ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड

सहयोगी और संयुक्त उद्यम

15. एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड
16. इंटेलिसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों हेतु

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का एकल तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का एकल विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के एकल विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन विवरण, नकद प्रवाह एकल विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसका इसके बाद 'एकल वित्तीय विवरणों'' के रूप में उल्लेख किया गया है) का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के अनुभाग के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा उपरोक्त कथित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित जानकारी इच्छित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2020 को कंपनी के कार्य व्यवहार और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तनों, और इसका नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

1. कंपनी कुछ डेटा संकलित करने और विभिन्न राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य संगठनों के साथ अपनी एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) मॉडल और अन्य परियोजनाओं, योजना के तहत दुकानों और परिसंपत्तियों का सत्यापन और अन्यथा और स्थापित की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में समाधान, स्थापित संपत्ति लंबित पूंजीकरण और पूंजीकृत संपत्ति (संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के पूंजीकरण सहित वेतन, ऋण / बांड पर ब्याज और विदेशी मुद्रा लाभ / हानि सहित आदि) और परिसंपत्तियों के तहत किए गए विभिन्न समझौतों के तहत देय, प्राप्य और देय राशियों का संकलन करने की प्रक्रिया में है जिनके प्रति समझौतों के अनुसार राजस्व (लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार) बुक किया गया है। हम उन अंतरों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो मौजूद हो सकते हैं और विभिन्न लेखा शीर्षों पर उनके प्रभाव जैसे कि प्रगतिशील पूंजीगत कार्य, संपत्ति संयंत्र और उपकरण, मालसूची, व्यापार प्राप्य / देय, राजस्व मान्यता और विवरण पर कोई अन्य परिणामी प्रभाव यदि कोई हो, इस तरह के सत्यापन और समाधान के पूरा होने तक लंबित है। हम उन अंतरों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो मौजूद हो सकते हैं और विभिन्न खाता शीर्षों पर उनके प्रभाव जैसे कि पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, संपत्ति संयंत्र और उपकरण, मालसूची, व्यापार प्राप्य / देय, राजस्व मान्यता और विवरण पर कोई अन्य परिणामी प्रभाव यदि कोई हो, इस तरह के सत्यापन और सुलह के पूरा होने तक लंबित है। (टिप्पणी संख्या 3 ख) देखें)।

   यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय भी था।

2. सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं और अन्य ग्राहकों से देय व्यापार प्राप्तियां हैं। 31 मार्च 2020 (31.03.2019 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए 60,454.34 लाख रुपए) की स्थिति के अनुसार 360 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 103,564.26 लाख रुपए की महत्वपूर्ण राशि बकाया है। कंपनी ने अभ्यावेदन किया है कि कंपनी मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) से अपना राजस्व कमाती है और इसलिए इस तरह की प्राप्तियों से जुड़े जोखिमों को महत्वहीन माना जाता है और बाकी ग्राहकों के लिए, कंपनी गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं / ग्राहकों की बकाया राशि की अवधि बढ़ने, विशिष्ट ऋण परिस्थितियों, प्रकृति और ऋण योग्यता जैसे कारकों के आधार पर ऋण जोखिम का आकलन / मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई रिकॉर्ड या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ऐसा मूल्यांकन और आकलन किया गया है। तथापि, गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं से 30.09.2019 तक 360 दिनों से अधिक के लिए बकाया राशि के संबंध में 849.61 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस तरह के मूल्यांकन के बाद अपेक्षित क्रेडिट हानि के कारण संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों पर किसी भी संभावित भत्ते के कारण वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं। कंपनी ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई रिकॉर्ड या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ऐसा मूल्यांकन और आकलन किया गया है। तथापि, 30.09.2019 को गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं से 360 दिनों से अधिक के लिए बकाया राशि के संबंध में 849.61 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस तरह के मूल्यांकन के बाद संभावित क्रेडिट हानि के कारण संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों पर किसी भी संभावित भत्ते के कारण विवरण पर प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी संख्या 41 (क) (iii) देखें। यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय भी था।

3. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिनके लिए वित्तीय विवरणों में आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों का उपयोग करते हुए हानि भत्ता मापा जाता है, कंपनी ने नोट संख्या 44 (ए) (ii) में अभ्यावेदन किया है – ''कंपनी के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम कम है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो पिछले देय हैं, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय हैं। हालांकि, कंपनी ने 31 मार्च 2020 (31 मार्च 2019 : 196.65 लाख रुपए) को समाप्त वर्ष के दौरान 196.65 लाख रुपए की संदिग्ध प्राप्य राशि के प्रावधान को मान्यता दी है। मामलों की पहचान की प्रक्रिया और मुकदमे के तहत राशि (प्रावधान और अनुवर्तन के लिए नीति तैयार करने सहित) को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कंपनी किसी भी साक्ष्य को प्रदर्शित करने और प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है कि इस तरह के चूक के मामले में अपेक्षित ऋण हानि के कारण प्राप्य राशियाँ संदिग्ध व्यापार पर भत्ता सृजित

करने के उद्देश्य से प्रबंधन की नीति में परिभाषित देय राशि की अवधि बढ़ने, विशिष्ट क्रेडिट परिस्थितियों, प्रकृति और ग्राहकों की ऋण योग्यता जैसे कारकों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का पता लगाने के लिए ऐसे मामलों का वास्तव में आकलन / मूल्यांकन किया गया था। इसलिए, हम इस तरह के मूल्यांकन के बाद संभावित क्रेडिट हानि के कारण ऐसे संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों (जो वसूली के लिए मुकदमे के अधीन हैं) पर आगे संभावित भत्ते के कारण विवरण पर वास्तविक प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं। यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय भी था।

4. कंपनी ने पिछले वर्षों में 4287.50 लाख रुपए की राशि के 'विज्ञापन व्यय' को स्थगित कर दिया था, जिसमें से पिछले वर्षों से संबंधित 30.09.2019 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में 1071. 88 लाख की राशि प्रभारित की गई है, मीडिया / विज्ञापन व्यय के रूप में और 'उजाला कार्यक्रम पर जागरूकता से संबंधित व्यय' पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में कोई और समायोजन नहीं किया गया है। कंपनी 3215.62 लाख रुपए की शेष राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' पर इंड एएस 38 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत एकल वित्तीय विवरणों में अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत दिखाए गए पूर्व भुगतानित व्यय के रूप में आस्थगित और वहन करना जारी रखती है, जिसके अनुसार इस तरह के व्ययों को उस वर्ष में लाभ और हानि खाते से शुल्क लिया जाएगा जिस वर्ष यह खर्च किया गया था। (टिप्पणी संख्या 16 (क) देखें)। यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय भी था।

5. कंपनी ने पुरानी पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी ऊर्जा दक्ष स्ट्रीटलाइटों को लगाने के लिए नगर निगम के साथ समझौता किया है। कंपनी विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी में कुछ राशि रखती है जो पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं और खातों की बही में पूंजीकृत नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि परिसंपत्ति नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र के उपयोग/प्राप्ति के लिए उपलब्ध हो सकती है, जो संपत्ति योजना और उपकरण पर भारतीय लेखा मानक 16 के प्रावधान के साथ असंगत है जिसमें परियोजनाओं को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास की आवश्यकता होती है। इसके प्रभाव का कंपनी द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसे विभिन्न परियोजनाओं का पता लगाने के लिए एक अभ्यास करने की आवश्यकता है जहां परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है लेकिन नगर निगम की ओर से पूर्णता प्रमाण पत्र लंबित है। (टिप्पणी संख्या 3 (ग) देखें)।

6. कंपनी ने कुछ धारणाओं / अनुमानों के आधार पर यूएलबी के साथ समझौतों के तहत राजस्व को मान्यता दी है जैसे परियोजना की शुरुआत की तारीख को यूएलबी से प्राप्त पहले पूर्णता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट पूरा होने की तारीख के रूप में लिया जाता है, पीएमसी, एएमसी, ब्याज के लिए वास्तविक खर्च (अप्रत्यक्ष वित्त लागत सहित), इक्विटी पर कर पूर्व / पष्चात विवरणी (कुछ मामलों में) एक निश्चित प्रतिशत पर अधिक / पर होती है जो समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत से भिन्न होती है। कंपनी ऐसे और अन्य मामलों पर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सभी समझौतों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है और तदनुसार सभी समझौतों को औपचारिक रूप देगी। हम इस तरह के स्पष्टीकरण और समझौतों के औपचारिकीकरण के लंबित इन मान्यताओं के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी संख्या 31(ख) देखें)।

7. व्यापार देय और व्यापार प्राप्य (संबंधित पार्टी लेनदेन सहित) पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन हैं जो समाधान पर उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक इस तरह की पुष्टि/समाधान नहीं किया जाता है, तब तक हम एकल वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी 10 (ग), 20 (क), 26 (क) देखें)।

8. कंपनी ने बाहरी एजेंसी के माध्यम से टिप्पणी 40 में दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्यांकन किया है। कंपनी के पास पर्याप्त जानकारी/उसकी कार्यप्रणाली के अभाव में, हम उक्त टिप्पणी में दर्शाए गए उचित मूल्यों की शुद्धता और कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

9. कंपनी ने अनुमान के आधार पर कुछ डिस्कॉम में स्थापित स्मार्ट मीटरों के लिए 528.02 लाख रुपए के गैर बिल वाले राजस्व को बुक किया है, जहां औपचारिक समझौतों को निष्पादित किया जाना बाकी है। इसके अलावा, कंपनी अवधि के विस्तार, दरों में परिवर्तन आदि के लिए कुछ समझौतों में स्पष्टीकरण / संशोधन लेने की प्रक्रिया में है, जिसके प्रभावों पर उस वर्ष में विचार किया जाएगा जिसमें ऐसे संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर, प्रति मीटर के आधार पर एसएमएनपी प्रणाली एकीकरण के लिए एक विक्रेता नियुक्त किया है। कंपनी ने प्रति मीटर के आधार पर खर्च बुक किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता के साथ भुगतान की शर्तों को संशोधित और औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में है जो सभी भुगतान प्रति मीटर के आधार पर आनुपातिक रूप से किए गए हैं। हम औपचारिक समझौतों आदि के निष्पादन के लंबित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त, यदि कोई हो, के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी संख्या 31 (घ) देखें)।

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों का अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए संगत हैं, इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख मामले

हम एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं :–

1. टिप्पणी संख्या 41 (क) (iii) जिसमें कहा गया है कि भारत के

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कंपनी को जारी 18 अक्टूबर 2017 की अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार/ डीईआरसी से सब्सिडी नहीं मिलने के कारण 1650 लाख रुपए के प्रावधान की सिफारिश की थी। हालांकि, कंपनी ने उक्त प्रावधान नहीं किया है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि वसूली संबंधित प्राधिकारी के साथ की जा रही है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और प्रबंधन उनके बकाया की वसूली के लिए आश्वस्त है।

2. टिप्पणी संख्या 29 (क) जिसमें कहा गया है कि बिक्री, संबंधित आउटपुट कर देनदारी और खरीद के साथ–साथ जीएसटी और वैट रिटर्न में रिपोर्ट किए गए इनपुट कर क्रेडिट, शुद्ध इनपुट कर क्रेडिट प्राप्य या शुद्ध आउटपुट कर देयता, जैसा भी मामला हो सकता है, खातों की बहियों के साथ समाधान के अधीन हैं। जीएसटी / वैट रिटर्न के मिलान पर पहचाने जाने वाले अंतरों को वार्षिक जीएसटी/ वैट विवरण / संशोधित रिटर्न में उचित समय पर दाखिल किया जाएगा।

3. पूंजी प्रबंधन पर टिप्पणी संख्या 42 में विभिन्न वित्तीय अनुपातों और इसकी गणना को दर्शाया जाता है जिसका उपयोग कंपनी पूंजी की निगरानी के लिए कर रही है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले ऐसे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में पूरे एकल वित्तीय विवरणों के रूप में संबोधित किया गया था, और इन पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। योग्य राय अनुभाग के आधार पर वर्णित मामले के अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारे लेखा परीक्षा ने मुख्य लेखा परीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
1	**मूल्यह्रास लेखांकन** इसकी प्रकृति और महत्वपूर्ण जोखिम के क्षेत्र के कारण इसे मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना जाता है जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है	परिसंपत्तियों के पूंजीकरण और मूल्यह्रास की गणना की प्रणाली को समझा गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया : • विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षा की गई। • परिसंपत्ति के विभिन्न वर्गों पर मूल्यह्रास की गणना का परीक्षण और सत्यापन किया गया था। • लागू इंड एएस के आधार पर मूल्यह्रास के लेखांकन को सत्यापित किया। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर और कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व के आधार पर, परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास की मान्यता को पर्याप्त और उचित माना जाता है।

एकल वित्तीय विवरणों और इसके बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी बोर्ड के निदेशक अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की तिथि के बाद हमें रिपोर्ट उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया जाता है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने हेतु है, जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है तथा ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय असंगतता सहित असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम उपरोक्त पहचानी गई रिपोर्टों को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को इसके अभिशासन के आरोपित लोगों से संप्रेषित करने और परिस्थितियों और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय निष्पादन कुल व्यापक आय कंपनी में आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी तथा नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधन के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो कि एकल भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा स्वतंत्र हैं सामग्री के गलत उपयोग से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने हेतु इसे एक चालू संगठन के रूप में जारी रखने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जैसा कि लागू होने से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए चालू संगठन के आधार पर उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को

बंद करने या तरलित करने का आषय रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल का प्रभार रखने वाले लोग भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण पूरे तौर पर भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाया जाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी :

- धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिज़ाइन करें और निष्पादित करें, तथा उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता भी जिम्मेदार हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन में चालू संगठन के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, जो हमारी राय को संशोधित करने के लिए काफी हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। जबकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू संगठन बनाए रखना रोका जा सकता है।
- एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें वित्तीय विवरण भी शामिल हैं, जिसमें प्रकटन भी शामिल हैं, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त करते हैं।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं

(i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा

(ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम इसके अभिशासन के प्रभारित लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, तथा उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने हेतु जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए जाएं।

शासन के साथ आरोपित मामलों से संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणाम होने की उम्मीद हो सकती है।

अन्य मामला

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल लंदन में कंपनी की एक शाखा के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसका वित्तीय विवरण/सूचना 31 मार्च 2020 को 1365.17 लाख रुपए की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 1058.63 लाख रुपए के कुल राजस्व को दर्शाती है,

उक्त शाखा के वित्तीय विवरणों/सूचना प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है तथा किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। हमारी राय जहां तक उक्त शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हमें अनुलग्नक 'क' में दिए गए उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट तथ्यों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   (ग) लंदन में स्थित कंपनी की एक विदेशी शाखा के खाते जो 31 मार्च 2020 तक 1365.17 लाख रुपए की कुल परिसंपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 1058.63 लाख रुपए दर्शाते हैं, प्रबंधन द्वारा गैर लेखापरीक्षित और प्रमाणित हैं।

   (घ) तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण खाते की संगत बहियों के अनुरूप हैं;

   (ङ) हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण जारी किए गए संगत नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिश्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (च) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2020 को अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक ख'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; तथा

   (ज) अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है :

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

   (I) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य तथ्यों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

      i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है– एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 10 (ङ) और टिप्पणी 49 देखें;

      ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर कोई भी नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था।

      iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी

3. कंपनी के खातों की बहियों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम ''अनुलग्नक ग'' में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में निर्देशों और उप–निर्देशों पर एक रिपोर्ट देते हैं।

के के सोनी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000947एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.11.2020

सीए. संत सुजात सोनी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 094227

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - क

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनुलग्नक, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) (क) कंपनी ने अभ्यावेदन किया है कि वे परियोजना उपकरणों और पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए मात्रात्मक विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया में हैं।

(ख) कंपनी ने अभ्यावेदन किया है कि वह उचित रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया में है और बाद में अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम तैयार करेगी। वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, परियोजना उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी बड़ी संख्या में हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। हालांकि, कंपनी ने फिर से आश्वासन दिया है कि भौतिक सत्यापन कार्यक्रम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं। कंपनी द्वारा 19.03.2019 को एनबीसीसी केंद्र, सहकार मार्ग, जयपुर में दूसरी मंजिल का कब्जा लिया गया था जिसके लिए पंजीकरण अभी भी प्रक्रियाधीन है।

(ii) कंपनी के पास वर्ष के दौरान और वर्ष के अंत में सूची के भौतिक सत्यापन की एक प्रणाली है, जिसमें तीसरे पक्ष द्वारा कुछ स्थानों पर भौतिक सत्यापन भी शामिल है। कंपनी इस तरह के सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के कारणों को समेटने और जांचने की प्रक्रिया में है और इस तरह की जांच के बाद वे अपनी लेखा बहियों में आगे प्रविष्टियां करेंगे, यदि कोई आवश्यक हो।

हमारी राय में, इस तरह के भौतिक सत्यापन और बाद में देखे गए मतभेदों को रिकॉर्ड करने/समायोजित करने की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई भी ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (iii) लागू नहीं होता है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किए गए ऋणों और निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 में प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संगत प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी ने आम लोगों से कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(vi) लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कार्यान्वित नहीं है क्योंकि निर्धारित उत्पाद या सेवाओं से प्राप्त राजस्व संगत नियमों के तहत प्रारंभिक सीमा को पूरा नहीं करता है।

(vii) (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क / उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को केरल को देय डब्ल्यूसीटी को छोड़कर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है, जो जून 2017 को समाप्त तिमाही से संबंधित 553,178 रु. के लिए अभुगतानित है, अभी तक जमा नहीं किया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त के अलावा, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च 2020 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित के अलावा बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क की ऐसी कोई बकाया ऐसा नहीं है जिसे उचित प्राधिकरणों के पास जमा न किया गया हो :

विधान का नाम	बकाया का प्रकार	राशि (करोड़ रु. में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	मूल्य वर्धित कर	37.04 (विरोध के तहत पहले ही भुगतान की गई राशि)	वित्तीय वर्ष 2014–15	वैट अपीलीय न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	मूल्य वर्धित कर और जुर्माना	12.92 (वैट) 3.23 (जुर्माना) (वैट के लिए 6.46 और जुर्माने के लिए 0.40 जमा की गई राशि)	वित्तीय वर्ष 2015–16	अपीलीय उपायुक्त (सीटी), आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	मूल्य वर्धित कर जुर्माना	9.26 (जिसमें से 4.63 ठहरने के लिए जमा)	वित्तीय वर्ष 2014–15	एपी वैट ट्रिब्यूनल, आंध्र प्रदेश
उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर	मूल्य वर्धित कर	0.69	वित्तीय वर्ष 2016–17	उपायुक्त (सीटी), देहरादून
उ. प्र. मूल्य वर्धित कर	मूल्य वर्धित कर	14.02	वित्तीय वर्ष 2015–16	उपायुक्त (सीटी), नोएडा
हि. प्र. मूल्य वर्धित कर	मूल्य वर्धित कर	0.69	वित्तीय वर्ष 2016–17	सहायक आयुक्त, राज्य कर, शिमला
महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर	मूल्य वर्धित कर	0.91	वित्तीय वर्ष 2015–16	संयुक्त आयुक्त, एमवैट, महाराष्ट्र

(viii) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से किसी भी ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ix) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋणों के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है, जिसके लिए उन्हें शेष 230.65 करोड़ रुपए के अलावा उगाही की गई थी, जो 31.3.2020 तक अप्रयुक्त है। लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से किसी राशि की उगाही नहीं की गई थी।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा के तहत अवधि के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य आवश्यक अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान/प्रदान किया गया।

(xii) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xii) लागू नहीं है।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं जहां लागू हो और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक रूप से एकल वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया है, सिवाय इसके कि संबंधित पार्टी लेनदेन को अधिनियम की धारा 177 (4) (iv) के अनुसार आवश्यक अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के निजी प्लेसमेंट के तहत अपने मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक रूप से राइट इशू के लिए प्रस्ताव दिया है और कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, हालांकि 30812.40 लाख रुपए के इक्विटी शेयरों के कुल निजी प्लेसमेंट में से, 9001.40 लाख रुपए के इक्विटी शेयरों को आवेदन राशि की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद, लेकिन अगले 15 दिनों के अंदर शेयरधारकों को आबंटित किया गया था। हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिसके लिए उनकी उगाही की गई थी।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों और उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी कारोबार नहीं किया है। तदनुसार पैराग्राफ 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कोई भी गतिविधि नहीं करती है जिसके लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है।

के के सोनी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000947एन

सीए. संत सुजात सोनी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 094227

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.11.2020

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुच्छेद (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, छल–कपट और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों, वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग से आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक पक्षों से प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस जोखिम जो एक तथ्यात्मक कमजोरी होती है, उसका निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण और डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं जोखिमों के निर्धारण सहित लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल–कपट या त्रुटि पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार एक प्रक्रिया है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो : (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं ; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हों कि लेन देनों को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारपत्र के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या छल–कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

सुझाव

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ – ''योग्य राय के आधार'' के तहत दी गई योग्यता के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सभी सामग्री है और वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 तक प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करने के लिए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था। इसके अलावा, कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा कंपनी के आकार के अनुरूप नहीं है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हमारी पूर्वोक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट जहां तक यह एक विदेशी शाखा कार्यालय (जिसका वित्तीय विवरण / वित्तीय विवरण गैर लेखा परीक्षित हैं) से संबंधित है और एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय पूरी तरह से कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

के के सोनी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000947एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.11.2020

सीए. संत सुजात सोनी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 094227

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक-ग''

वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी, लेखांकन लेन देन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है। यदि हाँ, वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली (एसएआर–ईआरपी / एक्सेल) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। एसएपी–ईआरपी को वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (एफआईसीओ), बिक्री और वितरण (एस एंड डी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), पेरोल / मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम) जैसी प्रक्रियाओं के लिए लागू किया गया है। की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी सामग्री लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित / किया गया है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट के मामलों / ऋणों / ऋणों के ब्याज / ऋण के लिए कंपनी की अक्षमता के कारण ऋण चुकाने में असमर्थता है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है?	की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना या ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए उधारों / ऋणों / ब्याज आदि को माफ करने / बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे।	शून्य
3	क्या केंद्रीय राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त / प्राप्य है या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्त करने योग्य धनराशि का संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से गणना / उपयोग किया गया था।	शून्य

के के सोनी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000947एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.11.2020

सीए. संत सुजात सोनी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 094227

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च 2020 के अनुसार एकल तुलन-पत्र

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019* को	1 अप्रैल 2018* को
परिसंपत्तियां				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2A	270,272.01	178,185.17	79,876.55
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	131,244.62	121,967.55	129,348.91
अमूर्त परिसंपत्तियां	2B	675.24	1,510.48	1,576.08
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	4	27,131.13	27,131.13	19,369.08
वित्तीय परिसंपत्तियां				
ऋण	5	383.56	493.95	465.93
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	9,028.11	4,579.81	1,848.02
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7	841.46	719.46	500.94
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	8	1,625.93	1,350.64	1,683.56
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		441,202.06	335,938.19	234,669.07
वर्तमान परिसंपत्तियां				
माल सूची	9	22,428.05	26,968.66	29,993.41
वित्तीय परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्तियां	10	276,685.99	183,148.24	116,182.54
नकद और नकद समकक्ष	11	33,106.74	42,482.84	52,061.67
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	12	30,027.93	33,576.49	5,437.22
ऋण	13	666.02	364.34	153.34
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	10,014.41	8,263.18	5,603.80
वर्तमान कर परिसंपत्ति (निवल)	15	5,141.74	3,815.83	2,545.68
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	16	52,600.40	43,563.28	25,104.29
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		430,671.28	342,182.86	237,081.95
कुल परिसंपत्तियां		871,873.34	678,121.05	471,751.02
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	17	98,332.84	67,520.44	46,200.00
अन्य इक्विटी	18	15,178.94	13,623.34	16,974.68
कुल इक्विटी		113,511.78	81,143.78	63,174.68
देयताएं				
गैर-वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधार	19	422,995.27	279,188.06	175,420.16
व्यापार देय	20			
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1,593.02	1,277.49	-
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का देय कुल बकाया		5,960.39	5,153.70	3,750.93
लीज देयताएं	21	1,613.77	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	22	9,220.60	40,680.09	8,019.85
प्रावधान	23	921.70	280.94	410.39
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	24	-	486.68	624.93
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		442,304.75	327,066.96	188,226.26
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधार	25	78,999.99	62,678.99	63,500.00
व्यापार देय	26			
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		5,868.63	8,214.58	-
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		115,581.62	130,659.80	123,229.35
लीज देयताएं	27	1,631.51	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	28	85,625.70	42,167.88	26,934.59
अन्य वर्तमान देयताएं	29	28,190.83	20,385.75	6,119.98
प्रावधान	30	29.48	11.66	566.16
वर्तमान कर देयताएं (निवल)		129.05	5,791.65	-
कुल वर्तमान देयताएं		316,056.81	269,910.31	220,350.08
कुल इक्विटी और देयताएं		871,873.34	678,121.05	471,751.02
पुनः स्थापित (नोट 39 देखें)				
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1			
संलग्न टिप्पणी 1 से 56 इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।				

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)
संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान नई दिल्ली
तिथि : 27 नवंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक और सीएफओ
डीआईएनः 08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

तिथि : 5 नवंबर, 2020

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का एकल विवरण

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व			
प्रचालन से राजस्व	31	179,709.13	183,765.24
अन्य आय	32	7,600.94	9,802.16
कुल राजस्व		187,310.07	193,567.40
व्यय			
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		60,087.68	92,815.02
वितरण व्यय (उजाला)		1,031.78	2,119.29
मीडिया व्यय (उजाला)		672.93	2,630.99
माल सूची में कमी	33	4,540.61	3,024.75
कर्मचारी लाभ व्यय	34	3,887.29	2,840.42
वित्त लागत	35	35,160.82	19,275.23
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	36	45,519.16	34,987.01
अन्य व्यय	37	34,309.43	21,095.09
कुल व्यय		**185,209.70**	**178,787.80**
कर देने से पूर्व लाभ		2,100.37	14,779.60
कर व्यय	38		
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		129.05	7,060.62
पूर्व वर्ष		(593.75)	-
आस्थगित कर क्रेडिट		(125.27)	(206.53)
कुल कर (क्रेडिट) / व्यय		(589.97)	6,854.09
वर्ष के लिए लाभ		2,690.34	7,925.51
अन्य व्यापक आय / (व्यय)			
ऐसी वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
– परिभाशित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ / (हानि)		12.11	(34.03)
– घटाएं : उपरोक्त मद से संबंधित आयकर		3.05	(11.89)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय / (व्यय), आयकर का निवल		9.06	(22.14)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		2,699.40	7,903.37
*पुनः स्थापित (टिप्पणी 39 देखें)			
प्रति इक्विटी शेयर आय (बराबर मूल्य 10 रुपए – प्रत्येक)	48		
प्रति शेयर मूल आय (रु.)		0.29	1.21
प्रति शेयर तनुकृत आय (रु.)		0.29	1.19
संलग्न टिप्पणी 1 से 56 इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।			

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)
संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान नई दिल्ली
तिथि : 27 नवंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक और सीएफओ
डीआईएनः 08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

तिथि : 5 नवंबर, 2020

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह के एकल विवरण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019* को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	2,100.37	14,779.60
समायोजन के लिए :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	45,519.16	34,987.01
वित्तीय लागत	27,284.54	19,146.26
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	1,046.26	196.65
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर निवल हानि	4.27	142.54
माल की कमी के लिए प्रावधान	3.61	-
ब्याज आय	(4,427.59)	(4,770.40)
विदेषी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर निवल (लाभ) /हानि	13,186.66	(2,696.02)
अनुदान आय	(310.30)	(397.64)
आस्थगित किराया व्यय	-	(15.97)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ	84,406.98	61,372.03
समायोजन के लिए :		
व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि	(94,256.26)	(65,830.21)
वस्तुसूची में वृद्धि	4,537.00	3,024.75
ऋणों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि	(14,909.30)	(22,877.16)
व्यापार देय राशियों, अन्य वित्तीय देतयाओं और अन्य देयताओं में (कमी) / वृद्धि	(5,980.70)	32,681.53
प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	670.69	(717.98)
नकद (में प्रयुक्त) / संचालन से उत्पन्न	(25,531.59)	7,652.96
घटाएं : भुगतान किया गया आयकर	6,523.59	2,539.22
निवल नकदी (में प्रयुक्त) / परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न (क)	(32,055.18)	5,113.74
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का अधिग्रहण	(153,721.08)	(88,739.46)
ब्याज आय	3,980.15	3,396.76
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश	-	(7,762.05)
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में निवल निवेष	3,561.40	(28,152.11)
निवेश गतिविधियों में उपयोग निवल नकद (ख)	(146,179.53)	(121,256.86)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
गैर–वर्तमान उधारों से प्राप्त आय	172,699.12	123,223.48
गैर–वर्तमान उधारों का पुनःभुगतान	(20,434.95)	(4,700.06)
वर्तमान उधारों की निवल आय / (पुनःभुगतान)	16,321.00	(821.01)
वित्तीय लागतें	(27,479.92)	(20,939.50)
प्राप्त अनुप्रयोग राशि साझा	30,812.40	11,420.44
लीज रेंट का भुगतान	(1,915.24)	-
शेयर जारी करने की लागतें	-	(25.00)
लाभांश भुगतान	(948.79)	(1,102.99)
लाभांश पर कर	(195.01)	(491.07)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	168,858.61	106,564.29
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	(9,376.10)	(9,578.83)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	42,482.84	52,061.67
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष	33,106.74	42,482.84
*पुनः स्थापित (टिप्पणी 39 देखें)		

क) नकद और नकद समकक्ष में बैंकों के पास शेष राशि शामिल है।

ख) नकद और नकद समकक्षों का समाधान :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
बैंकों के पास शेष – चालू खाते	33,106.74	42,482.84
टिप्पणी-11 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	**33,106.74**	**42,482.84**

ग) वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और समापन शेष राशि के बीच समाधान :

लाख रु. में

विवरण	गैर वर्तमान उधार	वर्तमान उधार	पट्टा देयताएं	उधार पर ब्याजू
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष राशि	296,258.52	62,678.99	-	4,819.44
इंड एएस 116 को अपनाने का प्रभाव	-	-	4,798.58	-
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह	152,264.17	16,321.00	(1,915.24)	(27,479.92)
गैर नकद परिवर्तनों के कारण :				
– विनिमय दरों में भिन्नता	15,741.27	-	-	-
– अर्जित ब्याज	-	-	361.94	28,413.35
– उधार पर लेन–देन की लागत	(110.32)	-	-	-
31 मार्च, 2020 तक समापन शेष राशि	464,153.64	78,999.99	3,245.28	5,752.87
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए				
1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष राशि	179,978.93	63,500.00	-	5,445.06
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	118,523.42	(821.01)	-	(20,939.50)
गैर–नकद परिवर्तन के कारण :				
– विनिमय दरों में भिन्नता	(2,243.77)	-	-	-
– अर्जित ब्याज	-	-	-	20,313.88
– उधार पर लेन–देन की लागत	(0.06)	-	-	-
31 मार्च, 2019 तक समापन शेष राशि	296,258.52	62,678.99	-	4,819.44

*गैर–वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है, टिप्पणी 28 देखें।

घ) भविष्य में परिचालन गतिविधियों और पूंजी प्रतिबद्धताओं को निपटाने के लिए उपलब्ध गैर–आहरण सुविधाओं के विवरण के लिए टिप्पणी 41 देखें।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)
संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान नई दिल्ली
तिथि : 27 नवंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक और सीएफओ
डीआईएनः 08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

तिथि : 5 नवंबर, 2020

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष की शुरुआत में बकाया	67,520.44	46,200.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	30,812.40	21,320.44
वर्ष के अंत तक बकाया	98,332.84	67,520.44

(ख) अन्य इक्विटी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

लाख रु. में

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारिता कमाई	
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	-	15,126.44	(1,503.10)	13,623.34
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,690.34	2,690.34
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	9.06	9.06
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	2,699.40	2,699.40
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	30,812.40	-	-	30,812.40
शेयर आवेदन राशि के बदले आबंटित शेयर	(30,812.40)	-	-	(30,812.40)
वित्त वर्ष 2018–19 के लिए अंतिम लाभांश (कर सहित)	-	-	(1,143.80)	(1,143.80)
31 मार्च, 2020 को शेष राशि	-	15,126.44	52.50	15,178.94

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

लाख रु. में

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारिता कमाई	
1 अप्रैल 2018 को शेष राशि	9,900.00	6,515.21	559.47	16,974.68
वर्ष के लिए लाभ	-	-	7,925.51	7,925.51
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(22.14)	(22.14)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	7,903.37	7,903.37
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	11,420.44	-	-	11,420.44
शेयर आवेदन राशि के बदले आबंटित शेयर	(21,320.44)			
प्रतिधारित आय में / (से) स्थानांतरण	-	8,611.23	(8,611.23)	-
अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली लेनदेन लागत	-	-	(25.00)	(25.00)
वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अंतिम लाभांश (कर सहित)	-	-	(1,329.71)	(1,329.71)
31 मार्च, 2019 को शेष राशि	-	15,126.44	(1,503.10)	13,623.34

प्रतिधारित आय में शामिल संचित अन्य व्यापक आय का विश्लेषण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(35.63)	(13.49)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(व्यय)	9.06	(22.14)
वर्ष के अंत में शेष राशि	(26.57)	(35.63)

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)
संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान नई दिल्ली
तिथि : 27 नवंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक और सीएफओ
डीआईएनः 08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

तिथि : 5 नवंबर, 2020

एकल वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां

1. कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') भारत में अधिवासित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन : यू40200डीएल2009पीएलसी196789) कंपनी है। कंपनी की अपनी ऋण प्रतिभूतियां बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएफएल बिल्डिंग, 5वीं और 6वीं मंजिल, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 है।

कंपनी विद्युत मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। कंपनी ऊर्जा बचत कंपनी (ईएससीओ) के रूप में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगी हुई है। यह राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), ऊर्जा विनियामक आयोग (ईआरसी), राज्य विकास प्राधिकरणों (एसडीए), आगामी ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों आदि के लिए क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है।

ख. तैयारी का आधार

i) अनुपालन का विवरण

ये एकल वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) अधिसूचित के अनुपालन और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान के बाद चालू संगठन के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को 5 नवंबर 2020 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

ii) मापन का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (व्युत्पन्न उपकरणों सहित) जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखा नीति देखें); तथा
- कर्मचारियों परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले में योजना परिसंपत्तियां जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक लागत नकद या नकद समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकद या नकद समकक्षों की अपेक्षित राशि पर व्यापार के सामान्य दौर में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

iii) कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (रु.) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। रुपए में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय जानकारी को जैसा कि अन्यथा बताया गया है, उसे छोड़कर निकटतम लाखों (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

iv) वर्तमान और गैर- वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान / गैर– वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्ति और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

एक परिसंपत्ति वर्तमान है जब :

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल किए जाने या बेचे जाने या खपत होने की उम्मीद है;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माहों के अंदर वसूल किए जाने की उम्मीद; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह हेतु एक एक्सचेंज का उपयोग करने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित होने तक नकद या नकद समकक्ष।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर– वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता वर्तमान है जब :

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है;
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित होने के लिए देय है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है।

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत विकल्प का उपयोग करने के लिए इंड एएस 16 और इंड एएस 38 के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करने के लिए चुना है और इंड एएस में संक्रमण की तारीख पर इंड एएस के तहत पिछली जीएएपी वहन राशि का उपयोग एक मानित लागत के रूप में करना जारी रखा है। इसलिए, 1 अप्रैल 2015 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की अग्रणी राशि, अर्थात कंपनी के इंड एएस में

संक्रमण की तारीख का इंड एएस में संक्रमण पर रखरखाव किया गया था।

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है। बाद की माप लागत कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और संचित क्षति हानियों पर की जाती है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है और इसके लिए आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होती है।

कंपनी द्वारा शुरू की गई ईएससीओ मॉडल ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं पर परियोजना विकास लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है।

परियोजना विकास लागत में खरीद मूल्य, करों और कतव्यों, श्रमिक लागत और परियोजना के कार्यान्वयन या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी भी अन्य लागत को परियोजनाों के कार्यान्वयन पर व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया गया है, उस तारीख तक खर्च किया गया है जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के हिस्से के अलग–अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से पहचाना जाता है। उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है, पूंजीकरण एक अनंतिम आधार पर किया जाता है, जो अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

1.2 समतुल्य लागत

समतुल्य व्यय को परिसंपत्तियों की मात्रा में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभावित होता है कि व्यय की जाने वाली लागत से होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के हिस्से की जगह की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त है यदि यह संभव है कि भविष्य के आर्थिक लाभ का हिस्सा कंपनी के अंदर प्रवाहित हो जाएगा और इसकी लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि की पहचान की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है।

1.3 डिकमिशनिंग लागत

यदि किसी प्रावधान के लिए मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो इसके उपयोग के बाद परिसंपत्ति की डिकमिशनिंग करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

1.4 अमान्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब अमान्यता तब दी जाती है जब भविश्य में कोई भी आर्थिक लाभ उनके उपयोग से या उनके निपटान से अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित होते हैं, और लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित है।

1.5 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की अनुसूची 2 के भाग ग में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आने वाली दर का उपयोग करके ऋजु रेखा पद्धति के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में यथानुपात मूल्यह्रास को मान्यता दी गई है। फ्री होल्ड जमीन मूल्य ह्रासित नहीं है।

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन, जो कुछ मामलों में अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्धारित से भिन्न हैं, इस प्रकार हैं :

परिसंपत्ति की प्रकृति	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का जीवन
मोबाइल फोन	2 साल
ईएससीओ परियोजनाएं	परियोजना अवधि
लीड होल्ड इम्प्रुवमेंट	लीज अवधि
आवासीय परिसंपत्तियां	3 वर्ष

मूल्यह्रास का तरीका, उपादेयता और शेष उपादेयता की हर वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और यदि उचित है तो उसे समायोजित किया जाता है। तकनीकी आकलन और सलाह के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त अनुमानित उपादेयता सही है और इसी अवधि में प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से योगों / कटौतियों पर मूल्य–वृद्धि के आधार पर / से उस तिथि तक यथानुपात शुल्क लिया जाता है, जिस पर परिसंपत्ति उपयोग / निपटान के लिए उपलब्ध है।

जहां विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि / कमी के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की लागत में बदलाव आया है, ऐसी परिसंपत्ति के असंशोधित शेष को मूल्यह्रास / परिशोधन के लिए संबंधित लागू लेखांकन नीतियों के बाद निर्धारित शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से प्रभारित किया जाता है।

जहां यह संभव है कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है, पीपीई पर बाद के खर्च के साथ–साथ इसकी असंशोधित मूल्यह्रास राशि को तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से प्रभारित किया जाता है।

कंपनी आई00 पर परियोजना उपकरण के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करती है।

2. प्रगतिमान पूंजी

स्व–निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम की लागत, परिसंपत्ति को स्थान पर लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई अन्य लागत और प्रबंधन और उधार लेने की लागतों द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्त शामिल है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से खर्च किए गए व्यय जब तक वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के आधार पर व्यवस्थित आधार पर पहचाने और आबंटित किए जाते हैं।

यदि ईएससीओ मॉडल ऊर्जा दक्षता परियोजना अमल में नहीं आती है, तो उसके संबंध में किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्ति

3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी यदि यह संभावित है कि परिसंपत्ति के कारण होने वाले अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

कंपनी द्वारा अर्जित की गई अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनका सीमित उपयोगी जीवन होता है, को लागत पर मान्यता दी जाती है। बाद की माप लागत कम संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों पर की जाती है। लागत में परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

3.2 समतुल्य लागत

समतुल्य व्यय को परिसंपत्तियों की मात्रा में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभावित होता है कि व्यय की जाने वाली लागत से होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

3.3 अमान्य

एक अमूर्त संपत्ति को तब अमान्य करार किया जाता है जब भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ से उनके उपयोग या उनके निपटान से उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्तियों के किसी वस्तु के निपटान पर लाभ और हानि निर्धारित राशि से अमूर्त परिसंपत्तियों के निपटान से निकासी से निर्धारित होती है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4 ऋणमुक्ति

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर एक ऋजु रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति के परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

4. उधारी लागत

उधारी लागत में शामिल हैं :

(क) इंड एएस 109 – 'वित्तीय लिखतों' में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना किए गए ब्याज व्यय;

(ख) इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता प्राप्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार – 'पट्टे' और

(ग) विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर इस सीमा तक कि उन्हें ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं। अर्ह परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से एक अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आम तौर पर धन उधार लेती है और एक अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है तो उधार लेने की लागतों के पूंजीकरण की गणना सामान्य उधार की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो अवधि के दौरान बकाया होती है और अर्हता के अधिग्रहण या निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। अर्ह परिसंपत्तियों पर उनके व्यय के लंबित उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से घटा दिया जाता है। उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्ह परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोगों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं। अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

उपयोग के बाद के वर्ष में पूंजीकरण के लिए अग्रेषित की जा रही अर्ह परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए उधार की अप्रयुक्त राशि के अनुपात में उधार लागत को रखा जा रहा है।

5. मालसूची

मालसूची का मूल्य निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और मालसूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। लागत एफआईएफओ के आधार पर निर्धारित की जाती है। खरीदी गई मालसूची की लागत छूट और छूट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। निवल वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की कम अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है।

स्टोर और पुर्जों की अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष और गैर–चलनशील वस्तुओं के मूल्य में कमी का पता समीक्षा के बाद लगाया जाता है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

6. नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों में नकद, हाथ पर नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

7. सरकारी अनुदान

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उचित आश्वासन मिलता है कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा, और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी। एक परिसंपत्ति की लागत के लिए कंपनी को क्षतिपूर्ति करने वाले अनुदान संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं। अनुदान जो कंपनी को किए गए खर्चों की क्षतिपूर्ति करते हैं, उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती है जिसमें संबंधित लागतें खर्च की जाती हैं और संबंधित खर्चों में से कटौती की जाती है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यदि पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास एक वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जिसका अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान का निर्धारण भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर दर पर छूट देकर किया जाता है जो पैसे के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी, और प्राप्य की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के निवल लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्ति हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से होगी। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्ति को तब प्रकट किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन शुरू में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं, जिस दिन लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर आरबीआई संदर्भ दर लागू करके विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग की मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं का अनुवाद किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह अपवाद के साथ उत्पन्न होता है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर 31 मार्च 2016 तक और अभी भी बकाया को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वहन लागत में समायोजित किया गया है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है और लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके अनुवाद किया जाता है। विदेशी मुद्रा में प्राप्त या भुगतान किए गए अग्रिम प्रतिफल के मामले में, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या उसके हिस्से) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देष्य से लेनदेन की तारीख तब होती है जब कंपनी प्रारंभिक रूप से भुगतान या अग्रिम प्रतिफल की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर–मौद्रिक देयता को मान्यता देती है।

10. राजस्व

कंपनी का राजस्व माल की बिक्री, सेवाओं के प्रतिपादन और अन्य आय से उत्पन्न होता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, अन्य विविध आय आदि से ब्याज शामिल है।

10.1 माल की बिक्री से राजस्व

राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो एक ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं करता है। कंपनी राजस्व को पहचानती है जब (या के रूप में) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आम तौर पर तब होता है जब (या के रूप में) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

10-2 सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व

सेवाओं के प्रतिपादन से होने वाले राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो एक ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट है या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं करता है। कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या इसके रूप में) निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आम तौर पर तब होता है जब (या इसके रूप में) सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

राजस्व की विभिन्न धाराओं के संबंध में राजस्व की पहचान निम्नानुसार वर्णित है :

- **ऊर्जा दक्षता सेवाएं :**

स्ट्रीट लाइट, कृषि पंप और अन्य उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना द्वारा ऊर्जा दक्षता सेवाएं प्रदान करने से होने वाले राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं।

- **परामर्शदात्री सेवाएं :**

प्रदान की गई परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को समय के साथ प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि के आधार पर मान्यता दी जाती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। प्रदान की गई परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन के पूरा होने के चरण के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई थी। पूर्णता के चरण का मूल्यांकन संबंधित संविदाओं की शर्तों के अनुरूप निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में किया गया था। परामर्शी संविदाओं पर आय की गणना उस संविदा पर प्रदान की गई सेवा की प्रगति के आधार पर किए गए व्यय के अनुपात में किया जाता है।

संविदा संशोधन

संविदा संशोधनों की गणना तब की जाती है जब संविदा के दायरे या संविदा मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन स्वीकृत होते हैं। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर है। सेवाओं को जोड़ा गया है जो अलग नहीं हैं, एक संचयी अधिग्रहण आधार पर गणना की जाती है, जबकि जो अलग हैं उन्हें संभावित रूप से, या तो एक अलग संविदा के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत एकल बिक्री मूल्य पर या मौजूदा की समाप्ति के रूप में होती है। संविदा और एक नया संविदा का निर्माण यदि एकल बिक्री मूल्य पर कीमत नहीं है।

10.3 अन्य आय

ब्याज आय की पहचान तब की जाती है, जब समय अनुपात आधार पर बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि (ईएलआर) का उपयोग करते हुए, लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए उसे मापने और एकत्रित करने में कोई खास अनिश्चितता मौजूद न हो

परिशोधन लागत पर मापे गए ऋण उपकरणों के लिए, ब्याज आय को ईआईआर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या कम अवधि में, जहां उपयुक्त हो, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय देयता की परिशोधित लागत पर छूट देती है। ईआईआर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

ऊर्जा की बिक्री के लिए देर से भुगतान / अतिदेय व्यापार प्राप्य पर ब्याज / अधिभार को तब मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

10.4 उजाला कार्यक्रम पर जागरूकता से संबंधित व्यय

राज्य में डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के विज्ञापन/ जागरूकता पर होने वाले व्यय को वर्तमान वर्ष में वितरित एलईडी बल्बों के अनुपात में लाभ और हानि विवरण के साथ संबंधित राज्य के लिए कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण वर्ष की शुरुआत में प्रभारित किया जाता है और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार वर्ष की शुरुआत में डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया अभियान पर होने वाले खर्च को वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के अनुपात में डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम के तहत समग्र लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

11 कर्मचारी लाभ

11.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना के पश्चात–रोजगार लाभ योजना है जिसके तहत एक इकाई अलग–अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व भुगानित योगदान को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतान में कमी उपलब्ध है।

एक परिभाषित योगदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक के बाद होता है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

कंपनी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है।

कंपनी के पास अंशदायी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक ट्रस्ट है जो पेंशन लाभ प्रदान करता है और कंपनी ट्रस्ट को एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है।

वर्ष के लिए दोनों फंडों में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है।

11.2 निर्धारित लाभ की योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक रोजगार के बाद मिलने वाली लाभ योजना है। ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है। कंपनी (भारतीय जीवन बीमा निगम) कंपनी द्वारा स्थापित एक फंड में योगदान करती है और अपने ग्रेच्युटी दायित्व के संबंध में न्यासी बोर्ड द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की निवल दायित्व से गणना की जाती है, जो कि वर्तमान तथा पूर्व की

अवधि में कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले में भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाती है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना की संपत्ति का उचित मूल्य काटा जाता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार की उपज पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता की तिथि होती हैं जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती हैं और उन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए एक योग्य बीमांकिक द्वारा की जाती है। जब गणना से कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त संपत्ति किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागतों के कुल तक सीमित होती है और भविष्य में किसी भी धन वापसी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य या योजना हेतु भविष्य के योगदान में कटौती से होती है। कंपनी को आर्थिक लाभ मिलता है यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना की देयताओं के निपटान के दौरान साकार होती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

जब किसी योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को औसत अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाता। इस हद तक कि लाभ तुरंत बन जाता है, लाभ और हानि के कथन में व्यय को तुरंत मान्यता दी जाती है।

11.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी की छुट्टी नकदीकरण के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ का गठन करते हैं।

कंपनी का निवल दायित्व अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य के लाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु छूट दी गई है। छूट की दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार की उत्पादकता पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथियां होती हैं जिनमें कंपनी के दायित्वों की शर्तें बताई जाती हैं। गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

11.4 अल्पकालिक लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को एक छूट रहित आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के बाद इसे व्यय कर दिया जाता है।

निष्पादन संबंधी भुगतान के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए एक देयता को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने हेतु एक कानूनी या रचनात्मक दायित्व है तथा दायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

12 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर, अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों या रिपोर्टिंग तिथि पर लागू है, और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग कर देय है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रेषित राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद है, जब वे वापस होते हैं, जो उन कानूनों के आधार पर लागू होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाता है कि यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ वसूल हो जाएगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट की जाती हैं यदि वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियां और कर देयताएं ऑफसेट होती हैं जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और या तो निवल आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति की वसूली होती है और एक साथ देयता का निपटान किया जाता है।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आय करों को मान्यता दी जाती है जबकि संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

इंड एएस 12 के परिशिष्ट ग, आयकर उपचारों पर अनिश्चितता : परिशिष्ट आयकर उपचारों पर अनिश्चितता होने पर इंड एएस 12 में अनुप्रयोग और माप आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान और आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता को कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और इस परिशिष्ट को लागू करके निर्धारित कर दरों के आधार पर इंड एएस 12 में आवश्यकताओं को लागू करके पहचाना और मापा जाता है। संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

13 पट्टे (लीज)

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड एएस 116 को ''पट्टों'' के रूप में अपनाया है और प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि अर्थात 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी पट्टा संविदाओं के लिए मानक लागू किया है। कंपनी ने इंड–एएस 116 में संक्रमण के लिए संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण लागू किया है, जिसमें परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार (आरओयू) के साथ प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि से तुरंत पहले तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त किसी भी पूर्व भुगतान / प्रोद्भवन के लिए समायोजित पट्टे देयता के समकक्ष में मान्यता प्राप्त है। तदनुसार, 31 मार्च 2019 की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है और इंड एएस 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद की गई या बदली गई संविदाओं के लिए, संविदा की शुरुआत के समय, कंपनी यह आकलन करती है कि संविदा एक पट्टा है या नहीं। एक संविदा एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि संविदा किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या संविदा से किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या :

- संविदा में पहचान की गई एक परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है – यह स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग परिसंपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास पर्याप्त प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है;
- कंपनी को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा
- कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। कंपनी के पास यह अधिकार होता है जब उसके पास निर्णय लेने के अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक संगत होते हैं कि परिसंपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है जहां परिसंपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित होता है, कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है यदि या तो :
- कंपनी को परिसंपत्ति के संचालन का अधिकार है;

  या
- कंपनी ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करती है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

शुरुआत में या संविदा के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें पट्टा घटक होता है, कंपनी संविदा में प्रत्येक पट्टा घटक को उनके सापेक्ष एकल कीमतों के आधार पर प्रतिफल आबंटित करती है।

1 अप्रैल 2019 से पहले की गई संविदाओं के लिए, यह निर्धारित करना कि क्या कोई व्यवस्था है (या इसमें शामिल है) एक पट्टा है जो पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था में परिसंपत्ति या परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताया जाता है, तो व्यवस्था एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, भले ही वह अधिकार किसी एक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

13.1 जहां कंपनी पट्टेदार है

कंपनी पट्टा शुरू होने की तिथि पर परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार और लीज देयता को मान्यता देती है। परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत का अनुमान शामिल है और अंतर्निहित परिसंपत्ति या अंतर्निहित परिसंपत्ति को पुर्नस्थापित करने के लिए या साइट है जिस पर स्थित है, कम किसी भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया।

परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को बाद में ऋजु रेखा विधि का उपयोग करके प्रारंभ तिथि से परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि के अंत तक मूल्यह्रास किया जाता है। परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को समय–समय पर क्षति हानियों से कम किया जाता है, यदि कोई हो, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- नियत भुगतान, जिसमें पदार्थ में नियत भुगतान शामिल हैं;
- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, प्रारंभ में आरंभिक तिथि पर सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशि; तथा

एक खरीद विकल्प के तहत अभ्यास मूल्य जिसे कंपनी प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निश्चित है, एक वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में पट्टा भुगतान, यदि कंपनी एक विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निष्चित है, और जब तक कि कंपनी जल्दी समाप्त करने के लिए उचित रूप से निश्चित नहीं है तो पट्टे की जल्दी समाप्ति के लिए जुर्माना होता है।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में कोई बदलाव होता है, यदि कंपनी के अनुमान में एक अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की उम्मीद की राशि में परिवर्तन होता है, या यदि

कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

जब पट्टे की देयता को इस तरह से पुनर्माप किया जाता है, तो परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार की अग्रेषित राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है या लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है यदि परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार की अग्रेषित राशि घटाकर शून्य कर दिया गया।

कंपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण के तहत परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार और तुलन पत्र के सामने एक अलग रेखा मद के रूप में पट्टा देयताओं को प्रस्तुत करती है।

कंपनी ने ट्रांजिशन प्रैक्टिकल एक्सपिडिएंट्स का चुनाव किया जिसने उन्हें (1) यह पुनर्मूल्यांकन नहीं करने की अनुमति दी कि क्या मौजूदा संविदाओं में पट्टे हैं, (2) मौजूदा पट्टों से जुड़ी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना है। कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए मान्यता छूट का उपयोग करने के लिए चुना है।

इंड एएस 17 के अंतर्गत

ऐसे पट्टे जिनमें जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कंपनी को पट्टेदार के रूप में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक ऋजु रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि पट्टेदार की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप भुगतान को संरचित नहीं किया जाता है। प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को पट्टे की अवधि के दौरान कुल पट्टा व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी जाती है।

13.2 जहां कंपनी पट्टादाता है

जब कंपनी एक पट्टादाता के रूप में कार्य करती है तो यह पट्टे की स्थापना के समय यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा या एक परिचालन पट्टा है। एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए संगत सभी जोखिमों और रिवार्ड्स को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टों से लीज आय, जहां कंपनी एक पट्टेदार है, को लीज अवधि के दौरान एक ऋजु रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित नहीं किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया गया है।

वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को कंपनी के पट्टों में निवल निवेश पर प्राप्य ('वित्त पट्टा प्राप्य') के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय, पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने के लिए लेखांकन अवधियों के लिए आबंटित की जाती है।

तुलनात्मक अवधि में एक पट्टेदार के रूप में कंपनी पर लागू लेखांकन नीतियां इंड–एएस 116 से भिन्न नहीं थीं।

14 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की ले जाने वाली मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या इंड एएस 36 'परिसंपत्ति के नुकसान' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि निपटान हेतु उचित मूल्य कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और उस परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। हानि परीक्षण के उद्देष्य से, जिन परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ रखा जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्ति के समूहों के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं (''नकदी उत्पन्न करने की इकाई'' या ''सीजीयू'')।

यदि किसी परिसंपत्ति या उसके सीजीयू की अनुमानित राशि से अधिक की वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो हानि पहचानी जाती है। क्षति हानि लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। सीजीयू के संबंध में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान को सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन मात्रा से कम किया जाता है।

पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि किसी भी संकेत की हानि कम हो या अब मौजूद न हो। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है तो हानि का नुकसान हो सकता है। एक हानि का नुकसान केवल इस हद तक विपरीत है कि परिसंपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं होती है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल होता है, यदि कोई हानि नुकसान को मान्यता नहीं दी गई थी।

15 प्रचालन खंड

इंड एएस 108 के अनुसार, प्रचालन खंड, खंड जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन खंड को कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर खंडों के संसाधनों को आबंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहचान की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी के 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या 'सीओडीएम' के रूप में इंड एएस 108 के अर्थ में है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे एक खंड के लिए जिम्मेदार वस्तुओं के साथ–साथ उन्हें उचित आधार पर आबंटित किया जा सकता है। गैर–आबंटित वस्तुओं में मुख्य रूप से निगम व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल हैं।

खण्ड में दिखाए गए प्रत्यक्ष राजस्व को खंड राजस्व के रूप में माना गया है। खंडों में दिखाए गए प्रत्यक्ष व्यय और युक्तिसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय खंड व्यय के रूप में माने गए हैं।

खंड पूंजीगत व्यय सद्भावना के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और अमूर्त परिसंपत्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान होने वाली कुल लागत है।

खंड की परिसंपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, व्यापार और अन्य प्राप्य, सूची और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सीधे या यथोचित रूप से खंडों में आबंटित किया जा सकता है। खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधित खंडों के कारण संचालन के लिए परिसंपत्ति के उपयोग की सीमा के आधार पर खंडों को आबंटित किए गए हैं। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, पूंजीगत कार्य प्रगति पर, पूंजीगत अग्रिम, निगम परिसंपत्तियां और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताएं में खंड के संबंध में सभी परिचालन देयताएं शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य भुगतान, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल हैं। खंड देयताओं में इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण और उधार और अन्य देयताएं और प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता है।

16 लाभांश

लाभांश कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में बदलाव के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

17 सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियां

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देयताएं और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनः वर्णित किया जाता है।

18 आय प्रति शेयर

वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय की गणना की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर की तनुकृत कमाई की गणना इक्विटी शेयरों की मूल आय के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों और भारित औसत इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के आधार पर कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है जो सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए गए।

19 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण इंड एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया जाता है।

20 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन एक संविदा है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

20.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और मापन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता देती है जब वह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिन्हें शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन की लागतें जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण होती हैं, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है :

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तारीखों पर उत्पन्न होती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का एक अभिन्न अंग शुल्क या लागत पर विचार करके की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं तो 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरू में और साथ ही उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलन ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर दौरान ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को रिपोर्ट किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य) एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकरण करने के लिए मानदंडों के अनुसार परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में नहीं मिलता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को वर्गीकृत करने का चयन कर सकती है। जो एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे 'एकाउंटिंग विसंगति' कहा जाता है)। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत, कम हानि यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

अन्य इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। समूह इक्विटी निवेशों को एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेता है। समूह इस तरह के चयन एक सधान द्वारा साधन के आधार पर करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि समूह एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेता है, तो लाभांश को छोड़कर, साधन पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंदर 'आईवी लॉस' पर कम अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

मान्यता समापन

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से मान्यता का समापन तब होता है (अर्थात कंपनी के तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह पाने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या किसी 'पास–थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व ग्रहण किया है; और या तो

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्ड को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है या

ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्ड को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि :

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम अनावरण पर हानि नुकसान की पहचान करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण के साधन हैं, और परिशोधन लागत जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष में मापा जाता है।

(ख) इंड एएस 115 के तहत व्यापार प्राप्य, बिल रहित राजस्व और संविदा परिसंपत्ति।

प्राप्त व्यापार और बिल रहित राजस्व के लिए, कंपनी इंड एएस 109 वित्तीय साधन द्वारा आवश्यक सरलीकृत दृश्टिकोण को लागू करती है, जिसके लिए प्राप्तियों की प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित जीवनकाल के नुकसान की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम के प्रकटीकरण की मान्यता के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के साथ क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग हानि के लिए किया जाता है। जबकि, यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है, तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने को वापस कर देती है।

20.2 वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरु में उचित मूल्य पर, उधारी और देय राशि के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को घटाकर निवल लागतों को मान्यता प्राप्त है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य भुगतान, उधार और प्रतिधारण धन शामिल हैं।

बाद की माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम पर विचार करके की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार भुगतान और अन्य संविदात्मक देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक और वित्तीय देनदारियां के लिए आयोजित वित्तीय देनदारियां शामिल है। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देष्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जो इंड–एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया गया है, और यदि केवल इंड एएस 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, ओसीआई में अपने क्रेडिट जोखिम में होने वाले बदलावों के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंदर संचयी लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी भी वित्तीय देनदारियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

मान्यता समाप्ति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब समाप्त किया जाता है जब देयता के तहत देयता का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को दूसरे से एक ही ऋणदाता द्वारा अलग–अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के एक विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त मानी जाती है और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रेषित राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

20.3 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग और वित्तीय देयताएं

वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं की भरपाई की जाती है और तुलनपत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का आशय होता है।

21 अन्य व्यय

वार्षिक रखरखाव, कानूनी और पेशेवर परामर्श, प्रशिक्षण और भर्ती आदि पर व्यय किए गए वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

22 संबंधित पार्टी लेनदेन संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन उन शर्तो के बराबर किया जाता है जो बड़े लेनदेन में प्रचलित होते हैं।

23 लेखांकन नीति में परिवर्तन

23.1 इंड एएस 116- पट्टे :

इंड एएस 116 इंड एएस 17–पट्टों की जगह लेता है और एक संविदा अर्थात पट्टेदार और पट्टेदाता के लिए दोनों पक्षों के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है। इंड एएस 116 एक एकल पट्टेदार लेखा मॉडल पेश करता है और एक पट्टेदार को 12 महीने से अधिक की अवधि के साथ सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों को पहचानने की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्ति न हो। कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 से, संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 ''पट्टों'' को अपनाया है। टिप्पणी 52 में मानक को अपनाने के प्रभाव को प्रकट किया गया है।

23.2 इंड एएस 12 के परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता :

जब आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता होती है, तो परिशिष्ट इंड एएस 12 में अनुप्रयोग और माप आवश्यकताओं को स्पश्ट करता है। वर्तमान और आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता को कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों के आधार पर इंड एएस 12 में आवश्यकताओं को लागू करके पहचाना और मापा जाएगा। अप्रयुक्त कर हानियां, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरें इस परिशिष्ट को लागू करके निर्धारित की जाती हैं। संषोधन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और निष्कर्श निकाला है कि इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

23.3 अन्य संशोधन

मौजूदा मानकों में कई अन्य छोटे संशोधन भी 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो गए हैं और जहां कहीं भी लागू हो, कंपनी द्वारा उन्हें अपनाया गया है। इन नई लेखा घोषणाओं को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

घ. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

प्रबंधन को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनुमान और धारणाएं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित कर सकती हैं और तुलन पत्र की तिथि में शामिल वस्तुओं के साथ–साथ आकस्मिक परिसंपत्ति और देनदारियों से संबंधित परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। प्रबंधन के अनुमान और निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करती है, निम्नानुसार है :

(i) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियां**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियां कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी विकास) और रखरखाव के व्यय के स्तर सहित परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से ये समायोजित किए जाते हैं।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि अपेक्षित बाजार दृष्टिकोण और भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव पुनर्प्राप्ति राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

(iii) रोजगार बाद लाभ योजना

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ–साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन बढ़ने की दर और छूट दर के बारे में अनुमान लगाए गए हैं। कंपनी समझती है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मान्यताओं को उचित और दस्तावेज दिया गया है। हालांकि, इन धारणाओं में होने वाले किसी भी बदलाव का परिणामी गणनाओं पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

(iv) राजस्व

कंपनी यह निर्धारित करने के लिए निर्णय लागू करती है कि ग्राहक से किए गए वादे के अनुसार प्रत्येक उत्पाद या सेवा विशिष्ट होने में सक्षम है, और संविदा के संदर्भ में अलग हैं, यदि नहीं, तो वादे के अनुसार उत्पाद या सेवाओं को संयुक्त किया जाता है और एक एकल प्रदर्शन दायित्व के रूप में माना जाता है। कंपनी अपने सापेक्ष एकल बिक्री मूल्य के आधार पर अलग से पहचाने जाने योग्य निश्पादित दायित्व वितरण योग्य के लिए व्यवस्था विचार आबंटित करती है। यदि कोई रियायत और छूट होती है तो इसका प्रबंधन अनुमानों के आधार पर राजस्व में कमी के रूप में माना जाता है।

(v) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्यता देने में किए गए आकलन इंड एएस 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति'' के अनुसार किए गए हैं। संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता है। परिस्थितियों को अप्रत्याशित विकास के बाद बदलना चाहिए, यह संभावना बदल सकती है।

(vi) आय कर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की अपेक्षित राशि सहित आयकर और आस्थगित करों के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

(vii) गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से निवेषिती कंपनी के संचालन से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

(viii) पट्टा कानूनी पट्टे के रूप में नहीं है

कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड एएस 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के अर्ह है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करती है।

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा कवर की गई दोनों अवधियों के साथ, यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निष्चित है; और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है। यह आकलन करने में कि क्या कंपनी पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए निश्चित रूप से निश्चित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करती है, यह उन सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो कंपनी पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने या न करने के लिए विस्तार के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करती हैं। यदि पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो कंपनी पट्टे की अवधि में संशोधन करती है।

छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

2क संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड				संचित मूल्यह्रास				निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2019 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
परियोजना उपकरण	230,519.59	107,307.47	10,879.26	326,947.80	56,287.69	42,112.74	9,546.25	88,854.18	238,093.62
सौर संयंत्र	2,102.64	25,123.92	-	27,226.56	31.72	678.25	-	709.97	26,516.59
ई–वाहन	74.51	579.85	-	654.36	9.28	53.60	-	62.88	591.48
भवन	472.01	-	-	472.01	0.57	14.95	-	15.52	456.49
फर्नीचर और फिक्सचर	334.87	81.67	7.52	409.02	120.30	37.60	3.60	154.30	254.72
कार्यालय के उपकरण	270.38	25.89	-	296.27	119.49	53.30	-	172.79	123.48
कम्प्यूटर्स	464.42	82.45	7.57	539.30	289.04	106.75	4.81	390.98	148.32
सेल फोन्स	72.04	15.04	3.16	83.92	56.06	13.47	1.88	67.65	16.27
आवासीय परिसंपत्ति	82.69	-	2.42	80.27	38.72	23.89	1.63	60.98	19.29
लीजहोल्ड सुधार	2.83	276.98	-	279.81	1.58	74.43	-	76.01	203.80
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार'	-	5,632.22	-	5,632.22	-	1,784.27	-	1,784.27	3,847.95
फ्रीहोल्ड भूमि	743.64	(743.64)	-	-	-	-	-	-	-
कुल	235,139.62	138,381.85	10,899.93	362,621.54	56,954.45	44,953.25	9,558.17	92,349.53	270,272.01

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड				संचित मूल्यह्रास				निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2018 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को
परियोजना उपकरण	99,529.16	131,641.41	650.98	230,519.59	22,235.66	34,052.03	-	56,287.69	174,231.90
सौर संयंत्र	-	2,102.64	-	2,102.64	-	31.72	-	31.72	2,070.92
कार्यालय के उपकरण	261.66	10.06	1.34	270.38	67.48	52.01	-	119.49	150.89
फर्नीचर और फिक्सचर	349.91	26.32	41.36	334.87	91.92	33.93	5.55	120.30	214.57
कम्प्यूटर्स	402.64	85.29	23.51	464.42	199.23	112.70	22.89	289.04	175.38
ई–वाहन	956.45	22.79	904.73	74.51	12.22	(2.94)	-	9.28	65.23
लीजहोल्ड सुधार	195.48	-	192.65	2.83	64.15	22.33	84.90	1.58	1.25
सेल फोन्स	60.63	12.03	0.62	72.04	35.50	20.81	0.25	56.06	15.98
आवासीय परिसंपत्ति	84.17	0.25	1.73	82.69	1.03	37.91	0.22	38.72	43.97
भवन	-	472.01	-	472.01	-	0.57	-	0.57	471.44
फ्रीहोल्ड भूमि	743.64	-	-	743.64	-	-	-	-	743.64
कुल	102,583.74	134,372.80	1,816.92	235,139.62	22,707.19	34,361.07	113.81	56,954.45	178,185.17

*टिप्पणी 52 देखें।

2ख अमूर्त परिसंपत्ति

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड				संचित मूल्यह्रास				निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2019 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
सॉफ्टवेयर	2,194.98	-	269.33	1,925.65	684.50	565.91	-	1,250.41	675.24
कुल	**2,194.98**	**-**	**269.33**	**1,925.65**	**684.50**	**565.91**	**-**	**1,250.41**	**675.24**

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड				संचित मूल्यह्रास				निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2018 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को
सॉफ्टवेयर	1,634.64	560.34	-	2,194.98	58.56	625.94	-	684.50	1,510.48
कुल	**1,634.64**	**560.34**	**-**	**2,194.98**	**58.56**	**625.94**	**-**	**684.50**	**1,510.48**

2ग पीपीई और अमूर्त परिसंपत्ति के लिए टिप्पणियां

क) पूंजीकृत विनिमय अंतरों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के 'अतिरिक्त' कॉलम में प्रकट किया जाता है और पूंजीकरण के वर्ष में सीडब्ल्यूआईपी के 'कमी /समायोजन' कॉलम के माध्यम से सीडब्ल्यूआईपी के विभिन्न शीर्षों को आबंटित किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के 'कमी /समायोजन' कॉलम में पहले से पूंजीकृत परिसंपत्तियों के संबंध में विनिमय अंतर का प्रकट किया गया है। पीपीई और सीडब्ल्यूआईपी के प्रमुख शीर्षों की लागत में शामिल विनिमय अंतर और उधार लागतों का परिसंपत्ति–वार विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परियोजना उपकरण		
पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल विनिमय अंतर	272.42	(244.28)
पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल उधार लागत	5,953.28	3,400.99

ख) कंपनी द्वारा प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए टिप्पणी 19 और 25 देखें।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 49 देखें।

3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

31 मार्च, 2020 को

लाख रु. में

विवरण	1 अप्रैल 2019 को	वृद्धि	कमी / समायोजन/ पूंजीकरण	31 मार्च 2020 को
परियोजना उपकरण				
सड़क की लाइट्स	90,004.07	40,909.63	60,790.01	70,123.69
भवन	8,668.95	9,442.31	6,042.36	12,068.90
स्मार्ट मीटर	10,262.68	55,696.62	40,338.81	25,620.49
सार्वजनिक चार्जर	-	224.61	54.30	170.31
राष्ट्रीय मोटर प्रतिस्थापन कार्यक्रम परियोजना	22.69	156.97	81.99	97.67
ट्राइजेनरेशन परियोजना	-	547.39	-	547.39
सॉफ्टवेयर	7.55	-	-	7.55
	108,965.94	**106,977.53**	**107,307.47**	**108,636.00**
सौर संयंत्र	12,776.39	34,493.28	25,123.92	22,145.75
भूमि और संपत्ति	21.83	120.26	142.09	-
ई–वाहन	67.13	512.72	579.85	-
अन्य	136.26	461.50	134.89	462.87
कुल	**121,967.55**	**142,565.29**	**133,288.22**	**131,244.62**

31 मार्च, 2019 को

लाख रु. में

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	वृद्धि	कमी / समायोजन/ पूंजीकरण	31 मार्च 2019 को
परियोजना उपकरण				
सड़क की लाइट्स	120,188.18	59,264.04	89,448.15	90,004.07
भवन	5,368.18	6,166.04	2,865.27	8,668.95
स्मार्ट मीटर	1,937.95	8,324.73	-	10,262.68
कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम)	12.26	-	12.26	-
सॉफ्टवेयर	7.55	-	-	7.55
सोलर रूफटॉप	9.04	-	9.04	-
उजाला परियोजना	0.54	-	0.54	-
राष्ट्रीय मोटर प्रतिस्थापन कार्यक्रम परियोजना	-	22.69	-	22.69
	127,523.70	**73,777.50**	**92,335.26**	**108,965.94**
भूमि और संपत्ति	1,671.68	110.71	1,760.56	21.83
ई–वाहन	151.19	66.78	150.84	67.13
सौर संयंत्र	-	12,776.39	-	12,776.39
अन्य	2.34	136.25	2.33	136.26
कुल	**129,348.91**	**86,867.63**	**94,248.99**	**121,967.55**

क) उपयोग के बाद के वर्ष में पूंजीकरण के लिए अग्रेषित की जा रही अर्ई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण हेतु उपयोग के लिए उधार लागत को उधार की अप्रयुक्त राशि के अनुपात में रखा जा रहा है। जबकि, अर्ई परिसंपत्तियों पर उनके व्यय के लंबित उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटा दिया जाता है, जैसा कि 'उधार लागत' के संबंध में लेखा नीति संख्या सी. 4 (टिप्पणी 1) में कहा गया है।

ख) कंपनी ने अपने ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) मॉडल के तहत विभिन्न राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा अन्य संगठनों के साथ समझौते किए हैं, जिसमें कंपनी परियोजनाओं के लिए अग्रिम निवेश करती है (रखरखाव और वॉरंटी दायित्वों के साथ, विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक के बाद एक कवर किए गए समझौते) जो समझौतों के तहत पारस्परिक रूप से सहमत आवधिक किश्तों के माध्यम से वसूल किए जाते हैं। कंपनी कुछ आंकड़ों को संकलित करने और विभिन्न समझौतों के तहत बिल योग्य, प्राप्य और देय राशियों को समेटने, योजना के तहत स्टोर और परिसंपत्तियों के सत्यापन और अन्यथा और स्थापित की जाने वाली परिसंपत्तियों के रूप में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में है। (संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत जैसे वेतन, ऋण/बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी मुद्रा लाभ/हानि आदि के पूंजीकरण सहित) और परिसंपत्ति जिसके प्रति राजस्व बुक किया गया है (लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार)। कंपनी को इस तरह के सत्यापन के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी बड़े अंतर की उम्मीद नहीं है, और उक्त अभ्यास के पूरा होने के बाद अंतरों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगी।

ग) कंपनी ने पुरानी पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाइटों को बदलने हेतु नगर निगम के साथ समझौता किया है। परिसंपत्तियों को पूंजीकरण की तिथि से बही खातों में पूंजीकृत किया जाता है जैसा कि संबंधित नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है और मूल्यह्रास पूंजीकरण की तिथि से तदनुसार लगाया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को नगर निगमों से कुछ पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमाण पत्र में उल्लिखित पूर्णता तिथियां पिछले वर्ष में आती हैं।

4 सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश

31 मार्च, 2020 को

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
इक्विटी साधन – अप्रक्रटिकरण (पूरी तरह से भुगतान किया – जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता, लागत पर)		
सहयोगी कंपनी		
ईईएसएल एनर्जीप्रो असेट्स लिमिटेड	27,130.87	27,130.87
29,745,680 (31 मार्च 2019 : 29,745,680) 1 पाउंड प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
संयुक्त उद्यम कंपनी		
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड	0.26	0.26
2,600 (31 मार्च 2019 : 2,600) 10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (नीचे दी गई टिप्पणी ग को देखें)	-	-
49 (31 मार्च 2019 : शून्य) 10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
कुल	27,131.13	27,131.13
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	27,131.13	27,131.13
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-

क) निवेश का मूल्यांकन लेखा नीति संख्या सी 20.1 (टिप्पणी 1) के अनुसार किया गया है। सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी निवेश को 'अलग वित्तीय विवरणों' पर इंडस्ट्रीज एएस 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापा जाता है।

ख) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड में 7,762.05 लाख रुपए (8 मिलियन पाउंड) का निवेश किया था।

ग) कंपनी ने एक नवगठित कंपनी इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 49 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने हेतु वर्ष के दौरान 490 रुपए का निवेश किया है।

घ) इंड एएस 27 'अलग वित्तीय विवरण' के अनुसार प्रकटीकरण

विवरण	स्वामित्व हित का भाग (प्रतिशत)	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सहयोगी कंपनी में निवेश :		
ईईएसएल एनर्जीप्रो असेट्स लिमिटेड (यूनाइटेड किंगडम में निगमित)	84.55%	84.55%
संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश :		
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड (भारत में निगमित)	26.00%	26.00%
इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (भारत में निगमित)	49.00%	-

5 गैर वर्तमान ऋण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूति, सही माने गए		
कर्मचारियों के लिए ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	217.29	120.39
प्रतिभूति जमा	166.27	373.56
कुल	**383.56**	**493.95**

6 अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
गैर भुगतानित राजस्व	487.88	662.62
वित्तीय पट्टा प्राप्तियां (टिप्पणी 52 (ख) को देखें)	8,425.67	3,900.81
बारह माह के बाद परिपक्व होने वाले बैंकों में जमा राशि		
ग्रहणाधिकार के तहत जमा (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	114.56	3.54
अन्य जमा	-	12.84
कुल	**9,028.11**	**4,579.81**

क) ग्रहणाधिकार के तहत बैंकों के पास जमा राशि में सीएसटी और वैट के लिए सावधि जमा राशि 4.20 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 3.54 लाख रुपए) और लेटर ऑफ क्रेडिट और 110.36 लाख रुपए की बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सावधि जमा (31 मार्च 2019 : शून्य रुपए) शामिल हैं। .

7 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अप्रयुक्त मूल्यह्रास	2,535.60	-
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	-	4,631.71
क्रेडिट क्षति प्राप्ति योग्य के लिए भत्ता	362.31	137.43
पट्टा देयताएं	29.74	37.84
अवकाश नकदीकर के लिए प्रावधान	209.97	50.39
ग्रेच्युटी (उपदान) के लिए प्रावधान	29.42	47.78
बोनस के लिए प्रावधान	3.45	113.07
मालसूचियों में कमी के लिए प्रावधान	0.91	-
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	13.71	2.28
	3,185.11	5,020.50
घटाएं : आस्थगित कर देयताएं		
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	1,285.30	3,361.47
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	1,058.35	8.00
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	-	931.57
	2,343.65	4,301.04
कुल आस्थगित कर देयताएं (निवल)	841.46	719.46

क) आय कर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 38 देखें। .

8 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पूंजीगत अग्रिम	1,625.93	1,336.78
आस्थगित किराया (टिप्पणी 52 (क) को देखें)	-	13.86
कुल	1,625.93	1,350.64

9 मालसूची

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार में स्टॉक	22,431.66	26,968.66
घटाएं : मालसूचियों में कमी के लिए प्रावधान	3.61	-
कुल	**22,428.05**	**26,968.66**

क) मालसूची मदों का मूल्यांकन लेखा नीति संख्या सी.5 (टिप्पणी 1) के अनुसार किया गया है।

ख) व्यापार में स्टॉक में शून्य रुपए (31 मार्च 2019 : 1,396.43 लाख रुपए) के पारगमन में वस्तुओं की कीमत शामिल है।

ग) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल सूची की लागत 64,629.24 लाख रुपए (व्यापार प्रोत्साहन के रूप में 0.95 लाख रुपए सहित) (31 मार्च 2019 : 95,890.93 लाख रुपए (व्यापार प्रोत्साहन के रूप में 51.16 लाख रुपए सहित)) है।

घ) स्टॉक और ऋणों की बही पर प्रथम एक ही समय में शुल्क पर ऋण प्रतिभूत किए गए हैं। (टिप्पणी 19 और 25 देखें)।

10 व्यापार प्राप्ति योग्य

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार प्राप्ति योग्य		
अप्रतिभूति, सही माने गए	276,685.99	183,148.24
क्रेडिट में क्षति	1,439.55	393.29
	278,125.54	183,541.53
घटाएं : क्रेडिट में क्षति व्यापार प्राप्ति योग्य के लिए प्रावधान	1,439.55	393.29
कुल	**276,685.99**	**183,148.24**

क) ऋण जोखिम के संबंध में विवरण हेतु टिप्पणी 41 देखें।

ख) संबंधित पक्षों से प्राप्त राशियों का प्रकटीकरण टिप्पणी 44 में किया गया है।

ग) प्राप्य (संबंधित पार्टी पार्टी बैलेंस सहित) पुष्टिकरण, विनियोजन और परिणामी समायोजन के अधीन हैं जो विनियोजन पर उत्पन्न हो सकते हैं।

घ) स्टॉक और ऋणों की बही पर प्रथम एक ही समय में शुल्क पर ऋण प्रतिभूत किए गए हैं। (टिप्पणी 19 और 25 देखें)।

ङ) व्यापार प्राप्तियों में मुकदमेबाजी के तहत 2,190.05 लाख रुपए की प्राप्य राशि शामिल है।

च) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, व्यापार प्राप्तियों की अग्रेनीत राशि में प्राप्य राशियां शामिल थीं जो फैक्टरिंग व्यवस्था के अधीन थीं। कंपनी ने उक्त व्यवस्था के तहत नकद के बदले में संबंधित प्राप्तियों को बैंक में स्थानांतरित कर दिया था और प्राप्तियों को बेचने या गिरवी रखने से रोका गया था। जबकि, कंपनी ने देर से भुगतान और क्रेडिट जोखिम को बरकरार रखा। इसलिए कंपनी ने अपनी तुलनपत्र में हस्तांतरित परिसंपत्तियों को उनकी संपूर्णता में पहचानना जारी रखा। फैक्टरिंग समझौते के तहत चुकाने योग्य राशि को प्रतिभूत उधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

11 नकदी और नकद समकक्ष

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंक में शेष राशियां – चालू खाते में	33,106.74	42,482.84
कुल	33,106.74	42,482.84

12 नकदी तथा नकद समकक्ष के अलावा अन्य बैंक में शेष

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
तीन माह से अधिक की मूल परिपक्वता और एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाली जमा राशियां (अर्जित ब्याज सहित)	18,068.21	33,269.28
ग्रहणाधिकार के तहत बैंकों में जमा (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	11,959.72	307.21
कुल	30,027.93	33,576.49

क) ग्रहणाधिकार के तहत बैंकों के पास जमा राशियों में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी को ईपीएएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा के संबंध में 10,941.79 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : शून्य रुपए), सीएसटी के लिए सावधि जमा के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक के साथ सावधि जमा और वैट की राशि 4.05 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 3.01 लाख रुपए) और लेटर ऑफ क्रेडिट और 1,013.88 लाख रुपए की बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में सावधि जमा (31 मार्च 2019 : 304.20 लाख रुपए) शामिल है।

13 वर्तमान ऋण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूति, सही माने गए		
कर्मचारियों के लिए ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	139.95	113.56
प्रतिभूति जमा	526.07	250.78
कुल	666.02	364.34

14 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूति, सही माने गए		
गैर भुगतानित राजस्व	6,156.18	2,234.05
वित्तीय पट्टा प्राप्तियां (टिप्पणी 52 (ख) देखें)	1,608.82	812.22
अन्य (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	2,249.41	5,216.91
कुल	10,014.41	8,263.18

क) अन्य में तीसरे पक्ष की ओर से किए गए व्यय शामिल हैं जो वसूली योग्य हैं।

15 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम कर	1,965.00	894.72
स्व आकलन वापसी	2,785.32	2,360.41
टीसीएस वसूली योग्य	43.28	39.49
टीडीएस वसूली योग्य	348.14	521.21
कुल	**5,141.74**	**3,815.83**

16 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्य (टिप्पणी 29 (क) देखें)	38,103.16	29,157.11
विरोध के तहत जमा की गई जमा राशि	4,852.69	4,327.95
पूर्व भुगतान किया गया व्यय (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	5,902.54	6,594.43
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	3,240.96	2,812.01
आस्थगित किराया	-	65.44
कर्मचारी के लिए अग्रदायी	16.27	13.40
अन्य (नीचे दी गई टिप्पणी ख देखें)	484.78	592.94
कुल	**52,600.40**	**43,563.28**

क) किसी राज्य में डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम पर विज्ञापन/जागरूकता पर होने वाले व्यय को वर्तमान वर्ष में वितरित एलईडी बल्बों के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण के लिए उस संबंधित राज्य हेतु कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण की शुरुआत में प्रभारित किया जाता है। वर्ष और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया प्रचार पर होने वाले खर्च को वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के अनुपात में डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के तहत कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित किया जाता है। वर्ष की शुरुआत और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तदनुसार, पिछले वर्ष 2018–19 से अग्रेषित किए गए कुल व्यय में से 4287.50 लाख रुपए शेष, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान मीडिया/विज्ञापन व्यय में 1,071.88 लाख रुपए प्रभारित किया गया है, शीर्ष ''अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां'' के तहत प्रीपेड व्यय के रूप में 3,215.62 लाख रुपए आगे बढ़ाया गया है।

ख) अन्य में विक्रेताओं और कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि शामिल हैं।

ग) संबंधित पक्षों से प्राप्त राशियों को प्रकट टिप्पणी 44 में किया गया है।

17 शेयर पूंजी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत				
प्रत्येक 10 रुपए के प्रति मूल्य के इक्विटी शेयर	350,00,00,000	350,000.00	350,00,00,000	350,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण रूप से प्रदत्त				
प्रत्येक १० रुपए के प्रति मूल्य के इक्विटी शेयर	**983,328,350**	**98,332.84**	**675,204,350**	**67,520.44**

क) इक्विटी शेयर पूंजी में आवागमन :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया	675,204,350	67,520.44	462,000,000	46,200.00
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	308,124,000	30,812.40	213,204,350	21,320.44
वर्ष के अंत में बकाया	**983,328,350**	**98,332.84**	**675,204,350**	**67,520.44**

कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत राइट इशू के लिए एक प्रस्ताव दिया। एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से 31 मार्च 2018 को 9,900.00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई और इसके बाद क्रमशः 27 अप्रैल 2018 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 9,900.44 लाख रुपए और 1,520.44 लाख रुपए प्राप्त हुए। कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 21,320.44 लाख रुपए के 213,204,350 शेयर जारी किए।

कंपनी ने 11 मार्च 2019 को मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत राइट इशू के लिए एक प्रस्ताव दिया। परिणामस्वरूप, 8 जून 2019 को क्रमशः एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेषन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 11,998.80 लाख रुपए, 7,160.00 लाख रुपए और 1,841.40 लाख रुपए की इक्विटी शेयर जारी किए गए थे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रस्ताव की सदस्यता नहीं ली।

कंपनी ने 22 जुलाई 2019 को मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत सही मुद्दे के लिए एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव को एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सब्सक्राइब किया गया था, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड ने एनटीपीसी लिमिटेड के पक्ष में अपने प्रस्ताव को त्याग दिया था। परिणामस्वरूप, 12 सितंबर 2019 को एनटीपीसी लिमिटेड को 9,812.20 लाख रुपए की आबंटित इक्विटी शेयर आबंटित किए गए थे। कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 30,812.40 लाख रुपए के 308,124,000 शेयर जारी किए।

ख) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार :

कंपनी के पास 10 रुपए प्रति शेयर वाले बराबर मूल्य समानता शेयरों का एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेयरधारकों की बैठकों में अपनी शेयर धारिता के अनुपात के अधिकार के पात्र हैं।

ग) लाभांश :

लाख रु. में

विवरण	वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किया गया		31 मार्च 2019 को	
	प्रति शेयर (रुपए में)	राशि	प्रति शेयर (रुपए में)	राशि
इक्विटी शेयर				
अंतिम लाभांश	0.10	948.79	0.16	1,102.99

घ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धारिता
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	245,500,000	24.97%	245,500,000	36.36%
एनटीपीसी लिमिटेड	463,610,000	47.15%	245,500,000	36.36%
आरईसी लिमिटेड	218,100,000	22.18%	146,500,000	21.70%
पावरग्रिड कॉर्पोरेषन ऑफ इंडिया लिमिटेड	56,118,350	5.70%	37,704,350	5.58%
कुल	983,328,350		675,204,350	

प्रमोटरों ने शुरुआत में प्रत्येक कंपनी को 25 प्रतिशत शेयरों की सदस्यता ली। पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत राइट इशू के लिए प्रस्ताव दिया है। आरईसी लिमिटेड और पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रस्तावित शेयरों की सदस्यता नहीं ली है और तदनुसार शेयरधारिता का प्रतिशत 25 प्रतिशत से कम है।

18 अन्य इक्विटी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	-	-
डिबेंचर विमोचन रिजर्व	15,126.44	15,126.44
प्रतिधारित आय	52.50	(1,503.10)
कुल	15,178.94	13,623.34

क) शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अधिशेष	-	9,900.00
शेयर आवेदन राशि प्राप्त की	30,812.40	11,420.44
इक्विटी शेयर जारी किए गए	(30,812.40)	(21,320.44)
समापन शेष	-	-

ख) डिबेंचर विमोचन रिजर्व

कंपनी को डिबेंचर के विमोचन के उद्देश्य के लिए लाभांश के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभों में से एक डिबेंचर विमोचन रिजर्व बनाने की आवश्यकता है।

रिजर्व में आवागमन निम्नानुसार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अधिशेष	15,126.44	6,515.21
जोड़ें : प्रतिधारित आय से अंतरण	-	8,611.23
समापन शेष	15,126.44	15,126.44
समापन शेष	-	-

ग) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी की जमा आय की मात्रा और परिभाषित लाभ योजनाओं तथा लाभ पर पुनः माप अंतर की राशि का प्रतिनिधित्व करती है। रिजर्व में आवागमन निम्नानुसार है:

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अधिशेष	(1,503.10)	559.47
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष हेतु लाभ	2,690.34	7,925.51
लाभांश का भुगतान	(948.79)	(1,102.99)
लाभांश के भुगतान पर कर	(195.01)	(226.72)
डिबेंचर विमोचन रिजर्व में अंतरण	-	(8,611.23)
इक्विटी शेयर जारी करने पर उत्पन्न होने वाली लेनदेन की लागत, कर का निवल	-	(25.00)
प्रतिधारित आय में ओसीआई के आइटम सीधे मान्यता प्राप्त :	43.44	(1,480.96)
निर्धारित लाभ की योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	9.06	(22.14)
समापन शेष	52.50	(1,503.10)

19 गैर-चालू उधार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिभूत डिबेंचर्स / बॉन्ड		
(i) 8.07 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) – वर्तमान और भविष्य दोनों गतिशील योग्य अचल परिसंपत्तियों पर इसी के साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित (8.07 प्रतिषत प्रति वर्ष 12,500.00 लाख रुपए के दो असमान अलग–अलग हस्तांतरणीय विमोचन योग्य मुख्य भाग (एसटीआरपीपी) के साथ गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय विमोचन योग्य कर योग्य बॉन्ड और 20 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2023 को क्रमशः (पहला निर्गत – निजी नियोजन) पर 25,000.00 लाख रुपए विमोचन योग्य।	39,104.08	52,133.58
अप्रतिभूत डिबेंचर्स / बॉन्ड		
(i) 7.80 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) (7.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय विमोचन योग्य कराधान बॉन्ड जुलाई 2022 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाए गए 45,000.00 लाख रुपए (दूसरा निर्गत–निजी नियोजन)	47,474.26	47,471.42
(ii) 8.15 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) (8.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर – परिवर्तनीय विमोचन योग्य कराधान बॉन्ड फरवरी 2021 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाए गए 20,000.00 लाख रुपए (तीसरा निर्गत–निजी नियोजन)	20,365.19	20,361.73
(iii) 8.29 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) (8.29 प्रतिशत प्रतिवर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर – परिवर्तनीय विमोचन योग्य कराधान बॉन्ड जुलाई 2021 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाए गए 12,500.00 लाख रुपए (दूसरा निर्गत – निजी नियोजन)	12,678.37	12,676.02
बैंकों से आवधिक ऋण		
अप्रतिभूत रुपए आवधिक ऋण		

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(i) पंजाब नेशनल बैंक (आरओआई 6 माह एमसीएलआर से जुड़ा हुआ, जून 2021 से शुरू होने वाली 10 समान किश्तों में चुकाने योग्य और 2025 में समाप्त हो रहा है।	50,307.08	39,997.59
प्रतिभूत रुपए आवधिक ऋण		
(i) बैंक ऑफ बड़ौदा – वर्तमान और भविष्य दोनों की चल–अचल परिसंपत्तियों पर एक ही समय में प्रभार द्वारा प्रतिभूत (आरओआई 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा हुआ, मार्च 2021 से शुरू होने वाली 10 समान किश्तों में चुकाने और सितंबर 2025 में समाप्त होने योग्य है)	33,198.25	-
(ii) कैनरा बैंक – वर्तमान और भविष्य दोनों की चल–अचल परिसंपत्तियों पर एक ही समय में प्रभार द्वारा प्रतिभूत (आरओआई 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा हुआ, सितम्बर 2020 से शुरू होने वाली 10 समान किश्तों में चुकाने और मार्च 2025 में समाप्त होने योग्य है)	50,361.05	-
बैंकों के अलावा अन्य से सावधि ऋण		
अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण		
(i) केएफडब्ल्यू ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (2,941,000 यूरो की प्रत्येक 14 किस्तों और 2,942,000 यूरो प्रत्येक की 3 किस्त में 30 जून 2018 से शुरू होने वाले अर्ध वार्षिक आधार पर 1.96 प्रतिशत प्रतिवर्ष चुकाने योग्य ऋण)	31,912.17	34,455.63
(ii) भारत एएफडी ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (2,500,000 यूरो की 20 समान किस्तों में 31 अक्तूबर 2020 से शुरू होने वाले अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने योग्य ऋण 3,719,016.59 यूरो के लिए 1.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 1,205,674.41 यूरो के लिए 2.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 8,460,156.73 यूरो के लिए 2.19 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 3,112,936.93 यूरो के लिए 2.22 प्रतिषत प्रतिवर्ष, 8,235,022.51 यूरो के लिए 1.35 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 5,932,983.01 यूरो के लिए 1.44 प्रतिशत प्रतिवर्ष)	25,649.99	12,929.37
(iii) एडीबी ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (1.23788 प्रतिशत प्रतिवर्ष (विधि : 6 माह एलआईबीओआर + 60 आधार बिंदु +/– छूट / अधिभार, यदि कोई है) 15 मार्च 2022 से 30 समान किस्तों में से अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने योग्य ऋण	77,054.34	43,391.19
(iv) भारत सरकार द्वारा आईबीआरडी ऋण–गारंटीकृत (2.61 प्रतिशत प्रतिवर्ष (विधि : 6 माह एलआईबीओआर + परिवर्तनशील फैलाव, यदि कोई हो) 3.57 प्रतिशत संवितरित राशि और 3.61 प्रतिशत की अंतिम किश्त की अंतिम किस्त की 27 समान किस्तों में 15 मई 2023 से शुरू होने वाले अर्ध वार्षिक आधार पर ऋण)	82,804.97	38,484.04
	470,909.75	**301,900.57**
घटाएं : दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	41,158.37	17,070.46
घटाएं : ब्याज उपार्जित किया जाता है, लेकिन उधार के कारण नहीं	6,756.11	5,642.05
कुल	**422,995.27**	**279,188.06**

वर्ष के अंत तक ऋणों के पुनर्भुगतान / उस पर ब्याज में कोई चूक नहीं हुई है।

20 गैर-वर्तमान भुगतान योग्य व्यापार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान योग्य व्यापार		
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	1,593.02	1,277.49
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	5,960.39	5,153.70
कुल	**7,553.41**	**6,431.19**

क) देय व्यापार पुष्टि, पुनःविनियोजन और परिणामी समायोजनों के अधीन है जो पुनःविनियोजन पर उत्पन्न हो सकते हैं।

ख) संबंधित पार्टियों को देय राशि टिप्पणी 44 में प्रकट किया जाता है।

ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 54 देखें।

21 गैर-वर्तमान पट्टा देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पट्टा देयताएं (टिप्पणी 52 देखें)	1,613.77	-
कुल	**1,613.77**	**-**

22 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिधारण रुपए (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	9,220.60	40,680.09
कुल	**9,220.60**	**40,680.09**

क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 54 देखें।

23 गैर-वर्तमान प्रावधान

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	113.95	136.73
अवकाश नकदीकरण	807.75	144.21
कुल	**921.70**	**280.94**

क) ''कर्मचारी लाभ'' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 45 देखें।

24 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रचालित पट्टा देयताएं	-	59.00
सरकारी अनुदानों के खाते पर आस्थगित आय (नीचे दी गई टिप्पणियां क और ख देखें)	-	427.68
कुल	-	486.68

क) सरकारी अनुदानों के कारण आस्थगित आय को लेखा नीति संख्या सी. 7 (टिप्पणी 1) के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ख) ''इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (''विश्व बैंक'') ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा (''जीईएफ'') की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए एसएपी के कार्यान्वयन हेतु 1,500,000 अमेरिकी डॉलर और अन्य परामर्श हेतु 500,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान स्वीकृत किया था। स्वीकृत राशि में से कुल 880.94 लाख का अनुदान प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त अनुदान से जुड़ी कोई अधूरी शर्तें या अन्य आकस्मिकताएं नहीं हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने विश्व बैंक से अनुदान के रूप में शून्य (31 मार्च 2019 : 290.73 लाख रुपए) प्राप्त किया है और 310.30 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 397.64 लाख रुपए) को अनुदान आय के रूप में मान्यता दी है (टिप्पणी 32 देखें)।

25 वर्तमान उधार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंकों से प्रतिभूत ऋण		
(i) आईसीआईसीआई बैंक – वर्तमान और भविष्य दोनों पर स्टॉक और प्राप्तियों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (संबंधित किस्त के आहरण की तिथि से ऋण की अवधि (1 वर्ष के अंदर) के बाद बुलेट भुगतान के रूप में एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	22,621.76	15,600.00
(ii) एचडीएफसी – वर्तमान और भविष्य दोनों पर स्टॉक और देनदारों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (संबंधित किस्त के आहरण की तिथि से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में देय 3 माह के एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	-	7,500.00
(iii) एसबीआई – वर्तमान और भविष्य दोनों पर स्टॉक और प्राप्तियों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (संबंधित किस्त के आहरण की तिथि से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में देय 3 माह के एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	-	-
(iv) इंडसइंड बैंक – कंपनी के स्टॉक और बही की देनदारियों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऋण राशि के आहरण से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में देय आरओआई)	22,658.47	10,000.00
(v) इंड्स इंड बैंक (व्यवस्थित प्राप्य राशि) – कंपनी के स्टॉक और बही ऋणों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (जुलाई 2019 के माह में 9,579.08 लाख रुपए की राशि की कंपनियों (जिनके बिलों में छूट दी गई है) से आय प्राप्त करने में चूक/विलंब की स्थिति में छूट की तिथि से 120 दिनों के बाद चुकाने योग्य 364 दिनों के टी–बिल से जुड़ा आरओआई)	-	9,579.08
(vi) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – कंपनी की वर्तमान और भविष्य की वर्तमान परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत (ऋण राशि के आहरण से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	30,117.33	-
बैंकों से अप्रतिभूत ऋण		
(i) इंड्स इंड बैंक (सितंबर 2019 के माह में बुलेट के रूप में चुकाने योग्य 3 माह एमआईबीओआर से जुड़ा आरओई 5,000.00 लाख रुपए)	-	5,003.69
(ii) जे एण्ड के बैंक (ऋण राशि के आहरण से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में चुकाने योग्य 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	-	14,999.91
(iii) सीटीबीसी बैंक (ऋण राशि के आहरण से 6 माह के बाद बुलेट भुगतान के रूप में चुकाने योग्य एमआईबीओआर से जुड़ा आरओआई)	4,000.91	-
कुल	**79,398.47**	**62,682.68**
घटाएं : वर्तमान उधारों पर ब्याज उपार्जित	398.48	3.69
कुल	**78,999.99**	**62,678.99**

26 भुगतान योग्य व्यापार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान योग्य व्यापार		
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	5,868.63	8,214.58
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	115,581.62	130,659.80
कुल	**121,450.25**	**138,874.38**

क) देय व्यापार पुष्टि, पुनःविनियोजन और परिणामी समायोजनों के अधीन है जो पुनःविनियोजन पर उत्पन्न हो सकते हैं।

ख) संबंधित पार्टियों को देय राशि टिप्पणी 44 में प्रकट किया जाता है।

ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 54 देखें।

27 वर्तमान पट्टा देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पट्टा देयताएं (टिप्पणी 52 देखें)	1,631.51	-
कुल	1,631.51	-

28 अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 19 देखें)	41,158.37	17,070.46
उधारों पर ब्याज उपार्जित	7,154.59	5,645.74
डिबेंचर्स / बॉन्डों पर अदावाकृत ब्याज	1.61	1.61
प्रतिधारण धनराशि (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	32,245.92	15,546.09
व्ययों के लिए देयताएं	4,141.32	2,333.37
बयाना राशि जमा	585.27	430.81
देय प्रतिबद्धता शुल्क	203.60	238.07
प्रतिभूति जमा राशियां	120.35	138.94
कर्मचारियों को देय	14.67	762.79
कुल	**85,625.70**	**42,167.88**

क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 54 देखें।

29 अन्य वर्तमान देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वैधानिक देय राशि (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	23,032.29	18,574.62
परिसमाप्त क्षतियां	93.25	93.25
ग्राहकों से अग्रिम	4,644.09	1,308.50
अनर्जित आय	66.64	172.20
सरकारी अनुदानों के खाते पर आस्थगित आय (टिप्पणी 46 देखें)	354.56	237.18
कुल	28,190.83	20,385.75

क) जीएसटी और वैट रिटर्न में रिपोर्ट किए गए संबंधित इनपुट कर क्रेडिट के साथ बिक्री, संबंधित आउटपुट कर देयता और खरीद, निवल इनपुट की क्रेडिट प्राप्य या निवल आउटपुट कर देयता जैसा भी मामला हो, बही खातों के साथ सामंजस्य के अधीन हैं। जीएसटी/वैट रिटर्न के मिलान पर ज्ञात होने वाले अंतरों को वार्षिक जीएसटी/वैट विवरण/संशोधित रिटर्न में ठीक किया जाएगा।

30 वर्तमान प्रावधान

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	2.95	3.29
अवकाश नकदीकरण	26.53	8.37
कुल	**29.48**	**11.66**

क) 'कर्मचारी लाभों' पर भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रकटन के लिए टिप्पणी 45 देखें।

31 प्रचालनों से राजस्व

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तुओं की बिक्री	67,125.96	111,527.89
सेवाओं का प्रतिपादन	112,583.17	72,237.35
कुल	**179,709.13**	**183,765.24**

क) ''ग्राहकों सहित संविदाओं से राजस्व'' के संबंध में प्रकटीकरण हेतु भारतीय लेखा मानक 115, टिप्पणी 51 देखें।

ख) कंपनी ने कुछ मान्यताओं/अनुमानों के आधार पर यूएलबी के साथ समझौतों के तहत राजस्व को मान्यता दी है जैसे परियोजना अवधि की शुरुआत की तिथि को यूएलबी से प्राप्त पहले पूर्णता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट पूरा होने की तिथि के रूप में लिया जाता है, पीएमसी, एएमसी, ब्याज के लिए वास्तविक व्यय (अप्रत्यक्ष वित्त लागतों सहित), इक्विटी पर कर पूर्व/पश्चात विवरणी (कुछ मामलों में), एक निश्चित प्रतिशत पर अधिक/पर हैं जो समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत से अलग है। कंपनी ऐसे और अन्य मामलों पर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सभी समझौतों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है और तदनुसार सभी समझौतों को औपचारिक रूप दिया जाएगा।

ग) पिछले वर्षों में बिलिंग मामले को छोड़कर पूर्णता प्रमाण पत्र में उल्लिखित माह के अगले माह से शुरू हुई जहां पूरा होने की तिथि माह का पहला दिन है, उस स्थिति में उसी माह के लिए बिलिंग की गई थी।

घ) कंपनी ने अनुमान के आधार पर कुछ डिस्कॉम में स्थापित स्मार्ट मीटरों के लिए 528.02 लाख रुपए के बिना बिल वाले राजस्व को बुक किया है, जहां औपचारिक समझौते अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं। इसके अलावा, कंपनी अवधि के विस्तार, दरों में परिवर्तन आदि के लिए कुछ समझौतों में स्पष्टीकरण / संशोधन करने की प्रक्रिया में है, जिसके प्रभावों पर उस वर्ष में विचार किया जाएगा जिसमें ऐसे संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर, प्रति मीटर के आधार पर एसएमएनपी सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए एक वेंडर नियुक्त किया है। कंपनी ने प्रति मीटर के आधार पर व्यय बुक किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भुगतान प्रति मीटर के आधार पर आनुपातिक रूप से किए गए हैं, विक्रेता के साथ भुगतान की शर्तों को संशोधित और औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में है।

32 अन्य आय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय		
बैंक में जमा	3,905.75	3,229.49
व्यापार प्राप्ति योग्य /गैर भुगतानित राजस्व	327.75	1,332.14
कर्मचारियों के लिए ऋण	8.36	4.85
प्रतिभूति जमा	119.69	41.50
अन्य	66.04	162.42
आयकर वापसी पर ब्याज	**227.54**	**-**
अन्य गैर-परिचालन आय		
निविदा दस्तावेज शुल्क	25.82	38.63
ई–निविदा पंजीकरण शुल्क	10.20	11.10
विदेशी मुद्रा लेनदेन और ट्रांसलेशन पर निवल लाभ	-	2,580.71
धरोहर राशि जब्त	0.39	1,424.00
आस्थगित किराया आय	-	15.97
अनुदान आय	310.30	397.64
गारंटी शुल्क आय	651.04	226.73
प्रबंधन शुल्क आय	379.32	334.29
विविध आय	1,568.74	2.69
कुल	**7,600.94**	**9,802.16**

33 माल-सूची में (वृद्धि) / कमी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक स्टॉक	26,968.66	29,993.41
अंतिम स्टॉक	22,428.05	26,968.66
कुल	**4,540.61**	**3,024.75**

34 कर्मचारी लाभ व्यय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	3,264.33	2,707.59
अवकाश नकदीकरण	354.59	(100.11)
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	178.71	84.51
कर्मचारी कल्याण व्यय	89.66	148.43
कुल	**3,887.29**	**2,840.42**

क) 'कर्मचारी लाभ'' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 45 देखें।

ख) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से प्रभावी था। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू –02/ 0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 के तहत दिनांक 3 अगस्त 2017 को बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और 1 जनवरी 2017 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गैर–संघीय पर्यवेक्षक के वेतनमान में संशोधन किया गया था। चूंकि ईईएसएल में नियमित कर्मचारियों के वेतनमान नियमित कर्मचारियों के एनटीपीसी वेतनमान के अनुसार तैयार किए गए हैं, अतः एनटीपीसी पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, अनुमानित आधार पर एक प्रावधान किया गया था वेतन संशोधन के कारण नियमित कर्मचारी प्रावधान में आवागमन इस प्रकार है :

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारम्भिक जमा	-	550.00
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशियां	-	(550.00)
कुल	-	-

35 वित्त लागत

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर वित्त प्रभार		
डिबेंचर्स / बॉन्ड	10,421.31	8,245.92
अल्पावधि ऋण	4,839.10	6,308.69
विदेशी मुद्रा सावधि ऋण	3,901.04	1,378.96
रुपया सावधि ऋण	3,901.35	246.23
प्रतिधारण रुपए पर छूट की अनवाइंडिंग	1,650.52	1,067.48
भुगतान योग्य व्यापार पर छूट की अनवाइंडिंग	1,330.22	1,108.23
पट्टा देयताएं	361.94	-
विदेशी मुद्रा लेन देन और ट्रांसलेशन पर निवल हानि	7,664.22	128.97
अन्य उधार लेने की लागत		
गारंटी शुल्क	867.36	547.70
विदेशी मुद्रा सावधि ऋणों के लिए प्रतिबद्धता शुल्क	11.70	243.05
प्रसंस्करण शुल्क	212.06	-
कुल	**35,160.82**	**19,275.23**

क) वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत 5,953.28 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 3,400.99 लाख रुपए) है।

36 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	44,953.25	34,361.07
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	565.91	625.94
कुल	45,519.16	34,987.01

37 अन्य व्यय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक रखरखाव प्रभार (परियोजनाएं)	17,782.41	9,396.79
परियोजना व्यय	1,722.28	2,757.36
कानूनी शुल्क और व्यावसायिक प्रभार	2,095.87	2,004.99
किराया	249.62	2,015.59
जनशक्ति व्यय	1,804.63	1,336.91
यात्रा और यात्रा व्यय	1,105.66	755.06
संचार व्यय	421.24	474.16
विज्ञापन और प्रचार व्यय	488.11	344.14
व्यापार प्रचार	255.36	205.89
प्रिंटिंग और स्टेशनरी व्यय	131.05	158.29
बैठक व्यय/आतिथ्य व्यय	339.83	175.76
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर निवल हानि	4.27	142.54
बैंक प्रभार	174.83	207.74
प्रायोजन व्यय	126.25	142.54
बीमा प्रभार	206.88	147.61
परीक्षण व्यय	88.51	117.29
बिजली व्यय	118.02	93.67
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	34.39	32.05
वाहन व्यय	10.39	25.20
भर्ती व्यय	47.49	11.04
मरम्मत और रखरखाव व्यय		
– भवन	115.32	66.36
– कम्प्यूटर	55.61	4.72
– अन्य	-	-
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	6.60	6.00
दर और कर	45.04	15.87
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	173.20	20.06
पुस्तकें और पीरियॉडिकल्स	2.51	0.78
विदेशी मुद्रा लेनदेन और ट्रांसलेशन पर निवल हानि	5,250.02	-
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	1,046.26	196.65
माल सूचियों की कमी के लिए प्रावधान	3.61	-
विविध व्यय	404.17	240.03
कुल	**34,309.43**	**21,095.09**
(क) लेखा परीक्षकों को भुगतान के संबंध में विवरण :		
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	18.15	16.50
कर लेखा परीक्षा शुल्क	7.87	7.15
सीमित समीक्षा	5.75	5.50
व्यय की प्रतिपूर्ति	2.62	2.90
कुल	**34.39**	**32.05**

38 आय कर

क) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	129.05	7,060.62
पहले के वर्षों में	(593.75)	-
	(464.70)	**7,060.62**
आस्थगित कर ऋण		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(326.55)	(206.53)
कर दर में परिवर्तन	201.28	-
	(125.27)	(206.53)
कुल आय कर (ऋण) / व्यय	**(589.97)**	**6,854.09**

ख) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यापक आय		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल कार्य लाभ / (हानि)	12.11	(34.03)
घटाएं : उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर	3.05	(11.89)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय / (व्यय), आयकर का निवल	**9.06**	**(22.14)**

ग) भारत के घरेलू कर की दर से कर व्यय और लेखा लाभ गुणा का मिलान

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पहले लाभ	2,100.37	14,779.60
25.168 प्रतिशत की कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर (31 मार्च 2019 : 34.944 प्रतिशत)	528.62	5,164.58
इनका कर प्रभाव :		
गैर कटौती योग्य कर मद	51.71	1,051.90
ईएससीओ परियोजना का राजस्व अग्रिम रूप से बेचा गया	(744.20)	-
पिछले वर्ष कर व्यय	(593.75)	-
आयकर दर में परिवर्तन	201.28	-
विदेशी शाखा पर कर	129.05	-
अन्य	(162.68)	637.61
(-) 28.09 प्रतिशत के प्रभावी आय कर दर में (31 मार्च 2019 : 46.38 प्रतिशत)	(589.97)	6,854.09

घ) कराधान कानूनों का प्रभाव (संशोधन) अध्यादेश, 2019

कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए की शुरूआत के अनुसार, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है, भारत में कंपनियों के पास निगम आयकर का भुगतान करने का विकल्प 22 प्रतिशत की दर से लागू अधिभार और उपकर है, जो पहले की 30 प्रतिशत की दर से अधिक लागू अधिभार और उपकर है, जैसे कुछ शर्तों के अधीन, कंपनी को सभी लाभों को छोड़ना होगा जैसे कर अवकाश, कर प्रोत्साहन/अतिरिक्त मूल्यह्रास और बकाया मैट क्रेडिट के माध्यम से उत्पन्न हानियों को आगे लाया।

धारा 115बीएए के तहत सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और धारा 115बीएए के तहत विकल्प के प्रयोग के अपेक्षित समय के आधार पर, कंपनी ने अपने आस्थगित कर शेष को फिर से माप लिया है जिसके कारण वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 तक 201.28 लाख रुपए तक मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्ति में कमी आई है। इसके लिए भविष्य की लाभप्रदता के बारे में धारणाओं की आवश्यकता होती है, जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। भविष्य की लाभप्रदता परिवर्तन के संबंध में मान्यताओं की सीमा तक, मान्यता प्राप्त राशियों में वृद्धि या कमी हो सकती है।

ङ) कंपनी ने अपने भंडार में से वर्ष के दौरान लाभांश वितरण पर कर के रूप में 195.01 लाख रुपए का भुगतान किया है।

च) आस्थगित कर शेष राशियों में आवागमन

लाख रु. में

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	निवल शेष राशियां 1 अप्रैल 2019	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	निवल शेष राशियां 31 मार्च 2020
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	4,623.71	(4,623.71)	-	-
अघोशित मूल्यह्रास	-	2,535.60	-	2,535.60
क्रेडिट क्षति प्राप्ति योग्य के लिए भत्ता	137.43	224.88	-	362.31
पट्टा देयताएं	37.84	(8.10)	-	29.74
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	50.39	159.58	-	209.97
ग्रेच्युटी (उपदान) के लिए प्रावधान	47.78	(15.31)	(3.05)	29.42
बोनस के लिए प्रावधान	113.07	(109.62)	-	3.45
मालसूचियों में कमी के लिए प्रावधान	-	0.91	-	0.91
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	2.28	11.43	-	13.71
	5,012.50	**(1,824.34)**	**(3.05)**	**3,185.11**
घटाएं : आस्थगित कर देयताएं				
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	3,361.47	(2,076.17)	-	1,285.30
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	-	1,058.35	-	1,058.35
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	931.57	(931.57)	-	-
	4,293.04	(1,949.39)	-	2,343.65
आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) / देयताएं (निवल)	719.46	125.05	(3.05)	841.46

आस्थगित कर शेष राशियों में आवागमन

लाख रु. में

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	निवल शेष राशियां 1 अप्रैल 2018	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	निवल शेष राशियां 31 मार्च 2019
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	4,193.90	429.81	-	4,623.71
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	98.38	(47.99)	-	50.39
ग्रेच्युटी (उपदान) के लिए प्रावधान	55.69	(19.80)	11.89	47.78
बोनस के लिए प्रावधान	0.88	112.19	-	113.07
क्रेडिट क्षति प्राप्ति योग्य के लिए भत्ता	68.05	69.38	-	137.43
प्रचालित पट्टा देयताएं	25.94	11.90	-	37.84
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	60.11	(60.11)	-	-
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	42.32	(40.04)	-	2.28
	4,545.27	**455.34**	**11.89**	**5,012.50**
घटाएं : आस्थगित कर देयताएं				
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	2,322.68	(1,391.11)	-	931.57
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	1,721.65	1,639.82	-	3,361.47
	4,044.33	248.71	-	4,293.04
आस्थगित कर ##देयताएं (निवल)	500.94	206.63	11.89	719.46

छ) कंपनी की सहायक कंपनी की अवितरित आय 727.49 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 1,480.60 लाख रुपए) है, जिसे यदि लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता के हाथों कर के अधीन होगा। एक निर्धारणीय अस्थायी अंतर मौजूद है, लेकिन किसी भी आस्थगित कर देयता को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि सहयोगी कंपनी, कंपनी से वितरण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है। निकट भविष्य में सहायक कंपनी से मुनाफे को वितरित करने की उम्मीद नहीं है।

39. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष और 1 अप्रैल 2018 तक के लिए पुनर्कथन

इंड एएस 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' और इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2018 (पिछली अवधि की शुरुआत) को अपनी तुलन पत्र को पूर्वव्यापी रूप से बहाल कर दिया है और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण नीचे दिए गए टिप्पणियों में बताए गए कारणों से है। उन मदों का विनियोजन जो तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में पूर्वव्यापी रूप से पुनर्कथित हैं, निम्नानुसार हैं :

क) 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के पुनर्कथित मदों का विनियोजन

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2019 को		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
परिसंपत्तियां				
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(i), (ii), (iii)	183,288.82	(5,103.65)	178,185.17
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	(i), (iii)	121,606.23	361.32	121,967.55
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	(iv)	-	719.46	719.46
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		35,066.01	-	35,066.01
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		**339,961.06**	**(4,022.87)**	**335,938.19**
वर्तमान परिसंपत्तियां				
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		8,263.18	-	8,263.18
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		333,919.68	-	333,919.68
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		342,182.86	-	342,182.86
कुल परिसंपत्तियां		**682,143.92**	**(4,022.87)**	**678,121.05**
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		67,520.44	-	67,520.44
अन्य इक्विटी		16,476.09	(2,852.75)	13,623.34
कुल इक्विटी		**83,996.53**	**(2,852.75)**	**81,143.78**
देयताएं				
गैर-वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1,277.49	-	1,277.49
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	(ii)	10,523.97	(5,370.27)	5,153.70
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	(iv)	709.60	(709.60)	-
अन्य गैर वर्तमान देयताएं		320,635.77	-	320,635.77
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		**333,146.83**	**(6,079.87)**	**327,066.96**
वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		8,214.58	-	8,214.58
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	(ii)	125,750.05	4,909.75	130,659.80
अन्य वर्तमान देयताएं		131,035.93	-	131,035.93
कुल वर्तमान देयताएं		**265,000.56**	**4,909.75**	**269,910.31**
कुल इक्विटी और देयताएं		**682,143.92**	**(4,022.87)**	**678,121.05**

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2018 को		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
परिसंपत्तियां				
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(i), (ii), (iii)	83,372.59	(3,496.04)	79,876.55
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	(i), (iii)	129,348.91	-	129,348.91
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	(iv)	-	500.94	500.94
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		24,942.67	-	24,942.67
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		**237,664.17**	**(2,995.10)**	**234,669.07**
वर्तमान परिसंपत्तियां				
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		5,603.80	-	5,603.80
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		231,478.15	-	231,478.15
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**237,081.95**	**-**	**237,081.95**
कुल परिसंपत्तियां		**474,746.12**	**(2,995.10)**	**471,751.02**
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		46,200.00	-	46,200.00
अन्य इक्विटी		18,242.96	(1,268.28)	16,974.68
कुल इक्विटी		**64,442.96**	**(1,268.28)**	**63,174.68**
देयताएं				
गैर–वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-	-
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	(ii)	-	3,750.93	3,750.93
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	(iv)	180.29	(180.29)	-
अन्य गैर वर्तमान देयताएं		184,475.33	-	184,475.33
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		**184,655.62**	**3,570.64**	**188,226.26**
वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-	-
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	(ii)	128,526.81	(5,297.46)	123,229.35
अन्य वर्तमान देयताएं		97,120.73	-	97,120.73
कुल वर्तमान देयताएं		225,647.54	(5,297.46)	220,350.08
कुल इक्विटी और देयताएं		**474,746.12**	**(2,995.10)**	**471,751.02**

ख) **31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण के पुनर्कथित मदों का विनियोजन**

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
राजस्व				
प्रचालन से राजस्व		183,765.24	-	183,765.24
अन्य आय		9,802.16	-	9,802.16
कुल राजस्व		193,567.40	-	193,567.40
व्यय				
व्यापार में स्टॉक की खरीद	**(ii)**	**91,700.00**	**1,115.02**	**92,815.02**
वितरण व्यय (उजाला)		**2,119.29**	**-**	**2,119.29**
मीडिया व्यय (उजाला)		2,630.99	-	2,630.99
माल सूचियों में कमी		3,024.75	-	3,024.75
कर्मचारी लाभ व्यय		2,840.42	-	2,840.42
वित्त लागत	**(ii) and (iii)**	**19,023.52**	**251.71**	**19,275.23**
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(i)	34,021.44	965.57	34,987.01
अन्य व्यय		21,095.09	-	21,095.09
कुल व्यय		176,455.50	2,332.30	178,787.80
कर से पहले लाभ		**17,111.90**	**(2,332.30)**	**14,779.60**
कर व्यय				
वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष		7,060.62	-	7,060.62
पहले के वर्षों में		-	-	-
आस्थगित कर व्यय	(iv)	541.30	(747.83)	(206.53)
कुल कर व्यय		7,601.92	(747.83)	6,854.09
वर्ष के लिए लाभ		9,509.98	(1,584.47)	7,925.51
अन्य व्यापक आय / (व्यय)				
मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
– परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल कार्य हानि		(34.03)	-	(34.03)
- घटाएं : उपरोक्त मद से संबंधित आयकर		**(11.89)**	**-**	**(11.89)**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		**(22.14)**	**-**	**(22.14)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**9,487.84**	**(1,584.47)**	**7,903.37**

ग) **31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह के विवरण का विनियोजन**

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	5,213.00	99.26	5,113.74
निवेश गतिविधियों में उपयोग निवल नकद प्रवाह	(121,537.57)	(280.71)	(121,256.86)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	106,745.74	181.45	106,564.29
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल कमी	(9,578.83)	-	(9,578.83)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य	52,061.67	-	52,061.67
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	42,482.84	-	42,482.84

घ) पुनर्कथन

(i) कंपनी विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को लाइटों को लगाने / बदलने के माध्यम से ऊर्जा दक्षता सेवाएं प्रदान करती है। ग्राहकों के साथ करार में लाइट लगाने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। पिछले वर्ष में, कंपनी ने यूएलबी से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर परियोजनाओं का पूंजीकरण किया। कंपनी को यूएलबी से कुछ पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमाण पत्र में उल्लिखित समापन तिथियां पिछले वर्ष में आती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए, कंपनी ने पिछले वर्ष से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया है और तदनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 3,107.15 लाख रुपए के मूल्यह्रास व्यय को मान्यता दी है। 1 अप्रैल 2018 तक मूल्यह्रास पर प्रभाव 2,141.58 लाख रुपए प्रतिधारित आय में पहचाना गया है।

(ii) कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, गैर–वर्तमान व्यापार देय राशियों को इंड एएस 109, 'वित्तीय साधनों' के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा जाता है। कंपनी ने कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण को संरेखित करने हेतु देय व्यापार के वर्तमान/ गैर–वर्तमान वर्गीकरण को संशोधित किया है। परिणामस्वरूप, गैर–वर्तमान व्यापार देय राशि को वर्तमान मूल्य से छूट दी गई है क्योंकि वे पूंजीगत कार्य प्रगति पर/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और बेची गई वस्तुओं की लागत पर संबंधित प्रभाव के साथ कोई ब्याज नहीं लेते हैं। इसके अलावा, व्यापार देय पर छूट को समाप्त करने पर ब्याज लागत को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी गई है।

इस समायोजन से निम्नलिखित वित्तीय विवरण लाइन मदों को प्रभावित किया गया है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को
तुलन पत्र में प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,996.50)	(1,354.46)
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	553.49	-
गैर–वर्तमान व्यापार देय	(5,370.27)	3,750.93
वर्तमान व्यापार देय	4,909.75	(5,297.46)
प्रतिधारण राशि	**(982.49)**	**192.07**

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण में प्रभाव	
वित्तीय लागत	59.53
बेचे गए सामान की लागत	1,115.02
कर से पहले लाभ	(1,174.55)

(iii) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अज्ञात में उधार लेने की लागत को पूंजीकृत कर दिया, जो सीधे योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। तदनुसार, कंपनी ने उधार लागत को कम कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति में कमी आई है और वित्तीय लागत में 192.17 लाख रुपए की वृद्धि हुई है।

(iv) इन समायोजनों का आस्थगित कर व्यय और आस्थगित कर दायित्व पर परिणामी प्रभाव पड़ा। 1 अप्रैल 2018 तक, आस्थगित कर देयताओं में 681.23 लाख रुपए की गिरावट आई, साथ ही प्रतिधारित आय में कमी आई। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, आस्थगित कर व्यय और आस्थगित कर देयता में 941.27 लाख रुपए की गिरावट आई।

(v) वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता बढ़ाने हेतु तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं।

आय प्रति शेयर

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर मूल और अवित्तीय आय नीचे के रूप में बदल गई है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
मूल आय प्रति इक्विटी शेयर (रुपए)	1.46	(0.24)	1.21
तनुकृत आय प्रति इक्विटी शेयर (रुपए)	1.11	0.08	1.19

40 उचित मूल्य निर्धारण

क) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

कंपनी की सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताओं जैसे ऋण, नकदी और नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेष राशियां, बिल न किए गए राजस्व और व्यापार और अन्य प्राप्य, उधार, देय प्रतिधारण राशि, व्यय के लिए देयता और अन्य देय राशि को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ख) उचित मूल्य अनुक्रम

परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकट किया जा रहा है, कंपनी ने इन्हें इंड एएस 113, 'उचित मूल्य निर्धारण' विवरण के तहत निर्धारित स्तरों में वर्गीकृत किया है। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

विवरण	स्तर 2*	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय परिसंपत्तियां :		
प्रतिभूति जमा	703.18	633.96
गैर भुगतानित राजस्व	7,025.88	3,961.72
कर्मचारियों को ऋण	357.24	200.55
वित्त पट्टा प्राप्तियां	10,034.49	4,713.03
बैंक में जमा	114.56	16.38
कुल	**18,235.35**	**9,525.64**
वित्तीय देयताएं :		
उधारी	456,017.97	291,039.18
प्रतिधारण राशि	42,494.52	65,682.89
व्यापार देय	130,898.35	150,295.93
कुल	**629,410.84**	**507,018.00**

*वित्तीय साधनों, जो सक्रिय बाजार का उचित मूल्य पर मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के प्रयोग को अधिकतम करता है और कंपनी – विशेष के अनुमानों पर कम से कम संभव पर निर्भर करता है। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी उल्लेखनीय इनपुट अवलोकन योग्य हैं तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक :

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए (प्रतिभूतिजमा, कर्मचारी ऋण, बिल न किए गए राजस्व) – रियायती भविष्य के नकदी प्रवाह; छूट के लिए उपयोग की जाने वाली प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि के अनुसार उचित बाजार दर।

(ii) वित्तीय देयताओं के लिए (प्रतिधारण राशि देयताएं, डिबेंचर, विदेशी मुद्रा ऋण) : रियायती नकदी प्रवाह्य छूट के लिए उपयोग की जाने वाली प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इकाई की उपयुक्त बाजार उधार दर।

घ) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	ले जाई गई राशि	उचित मूल्य	ले जाई गई राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां :				
प्रतिभूति जमा	692.34	703.18	624.34	633.96
गैर भुगतानित राजस्व	6,644.06	7,025.88	2,896.67	3,961.72
कर्मचारियों को ऋण	357.24	357.24	233.95	200.55
वित्त पट्टा प्राप्तियां	10,034.49	10,034.49	4,713.03	4,713.03
गैर–वर्तमान बैंक में जमा	114.56	114.56	16.38	16.38
कुल	**17,842.69**	**18,235.35**	**8,484.37**	**9,525.64**
वित्तीय देयताएं :				
गैर–वर्तमान उधारी	470,909.75	456,017.97	301,900.57	291,039.18
प्रतिधारण राशि	41,466.52	42,494.52	56,226.18	65,682.89
व्यापार देय	129,003.66	130,898.35	145,305.57	150,295.93
कुल	**641,379.93**	**629,410.84**	**503,432.32**	**507,018.00**

पूंजीगत व्यय, नकद और नकदी समतुल्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं के लिए वर्तमान व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, देय राशि की वहन राशि को उनकी अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

प्रतिभूति जमा, बिना बिल की आय, कर्मचारी सावधि ऋण, उधार और प्रतिधारण राशि के उचित मूल्यों की गणना एक विशेषज्ञ बाहरी एजेंसी के माध्यम से किए गए वर्तमान उधार देने की दर/उधार लेने की दर का उपयोग करते हुए छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अवलोकनीय बाजार आदानों के उपयोग के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर 2 के उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

41 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में विदेशी के साथ–साथ घरेलू मुद्रा, व्यापार देय और अन्य देय ऋण और उधार शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन कंपनी के प्रचालनों को वित्तपोषित करना है। कंपनी की मूल वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं।

वित्तीय साधनों के उपयोग से कंपनी को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता है :

– क्रेडिट जोखिम

– नकदी जोखिम

– तरलीकरण जोखिम''

इस टिप्पणी में उपरोक्त प्रत्येक जोखिम हेतु कंपनी के जोखिम, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम को मापने और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया जाता है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व, ऋण और अग्रिम, नकद और नकदी समतुल्य और बैंकों के पास जमा राशियों से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य और गैर भुगतानित राजस्व

कंपनी अपना राजस्व मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) से कमाती है। चूंकि ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, ऐसे प्राप्तियों से जुड़े प्रतिपक्ष जोखिम को महत्वहीन माना जाता है।

बाकी ग्राहकों के लिए, कंपनी बकाया की अवधि, विशिष्ट क्रेडिट परिस्थितियों, ग्राहकों का स्वरूप और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता को ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है।

कंपनी द्वारा आजीवन ईसीएल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए क्षति हानि भत्ता का आकलन किया जाता है जो उस व्यापारों के वातावरण पर आधारित होता है जिसमें कंपनी संचालित होती है। व्यापार प्राप्तियों को डिफॉल्ट (क्रेडिट क्षति) माना जाता है, जब ऊपर बताए गए मापदंडों पर आकलन / मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तियों की वसूली की संभावना बिगड़ रही है और उन्हें व्यवस्थित तरीके से संदिग्ध प्राप्तियों हेतु भत्ते के रूप में प्रदान करना आवश्यक है।

कंपनी ने पिछले वर्षों में व्यापार प्राप्तियों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण क्षति की हानि का अनुभव नहीं किया है। चूंकि कंपनी के ग्राहक भारत के विभिन्न राज्यों में हैं, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

कर्मचारियों को ऋण

कंपनी ने कर्मचारियों को ऋण दिया है। कंपनी कर्मचारियों को पूर्ण और अंतिम भुगतान के बदले बकाया के निपटान के माध्यम से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम के संबंध में अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करती है।

नकद और नकदी समतुल्य

कंपनी के पास 33,106.74 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 42,482.84 लाख रुपए) के नकद और नकदी समतुल्य थे। नकद और नकदी समतुल्य उच्च रेटिंग वाले बैंकों के पास रखे जाते हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशियां

कंपनी के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 30,142.49 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 33,592.87 लाख रुपए) की जमा राशियां थी। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों / संस्थानों में जमाराशियां रखती है।

(i) ऋण जोखिम का सामना करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम था :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों का उपयोग करते हुए मापा जाता है।		
गैर–वर्तमान ऋण	383.56	493.95
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां*	8,540.23	3,917.19
नकद और नकदी समतुल्य	33,106.74	42,482.84
बैंकों के साथ जमा	30,027.93	33,576.49
वर्तमान ऋण	666.02	364.34
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां*	3,858.23	6,029.13
कुल	**76,582.71**	**86,863.94**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को जीवनकाल में संभावित हानियों का प्रयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	276,685.99	183,148.24
गैर भुगतानित राजस्व	6,644.06	2,896.67
कुल	283,330.05	186,044.91

* गैर भुगतानित राजस्व को छोड़कर

(ii) व्यापार प्राप्यों का प्रभावन विश्लेशण

लाख रु. में

विवरण	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 दिन बाद	कुल
31 मार्च 2020 तक सकल राशि	48,976.78	14,922.86	9,831.22	12,035.72	192,358.96	278,125.54
31 मार्च 2019 तक सकल राशि	36,882.44	19,679.94	5,137.24	15,452.68	106,389.23	183,541.53

41 वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(iii) **संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान**

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 माह की संभावित हानियों का उपयोग करते हुए मापा जाता है।

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनमें प्रतिपक्षी पार्टी के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और जिनमें चूक का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए किसी नुकसान भत्ते को मान्यता नहीं दी गई।

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को जीवन के समय में संभावित हानियों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है

कंपनी के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम कम है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो पिछले देय हैं, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय हैं। जबकि, कंपनी ने 31 मार्च 2020 (31 मार्च 2019 : 196.65 लाख रुपए) को समाप्त वर्ष के दौरान 196.65 लाख रुपए की संदिग्ध प्राप्य राशि के प्रावधान को मान्यता दी है।

इसके अलावा, कंपनी गैर–सरकारी नियंत्रित ग्राहकों के ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और ने ऐसे ग्राहकों के संबंध में उनके ऋण जोखिम का आकलन /मूल्यांकन लंबित रहने के संबंध में 30 सितंबर 2019 तक 360 दिनों से अधिक के लिए बकाया राशि के संबंध में 849.61 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा हानि भत्ते को मापा और अनुशंसित किया जाता है

सी एण्ड एजी ने 18 अक्तूबर 2017 की अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार/डीईआरसी से सब्सिडी प्राप्त नहीं होने के कारण 1,650.00 लाख रुपए के प्रावधान की सिफारिश की थी। जबकि, कंपनी ने प्रावधान नहीं किया है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि वसूली संबंधित प्राधिकारी के साथ की जा रही है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और वे अपने बकाया की वसूली के लिए आश्वस्त हैं।

(iv) **संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते का विनियोजन**

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के संबंध में संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते में आवागमन इस प्रकार है।

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेष	393.29	196.64
जोड़ें : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	1,046.26	196.65
समापन शेष	1,439.55	393.29

ख) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दरों से कंपनी की आय प्रभावित होगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मानकों के अंदर जोखिम का प्रबंधन और बाजार जोखिम नियंत्रण करना है, जबकि रिटर्न का अनुकूलन करना है।

निदेशक मंडल कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे सभी लेन–देन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत किए जाते हैं।

(i) ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्यतः फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ गैर वर्तमान उधारों से उठने वाले ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित हैं। कंपनी ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधारों के साथ संबद्ध नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तनों के साथ घटे बढ़ेंगे। कंपनी विभिन्न शर्तों के साथ विभिन्न प्रकार की ऋण व्यवस्थाओं में प्रवेश करके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है (जैसे निश्चित दर ऋण, फ्लोटिंग दर ऋण, रुपया अवधि ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, आदि)।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के परिवर्ती ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय परिसंपत्ति		
नियत दर के साधन		
कर्मचारी ऋण	169.46	57.38
कुल	169.46	57.38
वित्तीय देयताएं		
निश्चित दर के साधन		
विदेशी मुद्रा ऋण	57,222.66	47,099.92
डिबेंचर	115,000.00	127,500.00
अल्पावधि ऋण	75,000.00	25,179.08
	247,222.66	199,779.00
परिवर्तनीय -दर के साधन		
विदेशी मुद्रा ऋण	159,171.93	81,661.00
रुपया सावधि ऋण	132,965.47	39,997.59
अल्पावधि ऋण	4,000.00	37,499.92
	296,137.40	159,158.51
कुल	543,360.06	358,937.51

नियत दर वाले साधनों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के नियत दर वाले साधनों को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर साधनों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज दरों में 50 आधार अंकों के परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों से लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होती। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी परिवर्तनीय, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा दरों में स्थिर रहते हैं। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया जाता है।

लाख रु. में

विवरण	लाभ और हानि (कर से पहले)			
	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
विदेशी मुद्रा ऋण	(795.86)	795.86	(408.31)	408.31
रुपया सावधि ऋण	(664.83)	664.83	(199.99)	199.99
अल्पावधि ऋण	(20.00)	20.00	(187.50)	187.50
कुल	(1,480.69)	1,480.69	(795.79)	795.79

(ii) वित्तीय जोखिम

कंपनी कुछ लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं, इसलिए विनिमय दर में उतार–चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग–अलग होगा।

31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को वित्तीय देयताओं की मुद्रा रूपरेखा नीचे दी गई है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को			31 मार्च 2019 को		
	यूरो	यूएसडी	जीबीपी	यूरो	यूएसडी	जीबीपी
वित्तीय देयताएं						
विदेशी मुद्रा उधार	57,562.16	159,859.31	-	47,385.00	81,875.23	-
देय प्रतिबद्धता शुल्क	119.72	83.88	-	80.00	158.24	-
व्यापार देय	-	-	17.44	-	-	8.17
कुल	**57,681.88**	**159,943.19**	**17.44**	**47,465.00**	**82,033.47**	**8.17**
वित्तीय परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्तियां	-	-	1,338.16	-	-	578.54
बैंक–वर्तमान खाते में शेष राशि	-	9,054.97	6.77	-	2,017.42	38.97
कुल	-	9,054.97	1,344.93	-	2,017.42	617.51
निवल एक्सपोजर	**57,681.88**	**150,888.22**	**(1,327.49)**	**47,465.00**	**80,016.05**	**(609.34)**

संवेदनशीलता का विश्लेषण

31 मार्च को यूरो, यूएसडी और जीबीपी के मुकाबले भारतीय रुपए की मजबूती, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, नीचे दिखाई गई राशियों से लाभ या हानि (कर से पहले) में वृद्धि/(कमी) होगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्नताओं पर आधारित है जिसे कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील, विशेष रूप से ब्याज दरों में स्थिर रहते हैं। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया जाता है।

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	मजबूती	कमी	मजबूती	कमी
10 प्रतिशत आवागमन				
भारतीय रुपए / ईयूआर	5,768.19	(5,768.19)	4,746.50	(4,746.50)
भारतीय रुपए / यूएसबी	15,088.82	(15,088.82)	8,001.61	(8,001.61)
भारतीय रुपए /जीबीपी	(132.75)	132.75	(60.93)	60.93
कुल	**20,724.26**	**(20,724.26)**	**12,687.17**	**(12,687.17)**

ग) तरलीकृत जोखिम

तरलीकृत जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम के जोखिम के बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने हेतु हमेशा पर्याप्त तरलता होगी।

कंपनी के पास लघु, मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषण और चलनिधि प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन हेतु एक उपयुक्त तरलीकृत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा है। कंपनी निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा का मिलान करके पर्याप्त नकदी भंडार, बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

आम तौर पर कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित, 60 दिनों की अवधि के लिए अपेक्षित परिचालन व्ययों को पूरा करने हेतु पर्याप्त नकदी है, इसमें उन चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं।

(i) वित्तीय व्यवस्था

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित निकासी न की गई उधार सुविधाओं के लिए पहुंच थी।

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
नियत दर ऋण		
विदेशी मुद्रा ऋण	178,700.98	181,436.83
कार्यशील पूंजी ऋण	25,000.00	14,400.00
संपूर्ण	203,700.98	195,836.83
अस्थायी–दर उधारी		
सावधि ऋण	17,000.00	10,002.41
विदेशी मुद्रा ऋण	157,448.85	208,762.33
कार्यशील पूंजी ऋण	-	2,500.10
कुल	174,448.85	221,264.84
कुल	**378,149.83**	**417,101.67**

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं :

31 मार्च 2020 को लाख रु. में

विवरण	3 माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–वर्तमान उधार*	7,289.59	54,053.82	81,634.01	231,976.01	185,087.54	560,040.97
वर्तमान उधार*	24,359.05	58,963.45	-	-	-	83,322.50
व्यापार देय	123,723.75	1,734.11	2,072.09	4,205.16	59.55	131,794.66
प्रतिधारण धन	28,995.27	3,657.47	4,017.16	7,162.36	103.04	43,935.30
पट्टा देयताएं	523.02	1,329.21	1,272.51	464.46	-	3,589.20
व्ययों के लिए देयता	4,141.32	-	-	-	-	4,141.32
कर्मचारियों को देय	14.67	-	-	-	-	14.67
अन्य	325.56	585.27	-	-	-	910.83
कुल	**189,372.23**	**120,323.33**	**88,995.77**	**243,807.99**	**185,250.13**	**827,749.45**

31 मार्च 2019 को लाख रु. में

विवरण	3 माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–वर्तमान उधार*	4,360.57	37,277.59	40,029.99	170,447.16	135,117.51	387,232.82
वर्तमान उधार*	26,808.69	38,227.92	-	-	-	65,036.61
व्यापार देय	136,765.76	2,121.26	2,332.99	5,000.96	1,795.38	148,016.35
प्रतिधारण धन	1,868.79	16,946.77	15,003.01	19,632.53	2,775.08	56,226.18
व्ययों के लिए देयता	2,333.37	-	-	-	-	2,333.37
कर्मचारियों को देय	762.79	-	-	-	-	762.79
अन्य	378.62	430.81	-	-	-	809.43
कुल	**173,278.59**	**95,004.35**	**57,365.99**	**195,080.65**	**139,687.97**	**660,417.55**

*संविदात्मक रूप से प्रतिबद्ध हित शामिल हैं।

42 पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंध करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

– जारी कंपनी के रूप में जारी करने के लिए इसकी क्षमता को सुरक्षित करना; ताकि यह शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य शेयरधारकों हेतु लाभ प्रदान करना जारी रख सके और

– ऋण और इक्विटी की उपयुक्त पूंजी संरचना बनाए रखना।

निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखें और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अवसरों का लाभ उठाकर धन की निर्गमन और सोर्सिंग में विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से पूंजी की लागत को कम करें ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजारों के विश्वास को बनाए रखा जा सके और व्यापार के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की निगरानी भी करता है।

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, कंपनी को निम्नलिखित वित्तीय अनुबंधों का पालन करना आवश्यक है :

(i) कम से कम 1.0 गुना का वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसंपत्ति को वर्तमान देयताओं से विभाजित) बनाए रखें।

(ii) 1.00 गुना की न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज बनाए रखें।

(iii) एक ऋण अनुरक्षित करना : इक्विटी अनुपात (संचित लाभ / हानि के इक्विटी निवल द्वारा विभाजित दीर्घकालिक ऋण) 80:20 से अधिक नहीं है।

(iv) कम से कम 1.2 के एक परिसंपत्ति ऋण सेवा कवरेज अनुपात (सभी मूल भुगतान और कर–संरक्षित ब्याज और पट्टा भुगतान सहित ऋण सेवा दायित्वों से विभाजित संचालन से निवल नकदी प्रवाह) बनाए रखें।

(v) उधारकर्ता को स्टॉक विस्तार के साथ–साथ बैंक को सूचित करना होगा यदि उनके लाभ या व्यापार पर पर्याप्त प्रभाव का अर्थ 20 प्रतिशत या अधिक का प्रतिकूल अंतर है।''

कंपनी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी आम तौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय अनुपातों की संख्या के आधार पर, तीन से पांच वर्ष के मध्यम अवधि के दृश्य का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है।

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्तमान अनुपात[1]	1.36	1.27
ऋण–इक्विटी अनुपात[2]	3.73	3.44
ऋण सेवा कवरेज अनुपात[3]	1.88	3.73
परिसंपत्ति कवरेज अनुपात[4]	3.33	6.00

1. वर्तमान देयताओं (31 मार्च 2020 – 316,056.81 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 269,910.31 लाख रुपए) द्वारा विभाजित वर्तमान परिसंपत्ति (31 मार्च 2020– 430,671.28 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 342,182.86 लाख रुपए)
2. इक्विटी द्वारा विभाजित ऋण। ऋण में बॉन्ड और दीर्घावधि के उधार शामिल हैं जो वर्तमान परिपक्वता (31 मार्च 2020 – 422,995.27 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 279,188.06 लाख रुपए) के निवल हैं और इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी (31 मार्च 2020– 113,511.78 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 81,143.78 लाख रुपए) शामिल हैं
3. ऋण भुगतान द्वारा (मूल धन के भुगतान और ब्याज और दीर्घावधि के उधार से संबंधित वित्त प्रभार) (31 मार्च 2020 – 44,009. 19 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 18,523.80 लाख रुपए) विभाजित मूल्यह्रास, ब्याज और कर (31 मार्च 2020– 82,780.35 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 69,041.84 लाख रुपए) से पहले लाभ।
4. प्रतिभूत सावधि ऋण (बॉन्ड सहित) (31 मार्च 2020– 120,500.00 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 50,000.00 लाख रुपए) से विभाजित गैर–वर्तमान मूर्त परिसंपत्ति (परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य–प्रगति) (31 मार्च 2020– 401,516.63 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 300,152.72 लाख रुपए)

43 कंपनी द्वारा जारी किए गए गैर–परिवर्तनीय बॉन्ड की श्रृंखला सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निधियां जुटाई जाती हैं। कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर की स्वरूप में प्रतिदेय, कर योग्य, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय बॉन्ड का विवरण इस प्रकार है :

लाख रु. में

श्रृंखला	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	जारी कुल आकार	प्रत्येक बॉन्ड का अंकित मूल्य	आबंटित तिथि	मूल पुनः भुगतान की अगली देय तिथि	वार्षिक ब्याज की अगली देय तिथि
श्रृंखला-I	प्रतिभूत*	37,500.00	₹ 30.00 लाख**	20-सितंबर-16	20-सितंबर-21	20-सितंबर-20
श्रृंखला-II	अप्रतिभूत	45,000.00	₹ 10.00 लाख	18-जुलाई-17	18-जुलाई-22	18-जुलाई-20
श्रृंखला-III	अप्रतिभूत	20,000.00	₹ 10.00 लाख	10-जनवरी-18	10-फरवरी-21	10-जनवरी-21
श्रृंखला-IV	अप्रतिभूत	12,500.00	₹ 10.00 लाख	29-जनवरी-18	28-मई-21	29-जनवरी-21

*श्रृखला –। कंपनी की चल अचल परिसंपत्तियों पर 1.00 गुना की न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज के साथ पहले समान समय के प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

**श्रृंखला–। के प्रत्येक बॉन्ड में 10.00 लाख रुपए के मूल्य का 1 एसटीआरपीपी और 20.00 लाख के मूल्य का 1 एसटीआरपीपी शामिल है।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार जारी किए गए बॉन्डों के लिए कंपनी डिबेंचर मोचन रिजर्व बना रही है।

44 भारतीय लेखाकरण मानक 24 - ''संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) संबंधी पार्टियों की सूची :

(i) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाली इकाइयां :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एनटीपीसी लिमिटेड

आरईसी लिमिटेड

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

रजत कुमार सूद	प्रबंध निदेशक	7 अक्तूबर 2020 से प्रभावी
सौरभ कुमार	कार्यकारी उपाध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार)	1 अगस्त 2020 से प्रभावी
सौरभ कुमार	प्रबंध निदेशक	7 मई 2013 से 30 नवंबर 2019 तक प्रभावी
सौरभ कुमार	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1 दिसंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी
शंकर गोपाल	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1 अगस्त 2020 से 7 अक्टूबर 2020 तक प्रभावी
राजीव शर्मा	निदेशक और अध्यक्ष	5 फरवरी 2018 से प्रभावी
राज पाल	नामित निदेशक	14 जुलाई 2016 से प्रभावी
विजय कुमार सिंह	नामित निदेशक	21 अक्तूबर 2016 से 14 नवंबर 2018 तक प्रभावी
मोहित भार्गव	नामित निदेशक	5 फरवरी 2018 से 30 मई 2020 तक प्रभावी
संजीव गर्ग	नामित निदेशक	21 अक्तूबर 2018 से 16 मार्च 2020 तक प्रभावी
अभय बाकरे	नामित निदेशक	8 मई 2018 से प्रभावी
सी. के. मोंडाल	नामित निदेशक	30 मई 2020 से 13 अगस्त 2020 तक प्रभावी
राजू लक्ष्मण	नामित निदेशक	1 मई 2020 से प्रभावी
आदित्य डार	नामित निदेशक	22 अगस्त 2020 से प्रभावी
सीतापति चंदर	स्वतंत्र निदेशक	5 फरवरी 2018 से 3 अगस्त 2020 तक प्रभावी
गौरी सुरेंद्र त्रिवेदी	स्वतंत्र निदेशक	5 फरवरी 2018 से 4 अगस्त 2020 तक प्रभावी
रेणु नारंग	निदेशक (वित्त)	1 मार्च 2018 से 23 जनवरी 2019 तक प्रभावी
वेंकटेश द्विवेदी	निदेशक (पी एंड बीडी)	7 फरवरी 2019 से प्रभावी
शंकर गोपाल	निदेशक (वाणिज्य)	7 फरवरी 2019 से प्रभावी
शंकर गोपाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	8 जून 2016 से 5 अप्रैल 2018 तक प्रभावी
रेणु नारंग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	6 अप्रैल 2018 से 23 जनवरी 2019 तक प्रभावी
शंकर गोपाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	7 फरवरी 2019 से प्रभावी
पूजा शुक्ला	कंपनी सचिव	27 दिसंबर 2012 से प्रभावी

(iii) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाली इकाइयों की सहायक कपंनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां :

यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

(iv) कंपनी की सहायक कंपनी :

ईईएसएल एनजी प्रो एसेट्स लिमिटेड

(v) कंपनी के संयुक्त उद्यम :

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड
इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(vi) कंपनी की सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियां

ईपीएएल होल्डिंग लिमिटेड
एडिना एक्विजिशन लिमिटेड
एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड
एडिना लिमिटेड
एडिना यूके लिमिटेड
एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड
आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड
स्टैनबेक लिमिटेड
एडिना पावर लिमिटेड
एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड
ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड

एनेको एनर्जी सर्विसेज (साउथ) लिमिटेड

सीटन एनर्जी लिमिटेड

(vii) रोजगार के बाद लाभ की योजनाएं : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कर्मचारी समूह अधिवर्षिता हेतु परिभाषित की गई अंशदान योजना ट्रस्ट

(viii) एक ही सरकार के नियंत्रण में इकाइयां :

कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा अपनी नियंत्रित इकाइयों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है (टिप्पणी 17 देखें)। भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, जिन इकाइयों पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित इकाइयों के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी इकाइयां जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन हैं, उनमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, सीमेंट भारतीय निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारत पर्यटन विकास निगम, एनबीसीसी लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ख) संबंधी पक्षकारों की सूची :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा प्राप्त जनशक्ति सेवाएं		
यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड	2,137.47	1,984.82
माल और सेवाओं की बिक्री		
एनटीपीसी लिमिटेड	4,559.41	5,873.43
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	805.14	2,257.51
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड	351.42	728.75
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10.80	8.11
ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	4.71	-
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	390.28	515.35
एनएचपीसी लिमिटेड	372.38	347.32
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	330.61	328.81
एसजेवीएन लिमिटेड	278.14	368.99
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	112.17	14.68
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	25.93	10.52
आरईसी लिमिटेड	-	2.47
कुल	**7,240.99**	**10,455.94**
वस्तु और सेवा की खरीद		
ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	685.48	-
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	5,981.00	9,329.00
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	25.99	5,026.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	59.81	0.59
भारत पर्यटन विकास निगम	56.76	-
कुल	**6,809.04**	**14,355.59**
किराया		
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	112.00	111.73
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	1,647.79	828.36
एनटीपीसी लिमिटेड	308.33	-
एनबीसीसी लिमिटेड	46.52	-
कुल	2,114.64	940.09

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
समूह की कंपनियों की ओर से किया गया व्यय		
एडिना यूके लिमिटेड	26.57	-
ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	1.70	-
कुल	28.27	-
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति		
एनटीपीसी लिमिटेड	57.24	680.32
प्राप्त इक्विटी योगदान		
एनटीपीसी लिमिटेड	21,811.00	-
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,841.40	1,520.44
आरईसी लिमिटेड	7,160.00	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	9,900.00
कुल	**30,812.40**	**11,420.44**
सहायक कंपनियों में निवेश		
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	-	7,762.05
इंटेलीसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 4 (ग) देखें)	-	-
कुल	**-**	**7,762.05**

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
एनटीपीसी लिमिटेड	447.32	401.04
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	236.87	401.04
आरईसी लिमिटेड	210.45	239.32
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	54.15	61.59
कुल	**948.79**	**1,102.99**
गारंटी शुल्क प्राप्त		
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	651.04	361.37
प्रबंधन शुल्क प्राप्त		
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	91.14	66.18
एडिना यूके लिमिटेड	288.18	268.11
प्रदान की गई गारंटी (टिप्पणी 49 देखें)		
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	18,604.60	21,261.77
रोजगार के बाद लाभ योजना के साथ लेनदेन		
वर्ष के दौरान किए गए योगदान	221.41	208.42
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को मुआवजा (केएमपी)		
अल्पकालिक लाभ	203.48	140.75
रोजगार के बाद के लाभ	30.23	15.92
अन्य दीर्घकालिक लाभ	33.86	0.40
कुल	267.57	157.07

ग) संबंधित पार्टियों के पास बकाया शेष इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूली योग्य राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड	4,320.28	4,349.98
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,448.16	1,564.61
आरईसी लिमिटेड	108.58	156.63
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	213.67	133.16
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	79.27	103.34
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	-	2.32
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	-	133.57
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	-	0.08
कुल	**6,169.96**	**6,443.69**
वसूली योग्य राशि (ऋण के अलावा)		
ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड	1,653.66	952.11
एडिना यूके लिमिटेड	209.08	182.68
ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	181.44	206.78
कुल	**2,044.18**	**1,341.57**
देय राशि (ऋण के अलावा)		
यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड	336.00	27.49
केएमपी को बकाया मुआवजा	1.21	-
प्रदान की गई गारंटी (टिप्पणी 49 देखें)		
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	**38,961.61**	**20,357.01**

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के शर्तें और निबंधन :

(1) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन सामान्य वाणिज्यिक शर्तें और निबंधनों पर और बाजार दरों पर किए जाते हैं।

(2) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए संविदा या व्यवस्था या लेनदेन जो कम दूरी के आधार पर थे।

(3) कंपनी मेसर्स यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) से जनशक्ति सेवाएं प्राप्त कर रही है, जो एनटीपीसी लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है।

(4) कंपनी परामर्श (कंसल्टेंसी) सेवाएं प्रदान करती है और संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों को सामान बेचती है जिस पर वह ऐसी कंपनियों से लागत और सेवा शुल्क वसूल करती है।

(5) वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों की बकाया राशि असुरक्षित और ब्याज मुक्त होती है और निपटान नकद में होता है। कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा देय राशियों से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्ष की वित्तीय स्थिति और बाजार की जांच के माध्यम से किया जाता है जिसमें संबंधित पक्ष संचालित होते हैं।

44. भारतीय लेखाकरण मानक 24 - ''संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) निर्धारित योगदान योजनाएं

(i) भविष्य निधि

कंपनी सरकार द्वारा प्रशासित एक पंजीकृत भविष्य निधि को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करती है। भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान से संबंधित 153.15 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 82.09 लाख रुपए) की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी 34 में ''कर्मचारी लाभ व्यय'' में शामिल किया गया है।

(ii) सेवानिवृत्ति निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को सेवानिवृत्ति निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। सेवानिवृत्ति निधि में नियोक्ता के योगदान से संबंधित 221.41 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 213.91 लाख रुपए) की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी 34 में ''कर्मचारी लाभ व्यय'' में शामिल किया गया है।

ख) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ - अवकाश नकदीकरण

कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश (ईएल) लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति हित) प्रदान करती है जो प्रतिवर्ष 30 दिनों में अर्जित होता है। सेवानिवृत्ति/पृथक्करण पर अधिकतम 300 दिनों (अर्जित अवकाश) के अधीन अवकाश नकदीकरण की अनुमति है। कंपनी ऐसी अनुपस्थिति की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तथा संचित अवकाश को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। यह योजना निधिरहित है और इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए 354.59 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : (–) 100.11 लाख रुपए) की राशि की गई है और लाभ और हानि के विवरण में डेबिट की गई है।

ग) निर्धारित लाभ की योजनाएं - ग्रेच्युटी

कंपनी अपने नियमित कर्मचारियों के लिए एक ग्रेच्युटी योजना संचालित करती है जो अलग होने के समय कंपनी के साथ योग्यता वेतन और कंपनी के साथ सेवा के पूर्ण वर्षों से जुड़े एकमुश्त लाभ प्रदान करती है। नियमित कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उसे अपनी सेवानिवृत्ति या संगठन से अलग होने के समय, जो भी पहले हो, ग्रेच्युटी प्राप्त करने की पात्रता है। नियमित कर्मचारी को देय उपदान लाभ की गणना ''ग्रेच्युटी (उपदान) भुगतान अधिनियम, 1972'' के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ एक कोष स्थापित किया है और एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा जारी ग्रेच्युटी पॉलिसी में योगदान दिया जाता है। इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका में ग्रेच्युटी योजना की स्थिति और तुलनपत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को निर्धारित किया जाता है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
निर्धारित लाभ की योजनाएं – ग्रेच्युटी	116.90	140.02
कुल	116.90	140.02
गैर वर्तमान	113.95	136.73
वर्तमान	2.95	3.29

(i) **निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में उतार-चढ़ाव**

लाख रु. में

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति)
1 अप्रैल 2019 तक शेष राशि	272.12	132.10	140.02
लाभ या हानि में शामिल :			
वर्तमान सेवा लागत	117.82	-	117.82
पिछली सेवा लागत	-	-	-
निवल सेवा लागत	21.09	16.42	4.67
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	138.91	16.42	122.49
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल :			
इससे उत्पन्न होने वाली पुनः मापन हानि/(लाभ) :			
वित्तीय धारणाएं	85.21	-	85.21
अनुभव समायोजन	(93.14)	-	(93.14)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी	-	4.18	(4.18)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(7.93)	4.18	(12.11)
अन्य			
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया योगदान	-	148.10	(148.10)
अधिग्रहण समायोजन	14.60	-	14.60
योजना परिसंपत्तियों में समायोजन	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(9.59)	(9.59)	-
31 मार्च 2020 तक शेष राशि	408.11	291.21	116.90

लाख रु. में

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति)
1 अप्रैल 2018 तक शेष राशि	142.27	6.51	135.76
लाभ या हानि में शामिल :			
वर्तमान सेवा लागत	74.89	-	74.89
पिछली सेवा लागत	-	-	-
निवल सेवा लागत	11.09	1.00	10.09
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	85.98	1.00	84.98
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल :			
इससे उत्पन्न होने वाली पुनः मापन हानि/(लाभ) :			
वित्तीय धारणाएं	2.15	-	2.15
अनुभव समायोजन	38.74	-	38.74
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी		6.86	(6.86)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	40.89	6.86	34.03
अन्य			
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया योगदान	-	114.20	(114.20)
अधिग्रहण समायोजन	5.70	-	5.70
योजना परिसंपत्तियों में समायोजन	-	6.25	(6.25)
भुगतान किया गया लाभ	(2.72)	(2.72)	-
31 मार्च 2019 तक शेष राशि	272.12	132.10	140.02

(ii) योजना परिसंपत्तियां

कंपनी की योजनागत परिसंपत्ति का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी के दायित्वों को पूरा करने हेतु ली गई बीमा पॉलिसी के रूप में किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 तक योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिदान 20.60 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 7.86 लाख रुपए) है।

(iii) बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
छूट की दर	6.75%	7.75%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.00%
सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
निःशक्तता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	100% of IALM (2006 - 08)	
निकासी दर		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2.00%	2.00%
44 वर्ष से ऊपर	1.00%	1.00%

बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों पर विचार किया जाता है।

(iv) **संवेदनशीलता का विश्लेषण**

अन्य अनुमानों को स्थिर रखने वाले संगत बीमांकिक मान्यताओं में से किसी एक को रिपोर्टिंग तिथि पर यथोचित संभावित परिवर्तन, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करते है।

विवरण	वृद्धि	कमी
31 मार्च 2020 को		
छूट दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	(32.21)	35.86
वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	32.22	(30.22)
31 मार्च 2019 को		
छूट दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	(20.77)	23.10
वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	23.39	(21.19)

यद्यपि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का हिसाब नहीं लिया जाता है, फिर भी इसमें दिखाए गए अनुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसे तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव की बाह्य गणना की जाती है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलग होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध किया जा सकता है।

(v) जोखिम प्रकटिकरण

छूट की दर में परिवर्तन : बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।

वेतन वृद्धि : वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। वेतन में वृद्धि से भविष्य में मूल्यांकन में अनुमान देयता में वृद्धि होगी।

जीवन प्रत्याशा : योजना दायित्व सदस्य के जीवन के लिए लाभ प्रदान करना है, इसलिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के परिणामस्वरूप योजनाओं की देयताओं में वृद्धि होगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुद्रास्फीति में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता होती है।

निवेश जोखिम – देयता में बेमेल और परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख पर अनुमानित रियायत दर से कम है तो देयता को प्रभावित कर सकती है।

(vi) भविष्य के वर्षो में परिभाषित लाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	2.95	3.30
1–2 वर्ष के बीच	6.05	2.50
2–5 वर्ष के बीच	28.16	13.28
5 वर्ष से अधिक	370.95	253.04
कुल	**408.11**	**272.12**

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रोजगार के बाद लाभ योजनाओं में अपेक्षित योगदान 146.41 लाख रुपए है।

31 मार्च 2020 को परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 18.88 वर्ष (31 मार्च 2019 : 19.77 वर्ष) है।

46 भारतीय लेखाकरण मानक 20 - ''सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (''विश्व बैंक'') ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा (''जीईएफ'') की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए एसएपी के कार्यान्वयन के लिए 1,500,000 अमेरिकी डॉलर और अन्य परामर्श के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान स्वीकृत किया था। स्वीकृत राशि में से कुल 880.94 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त अनुदान से जुड़ी कोई अधूरी शर्तें या अन्य आकस्मिकताएं नहीं हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने विश्व बैंक से अनुदान के रूप में शून्य रुपए (31 मार्च 2019 : 290.73 लाख रुपए) प्राप्त किया है और 310.30 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 397.64 लाख रुपए) को अनुदान आय के रूप में मान्यता दी है (टिप्पणी 32 देखें)।

47 भारतीय लेखाकरण मानक 21 - ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'' के अनुसार प्रकटीकरण

लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किए गए विनिमय अंतर (निवल) की राशि 12,914.24 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : लाभ–हानि विवरण में 2,451.74 लाख रुपए जमा किए गए) है।

48 भारतीय लेखाकरण मानक 33 - ''प्रति शेयर आय'' के अनुसार प्रकटीकरण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय* (ए/बी)	0.29	1.21
प्रति शेयर परिवर्तित आय*	0.29	1.19
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य	10.00	10.00
*दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित		
क) इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (क), (लाख रुपए में)	**2,690.34**	**7,925.51**

ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का अथ शेष	675,204,350	462,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों का प्रभाव, यदि कोई हो	264,660,322	191,591,854
मूल ईपीएस (ख) के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	939,864,672	653,591,854
तनुकृत करने का प्रभाव	815,902	13,477,391
तनुकृत ईपीएस (ग) के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	940,680,574	667,069,246

49 भारतीय लेखाकरण मानक 33 - ''प्रति शेयर आय'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) प्रतिबद्धताएं

पूंजी/राजस्व खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदा का अनुमानित मूल्य और बही खातों में 1,350,584.52 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 1,383,403.70 लाख रुपए) प्रदान नहीं किया गया है।

ख) आकस्मिक देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(1) लंदन, यूके में मेसर्स ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड के पक्ष में आईसीआईसीआई बैंक, यूके के पक्ष में 5.5 मिलियन पाउंड का अपरिवर्तनीय स्टैंड बाय, 21 मार्च 2021 तक दावा समाप्ति के साथ कंपनी की गैर–निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा के प्रति 22 मार्च 2020 तक वैध।	5,119.18	4,976.16
(2) ईपीएएल द्वारा 12 मिलियन पाउंड का इक्विटी ब्रिज ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा यूके को ईईएसएल द्वारा दी गई 14 मिलियन पाउंड की कॉर्पोरेट गारंटी	13,030.64	12,666.58
(3) लंदन, यूके में मेसर्स ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड द्वारा 3.3 मिलियन पाउंड का इक्विटी ब्रिज ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यूके को दी गई 4 मिलियन पाउंड की कॉर्पोरेट गारंटी	3,723.04	2,714.27
(1) लंदन, यूके में मेसर्स ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड के पक्ष में आईसीआईसीआई बैंक, यूके के पक्ष में 10.71 मिलियन पाउंड का अपरिवर्तनीय स्टैंड बाय, 23 अप्रैल 2020 तक दावा समाप्ति के साथ कंपनी की गैर–निधि आधारित 10.50 मिलियन पाउंड बैंक गारंटी सीमा के प्रति 24 अप्रैल 2020 तक वैध।	9,968.44	-
(5) लंदन में मेसर्स ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड के पक्ष में आईसीआईसीआई बैंक, यूके के पक्ष में 7.65 मिलियन पाउंड की कॉर्पोरेट गारंटी, कंपनी की गैर–निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा 7.50 मिलियन पाउंड के प्रति 14 अप्रैल 2020 तक दावे की समाप्ति के साथ यूके 15 अप्रैल 2020 तक वैध है।	7,120.31	-
(6) कंपनी के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (विरोध के तहत भुगतान किया गया वैट)	7,876.26	9,291.06
(7) बैंक गारंटी – सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार	1,124.24	2,027.90
कुल	47,962.11	31,675.97

50 भारतीय लेखाकरण मानक 108 - ''प्रचालन खण्ड'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) सामान्य सूचना

कंपनी के दो रिपोर्ट करने योग्य खंड हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है, जो कंपनी की महत्वपूर्ण कार्यनीतिक व्यापारिक इकाइयां हैं। ये कार्यनीतिक व्यापारिक इकाइयां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की प्रस्तुति करती हैं, और उन्हें अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि उन्हें विभिन्न तकनीक और विपणन कार्यनीतियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यनीतिक व्यापार इकाई के लिए, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा कम से कम तिमाही आधार पर आंतरिक प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

निम्नलिखित सारांश में कंपनी के प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खंड में प्रचालन का वर्णन किया जाता है :

ट्रेडिंग : विभिन्न ग्राहकों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों की बिक्री

सेवाएं : ईएससीओ मॉडल और परामर्ष सेवाओं पर ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना।

प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खंड के परिणामों के बारे में जानकारी नीचे शामिल है। निष्पादन को आयकर से पहले खंड लाभ के आधार पर मापा जाता है, जैसा कि कंपनी के बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाने वाली आंतरिक प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल है। खण्ड लाभ का उपयोग के निष्पादन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि ऐसी जानकारी इन उद्योगों के भीतर काम करने वाली अन्य इकाइयों के सापेक्ष कुछ खण्ड के परिणामों के मूल्यांकन में सबसे अधिक संगत है।

ख) रिपोर्ट करने योग्य खंडों और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों के समाधान के बारे में जानकारी :

लाख रु. में

विवरण	व्यापार	सेवाएं	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
खंड राजस्व	67,125.96	112,583.17	179,709.13
खंड व्यय	66,333.00	60,573.40	126,906.40
खंड परिणाम	792.96	52,009.77	52,802.73
अनाबंटित निगमित ब्याज और अन्य आय			7,600.94
अनाबंटित निगमित व्यय, वित्त प्रभार			58,303.30
कर पूर्व लाभ			2,100.37
आयकर (निवल)			(589.97)
कर पश्चात लाभ			2,690.34
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			
खंड राजस्व	111,527.89	72,237.35	183,765.24
खंड व्यय	101,117.37	36,168.20	137,285.57
खंड परिणाम	10,410.52	36,069.15	46,479.67
अनाबंटित निगमित ब्याज और अन्य आय			9,802.16
अनाबंटित निगमित व्यय, वित्त प्रभार			41,502.23
कर पूर्व लाभ			14,779.60
आयकर (निवल)			6,854.09
कर पश्चात लाभ			7,925.51

31 मार्च 2020 को

लाख रु. में

विवरण	व्यापार	सेवाएं	कुल
खण्ड परिसंपत्तियां	107,969.23	606,475.92	714,445.15
अनाबंटित निगमित और अन्य परिसंपत्तियां			157,428.19
कुल परिसंपत्तियां	107,969.23	606,475.92	871,873.34
खण्ड देयताएं	23,416.03	89,976.34	113,392.37
अनाबंटित निगमित और अन्य देयताएं			644,969.19
कुल देयताएं	23,416.03	89,976.34	758,361.56

31 मार्च 2019 को

लाख रु. में

विवरण	व्यापार	सेवाएं	कुल
खण्ड परिसंपत्तियां	134,331.58	395,645.51	529,977.09
अनाबंटित निगमित और अन्य परिसंपत्तियां			148,143.96
कुल परिसंपत्तियां	134,331.58	395,645.51	678,121.05
खण्ड देयताएं	56,331.83	79,113.56	135,445.39
अनाबंटित निगमित और अन्य देयताएं			461,531.88
कुल देयताएं	56,331.83	79,113.56	596,977.27

ग) रिपोर्ट करने योग्य खण्ड के बारे में अन्य जानकारी :

लाख रु. में

विवरण	व्यापार	सेवाएं	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	42,790.99	42,790.99
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय	1,049.87	-	1,049.87
पूंजीगत व्यय	-	141,470.81	141,470.81
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	34,083.75	34,083.75
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय	196.64	-	196.64
पूंजीगत व्यय	-	121,893.29	121,893.29

घ) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी :

31 मार्च 2020 और 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी बाहरी ग्राहक ने व्यक्तिगत रूप से राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक का हिसाब नहीं दिया।

ङ) भौगोलिक क्षेत्रें के बारे में जानकारी :

कंपनी भारत में अधिवासित है। ग्राहकों के स्थान के आधार पर विभाजित बाहरी ग्राहकों (अन्य आय सहित) से इसके राजस्व की राशि नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत	186,251.43	193,006.38
यूनाइटेड किंगडम	1,058.64	561.02
कुल	187,310.07	193,567.40

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (वित्तीय साधनों, निवेशों और आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अलावा) को स्थान के आधार पर विभाजित करके नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भारत	403,738.71	302,920.19
यूनाइटेड किंगडम	79.09	93.65
कुल	403,817.80	303,013.84

51 भारतीय लेखाकरण मानक 115 - ''ग्राहकों सहित संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) वस्तुओं और सेवाओं का स्वरूप

कंपनी के राजस्व में वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व शामिल है। प्रमुख गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है :

वस्तुओं की बिक्री से राजस्व

कंपनी विभिन्न ग्राहकों को ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे एलईडी, स्ट्रीट लाइट, सोलर लैंप, कृषि पंप, ऊर्जा दक्षता वाले पंखे / ट्यूब आदि (मानक वारंटी सहित) बेचती है। राजस्व का अधिकांश हिस्सा सरकारी ग्राहकों से प्राप्त होता है। वस्तुओं की बिक्री कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार की जाती है।

स्वरूप, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

कंपनी वस्तुओं की बिक्री से राजस्व को ऐसे समय में मान्यता देती है जब वस्तुओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है। संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि और जहां कहीं लागू हो, परिवर्तनीय प्रतिफल के घटकों हेतु समायोजित की जाती है, जिसका अनुमान कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के अंदर देय होती है जो 30 से 60 दिनों तक भिन्न होती है।

सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व

कंपनी विभिन्न ग्राहकों को ईएससीओ मॉडल और परामर्श सेवाओं पर ऊर्जा दक्षता सेवाएं प्रदान करती है। राजस्व का अधिकांश हिस्सा सरकारी ग्राहकों से प्राप्त होता है। कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

स्वरूप, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

कंपनी समय के साथ सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। जब वस्तुओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है। संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि और जहां कहीं लागू हो, परिवर्तनीय प्रतिफल के घटकों हेतु समायोजित की जाती है, जिसका अनुमान कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के अंदर देय होती है जो 30 से 60 दिनों तक भिन्न होती है।

ख) राजस्व का बंटवारा :

राजस्व को वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार और स्वरूप और राजस्व मान्यता के समय से अलग किया जाता है।

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वस्तुओं और सेवाओं का स्वरूप		
वस्तुओं की बिक्री		
उजाला योजना	11,567.29	37,231.30
कृषि मांग पक्ष प्रबंधन	3,968.03	13,249.56
स्ट्रीट लाइट परियोजनाएं	34,304.10	34,140.86
सौर लैंप	4,339.17	15,395.60
सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजनाएं	10,818.31	7,307.51
निर्माण परियोजनाएं	852.06	1,758.06
ई–वाहन	69.78	-
अन्य	1,207.22	2,445.00
कुल (क)	**67,125.96**	**111,527.89**
सेवाओं का प्रतिपादन		
स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	91,122.45	64,290.18
निर्माण परियोजनाएं	5,488.55	1,982.10
स्मार्ट मीटर	5,930.45	50.00
कृषि मांग पक्ष प्रबंधन	2,235.38	521.14
सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	2,591.49	354.92
सौर ऊर्जा	1,104.94	55.46
सौर लैंप	255.75	191.57
ई–वाहन	1,745.65	1,228.79
अन्य	2,108.51	3,563.19
कुल (ख)	**112,583.17**	**72,237.35**

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय		
गारंटी शुल्क आय	651.04	226.73
प्रबंधन शुल्क आय	379.32	334.29
कुल (ग)	1,030.36	561.02
कुल (क + ख + ग)	180,739.49	184,326.26
(ii) **राजस्व मान्यता का समय**		
उत्पादों और सेवाओं को एक समय में स्थानांतरित किया गया	67,125.96	111,527.89
समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	113,613.53	72,798.37
कुल	180,739.49	184,326.26

ग) संविदा मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का विनियोजन :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदा की कीमत	179,709.13	183,765.24
समायोजन	-	-
प्रचालन से राजस्व	179,709.13	183,765.24

घ) संविदा की शेष राशि

संविदा की परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब संविदाओं पर बिलिंग से अधिक राजस्व अर्जित किया जाता है। नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार होने पर संविदा की परिसंपत्ति को बिल के बिना राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है। संविदा देयताएं मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित हैं जिन्हें 'ग्राहकों से अग्रिम' और अग्रिम बिलों को 'अनर्जित राजस्व' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका में व्यापार प्राप्तियों, बिल न किए गए राजस्व, ग्राहकों से अग्रिम और ग्राहकों के साथ संविदाओं से अनर्जित राजस्व के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार प्राप्तियां	276,685.99	183,148.24
गैर–वर्तमान बिल न किया गया राजस्व	487.88	662.62
वर्तमान बिल न किया गया राजस्व	6,156.18	2,234.05
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम रकम	4,644.09	1,308.50
अनर्जित राजस्व	66.64	172.20

पिछली अवधियों में संतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्वों से वर्तमान वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि, मुख्य रूप से सक्षम अधिकारियों द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के कारण 2,111.45 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 3,956.70 लाख रुपए) है।

कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को ग्राहकों से अनर्जित राजस्व खोलने से उत्पन्न 172.20 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अनर्जित राजस्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ग्राहकों से अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त नकदी के कारण हुई है, जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त या व्ययों के प्रति समायोजित राशि शामिल नहीं है।

ङ) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपाय :

(i) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 121 के अनुसार व्यावहारिक उपाय लागू किया है और शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी को प्रकट नहीं किया है जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां आज तक पूरे किए गए इकाई के निष्पादन के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व के ग्राहक के मूल्य से सीधे मेल खाता है। इस बहिष्करण मानदंड को पूरा करने वालों के अलावा, कोई भी निष्पादन दायित्व 31 मार्च, 2020 तक पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट नहीं हैं।

(ii) कंपनी ऐसी किसी संविदाओं की अपेक्षा नहीं करती है जिसके लिए उस वर्ष के दौरान राजस्व की पहचान की जाती है जहां ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। परिणामस्वरूप, कंपनी ने पैसे के समय मूल्य हेतु लेनदेन की कीमतों को समायोजित नहीं किया है।

च) संविदा प्राप्त करने की वृद्धिशील लागत

कंपनी ने किसी ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं ली है और इसलिए, ऐसी लागतों के लिए एक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

छ) महत्वपूर्ण निर्णय

(i) निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय

कंपनी यह निर्धारित करने में निर्णय लेती है कि निष्पादन दायित्व एक समय पर या समय की अवधि में संतुष्ट है या नहीं। कंपनी उन संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि ग्राहक सेवाओं के रूप में लाभ का उपभोग कैसे करता है या परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है क्योंकि इसे बनाया जा रहा है या निष्पादन के लिए भुगतान हेतु लागू करने योग्य अधिकार का अस्तित्व और ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम और रिवॉर्ड के हस्तांतरण आदि।

समय के साथ संतुष्ट होने वाले निष्पादन दायित्वों के लिए, कंपनी राजस्व मान्यता हेतु उपयोग की जाने वाली विधि का निर्धारण करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है। कंपनी इनपुट विधि का उपयोग करती है जहां पूर्णता की दिशा में प्रगति की सीमा को निष्पादन दायित्व के पूरा होने पर कुल अनुमानित लागतों के अनुपात के आधार पर मापा जाता है। प्रगति के माप के आधार पर राजस्व आनुपातिक रूप से दर्ज किया जाता है। कंपनी उत्पादन विधि का उपयोग करती है जहां ग्राहक के लिए मूल्य का प्रत्यक्ष माप सर्वेक्षण के आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन पर आधारित होता है।

(ii) लेन–देन मूल्य के निर्धारण और लेन–देन मूल्य के आबंटन में महत्वपूर्ण निर्णय

संविदा हेतु लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए भी निर्णय की आवश्यकता होती है। परिवर्ती प्रतिफल की अनुमानित राशि को केवल उस सीमा तक लेन–देन मूल्य में समायोजित किया जाता है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण रिवर्सल नहीं होगा और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

51 भारतीय लेखाकरण मानक 116 - ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) प्रचालित पट्टे

भारतीय लेखा मानक 116 पट्टा हेतु लेन देन

1 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 ''पट्टा'' के रूप में अपनाया और संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी पट्टा संविदाओं हेतु मानक लागू किया। तदनुसार, तुलनात्मक जानकारी को पुनर्कथित नहीं किया गया है और भारतीय लेखा मानक 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि को वृद्धिशील उधार दर पर छूट वाले शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता दर्ज की और पट्टे की देयता के बराबर राशि पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार, आस्थगित किराए की राशि और परिचालन पट्टा देयताएं प्रारंभिक आवेदन की तिथि से ठीक पहले तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त उस पट्टे से संबंधित किसी प्रीपेड या उपार्जित पट्टा भुगतान किया।

लीजहोल्ड भूमि को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान अवधि हेतु लाभ और हानि के विवरण में, पट्टा व्यय अन्य व्ययों से मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के उपयोग के अधिकार के लिए पट्टे की परिसंपत्ति और पट्टे की देयता पर अर्जित ब्याज के लिए वित्त लागत में बदल गया है।

1 अप्रैल, 2019 को पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 10.05 प्रतिषत है।

प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक उपायों का सारांश निम्नलिखित है :

(i) समान समाप्ति तिथि के साथ समान आर्थिक वातावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की

(ii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 माह से कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार और देयताओं को मान्यता नहीं देने के लिए छूट लागू की

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को शामिल नहीं किया गया।

(iv) यदि संविदा में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प हैं, तो पट्टा अवधि का निर्धारण करते समय प्रयुक्त बाधा।

(v) ग्रैंडफादर के लिए व्यावहारिक उपाय लागू किया जिसका मूल्यांकन लेनदेन पट्टे हैं। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 116 केवल उन संविदाओं पर लागू होता है जिन्हें पहले भारतीय लेखा मानक 17 के तहत पट्टों के रूप में पहचाना गया था।

कंपनी ने कुछ आवासीय/कार्यालय परिसरों और गोदामों को गैर रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा व्यवस्था के तहत लिया है।

नए लेखांकन मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप 01 अप्रैल, 2019 को 2,304.90 लाख रुपए की परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार और 2,227.51 लाख रुपए की पट्टा देयता की मान्यता और क्रमशः 99.71 लाख रुपए और 22.33 लाख रुपए के आस्थगित किराए और परिचालन पट्टा देयताओं का पुनर्वर्गीकरण हुआ।

लाख रु. में

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	पट्टा देयताएं
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार में आवागमन		
01 अप्रैल 2019 को अथ शेष'	2,304.90	2,227.52
लीजहोल्ड भूमि का पुनर्वर्गीकरण	743.64	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,583.68	2,571.06
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	(1,784.27)	-
ब्याज की वृद्धि	-	361.94
भुगतान	-	(1,915.24)
31 मार्च, 2020 को समापन शेष	3,847.95	3,245.28

पट्टा देयताओं का विभाजन

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्तमान	1,631.51	1,553.29
गैर – वर्तमान	1,613.77	674.22
कुल	3,245.28	2,227.51

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में क्रमशः परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास और पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय के रूप में 1,784.27 लाख रुपए और 361.94 लाख रुपए को मान्यता दी है और नकदी प्रवाह के विवरण में 1,915.24 लाख रुपए के पट्टों के लिए नकद बहिर्वाह को मान्यता दी है। कंपनी ने अल्प कालिक पट्टों के कारण 249.62 लाख रुपए के व्यय को मान्यता दी है।

भारतीय लेखा मानक 17 पट्टा के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने कुछ आवासीय/कार्यालय परिसरों और गोदामों को गैर रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा व्यवस्था के तहत लिया है। पट्टा का किराया प्रति वर्ष 15 प्रतिषत तक की वृद्धि के अधीन हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पट्टा का किराया का व्यय, लाभ और हानि राशि के 2,015.59 लाख रुपए प्रभारित किया गया।

गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत देय कुल भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	1,370.95
एक से पांच वर्ष के बीच	2,410.64
पांच वर्ष से अधिक	-
d|y	**3,781.59**

ख) वित्त पट्टा

कंपनी छह वर्ष की अवधि हेतु वित्त पट्टे पर विद्युत वाहन (ई–वाहन) प्रदान करती है। पट्टा का किराया 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के अधीन हैं। गैर–रद्द करने योग्य वित्त पट्टों के तहत देय कुल भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	2,522.21	1,159.05
एक से पांच वर्ष के बीच	9,586.33	4,405.29
पांच वर्ष से अधिक	769.20	353.48
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	12,877.74	5,917.82
अनर्जित वित्त आय	2,843.25	1,204.79
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	10,034.49	4,713.03

गैर–रद्द करने योग्य वित्त पट्टों के तहत देय भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	2,399.50	1,127.00
एक से पांच वर्ष के बीच	7,204.78	3,383.96
पांच वर्ष से अधिक	430.21	202.07
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	10,034.49	4,713.03

53 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय (सीएसआर)

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पढ़े कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत में व्यय करना आवश्यक है। जबकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के साथ पठित इसकी अनुसूची 7 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम राशि खर्च नहीं की है। सीएसआर व्ययों का विवरण वर्ष के लिए निम्नानुसार हैं :

क) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	193.97	128.90
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि–		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	78.55	4.66
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	94.65	15.40
कुल	**173.20**	**20.06**

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च राशि

लाख रु. में

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि			
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	39.58	38.97	78.55
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	66.31	28.34	94.65
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि			
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	4.66	-	4.66
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	11.40	4.00	15.40

ग) प्रमुख शीर्षों के तहत सीएसआर खर्चों का विवरण निम्नानुसार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्वच्छ विद्यालय अभियान	1.94	8.80
स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	85.71	-
शिक्षा और कौशल विकास	7.01	6.60
शौचालयों का निर्माण	78.54	4.66
d|y	173.20	20.06

54 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में सूचना

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि :		
मूल धन*	14,628.29	12,514.98
उस पर देय ब्याज	-	-
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ आपूर्तिकर्ताओं को नियत दिन के बाद भुगतान की गई राशि।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित ब्याज की राशि और बकाया शेष	-	-
ङ) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकरण के उद्देश्य के लिए, बाद के वर्षों में भी शेष और देय ब्याज की राशि, ऐसी तिथि तक जब तक उपरोक्त ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-

*व्यापार देय में 7,461.65 लाख रुपए और प्रतिधारण राशि में 7,166.64 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : व्यापार देय में 9,492.07 लाख रुपए और प्रतिधारण राशि में 3,022.91 लाख रुपए) शामिल हैं।

55 मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

नए और संशोधित मानक और व्याख्याएं जो जारी की गई हैं, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं, कंपनी के वित्तीय विवरण जारी करने की तिथि तक कंपनी के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने किसी भी संशोधन, मानक या व्याख्या को जल्दी नहीं अपनाया है जो जारी किया गया है लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है।

56 कोविड-19 का प्रभाव

कोविड–19 महामारी भारत और अन्य देशों सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है तथा सरकारें अनिवार्य लॉकडाउन और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने सहित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कर रही हैं। कंपनी ने व्यापार और इससे जुड़े वित्तीय जोखिमों पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। कंपनी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं (ईएससीओ) और अन्य परियोजनाओं को लागू करने के व्यापार में है, जो सार्वजनिक महत्व की हैं, जिन्हें एक आवश्यक सेवा माना जाता है। कंपनी ने कई सक्रिय कदम उठाकर, लगभग सभी क्षेत्रों में निरंतर संचालन सुनिश्चित किया, जिसमें स्ट्रीट लाइट, सौर और स्मार्ट मीटर परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव शामिल हैं। कुछ मामलों में, पूंजीकरण (परिणामस्वरूप राजस्व मान्यता) और कुछ परियोजनाओं की आपूर्ति और निष्पादन में देरी हो सकती है लेकिन कंपनी, कंपनी के मुनाफे और वित्तीय स्थिति पर किसी भी भौतिक प्रभाव की परिकल्पना नहीं करती है। अत्यधिक सावधानी की बात के रूप में, कंपनी ने ग्राहकों के साथ अपने समझौतों के तहत, जहां भी आवश्यक हो, 'अप्रत्याशित घटना' खंड के तहत नोटिस जारी किए हैं। कंपनी का मानना है कि कोविड–19 के प्रकोप के कारण प्रभाव अल्पकालिक स्वरूप का होने की संभावना है और कंपनी की क्षमता को जारी रखने की क्षमता में किसी भी मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम का अनुमान नहीं है। इसमें शामिल अनिश्चितता को देखते हुए कोविड–19 का प्रभाव मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन के नजदीकी से निगरानी करना जारी रखेगी और उस पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक और सीएफओ
डीआईएनः 08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

स्थान नई दिल्ली
तिथि : 27 नवंबर, 2020

तिथि : 5 नवंबर, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ('मूल कंपनी') और इसकी सहायक कंपनी (मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ समूह कहा जाता है) और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का समेकित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का समेकित विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के समेकित विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन विवरण, नकद प्रवाह समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसका इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरणों'' के रूप में उल्लेख किया गया है) का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर, जैसा कि नीचे दिए गए 'अन्य मामलों' पैराग्राफ में संदर्भित है, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के अनुभाग के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा उपरोक्त कथित समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित जानकारी इच्छित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2020 को समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के कार्य व्यवहार और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित निवल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में इसके समेकित परिवर्तनों, और समेकित नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष समेकित स्थिति स्पष्ट करते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

1. मूल कंपनी कुछ डेटा संकलित करने और विभिन्न राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य संगठनों के साथ अपनी एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) मॉडल और अन्य परियोजनाओं, योजना के तहत दुकानों और परिसंपत्तियों का सत्यापन और अन्यथा और स्थापित की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में समाधान, स्थापित संपत्ति लंबित पूंजीकरण और पूंजीकृत संपत्ति (संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के पूंजीकरण सहित वेतन, ऋण / बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी मुद्रा लाभ / हानि सहित आदि) और परिसंपत्तियों के तहत किए गए विभिन्न समझौतों के तहत देय, प्राप्य और देय राशियों का संकलन करने की प्रक्रिया में है जिनके प्रति समझौतों के अनुसार राजस्व (लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार) बुक किया गया है। हम उन अंतरों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो मौजूद हो सकते हैं और विभिन्न लेखा शीर्षों पर उनके प्रभाव जैसे कि प्रगतिशील पूंजीगत कार्य, संपत्ति संयंत्र और उपकरण, मालसूची, व्यापार प्राप्य / देय, राजस्व मान्यता और विवरण पर कोई अन्य परिणामी प्रभाव यदि कोई हो, इस तरह के सत्यापन और समाधान के पूरा होने तक लंबित है। हम उन अंतरों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो मौजूद हो सकते हैं और विभिन्न लेखा शीर्षों पर उनके प्रभाव जैसे कि पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, संपत्ति संयंत्र और उपकरण, मालसूची, व्यापार प्राप्य / देय, राजस्व मान्यता और विवरण पर कोई अन्य परिणामी प्रभाव यदि कोई हो, इस तरह के सत्यापन और सुलह के पूरा होने तक लंबित है। (टिप्पणी संख्या 3 ख) देखें)।

   यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय भी था।

2. सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं और अन्य ग्राहकों से देय व्यापार प्राप्तियां हैं। 31 मार्च 2020 (31.03.2019 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए 60,182.89 लाख रुपए) की स्थिति के अनुसार 360 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 103,820. 71 लाख रुपए की महत्वपूर्ण राशि बकाया है। कंपनी ने अभ्यावेदन किया है कि समूह मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) से अपना राजस्व कमाती है और इसलिए इस तरह की प्राप्तियों से जुड़े जोखिमों को महत्वहीन माना जाता है और बाकी ग्राहकों के लिए, समूह गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं / ग्राहकों की बकाया राशि की अवधि बढ़ने, विशिष्ट ऋण परिस्थितियों, प्रकृति और ऋण योग्यता जैसे कारकों के आधार पर ऋण जोखिम का आकलन / मूल्यांकन किया जाता है। समूह ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई रिकॉर्ड या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ऐसा मूल्यांकन और आकलन किया गया है। तथापि, 30.09. 2019 को गैर–सरकारी नियंत्रित संस्थाओं से 360 दिनों से अधिक के लिए बकाया राशि के संबंध में 849.61 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस तरह के मूल्यांकन के बाद संभावित क्रेडिट हानि के कारण संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों पर किसी भी संभावित भत्ते के कारण विवरण पर प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी संख्या 41 (क) देखें। यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विशय भी था।

3. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों का उपयोग करते हुए हानि भत्ता मापा जाता है, समूह ने नोट संख्या 44 (ए) (पप) में अभ्यावेदन किया है – ''समूह के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम कम है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो पिछले देय हैं, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय हैं। हालांकि, समूह ने 31 मार्च 2020 (31 मार्च 2019 : 196.65 लाख रुपए) को समाप्त वर्ष के दौरान 196.65 लाख रुपए की संदिग्ध प्राप्य राशि के प्रावधान को मान्यता दी है। मामलों की पहचान की प्रक्रिया और मुकदमे के तहत राशि (प्रावधान और अनुवर्तन के लिए नीति तैयार करने सहित) को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, समूह किसी भी साक्ष्य को प्रदर्शित करने और प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है कि इस तरह के चूक के मामले में अपेक्षित ऋण हानि के कारण प्राप्य राशियाँ संदिग्ध व्यापार पर भत्ता सृजित करने

के उद्देश्य से प्रबंधन की नीति में परिभाषित देय राशि की अवधि बढ़ने, विशिष्ट क्रेडिट परिस्थितियों, प्रकृति और ग्राहकों की ऋण योग्यता जैसे कारकों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का पता लगाने के लिए ऐसे मामलों का वास्तव में आकलन / मूल्यांकन किया गया था। इसलिए, हम इस तरह के मूल्यांकन के बाद संभावित क्रेडिट हानि के कारण ऐसे संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों (जो वसूली के लिए मुकदमे के अधीन हैं) पर आगे संभावित भत्ते के कारण समेकित वित्तीय विवरण पर वास्तविक प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं। यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय भी था।

4. समूह ने पिछले वर्षों में 4287.50 लाख रुपए की राशि के 'विज्ञापन व्यय' को स्थगित कर दिया था, जिसमें से पिछले वर्षों से संबंधित 30.09.2019 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में 1071. 88 लाख की राशि प्रभारित की गई है, मीडिया / विज्ञापन व्यय के रूप में और 'उजाला कार्यक्रम पर जागरूकता से संबंधित व्यय' पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में कोई और समायोजन नहीं किया गया है। समूह 3215.62 लाख रुपए की शेष राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' पर इंड एएस 38 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत समेकित वित्तीय विवरणों में अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत दिखाए गए पूर्व भुगतानित व्यय के रूप में आस्थगित और वहन करना जारी रखती है, जिसके अनुसार इस तरह के व्ययों को उस वर्ष में लाभ और हानि खाते से शुल्क लिया जाएगा जिस वर्ष यह खर्च किया गया था। (टिप्पणी संख्या 17 (क) देखें)। यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विशय भी था।

5. मूल कंपनी ने पुरानी पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी ऊर्जा दक्ष स्ट्रीटलाइटों को लगाने के लिए नगर निगम के साथ समझौता किया है। कंपनी विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी में कुछ राशि रखती है जो पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं और खातों की बही में पूंजीकृत नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि परिसंपत्ति नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र के उपयोग / प्राप्ति के लिए उपलब्ध हो सकती है, जो संपत्ति योजना और उपकरण पर भारतीय लेखा मानक 16 के प्रावधान के साथ असंगत है जिसमें परियोजनाओं को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास की आवश्यकता होती है। इसके प्रभाव का मूल कंपनी द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसे विभिन्न परियोजनाओं का पता लगाने के लिए एक अभ्यास करने की आवश्यकता है जहां परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है लेकिन नगर निगम की ओर से पूर्णता प्रमाण पत्र लंबित है। (टिप्पणी संख्या 3 (ग) देखें)।

6. मूल कंपनी ने कुछ धारणाओं / अनुमानों के आधार पर यूएलबी के साथ समझौतों के तहत राजस्व को मान्यता दी है जैसे परियोजना की शुरुआत की तारीख को यूएलबी से प्राप्त पहले पूर्णता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट पूरा होने की तारीख के रूप में लिया जाता है, पीएमसी, एएमसी, ब्याज के लिए वास्तविक खर्च (अप्रत्यक्ष वित्त लागत सहित), इक्विटी पर कर पूर्व / पश्चात विवरणी (कुछ मामलों में) एक निश्चित प्रतिशत पर अधिक / पर होती है जो समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत से भिन्न होती है। कंपनी ऐसे और अन्य मामलों पर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सभी समझौतों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है और तदनुसार सभी समझौतों को औपचारिक रूप देगी। हम इस तरह के स्पष्टीकरण और समझौतों के औपचारिकीकरण के समेकित वित्तीय विवरणों के लंबित इन मान्यताओं के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी संख्या 31(ख) देखें)।

7. व्यापार देय और व्यापार प्राप्य (संबंधित पार्टी लेनदेन सहित) पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन हैं जो समाधान पर उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक इस तरह की पुष्टि / समाधान नहीं किया जाता है, तब तक हम समेकित वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी 11 (ग), 21 (क), 28 (क) देखें)।

8. समूह ने बाहरी एजेंसी के माध्यम से टिप्पणी 43 में दर्शाई गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्यांकन किया है। समूह के पास पर्याप्त जानकारी / उसकी कार्यप्रणाली के अभाव में, हम उक्त टिप्पणी में दर्शाए गए उचित मूल्यों की शुद्धता और समेकित वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

9. मूल कंपनी ने अनुमान के आधार पर कुछ डिस्कॉम में स्थापित स्मार्ट मीटरों के लिए 528.02 लाख रुपए के गैर बिल वाले राजस्व को बुक किया है, जहां औपचारिक समझौतों को निष्पादित किया जाना बाकी है। इसके अलावा, मूल कंपनी अवधि के विस्तार, दरों में परिवर्तन आदि के लिए कुछ समझौतों में स्पष्टीकरण / संशोधन लेने की प्रक्रिया में है, जिसके प्रभावों पर उस वर्ष में विचार किया जाएगा जिसमें ऐसे संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मूल कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर, प्रति मीटर के आधार पर एसएमएनपी प्रणाली एकीकरण के लिए एक विक्रेता नियुक्त किया है। कंपनी ने प्रति मीटर के आधार पर खर्च बुक किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता के साथ भुगतान की शर्तों को संशोधित और औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में है जो सभी भुगतान प्रति मीटर के आधार पर आनुपातिक रूप से किए गए हैं। हम औपचारिक समझौतों आदि के निष्पादन के लंबित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त, यदि कोई हो, के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी संख्या 33 (घ) देखें)।

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों का अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और इसके संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए संगत हैं, इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, जैसा कि नीचे

दिए गए 'अन्य मामलों' पैराग्राफ के उप–पैराग्राफ (क) में संदर्भित है, पर्याप्त है और वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख मामले

हम समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकृश्ट करते हैं :–

1. टिप्पणी संख्या 44 (क) (iii) जिसमें कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 18 अक्टूबर 2017 की अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार / डीईआरसी से सब्सिडी नहीं मिलने के कारण 1650 लाख रुपए के प्रावधान की सिफारिश की थी। हालांकि, समूह ने उक्त प्रावधान नहीं किया है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि वसूली संबंधित प्राधिकारी के साथ की जा रही है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और प्रबंधन उनके बकाया की वसूली के लिए आश्वस्त है।

2. टिप्पणी संख्या 31 (क) जिसमें कहा गया है कि बिक्री, संबंधित आउटपुट कर देनदारी और खरीद के साथ–साथ जीएसटी और वैट रिटर्न में रिपोर्ट किए गए इनपुट कर क्रेडिट, निवल इनपुट कर क्रेडिट प्राप्य या निवल आउटपुट कर देयता, जैसा भी मामला हो सकता है, खातों की बहियों के साथ समाधान के अधीन हैं। जीएसटी / वैट रिटर्न के मिलान पर पहचाने जाने वाले अंतरों को वार्षिक जीएसटी / वैट विवरण / संशोधित रिटर्न में उचित समय पर दाखिल किया जाएगा।

   पूंजी प्रबंधन पर टिप्पणी संख्या 45 में विभिन्न वित्तीय अनुपातों और इसकी गणना को दर्शाया जाता है जिसका उपयोग कंपनी पूंजी की निगरानी के लिए कर रही है।

3. टिप्पणी संख्या 2ख जिसमें कहा गया है कि कंपनी अपनी सहायक ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार सद्भावना के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

   टिप्पणी संख्या 2 क (घ) जिसमें कहा गया है कि मूल कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के संबंध में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता की गणना के लिए अपनी सहायक ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों पर निर्भर करती है।

4. सहायक कंपनी 'ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड' के लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया है कि – 3378.89 लाख रुपए के आस्थगित व्यय (समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में वित्त पट्टा प्राप्य) और 709.32 लाख के अन्य प्राप्य के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। प्राप्य की वसूली विवाद में संविदात्मक मामलों के समाधान के साथ–साथ परिसमापन में रखी गई कंपनी से प्राप्त होने वाली धन राशि पर निर्भर है। मामलों का अंतिम परिणाम वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और वित्तीय विवरण किसी भी प्रावधान को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो आवश्यक हो सकता है यदि प्राप्तियों को पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी संख्या 7 (ख) और 11 (च) देखें।

5. एक स्टेप डाउन सहायक कंपनी 'एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड' के लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया है कि – 'कंपनी आर्थिक रूप से एक संबंधित इकाई और समूह पर निर्भर है, और उसे निरंतर वित्तीय सहायता की गारंटी मिली है। 31 मार्च 2020 तक उस कंपनी के पास इक्विटी में 187.05 लाख रुपए की कमी है। जैसा कि टिप्पणी सं. 48 में कहा गया है, एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो उस कंपनी की 'एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड' की एक चालू संगठन के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। टिप्पणी संख्या 48 देखें।

   इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षामामले ऐसे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में पूरे समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में संबोधित किया गया था, और इन पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। योग्य राय अनुभाग के आधार पर वर्णित मामले के अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

मूल कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से भौतिकता सहित 'अन्य लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग' पर लेखा परीक्षा पर मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीचे मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारे लेखा परीक्षा ने मुख्य लेखा परीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
1	**मूल्यह्रास लेखांकन** इसकी प्रकृति और महत्व–पूर्ण जोखिम के क्षेत्र के कारण इसे मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना जाता है जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है	परिसंपत्तियों के पूंजीकरण और मूल्यह्रास की गणना की प्रणाली को समझा गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया : • विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षा की गई। • परिसंपत्ति के विभिन्न वर्गों पर मूल्यह्रास की गणना का परीक्षण और सत्यापन किया गया था। • लागू इंड एएस के आधार पर मूल्यह्रास के लेखांकन को सत्यापित किया। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर और कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण /प्रतिनिधित्व के आधार पर, परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास की मान्यता को पर्याप्त और उचित माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों और इसके बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

मूल कंपनी बोर्ड के निदेशक अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की तिथि के बाद हमें रिपोर्ट उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया जाता है और हम आश्वासन निश्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने हेतु है, जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है तथा ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय असंगतता सहित असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम उपरोक्त चुनी गई रिपोर्टों को पढ़ते हैं, यदि हम यह निश्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है तो हमें इस मामले को इसके अभिशासन के आरोपित लोगों से संप्रेशित करने और परिस्थितियों और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और शासन के साथ उनके प्रभार

मूल कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, जिसमें संशोधित रूप में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त उद्यम सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समूह के समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृश्य मिलता है। इस जिम्मेदारी में समूह की परिसंपत्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए एक संगत और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक रूप से गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जो कि मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, समूह और उसके संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल में एक चालू संगठन के तौर पर इसे जारी रखने और उपयोग से संबंधित मामलों को चलाने के लिए समूह और उसके संयुक्त उद्यम की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसा कि लागू हो, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, जब तक प्रबंधन या तो समूह को बंद करने या तरलित करने का आशय रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह और उसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण पूरे तौर पर भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाया जाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, तो इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी :

- धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिज़ाइन करें और निश्पादित करें, तथा उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता भी जिम्मेदार हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और

प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन में चालू संगठन के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और इसकी संयुक्त उद्यम की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्शित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, जो हमारी राय को संशोधित करने के लिए काफी हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। जबकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से समूह और इसके संयुक्त उद्यम को चालू संगठन बनाए रखना रोका जा सकता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें वित्तीय विवरण भी शामिल हैं, जिसमें प्रकटन भी शामिल हैं, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और संयुक्त उद्यम में संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा पर राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं

(i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम मूल कंपनी के शासन के प्रभारी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ संवाद करते हैं जिनके बारे में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान चुनते हैं।

शासन के साथ आरोपित मामलों से संप्रेशित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुश्परिणाम होने की उम्मीद हो सकती है।

अन्य मामला

हमने मूल कंपनी की एक प्रत्यक्ष विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की, जिसके समेकित वित्तीय विवरण (जिसमें 13 स्टेप डाउन सहायक कंपनियां शामिल हैं) 31 मार्च 2020 तक समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए विचार के अनुसार, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल 85582.30 लाख रुपए की कुल परिसंपत्ति, कुल राजस्व 70980.07 रुपए और रु. 437.84 लाख की राशि और निवल नकदी अंतर्वाह दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा एक विदेशी लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह उक्त प्रत्यक्ष विदेशी सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से उक्त रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों में 0.63 लाख रुपए के निवल लाभ में समूह का हिस्सा और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य की व्यापक आय भी शामिल है, जैसा कि दो संयुक्त उद्यमों के संबंध में समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, जिनका वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी की न तो उनके लेखा परीक्षकों द्वारा और न ही हमारे द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है। ये वित्तीय विवरण / वित्तीय जनकारी गैर लेखापरीक्षित हैं और उनके संबंधित प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा प्रमाणित हैं, जहां तक यह संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट– अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में, जहां तक यह पूर्वोक्त संयुक्त उद्यम से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे प्रमाणीकरण पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, मूल कंपनी की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम मूल कंपनी पर लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

(ग) लंदन में स्थित कंपनी की एक विदेशी शाखा के खाते जो 31 मार्च 2020 तक 1365.17 लाख रुपए की कुल परिसंपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 1058.63 लाख रुपए दर्शाते हैं, प्रबंधन द्वारा गैर लेखापरीक्षित और प्रमाणित हैं।

(घ) तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण खाते की संगत बहियों के अनुरूप हैं;

(ङ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण जारी किए गए संगत नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं;

(च) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए मूल कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, मूल कंपनी के निदेशक को 31 मार्च, 2020 को अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक क'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; तथा

(ज) अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य तथ्यों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. मूल कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है– समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 54, 11 (ङ) और 11 (च) देखें;

ii. मूल कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर कोई भी नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे मूल कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी

के के सोनी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000947एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 दिसंबर, 2020

सीए. संत सूजत सोनी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 094227

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - क

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (''मूल कंपनी'') और इसकी प्रत्यक्ष विदेशी सहायक कंपनी, जो भारत के बाहर निगमित हैं (मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को ''समूह'' कहा जाता है) और इसके संयुक्त उद्यम है जो भारत में निगमित एक कंपनी है, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ हमने मूल कंपनी (इसकी सहायक कंपनी को छोड़कर जो भारत के बाहर निगमित है और इसकी संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित एक कंपनी है और गैर लेखापरीक्षित है), उस तिथि के अनुसार के वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत में निगमित मूल कंपनी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन नोट में यथा उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारत में निगमित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना मानदंडों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों के परिरक्षण, जालसाजी व चूकों के निवारण करने और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीयता वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसकी कारोबार के समुचित और दक्ष संचालन का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से पूरी की जा रही थी।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कथित रूप से मूल कंपनी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों, वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग से आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और इनके अनुरक्षण किए गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक पक्षों से प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस जोखिम जो एक तथ्यात्मक कमजोरी होती है, उसका निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण और डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं जोखिमों के निर्धारण सहित लेखापरीक्षक के निर्णय, समेकित वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल–कपट या त्रुटि पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे कथित तौर पर मूल कंपनी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार एक प्रक्रिया है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो : (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं ; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हों कि लेन देनों को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारपत्र के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या छल–कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

सुझाव

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ – ''योग्य राय के आधार'' के तहत दी गई योग्यता के प्रभावों के संबंध को छोड़कर, मूल कंपनी के पास वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सभी सामग्री है और वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 तक प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे, जो आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करने के लिए मूल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था। इसके अलावा, कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा कंपनी के आकार के अनुरूप नहीं है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की ध ारा 143(3) (प) के तहत हमारी पूर्वोक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट जहां तक भारत में एक संयुक्त उद्यम निगमित कंपनी (जिसका वित्तीय विवरण / वित्तीय विवरण गैर लेखा परीक्षित हैं) से संबंधित है और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरणों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है क्योंकि समूह के निवल लाभ / हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के हिस्से और संबंध में प्रकटीकरण शामिल हैं और इन समेकित वित्तीय विवरणों में ये संयुक्त उद्यम समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

के के सोनी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000947एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 दिसंबर, 2020

सीए. संत सूजत सोनी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 094227

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड

31 मार्च 2020 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019* को	1 अप्रैल 2018* को
परिसंपत्तियां				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2A	274,540.63	181,980.91	87,661.74
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	131,447.50	121,967.55	129,348.91
सद्भावना	2B	44,537.73	43,307.56	44,163.34
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2B	679.20	1,526.27	1,636.48
इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम खाते में निवेश	4	6.59	5.96	2.91
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश	5	1,721.69	1,527.24	1,440.51
ऋण	6	6,075.86	5,713.72	5,475.59
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	15,345.43	10,290.57	3,814.49
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	8	1,102.04	1,278.62	857.74
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	9	1,625.93	1,350.64	1,703.37
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		477,082.60	368,949.04	276,105.08
वर्तमान परिसंपत्तियां				
माल सूची	10	26,295.91	34,752.96	41,297.89
वित्तीय परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्तियां	11	285,544.09	194,375.67	129,847.96
नकद और नकद समकक्ष	12	34,881.79	43,820.05	55,872.89
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	13	30,493.31	33,794.43	6,857.92
ऋण	14	666.94	364.34	166.33
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	15	14,731.27	8,351.05	5,621.87
वर्तमान कर परिसंपत्ति (निवल)	16	5,216.95	3,815.83	2,548.92
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	52,281.42	46,616.86	25,599.98
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		450,111.68	365,891.19	267,813.76
कुल परिसंपत्तियां		927,194.28	734,840.23	543,918.84
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	18	98,332.84	67,520.44	46,200.00
अन्य इक्विटी	19	14,608.94	12,044.25	16,854.17
धारकों के कारण होने वाली इक्विटी		112,941.78	79,564.69	63,054.17
गैर नियंत्रित हित		4,765.46	4,576.33	4,684.84
कुल इक्विटी		117,707.24	84,141.02	67,739.01
देयताएं				
गैर–वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधार	20	449,706.22	293,701.06	206,514.95
व्यापार देय	21			
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1,593.02	1,277.49	-
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का देय कुल बकाया		5,960.39	5,153.70	3,750.93
लीज देयताएं	22	1,856.31	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	23	9,220.60	40,680.09	8,019.85
प्रावधान	24	921.70	280.94	410.39
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	-	104.46	169.69
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	26	-	486.68	643.19
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		469,258.24	341,684.42	219,509.00
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधार	27	85,049.93	83,544.93	71,344.06
व्यापार देय	28			
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		5,868.63	8,214.58	-
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		125,348.58	145,423.64	146,315.30
लीज देयताएं	29	1,998.50	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	30	90,478.32	42,419.93	31,197.63
अन्य वर्तमान देयताएं	31	31,326.31	23,602.56	7,006.56
प्रावधान	32	29.48	11.66	566.16
वर्तमान कर देयताएं (निवल)		129.05	5,797.49	241.12
कुल वर्तमान देयताएं		340,228.80	309,014.79	256,670.83
कुल इक्विटी और देयताएं		927,194.28	734,840.23	543,918.84
'पुनः स्थापित (टिप्पणी 42 देखें)'				
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1			
संलग्न टिप्पणी 1 से 56 इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।				

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)

संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 दिसंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक डीआईएनः
06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक डीआईएनः
08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

लोकेश कु. अग्रवाल
सीएफओ

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालन से राजस्व	33	248,777.28	245,101.31
अन्य आय	34	7,613.48	11,353.04
कुल राजस्व		256,390.76	256,454.35
व्यय			
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		107,698.39	131,913.96
वितरण व्यय (उजाला)		1,031.78	2,119.29
मीडिया व्यय (उजाला)		672.93	2,630.99
माल सूची में (वृद्धि) /कमी	35	8,510.96	6,366.58
कर्मचारी लाभ व्यय	36	14,657.12	13,504.40
वित्तीय लागत	37	36,730.63	22,259.77
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	38	46,444.72	35,556.36
अन्य व्यय	39	37,885.84	24,971.43
कुल व्यय		253,632.37	239,322.78
इक्विटी विधि और कर का उपयोग करते हुए निवेश के निवल लाभ में हिस्सेदारी से पहले लाभ		2,758.39	17,131.57
जोड़ें : इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम के खाते के निवल लाभ का शेयर		0.63	3.05
कर देने से पूर्व लाभ		2,759.02	17,134.62
कर व्यय	40		
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		129.05	7,045.92
भूतपूर्व		(647.72)	-
आस्थगित कर क्रेडिट		75.40	(454.86)
कुल कर व्यय		(443.27)	6,591.06
वर्ष के लिए लाभ		3,202.29	10,543.56
अन्य व्यापक आय / (व्यय)			
ऐसी वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
– परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि		9.06	(22.14)
ऐसी वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
– विदेशी प्रचालनों के रूपांतरण पर मुद्रा में अंतर		686.27	(2,111.51)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय / (व्यय), आयकर का निवल		695.33	(2,133.65)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		3,897.62	8,409.91
के कारण लाभ			
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के मालिक		3,119.20	10,073.76
– गैर नियंत्रित हित		83.09	469.80
		3,202.29	10,543.56
के कारण अन्य व्यापक आय			
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के मालिक		589.29	(1,840.04)
– गैर नियंत्रित ब्याज		106.04	(293.61)
		695.33	(2,133.65)
के कारण अन्य व्यापक आय			
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के मालिक		3,708.49	8,233.72
– गैर नियंत्रित ब्याज		189.13	176.19
		3,897.62	8,409.91
प्रति इक्विटी शेयर आय (बराबर मूल्य 10 रुपए – प्रत्येक)	53		
मूल (रु.)		0.33	1.54
तनुकृत (रु.)		0.33	1.51
*पुनः स्थापित (टिप्पणी 42 देखें)			
संलग्न टिप्पणी 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।			

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)

संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 दिसंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक डीआईएनः
06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक डीआईएनः
08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

लोकेश कु. अग्रवाल
सीएफओ

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह के समेकित विवरण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019* को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**2,759.02**	**17,134.62**
के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	46,444.72	35,556.36
वित्तीय लागत	29,066.41	22,130.80
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	1,046.26	196.65
संदिग्ध ऋण	13.99	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर निवल हानि	3.37	135.66
माल की कमी के लिए प्रावधान	3.61	-
ब्याज आय	(4,964.46)	(5,761.52)
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर निवल (लाभ) /हानि	12,761.57	(4,676.21)
अनुदान आय	(311.66)	(420.42)
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ	(145.82)	(116.48)
संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ / (हानि) का शेयर	(0.63)	(3.05)
आस्थगित किराया व्यय	-	(15.97)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ	**86,676.38**	**64,160.44**
के लिए समायोजन :		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)	(91,606.42)	(63,646.12)
वस्तुसूची में (वृद्धि) / कमी	8,554.20	6,366.58
ऋणों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)	(15,450.35)	(31,475.81)
व्यापार देय राशियों, अन्य वित्तीय देयताओं और अन्य देयताओं में वृद्धि	(10,645.61)	62,600.48
प्रावधानों में वृद्धि	670.69	(717.98)
प्रचालन से उत्पन्न नकद	**(21,801.11)**	**37,287.59**
भुगतान की गई आय	6,542.78	2,781.37
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (क)	**(28,343.89)**	**34,506.22**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का अधिग्रहण	(154,263.35)	(119,873.59)
निवेश	0.01	-
ब्याज आय	4,517.02	4,387.88
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष	2,603.78	(26,973.74)
दिए गए ऋण	(435.66)	(238.13)
निवेश गतिविधियों में उपयोग निवल नकद (ख)	**(147,578.20)**	**(142,697.58)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
गैर–वर्तमान उधारों से प्राप्त आय	190,052.88	125,973.33
गैर–वर्तमान उधारों का पुनःभुगतान	(22,365.31)	(12,513.07)
वर्तमान उधारों की निवल आय	1,390.01	(3,570.73)
वित्तीय लागतें	(29,543.70)	(23,080.03)
लीज रेंट का भुगतान	(2,269.64)	-
आवेदन राशि साझा करें (आबंटन लंबित)	30,812.40	11,420.44
शेयर जारी करने की लागतें	-	(25.00)
लाभांश भुगतान	(948.79)	(1,102.99)
लाभांश पर कर	(195.01)	(491.07)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	**166,932.84**	**96,610.88**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल (कमी) / वृद्धि (क+ख+ग)	**(8,989.25)**	**(11,580.48)**
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर	50.99	(472.36)
नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि	**(8,938.26)**	**(12,052.84)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	43,820.05	55,872.89
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**34,881.79**	**43,820.05**
*पुनः स्थापित (टिप्पणी 42 देखें)		

टिप्पणी : क) नकद और नकद समकक्ष में बैंकों के पास शेष राशि शामिल है।

ख) नकद और नकद समकक्षों का समाधान :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
हाथ में नकद	2.16	26.08
बैंकों के पास शेष – चालू खाते	34,879.63	43,790.35
बैंकों के पास शेष – जमा खाते	-	3.62
टिप्पणी-12 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	**34,881.79**	**43,820.05**

ग) वित्त पोशण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और समापन शेष राशि के बीच समाधान :

लाख रु. में

विवरण	गैर वर्तमान उधार*	वर्तमान उधार	लीज देयताएं	उधार पर ब्याज
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष राशि	310,850.20	83,544.93	-	4,819.44
इंड एएस 116 को अपनाने का प्रभाव	-	-	5,724.30	-
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह	167,687.57	1,390.01	(2,269.64)	(29,543.70)
गैर नकद परिवर्तनों के कारण :				
– विनिमय दरों में भिन्नता	16,656.58	114.99	22.98	4.60
– अर्जित ब्याज	-	-	377.17	30,618.97
– उधार पर लेन–देन की लागत	(257.68)	-	-	-
31 मार्च, 2020 तक समापन शेष राशि	**494,936.67**	**85,049.93**	**3,854.81**	**5,899.31**
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए				
1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष राशि	215,250.19	71,344.06	-	5,522.55
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	113,460.26	(3,570.73)	-	(22,898.58)
गैर–नकद परिवर्तन के कारण :				
– वर्तमान और गैर–वर्तमान उधार के बीच अंतरण	(16,098.10)	16,098.10	-	-
– विनिमय दरों में भिन्नता	(2,673.12)	(326.50)	-	(10.47)
– अर्जित ब्याज	-	-	-	22,205.94
– उधार पर लेन–देन की लागत	910.97	-	-	-
31 मार्च, 2019 तक समापन शेष राशि	**310,850.20**	**83,544.93**	**-**	**4,819.44**

*गैर–वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है, टिप्पणी 30 देखें।

घ) भविष्य में परिचालन गतिविधियों और पूंजी प्रतिबद्धताओं को निपटाने के लिए उपलब्ध गैर–आहरण सुविधाओं के विवरण के लिए टिप्पणी 44 देखें।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)

संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 दिसंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक डीआईएन: 06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक डीआईएन: 08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

लोकेश कु. अग्रवाल
सीएफओ

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष की शुरुआत में बकाया	67,520.44	46,200.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	30,812.40	21,320.44
वर्ष के अंत तक बकाया	98,332.84	67,520.44

(ख) अन्य इक्विटी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

लाख रु. में

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			ओसीआई	मूल के मालिकों के कारण अन्य इक्विटी	गैर - नियंत्रित ब्याज	कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारिता कमाई	विदेशी मुद्रा लेनदेन की निधि			
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	-	15,126.44	(1,639.70)	(1,442.49)	12,044.25	4,576.33	16,620.58
वर्ष के लिए लाभ	-	-	3,119.20	-	3,119.20	83.09	3,202.29
अन्य व्यापक आय / (व्यय)	-	-	9.06	580.23	589.29	106.04	695.33
कुल व्यापक आय	-	-	3,128.26	580.23	3,708.49	189.13	3,897.62
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	30,812.40	-	-	-	30,812.40	-	30,812.40
जारी किए गए इक्विटी शेयर	(30,812.40)	-	-	-	(30,812.40)	-	(30,812.40)
वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अंतिम लाभांश (कर सहित)'	-	-	(1,143.80)	-	(1,143.80)	-	(1,143.80)
31 मार्च, 2020 को शेष राशि	-	15,126.44	344.76	(862.26)	14,608.94	4,765.46	19,374.40

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

लाख रु. में

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			ओसीआई	मूल के मालिकों के कारण अन्य इक्विटी	गैर - नियंत्रित ब्याज	कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारिता कमाई	विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित			
1 अप्रैल 2018 को शेष राशि	**9,900.00**	**6,515.21**	**63.55**	**375.41**	**16,854.17**	**4,684.84**	**21,539.01**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	10,073.76	-	10,073.76	469.80	10,543.56
अन्य व्यापक आय / (व्यय)	-	-	(22.14)	(1,817.90)	(1,840.04)	(293.61)	(2,133.65)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**10,051.62**	**(1,817.90)**	**8,233.72**	**176.19**	**8,409.91**
लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव (टिप्पणी 55 देखें)	-	-	(1,658.90)	-	(1,658.90)	(414.73)	(2,073.63)
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	11,420.44	-	-	-	11,420.44	-	11,420.44
जारी किए गए इक्विटी शेयर	(21,320.44)	-	-	-	(21,320.44)	-	(21,320.44)
सहायक कंपनी में स्वामित्व रुचि में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी 49 देखें)	-	-	(130.03)	-	(130.03)	130.03	-
प्रतिधारित आय में / (से) स्थानांतरण	-	8,611.23	(8,611.23)	-	-	-	-
अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली लेनदेन लागत	-	-	(25.00)	-	(25.00)	-	(25.00)
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश (कर सहित)	-	-	(1,329.71)	-	(1,329.71)	-	(1,329.71)
31 मार्च, 2019 को शेष राशि	**-**	**15,126.44**	**(1,639.70)**	**(1,442.49)**	**12,044.25**	**4,576.33**	**16,620.58**

प्रतिधारित आय में शामिल संचित अन्य व्यापक आय का विश्लेषण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(35.63)	(13.49)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(व्यय)	9.06	(22.14)
वर्ष के अंत में शेष राशि		(35.63)

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)

संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 दिसंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सूद
प्रबंध निदेशक डीआईएनः
06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक डीआईएनः
08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

लोकेश कु. अग्रवाल
सीएफओ

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां

1. समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'' या ''मूल कंपनी'') भारत में अधिवासित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन : यू40200डीएल2009पीएलसी196789) कंपनी है। कंपनी की अपनी ऋण प्रतिभूतियां बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएफएल बिल्डिंग, 5वीं और 6वीं मंजिल, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 है।

कंपनी विद्युत मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। कंपनी ऊर्जा बचत कंपनी (ईएससीओ) के रूप में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न है। इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित) और संयुक्त उद्यमों में समूह की रुचि शामिल हैं। समूह संरचना के विवरण के लिए, टिप्पणी 49 देखें।

कंपनी राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), ऊर्जा विनियामक आयोग (ईआरसी), राज्य विकास प्राधिकरणों (एसडीए), आगामी ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों आदि के लिए क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। कंपनी की सहायक कंपनियों की प्रमुख गतिविधियां डीजल और गैस जनरेटर का निर्माण, स्थापना, कंटेनरीकरण, बिक्री और सेवा, संबंधित स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और संपत्ति में निवेश और इसे किराए पर लेना है।

ख. तैयारी का आधार

i) अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) अधिसूचित के अनुपालन और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान के बाद चालू संगठन के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को 2 दिसंबर, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

ii) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (व्युत्पन्न उपकरणों सहित) जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखा नीति देखें); तथा
- कर्मचारियों के परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले में योजना परिसंपत्तियां जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक लागत नकद या नकद समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकद या नकद समकक्षों की अपेक्षित राशि पर व्यापार के सामान्य दौर में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

iii) कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (रु.) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। रुपए में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय जानकारी को जैसा कि अन्यथा बताया गया है, उसे छोड़कर निकटतम लाखों (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

iv) वर्तमान और गैर- वर्तमान वर्गीकरण

समूह वर्तमान / गैर– वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्ति और देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति वर्तमान है जब :

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल किए जाने या बेचे जाने या खपत होने की उम्मीद है;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माहों के अंदर वसूल किए जाने की उम्मीद; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह हेतु एक एक्सचेंज का उपयोग करने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित होने तक नकद या नकद समकक्ष।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर– वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक देयता वर्तमान है जब :

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है;
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित होने के लिए देय है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माहों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है। समूह ने इंड एएस 101 के तहत विकल्प का उपयोग करने के लिए इंड एएस 16 और इंड एएस 38 के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करने के लिए चुना है और इंड एएस में संक्रमण की तारीख पर इंड एएस के तहत पिछली जीएएपी वहन राशि का उपयोग एक मानित लागत के रूप में करना जारी रखा है। इसलिए, 1 अप्रैल 2015 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की अग्रणी राशि, अर्थात समूह के इंड एएस में

संक्रमण की तारीख का इंड एएस में संक्रमण पर रखरखाव किया गया था।

1. समेकन का आधार

समेकन के उद्देश्य से सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की थी।

1.1. सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियां वे सभी संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। जब समूह किसी का सामना करता है, तो समूह एक इकाई को नियंत्रित करता है या उसके पास इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और इकाई की संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जिस दिन सहायक कंपनियों का नियंत्रण समूह को स्थानांतरित किया जाता है, तो उस तारीख से पूरी तरह से समेकित किया जाता है । वे नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से विघटित हो जाते हैं। इंड एएस 103 के अनुसार, जब समूह को नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है तो समूह अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करके इन व्यावसायिक संयोजनों के लिए लेखा रखा जाता है। व्यापार संयोजन के लिए स्थानांतरित किए गए विचार को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिस तारीख को नियंत्रण हासिल किया जाता है (अधिग्रहण की तारीख), जैसा कि निवल पहचान योग्य संपत्ति अर्जित की जाती है। कोई भी सद्भावना जो उत्पन्न होती है, उसकी हानि के लिए प्रति वर्ष परीक्षण किया जाता है। ऋण या इक्विटी प्रतिभूतियों के मुद्दे से संबंधित सीमा को छोड़कर, लेन–देन की लागत खर्च के रूप में व्यय की जाती है। यदि एक व्यावसायिक संयोजन चरणों में प्राप्त किया जाता है, तो अधिग्रहणकर्ता में पहले से धारित इक्विटी ब्याज को उसके अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है और किसी भी परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि या ओसीआई में उपयुक्त के रूप में पहचाना जाता है। समूह परिसंपत्ति, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की वस्तुओं की तरह एक साथ जोड़कर मूल और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को जोड़ता है। समूह कंपनियों के बीच लेन–देन पर इंटर कंपनी लेनदेन, शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो गए हैं। अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखा नीतियों को बदल दिया गया है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रित ब्याजों (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलन पत्र में अलग से दिखाया गया है। एनसीआई को अधिग्रहण की तिथि में अधिग्रहणिती की निवल पहचान योग्य संपत्ति के उनके आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। एक सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी ब्याज में परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, को इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है। जब समूह एक सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्ति और देयताओं, और किसी भी संबंधित एनसीआई और इक्विटी के अन्य घटकों की मान्यता समाप्त कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में रखे गए किसी भी ब्याज को नियंत्रण खो जाने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1.2. संयुक्त उद्यम

समेकित तुलन पत्र में लागत पर प्रारंभिक रूप से पहचाने जाने के बाद संयुक्त उद्यमों में रुचियों को इक्विटी पद्ध ति का उपयोग करने के लिए गणना में लिया जाता है। लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद लाभ और हानि में निवेशिती के अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि के समूह के शेयर और अन्य व्यापक आय में निवेशिती की अन्य व्यापक आय के समूह के शेयर को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की अग्रेशित राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है। जब एक इक्विटी–लेखांकन निवेश में समूह के नुकसान का हिस्सा इकाई में उसके रुचि के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है, जब तक कि उसने अन्य इकाई की ओर से उपगत दायित्वों या भुगतान नहीं किया हो। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ को इन संस्थाओं में समूह के रुचि की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, इक्विटी लेखा सामग्री निवेशितियों की लेखांकन नीतियों को बदल दिया गया है। नीचे ग.15 में वर्णित नीति के अनुसार निवेश के रूप में इक्विटी की अग्रेशित राशि की हानि के लिए जांच की जाती है। जब समूह संयुक्त नियंत्रण के नुकसान के कारण निवेश के लिए लेखांकन की इक्विटी पद्धति को लागू करना बंद कर देता है, तो इकाई में किसी भी बनाए रखे लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि का गणना इस तरह लगाया जाता है जैसे कि समूह ने संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का सीधे निपटान किया हो। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है। बाद की माप लागत कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और संचित क्षति हानियों पर की जाती है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है और इसके लिए आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होती है। समूह द्वारा शुरू की गई ईएससीओ मॉडल ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं पर परियोजना विकास लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। परियोजना विकास लागत में खरीद मूल्य, करों और कतव्यों, श्रमिक लागत और परियोजना के कार्यान्वयन या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी भी अन्य लागत को परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया गया है, उस तारीख तक खर्च किया गया है जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के हिस्से के अलग–अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से पहचाना जाता है। उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है, पूंजीकरण एक अनंतिम आधार पर किया जाता है, जो अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

2.2 इसके बाद की लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्तियों की मात्रा में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभावित होता है कि व्यय की जाने वाली लागत से होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के हिस्से की जगह की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त है यदि यह संभव है कि भविष्य के आर्थिक लाभ का हिस्सा समूह के अंदर प्रवाहित हो जाएगा और इसकी लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि की पहचान की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है।

2.3. डिकमिशनिंग लागत

यदि किसी प्रावधान के लिए मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो इसके उपयोग के बाद परिसंपत्ति की डिकमिशनिंग करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

2.4 अमान्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब अमान्यता तब दी जाती है जब भविष्य में कोई भी आर्थिक लाभ उनके उपयोग से या उनके निपटान से अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित होते हैं, और लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित है।

2.5. मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की अनुसूची 2 के भाग ग में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आने वाली दर का उपयोग करके ऋजु रेखा पद्धति के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में यथानुपात मूल्यह्रास को मान्यता दी गई है। फ्री होल्ड जमीन मूल्य ह्रासित नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन, जो कुछ मामलों में अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्धारित से भिन्न हैं, इस प्रकार हैं :

परिसंपत्ति की प्रकृति	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का जीवन
मोबाइल फोन	2 साल
ईएससीओ परियोजनाएं	परियोजना अवधि
लीड होल्ड इम्प्रुवमेंट	लीज अवधि
आवासीय परिसंपत्तियां	3 वर्ष

विदेशी सहायक कंपनियों की परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

परिसंपत्ति की प्रकृति	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का जीवन
भवन	50 वर्ष
ईएससीओ परियोजनाएं	परियोजना अवधि
मोटर वाहन	5/6 वर्ष
फिक्चर्स और फिटिंग	6 / 8 / 10 वर्ष
संयंत्र और मशीनरी	6/8 वर्ष
कंप्यूटर उपकरण	6/ 8 वर्ष

मूल्यह्रास का तरीका, उपादेयता और शेष उपादेयता की हर वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और यदि उचित है तो उसे समायोजित किया जाता है। तकनीकी आकलन और सलाह के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त अनुमानित उपादेयता सही है और इसी अवधि में प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से योगों / कटौतियों पर मूल्य–वृद्धि के आधार पर / से उस तिथि तक यथानुपात शुल्क लिया जाता है, जिस पर परिसंपत्ति उपयोग / निपटान के लिए उपलब्ध है। जहां विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि / कमी के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की लागत में बदलाव आया है, ऐसी परिसंपत्ति के असंशोधित शेष को मूल्यह्रास / परिशोधन के लिए संबंधित लागू लेखांकन नीतियों के बाद निर्धारित शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से प्रभारित किया जाता है।

जहां यह संभव है कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है, पीपीई पर बाद के खर्च के साथ–साथ इसकी असंशोधित मूल्यह्रास राशि को तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से प्रभारित किया जाता है। कंपनी 100 पर परियोजना उपकरण के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

3. प्रगतिमान पूंजी

स्व–निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम की लागत, परिसंपत्ति को स्थान पर लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई अन्य लागत और प्रबंधन और उधार लेने की लागतों द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्त शामिल है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से खर्च किए गए व्यय जब तक वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के आधार पर व्यवस्थित आधार पर पहचाने और आबंटित किए जाते हैं। यदि ईएससीओ मॉडल ऊर्जा दक्षता परियोजना अमल में नहीं आती है, तो उसके संबंध में किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

4.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी यदि यह संभावित है कि परिसंपत्ति के कारण होने वाले अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित होंगे

और परिसंपत्ति की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। समूह द्वारा अर्जित की गई अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनका सीमित उपयोगी जीवन होता है, को लागत पर मान्यता दी जाती है। बाद की माप लागत कम संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों पर की जाती है। लागत में परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

4.2. इसके बाद की लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्तियों की मात्रा में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभावित होता है कि व्यय की जाने वाली लागत से होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

4.3. अमान्य

एक अमूर्त संपत्ति को तब अमान्य करार किया जाता है जब भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ से उनके उपयोग या उनके निपटान से उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्तियों के किसी वस्तु के निपटान पर लाभ और हानि निर्धारित राशि से अमूर्त परिसंपत्तियों के निपटान से निकासी से निर्धारित होती है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

4.4. ऋणमुक्ति

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर एक ऋजु रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति के परिशोधन पद्ध ति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

5. उधारी लागत

उधारी लागत में शामिल हैं :

(क) इंड एएस 109 – 'वित्तीय लिखतों' में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना किए गए ब्याज व्यय;

(ख) इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता प्राप्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार – 'पट्टे' और

(ग) विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर इस सीमा तक कि उन्हें ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं। अर्ह परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती हैं।

जब समूह विशेष रूप से एक अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब समूह आम तौर पर धन उधार लेती है और एक अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है तो उधार लेने की लागतों के पूंजीकरण की गणना सामान्य उधार की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो अवधि के दौरान बकाया होती है और अर्हता के अधिग्रहण या निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। अर्ह परिसंपत्तियों पर उनके व्यय के लंबित उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से घटा दिया जाता है। उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्ह परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोगों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं। अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। उपयोग के बाद के वर्ष में पूंजीकरण के लिए अग्रेषित की जा रही अर्ह परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए उधार की अप्रयुक्त राशि के अनुपात में उध ार लागत को रखा जा रहा है।

6. मालसूची

मालसूची का मूल्य निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और मालसूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। लागत एफआईएफओ के आधार पर निर्धारित की जाती है। खरीदी गई मालसूची की लागत छूट और छूट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। निवल वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की कम अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है। स्टोर और पुर्जों की अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष और गैर–चलनशील वस्तुओं के मूल्य में कमी का पता समीक्षा के बाद लगाया जाता है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

7. नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों में नकद, हाथ पर नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

8. सरकारी अनुदान

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उचित आश्वासन मिलता है कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा, और समूह अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी। एक परिसंपत्ति की लागत के लिए समूह को क्षतिपूर्ति करने वाले अनुदान संबंधि त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं। अनुदान जो समूह को किए गए खर्चों की क्षतिपूर्ति करते हैं, उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती है जिसमें संबंधित लागतें खर्च की जाती हैं और संबंधित खर्चों में से कटौती की जाती है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यदि पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास एक वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जिसका अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावध ान का निर्धारण भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर दर पर छूट देकर किया जाता है जो पैसे के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का

सबसे अच्छा अनुमान है। जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी, और प्राप्य की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के निवल लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं काक प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्ति हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल समूह के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्ति को तब प्रकट किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है।

10. विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन शुरू में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं, जिस दिन लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है। रिपोर्टिंग तिथि पर आरबीआई संदर्भ दर लागू करके विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग की मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं का परिवर्तन किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या परिवर्तन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह अपवाद के साथ उत्पन्न होता है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर 31 मार्च 2016 तक और अभी भी बकाया को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वहन लागत में समायोजित किया गया है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है और लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तन किया जाता है। विदेशी मुद्रा में प्राप्त या भुगतान किए गए अग्रिम प्रतिफल के मामले में, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या उसके हिस्से) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख तब होती है जब समूह प्रारंभिक रूप से भुगतान या अग्रिम प्रतिफल की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर–मौद्रिक देयता को मान्यता देती है।

10.2 विदेशी परिचालन

अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाले सद्भावना और उचित मूल्य समायोजन सहित विदेशी परिचालन (अर्थात सहायक कंपनी) की परिसंपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दरों पर समूह की कार्यात्मक मुद्रा, आईएनआर में परिवर्तन किया जाता है। विदेशी परिचालन की आय और व्यय को औसत विनिमय दर पर आईएनआर में परिवर्तन किया जाता है क्योंकि लेनदेन की तारीख पर औसत दर पर वास्तविक दर का अनुमान लगाया जाता है।

11. राजस्व

संगठन का राजस्व माल की बिक्री, सेवाओं के प्रतिपादन और अन्य आय से उत्पन्न होता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, अन्य विविध आय आदि से ब्याज शामिल है।

11.1. माल की बिक्री से राजस्व

राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो एक ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं करता है। समूह राजस्व को पहचानती है जब (या के रूप में) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आम तौर पर तब होता है जब (या के रूप में) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

11.2. सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व

सेवाओं के प्रतिपादन से होने वाले राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो एक ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट है या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं करता है। समूह राजस्व को तब पहचानती है जब (या इसके रूप में) निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आम तौर पर तब होता है जब (या इसके रूप में) सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

राजस्व की विभिन्न धाराओं के संबंध में राजस्व की पहचान निम्नानुसार वर्णित है :

- **ऊर्जा दक्षता सेवाएं :**

  स्ट्रीट लाइट, कृषि पंप और अन्य उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना द्वारा ऊर्जा दक्षता सेवाएं प्रदान करने से होने वाले राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है क्योंकि ग्राहक एक साथ समूह द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं।

- **परामर्शदात्री सेवाएं :**

  प्रदान की गई परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को समय के साथ प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि के आधार पर मान्यता दी जाती है क्योंकि ग्राहक एक साथ समूह द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। प्रदान की गई परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन के पूरा होने के चरण के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई थी। पूर्णता के चरण का मूल्यांकन संबंधित संविदाओं की शर्तों के अनुरूप निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में किया गया था। परामर्शी संविदाओं पर आय की गणना उस संविदा पर प्रदान की गई सेवा की प्रगति के आधार पर किए गए व्यय के अनुपात में किया जाता है।

संविदा संशोधन

संविदा संशोधनों की गणना तब की जाती है जब संविदा के दायरे या संविदा मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन स्वीकृत होते हैं। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन

में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण समेकित बिक्री मूल्य पर है। सेवाओं को जोड़ा गया है जो अलग नहीं हैं, एक संचयी कैचअप आधार पर गणना की जाती है, जबकि जो अलग हैं उन्हें संभावित रूप से, या तो एक अलग संविदा के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत समेकित बिक्री मूल्य पर या मौजूदा की समाप्ति के रूप में होती है। संविदा और एक नया संविदा का निर्माण यदि समेकित बिक्री मूल्य पर कीमत नहीं है।

11.3. अन्य आय

ब्याज आय की पहचान तब की जाती है, जब समय अनुपात आधार पर बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि (ईएलआर) का उपयोग करते हुए, लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए उसे मापने और एकत्रित करने में कोई खास अनिश्चितता मौजूद न हो। परिशोधन लागत पर मापे गए ऋण उपकरणों के लिए, ब्याज आय को ईआईआर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या कम अवधि में, जहां उपयुक्त हो, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय देयता की परिशोधित लागत पर छूट देती है। ईआईआर की गणना करते समय, समूह वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है। ऊर्जा की बिक्री के लिए देर से भुगतान / अतिदेय व्यापार प्राप्य पर ब्याज / अधिभार को तब मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

11.4 उजाला कार्यक्रम पर जागरूकता से संबंधित व्यय

राज्य में डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के विज्ञापन/ जागरूकता पर होने वाले व्यय को वर्तमान वर्ष में वितरित एलईडी बल्बों के अनुपात में लाभ और हानि विवरण के साथ संबंधित राज्य के लिए कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण वर्ष की शुरुआत में प्रभारित किया जाता है और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार वर्ष की शुरुआत में डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया अभियान पर होने वाले खर्च को वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के अनुपात में डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम के तहत समग्र लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

12.1.परिभाषित योगदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना एक पश्चात–रोजगार लाभ योजना है जिसके तहत एक इकाई अलग–अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व भुगानित योगदान को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतान में कमी उपलब्ध है। एक परिभाषित योगदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक के बाद होता है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। कंपनी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। इसके अलावा, समूह स्वैच्छिक अपनी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बाहरी पेंशन फंड में 6 प्रतिशत का योगदान देता है। कंपनी के पास अंशदायी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक ट्रस्ट है जो पेंशन लाभ प्रदान करता है और कंपनी ट्रस्ट को एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है।

वर्ष के लिए दोनों फंडों में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है।

12.2 निर्धारित लाभ की योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक रोजगार के बाद मिलने वाली लाभ योजना है। ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है। कंपनी (भारतीय जीवन बीमा निगम) कंपनी द्वारा स्थापित एक फंड में योगदान करती है और अपने ग्रेच्युटी के संबंध में न्यासी बोर्ड द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की निवल दायित्व से गणना की जाती है, जो कि वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले में भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाती है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना की संपत्ति का उचित मूल्य काटा जाता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार की पैदावार पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता की तिथि होती हैं जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती हैं और उन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए एक योग्य बीमांकिक द्वारा की जाती है। जब गणना से कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त संपत्ति किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागतों के कुल तक सीमित होती है और भविष्य में किसी भी धन वापसी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य या योजना हेतु भविष्य के योगदान में कटौती से होती है। कंपनी को आर्थिक लाभ मिलता है यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना की देयताओं के निपटान के दौरान साकार होती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। जब किसी योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को औसत अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाता। इस हद तक कि लाभ तुरंत बन जाता है, लाभ और हानि के कथन में व्यय को तुरंत मान्यता दी जाती है।

12.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी की छुट्टी नकदीकरण के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ का गठन करते हैं। कंपनी का निवल दायित्व अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य के लाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु छूट दी गई है। छूट की दर भारत

सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार की उत्पादकता पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथियां होती हैं जिनमें कंपनी के दायित्वों की शर्तें बताई जाती हैं। गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

12.4 अल्पकालिक लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को एक छूट रहित आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के बाद इसे व्यय कर दिया जाता है।

निष्पादन संबंधी भुगतान के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए एक देयता को मान्यता दी जाती है, यदि समूह के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने हेतु एक कानूनी या रचनात्मक दायित्व है तथा दायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

13. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान कर, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर, अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों या रिपोर्टिंग तिथि पर लागू है, और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग कर देय है।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे क्रमशः ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रेषित राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद है, जब वे रिवर्स होते हैं, जो उन कानूनों के आधार पर लागू होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाता है कि यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ वसूल हो जाएगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट की जाती हैं यदि वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियां और कर देयताएं ऑफसेट होती हैं जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और या तो निवल आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति की वसूली होती है और एक साथ देयता का निपटान किया जाता है। लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आय करों को मान्यता दी जाती है जबकि संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

इंड एएस 12 के परिशिष्ट X, आयकर उपचारों पर अनिश्चितता : परिशिष्ट आयकर उपचारों पर अनिश्चितता होने पर इंड एएस 12 में अनुप्रयोग और माप आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान और आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता को कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और इस परिशिष्ट को लागू करके निर्धारित कर दरों के आधार पर इंड एएस 12 में आवश्यकताओं को लागू करके पहचाना और मापा जाता है। संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है। समूह ने समेकित वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

14 पट्टे (लीज)

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, समूह ने इंड एएस 116 को ''पट्टों'' के रूप में अपनाया है और प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि अर्थात 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी पट्टा संविदाओं के लिए मानक लागू किया है। समूह ने इंड–एएस 116 में संक्रमण के लिए संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण लागू किया है, जिसमें परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार (आरओयू) के साथ प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि से तुरंत पहले तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त किसी भी पूर्व भुगतान / प्रोद्भवन के लिए समायोजित पट्टे देयता के समकक्ष में मान्यता प्राप्त है। तदनुसार, 31 मार्च 2019 की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है और इंड एएस 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है। 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद की गई या बदली गई संविदाओं के लिए, संविदा की शुरुआत के समय, कंपनी यह आकलन करती है कि संविदा एक पट्टा है या नहीं। एक संविदा एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि संविदा किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या संविदा से किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या :

- संविदा में पहचान की गई एक परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है – यह स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग परिसंपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास पर्याप्त प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है;
- समूह को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा
- समूह को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। समूह के पास यह अधिकार होता है जब उसके पास निर्णय लेने के अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक संगत होते हैं कि परिसंपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है जहां परिसंपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित होता है, समूह को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है यदि या तो :
- समूह को परिसंपत्ति के संचालन का अधिकार है;

या

- समूह ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करती है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

  शुरुआत में या संविदा के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें पट्टा घटक होता है, समूह संविदा में प्रत्येक पट्टा घटक को उनके सापेक्ष एकल कीमतों के आधार पर प्रतिफल आबंटित करती है। अप्रैल 2019 से पहले की गई संविदाओं के लिए, यह निर्धारित करना कि क्या कोई व्यवस्था है (या इसमें शामिल है) एक पट्टा है जो पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था में परिसंपत्ति या परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताया जाता है, तो व्यवस्था एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, भले ही वह अधिकार किसी एक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

14.1 जहां समूह पट्टेदार है

समूह पट्टा शुरू होने की तिथि पर परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार और लीज देयता को मान्यता देती है। परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत का अनुमान शामिल है और अंतर्निहित परिसंपत्ति या अंतर्निहित परिसंपत्ति को पुर्नस्थापित करने के लिए या साइट है जिस पर स्थित है, कम किसी भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया। परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को बाद में ऋजु रेखा विधि का उपयोग करके प्रारंभ तिथि से परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि के अंत तक मूल्यह्रास किया जाता है। परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को समय–समय पर क्षति हानियों से कम किया जाता है, यदि कोई हो, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- नियत भुगतान, जिसमें पदार्थ में नियत भुगतान शामिल हैं;
- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, प्रारंभ में आरंभिक तिथि पर सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशि; तथा
- एक खरीद विकल्प के तहत अभ्यास मूल्य जिसे समूह प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निश्चित है, एक वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में पट्टा भुगतान, यदि समूह एक विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निश्चित है, और जब तक कि समूह जल्दी समाप्त करने के लिए उचित रूप से निश्चित नहीं है तो पट्टे की जल्दी समाप्ति के लिए जुर्माना होता है। पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में कोई बदलाव होता है, यदि समूह के अनुमान में एक अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की उम्मीद की राशि में परिवर्तन होता है, या यदि समूह अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा। जब पट्टे की देयता को इस तरह से पुनर्माप किया जाता है, तो परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार की अग्रेशित राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है या लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है यदि परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार की अग्रेषित राशि घटाकर शून्य कर दिया गया। समूह संपत्ति संयंत्र और उपकरण के तहत परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार और तुलन पत्र के सामने एक अलग रेखा मद के रूप में पट्टा देयताओं को प्रस्तुत करती है। समूह ने ट्रांजिशन प्रैक्टिकल एक्सपिडिएंट्स का चुनाव किया जिसने उन्हें (1) यह पुनर्मूल्यांकन नहीं करने की अनुमति दी कि क्या मौजूदा संविदाओं में पट्टे हैं, (2) मौजूदा पट्टों से जुड़ी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना है। समूह ने इंड एएस 116 के अनुसार अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए मान्यता छूट का उपयोग करने के लिए चुना है।

इंड एएस 17 के अंतर्गत

ऐसे पट्टे जिनमें जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समूह को पट्टेदार के रूप में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक ऋजु रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि पट्टेदार की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप भुगतान को संरचित नहीं किया जाता है। प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को पट्टे की अवधि के दौरान कुल पट्टा व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी जाती है।

14.2 जहां समूह पट्टादाता है

जब समूह एक पट्टादाता के रूप में कार्य करती है तो यह पट्टे की स्थापना के समय यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा या एक परिचालन पट्टा है। एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए संगत सभी जोखिमों और रिवार्ड्स को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है। परिचालन पट्टों से लीज आय, जहां समूह एक पट्टेदार है, को लीज अवधि के दौरान एक ऋजु रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित नहीं किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया गया है। वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को समूह के पट्टों में निवल निवेश पर प्राप्य ('वित्त पट्टा प्राप्य') के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय, पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने के लिए लेखांकन अवधियों के लिए आबंटित की जाती है। तुलनात्मक अवधि में एक पट्टेदार के रूप में समूह पर लागू लेखांकन नीतियां इंड–एएस 116 से भिन्न नहीं थीं।

15 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की ले जाने वाली मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या इंड एएस 36 'परिसंपत्ति के नुकसान' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति

की वसूली योग्य राशि का अनुमान है। किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि निपटान हेतु उचित मूल्य कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और उस परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, जिन परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ रखा जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्ति के समूहों के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं (''नकदी उत्पन्न करने की इकाई'' या ''सीजीयू'')। यदि किसी परिसंपत्ति या उसके सीजीयू की अनुमानित राशि से अधिक की वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो हानि पहचानी जाती है। क्षति हानि लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। सीजीयू के संबंध में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान को सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन मात्रा से कम किया जाता है। पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि किसी भी संकेत की हानि कम हो या अब मौजूद न हो। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है तो हानि का नुकसान हो सकता है। एक हानि का नुकसान केवल इस हद तक विपरीत है कि परिसंपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं होती है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल होता है, यदि कोई हानि नुकसान को मान्यता नहीं दी गई थी।

16 प्रचालन खंड

इंड एएस 108 के अनुसार, प्रचालन खंड, खंड जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन खंड को समूह के प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर खंडों के संसाधनों को आबंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहचान की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह के 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या 'सीओडीएम' के रूप में इंड एएस 108 के अर्थ में है। सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे एक खंड के लिए जिम्मेदार वस्तुओं के साथ–साथ उन्हें उचित आधार पर आबंटित किया जा सकता है। गैर–आबंटित वस्तुओं में मुख्य रूप से नैगम व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल हैं। खण्ड में दिखाए गए प्रत्यक्ष राजस्व को खंड राजस्व के रूप में माना गया है। खंडों में दिखाए गए प्रत्यक्ष व्यय और युक्तिसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय खंड व्यय के रूप में माने गए हैं। खंड पूंजीगत व्यय सद्भावना के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और अमूर्त परिसंपत्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान होने वाली कुल लागत है। खंड की परिसंपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, व्यापार और अन्य प्राप्य, सूची और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सीधे या यथोचित रूप से खंडों में आबंटित किया जा सकता है। खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधित खंडों के कारण संचालन के लिए परिसंपत्ति के उपयोग की सीमा के आधार पर खंडों को आबंटित किए गए हैं। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, पूंजीगत कार्य प्रगति पर, पूंजीगत अग्रिम, नैगम परिसंपत्तियां और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता है। खंड देयताएं में खंड के संबंध में सभी परिचालन देयताएं शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य भुगतान, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल हैं। खंड देयताओं में इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण और उधार और अन्य देयताएं और प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता है।

17. लाभांश

समूह के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में बदलाव के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

18 सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियां

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देयताएं और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनः वर्णित किया जाता है।

19 आय प्रति शेयर

वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय की गणना की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की तनुकृत कमाई की गणना इक्विटी शेयरों की मूल आय के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों और भारित औसत इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के आधार पर कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है जो सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए गए।

20 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण इंड एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया जाता है।

21 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन एक संविदा है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

21.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और मापन

समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता देती है जब वह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिन्हें शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन की लागतें जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण होती हैं, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं।

इसके बाद मापन

परिशोधन लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है :

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तारीखों पर जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का एक अभिन्न अंग शुल्क या लागत पर विचार करके की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं तो 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है। एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरू में और साथ ही उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलन ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, समूह लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर दौरान ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को रिपोर्ट किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकरण करने के लिए मानदंडों के अनुसार परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में नहीं मिलता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को वर्गीकृत करने का चयन कर सकती है। जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे 'एकाउंटिंग विसंगति' कहा जाता है)। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। समूह इक्विटी निवेशों को एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेता है। समूह इस तरह के चयान एक सधान द्वारा साधन के आधार पर करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है। यदि समूह एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेता है, तो लाभांश को छोड़कर, साधन पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंदर 'आईवी लॉस' पर कम अंतरण कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

मान्यता समापन

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की समूह का हिस्सा) मुख्य रूप से मान्यता का समापन तब होता है (अर्थात समूह के तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह पाने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- समूह ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या किसी 'पास–थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व ग्रहण किया है; और या तो

क) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्ड को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है या

ख) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्ड को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि :

इंड एएस 109 के अनुसार, समूह अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम अनावरण पर हानि नुकसान की पहचान करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण के साधन हैं, और परिशोधन लागत जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष में मापा जाता है।

(ख) इंड एएस 115 के तहत व्यापार प्राप्य, बिल रहित राजस्व और संविदा परिसंपत्ति।

प्राप्त व्यापार और बिल रहित राजस्व के लिए, समूह इंड एएस 109 वित्तीय साधन द्वारा आवश्यक सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके लिए प्राप्तियों की प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित जीवनकाल के नुकसान की आवश्यकता होती है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम के उदभासन की मान्यता के लिए, समूह यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के साथ क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग हानि के लिए किया जाता है। जबकि, यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है, तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने को रिवर्स कर देती है।

21.2 वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर, उधारी

और देय राशि के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को घटाकर निवल लागतों को मान्यता प्राप्त है। समूह की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य भुगतान, उधार और प्रतिधारण धन शामिल हैं।

बाद की माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम पर विचार करके की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार भुगतान और अन्य संविदात्मक देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक और वित्तीय देनदारियां के लिए आयोजित वित्तीय देनदारियां शामिल है। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में समूह द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जो इंड–एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं। व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया गया है, और यदि केवल इंड एएस 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, ओसीआई में अपने क्रेडिट जोखिम में होने वाले बदलावों के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, समूह इक्विटी के अंदर संचयी लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। समूह ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी भी वित्तीय देनदारियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

मान्यता समाप्ति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब समाप्त किया जाता है जब देयता के तहत देयता का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को दूसरे से एक ही ऋणदाता द्वारा अलग–अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के एक विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त मानी जाती है और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रेषित राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

21.3 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग और वित्तीय देयताएं

वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं की भरपाई की जाती है और तुलनपत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का आशय होता है।

22 अन्य व्यय

वार्षिक रखरखाव, कानूनी और पेशेवर परामर्श, प्रशिक्षण और भर्ती आदि पर व्यय किए गए वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

23 संबंधित पार्टी लेनदेन

संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर किया जाता है जो हाथ की लंबाई के लेनदेन में प्रचलित होते हैं।

24 लेखांकन नीति में परिवर्तन

24.1 इंड एएस 116- पट्टे :

इंड एएस 116 इंड एएस 17–पट्टों की जगह लेता है और एक संविदा अर्थात पट्टेदार और पट्टेदाता के लिए दोनों पक्षों के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है। इंड एएस 116 एक एकल पट्टेदार लेखा मॉडल पेश करता है और एक पट्टेदार को 12 महीने से अधिक की अवधि के साथ सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों को पहचानने की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्ति न हो। समूह ने 1 अप्रैल 2019 से, संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 ''पट्टों'' को अपनाया है। टिप्पणी 56 में मानक को अपनाने के प्रभाव को प्रकट किया गया है।

24.2 इंड एएस 12 के परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता :

जब आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता होती है, तो परिशिष्ट इंड एएस 12 में अनुप्रयोग और माप आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान और आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता को कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों के आधार पर इंड एएस 12 में आवश्यकताओं को लागू करके पहचाना और मापा जाएगा। अप्रयुक्त कर हानियां, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरें इस परिशिष्ट को लागू करके निर्धारित की जाती हैं। संशोधन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। समूह ने समेकित वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

24.3 अन्य संशोधन

मौजूदा मानकों में कई अन्य छोटे संशोधन भी 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो गए हैं और जहां कहीं भी लागू हो, समूह द्वारा उन्हें अपनाया गया है। इन नई लेखा घोषणाओं को अपनाने से समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

घ. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

प्रबंधन को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनुमान और धारणाएं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित कर सकती हैं और तुलन पत्र की तिथि में शामिल वस्तुओं के साथ–साथ आकस्मिक परिसंपत्ति और देनदारियों से संबंधित परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय और

संबंधित प्रकटीकरण के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। प्रबंधन के अनुमान और निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है। समेकित वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी जो समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करती है, निम्नानुसार है :

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियां कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी विकास) और रखरखाव के व्यय के स्तर सहित परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक शामिल हैं। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से ये समायोजित किए जाते हैं।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि अपेक्षित बाजार दृष्टिकोण और भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव पुनर्प्राप्ति राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

(iii) रोजगार बाद लाभ योजना

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ–साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन बढ़ने की दर और छूट दर के बारे में अनुमान लगाए गए हैं। समूह समझती है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मान्यताओं को उचित और दस्तावेज दिया गया है। हालांकि, इन धारणाओं में होने वाले किसी भी बदलाव का परिणामी गणनाओं पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

(iv) राजस्व

समूह यह निर्धारित करने के लिए निर्णय लागू करती है कि ग्राहक से किए गए वादे के अनुसार प्रत्येक उत्पाद या सेवा विशिष्ट होने में सक्षम है, और संविदा के संदर्भ में अलग हैं, यदि नहीं, तो वादे के अनुसार उत्पाद या सेवाओं को संयुक्त किया जाता है और एक एकल प्रदर्शन दायित्व के रूप में माना जाता है। समूह अपने सापेक्ष एकल बिक्री मूल्य के आधार पर अलग से पहचाने जाने योग्य निश्पादित दायित्व वितरण योग्य के लिए व्यवस्था विचार आबंटित करती है। यदि कोई रियायत और छूट होती है तो इसका प्रबंधन अनुमानों के आधार पर राजस्व में कमी के रूप में माना जाता है।

(v) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्यता देने में किए गए आकलन इंड एएस 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति'' के अनुसार किए गए हैं। संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता है। परिस्थितियों को अप्रत्याशित विकास के बाद बदलना चाहिए, यह संभावना बदल सकती है।

(vi) आय कर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की अपेक्षित राशि सहित आयकर और आस्थगित करों के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

(vii) गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से निवेशिती समूह के संचालन से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

(viii) पट्टा कानूनी पट्टे के रूप में नहीं है

समूह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड एएस 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के अर्ह है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। समूह पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करती है। समूह पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा कवर की गई दोनों अवधियों के साथ, यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है; और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है। यह आकलन करने में कि क्या समूह पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए निश्चित रूप से निश्चित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करती है, यह उन सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो समूह पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने या न करने के लिए विस्तार के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करती हैं। यदि पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो कंपनी पट्टे की अवधि में संशोधन करती है। छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

2 क संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2020 के अनुसार

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड					मूल्यह्रास					निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2019 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	विदेशी विनिमय लेनदेन में अंतर	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	विदेशी विनिमय लेनदेन में अंतर	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
फ्रीहोल्ड भूमि	**743.64**	**(743.64)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	4,802.55	-	-	260.31	**5,062.86**	1,624.52	314.17	-	111.54	2,050.23	**3,012.63**
लीजहोल्ड सुधार	2.83	276.98	-	-	**279.81**	1.58	74.43	-	-	76.01	**203.80**
परियोजना उपकरण	230,519.59	107,307.47	10,879.26	-	**326,947.80**	56,287.69	42,112.74	9,546.25	-	88,854.18	**238,093.62**
सेल फोन्स	72.04	15.04	3.16	-	**83.92**	56.06	13.47	1.88	-	67.65	**16.27**
कार्यालय के उपकरण	270.38	25.89	-	-	**296.27**	119.49	53.30	-	-	172.79	**123.48**
फर्नीचर और फिटिंग	2,048.43	219.92	7.52	109.43	**2,370.26**	1,433.21	199.95	3.60	86.47	1,716.03	**654.23**
कम्प्यूटर्स	464.42	82.45	7.57	-	**539.30**	289.04	106.75	4.81	-	390.98	**148.32**
संयंत्र और मशीनरी	1,490.27	67.39	11.05	94.11	**1,640.72**	833.21	93.09	11.05	66.60	981.85	**658.87**
ई–वाहन	74.51	579.85	-	-	**654.36**	9.28	53.60	-	-	62.88	**591.48**
अन्य मोटर वाहन	335.93	-	-	18.38	**354.31**	304.49	15.07	-	4.82	324.38	**29.93**
आवासीय परिसंपत्ति	82.69	-	2.42	-	**80.27**	38.72	23.89	1.63	-	60.98	**19.29**
सौर संयंत्र	2,102.64	25,123.92	-	-	**27,226.56**	31.72	678.25	-	-	709.97	**26,516.59**
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार*	**-**	**6,557.94**	**-**	**60.82**	**6,618.76**	**-**	**2,128.20**	**-**	**18.44**	**2,146.64**	**4,472.12**
कुल	**243,009.92**	**139,513.21**	**10,910.98**	**543.05**	**372,155.20**	**61,029.01**	**45,866.91**	**9,569.22**	**287.87**	**97,614.57**	**274,540.63**

31 मार्च 2019 के अनुसार

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड					मूल्यह्रास					निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2018 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	विदेशी विनिमय लेनदेन में अंतर	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	विदेशी विनिमय लेनदेन में अंतर	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को
फ्रीहोल्ड भूमि	**743.64**	-	-	-	**743.64**	-	-	-	-	-	**743.64**
भवन	4,515.64	472.01	-	(185.10)	**4,802.55**	1,461.35	231.68	-	(68.51)	1,624.52	**3,178.03**
लीजहोल्ड सुधार	195.48	-	192.65	-	**2.83**	64.15	22.33	84.90	-	1.58	**1.25**
परियोजना उपकरण	103,558.07	131,641.41	4,652.70	(27.19)	**230,519.59**	22,766.14	34,052.03	526.90	(3.58)	56,287.69	**174,231.90**
सेल फोन्स	60.63	12.03	0.62	-	**72.04**	35.50	20.81	0.25	-	56.06	**15.98**
कार्यालय के उपकरण	261.66	10.06	1.34	-	**270.38**	67.48	52.01	-	-	119.49	**150.89**
फर्नीचर और फिटिंग	1,989.49	172.24	41.36	(71.94)	**2,048.43**	1,328.06	152.48	5.55	(41.78)	1,433.21	**615.22**
कम्प्यूटर्स	402.64	85.29	23.51	-	**464.42**	199.23	112.70	22.89	-	289.04	**175.38**
संयंत्र और मशीनरी	1,608.17	28.41	78.66	(67.65)	**1,490.27**	810.71	100.87	41.09	(37.28)	833.21	**657.06**
ई–वाहन	956.45	22.79	904.73	-	**74.51**	12.22	(2.94)	-	-	9.28	**65.23**
अन्य मोटर वाहन	291.66	27.92	(28.60)	(12.25)	**335.93**	260.09	66.16	(3.88)	(25.64)	304.49	**31.44**
आवासीय परिसंपत्ति	84.17	0.25	1.73	-	**82.69**	1.03	37.91	0.22	-	38.72	**43.97**
सौर संयंत्र	**-**	**2,102.64**	**-**	**-**	**2,102.64**		**31.72**	**-**	**-**	**31.72**	**2,070.92**
कुल	**114,667.70**	**134,575.05**	**5,868.70**	**(364.13)**	**243,009.92**	**27,005.96**	**34,877.76**	**677.92**	**(176.79)**	**61,029.01**	**181,980.91**

*टिप्पणी देखें।

2क संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (निरन्तर)

क) पूंजीकृत विनिमय अंतरों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के 'अतिरिक्त' कॉलम में प्रकट किया जाता है और पूंजीकरण के वर्ष में सीडब्ल्यूआईपी के 'कमी /समायोजन' कॉलम के माध्यम से सीडब्ल्यूआईपी के विभिन्न शीर्षों को आबंटित किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के 'कमी /समायोजन' कॉलम में पहले से पूंजीकृत परिसंपत्तियों के संबंध में विनिमय अंतर का प्रकट किया गया है। पीपीई और सीडब्ल्यूआईपी के प्रमुख शीर्षों की लागत में शामिल विनिमय अंतर और उधार लागतों का परिसंपत्ति–वार विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परियोजना उपकरण		
पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल विनिमय अंतर	272.42	(244.28)
पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल उधार लागत	5,953.28	3,400.99

ख) समूह द्वारा प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए टिप्पणी 20 और 27 देखें।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 54 देखें।

घ) सहायक कंपनियों के संबंध में परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और पट्टा देयता की गणना सहायक ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट लिमिटेड के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार की गई है।

2ख अमूर्त परिसंपत्ति

31 मार्च 2020 को

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड					परिशोधन					निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2019 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन अंतर	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन अंतर	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
सॉफ्टवेयर	2,279.85	-	269.33	2.44	2,012.96	753.58	577.81	-	2.37	1,333.76	679.20
सद्भावना*	43,307.56	-	-	1,230.17	44,537.73	-	-	-	-	-	44,537.73
कुल	**45,587.41**	**-**	**269.33**	**1,232.61**	**46,550.69**	**753.58**	**577.81**	**-**	**2.37**	**1,333.76**	**45,216.93**

31 मार्च 2019 को

लाख रु. में

विवरण	सकल खण्ड					परिशोधन					निवल खण्ड
	1 अप्रैल 2018 को	वृद्धि	कमी / समायोजन	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन अंतर	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	विदेशी मुद्रा अंतरण अंतर	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को
सॉफ्टवेयर	1,712.48	569.01	-	(1.64)	2,279.85	76.00	678.60	-	(1.02)	753.58	1,526.27
सद्भावना*	44,163.34	-	-	(855.78)	43,307.56	-	-	-	-	-	43,307.56
कुल	**45,875.82**	**569.01**	**-**	**(857.42)**	**45,587.41**	**76.00**	**678.60**	**-**	**(1.02)**	**753.58**	**44,833.83**

*सद्भावना मूल्यांकन इसकी सहायक ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट लिमिटेड के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार लिया गया है।

3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

31 मार्च, 2020 को

लाख रु. में

विवरण	1 अप्रैल 2019 को	वृद्धि	कमी / समायोजन/ पूंजीकरण	31 मार्च 2020 को
परियोजना उपकरण				
सड़क की लाइट्स	90,004.07	40,909.63	60,790.01	70,123.69
भवन	8,668.95	9,442.31	6,042.36	12,068.90
स्मार्ट मीटर	10,262.68	55,696.62	40,338.81	25,620.49
सॉफ्टवेयर	7.55	-	-	7.55
सार्वजनिक चार्जर	-	224.61	54.30	170.31
ट्राइजनरेशन परियोजना	-	750.27	-	750.27
राष्ट्रीय मोटर प्रतिस्थापन कार्यक्रम परियोजना	22.69	156.97	81.99	97.67
	108,965.94	107,180.41	107,307.47	108,838.88
भूमि और संपत्ति	21.83	120.26	142.09	-
ई–वाहन	67.13	512.72	579.85	-
सौर संयंत्र	12,776.39	34,493.28	25,123.92	22,145.75
अन्य	136.26	461.50	134.89	462.87
कुल	121,967.55	142,768.17	133,288.22	131,447.50

31 मार्च, 2019 को

लाख रु. में

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	वृद्धि	कमी / समायोजन/ पूंजीकरण	31 मार्च 2019 को
परियोजना उपकरण				
सड़क की लाइट्स	120,188.18	59,264.04	89,448.15	90,004.07
भवन	5,368.18	6,166.04	2,865.27	8,668.95
स्मार्ट मीटर	1,937.95	8,324.73	-	10,262.68
कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम)	12.26	-	12.26	-
सॉफ्टवेयर	7.55	-	-	7.55
सोलर रूफटॉप	9.04	-	9.04	-
उजाला परियोजना	0.54	-	0.54	-
राष्ट्रीय मोटर प्रतिस्थापन कार्यक्रम परियोजना	-	22.69	-	22.69
	127,523.70	73,777.50	92,335.26	108,965.94
भूमि और संपत्ति	1,671.68	110.71	1,760.56	21.83
ई–वाहन	151.19	66.78	150.84	67.13
सौर संयंत्र	-	12,776.39	-	12,776.39
अन्य	2.34	136.25	2.33	136.26
कुल	129,348.91	86,867.63	94,248.99	121,967.55

पूंजीगत कार्य प्रगति पर टिप्पणी

क) उपयोग के बाद के वर्ष में पूंजीकरण के लिए अग्रेषित की जा रही अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण हेतु उपयोग के लिए उधार लागत को उधार की अप्रयुक्त राशि के अनुपात में रखा जा रहा है। जबकि, अर्ह परिसंपत्तियों पर उनके व्यय के लंबित उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटा दिया जाता है, जैसा कि 'उधार लागत' के संबंध में लेखा नीति संख्या सी. 5 (टिप्पणी 1) में कहा गया है।

ख) कंपनी ने अपने ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) मॉडल के तहत विभिन्न राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा अन्य संगठनों के साथ समझौते किए हैं, जिसमें कंपनी परियोजनाओं के लिए अग्रिम निवेश करती है (रखरखाव और वॉरंटी दायित्वों के साथ, विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक के बाद एक कवर किए गए समझौते) जो समझौतों के तहत पारस्परिक रूप से सहमत आवधिक किश्तों के माध्यम से वसूल किए जाते हैं। मूल कंपनी कुछ आंकड़ों को संकलित करने और विभिन्न समझौतों के तहत बिल योग्य, प्राप्य और देय राशियों को समेटने, योजना के तहत स्टोर और परिसंपत्तियों के सत्यापन और अन्यथा और स्थापित की जाने वाली परिसंपत्तियों के रूप में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में है। (संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत जैसे वेतन, ऋण/बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी मुद्रा लाभ/हानि आदि के पूंजीकरण सहित) और परिसंपत्ति जिसके प्रति समझौतों के अनुसार राजस्व बुक किया गया है (लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार)। मूल कंपनी को इस तरह के सत्यापन के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी बड़े अंतर की उम्मीद नहीं है, और उक्त अभ्यास के पूरा होने के बाद अंतरों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगी।

ग) मूल कंपनी ने पुरानी पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाइटों को बदलने हेतु नगर निगम के साथ समझौता किया है। परिसंपत्तियों को पूंजीकरण की तिथि से बही खातों में पूंजीकृत किया जाता है जैसा कि संबंधित नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है और मूल्यह्रास पूंजीकरण की तिथि से तदनुसार लगाया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मूल कंपनी को नगर निगमों से कुछ पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमाण पत्र में उल्लिखित पूर्णता तिथियां पिछले वर्ष में आती हैं।

4 गैर वर्तमान परिसंपत्तियां - इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम लेखा में निवेश

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
इक्विटी साधन – अनुद्धृत (पूरी तरह से भुगतान किया)		
संयुक्त उद्यम कंपनी		
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड 2,600 (31 मार्च 2019 : 2,600) 10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	6.59	5.96
इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (नीचे दी गई टिप्पणी ग को देखें) 49 (31 मार्च 2019 : शून्य) 10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	-	-
कुल	6.59	5.96
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	6.59	5.96
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-

क) निवेश का मूल्यांकन लेखा नीति संख्या सी.1.2 (टिप्पणी 1) के अनुसार किया गया है।

ख) भारतीय लेखा मानक 112 'अन्य संस्थाओं में ब्याज का प्रकटीकरण' के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 49 देखें।

ग) कंपनी ने एक नव गठित कंपनी इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 49 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने हेतु वर्ष के दौरान 490 रुपए का निवेश किया है।

5 गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अनुद्धृत निवेश		
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनुद्धृत (एफवीटीपीएल) :		
मेपल लीफ में निवेश	1,721.69	1,527.24
कुल	1,721.69	1,527.24
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	1,721.69	1,527.24
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-

क) टिप्पणी 43 और टिप्पणी 44 में उचित मूल्य माप और समूह के बाजार जोखिमों के बारे में जानकारी को प्रकट किया गया है।

6 गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूति, सही माने गए		
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड के लिए ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	5,692.30	5,219.77
कर्मचारियों के लिए ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	217.29	120.39
प्रतिभूति जमा	166.27	373.56
कुल	**6,075.86**	**5,713.72**

क) भारतीय लेखा मानक 24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 47 देखें।

7 अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
गैर भुगतानित राजस्व	850.91	1,080.93
वित्तीय पट्टा प्राप्तियां (टिप्पणी 56 और टिप्पणी ख को देखें)	12,261.65	7,687.96
ग्रहणाधिकार के तहत जमा (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	2,232.87	1,506.07
बारह माह के बाद परिपक्व होने वाले बैंकों में जमा राशि	-	15.61
कुल	**15,345.43**	**10,290.57**

क) ग्रहणाधिकार के तहत बैंकों के पास जमा राशि शामिल हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक, यूके– बॉन्डों को नकद जमानत देने के लिए प्रतिभूति	917.82	795.96
बैंक ऑफ आयरलैंड– बॉन्ड को जमानत देने के लिए नकदी की प्रतिभूति	412.90	-
इन्वेस्टेक बैंक– बॉन्डों को नकद जमानत देने के लिए प्रतिभूति	465.38	-
चब्स, यूके– बॉन्ड को जमानत देने के लिए नकद प्रतिभूति	-	390.97
बैंक ऑफ बड़ौदा, यूके– ऋण सुविधा समझौते के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक ऋण सेवा आरक्षित खाता	299.06	290.76
वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन, यूके– क्रेडिट कार्ड के प्रति प्रतिभूति	23.15	24.84
साख पत्र और बैंक गारंटी के लिए मार्जिन राशि	110.36	-
सीएसटी और वैट के लिए एफडी	4.20	3.54
कुल	**2,232.87**	**1,506.07**

ख) सहायक कंपनियों के वित्त पट्टा प्राप्य में 3,378.89 लाख रुपए (वर्तमान वित्त पट्टा प्राप्य में 45.67 लाख रुपए) शामिल हैं जो वसूली की अनिश्चितताओं के अधीन हैं, निदेशकों का मानना है कि प्राप्य पूरी तरह से वसूल किया जाएगा।

8 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	-	4,631.71
अप्रयुक्त मूल्यह्रास और अग्रेषित कर घाटे	2,897.55	465.69
क्रेडिट क्षति प्राप्ति योग्य के लिए भत्ता	362.31	137.43
पट्टा देयताएं	29.74	37.84
अवकाश नकदीकर के लिए प्रावधान	209.97	50.39
ग्रेच्युटी (उपदान) के लिए प्रावधान	29.42	47.78
बोनस के लिए प्रावधान	3.45	113.07
मालसूचियों में कमी के लिए प्रावधान	0.91	-
व्यय की अनुमति नहीं है	271.93	290.51
परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधन	13.71	(12.37)
घटाएं : आस्थगित कर देयताएं		
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	1,296.74	3,361.47
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	1,228.99	8.00
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	191.22	1,083.85
एफवीटीपीएल पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां	-	30.11
कुल आस्थगित कर देयताएं (निवल)	1,102.04	1,278.62

क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने हेतु कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

ख) भारतीय लेखा मानक 12 आयकर के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 40 देखें।

9 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पूंजीगत अग्रिम	1,625.93	1336.78
आस्थगित किराया	-	13.86
कुल	**1,625.93**	**1,350.64**

10 मालसूची

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार में स्टॉक	22,428.05	27,498.43
कार्य प्रगति पर	3,867.86	7,254.53
कच्ची सामग्रियां	-	-
कुल	26,295.91	34,752.96

क) मालसूची मदों का मूल्यांकन लेखा नीति संख्या सी. 6 (टिप्पणी 1) के अनुसार किया गया है।

ख) व्यापार में स्टॉक में शून्य रुपए (31 मार्च 2019 : 1,396.43 लाख रुपए) के पारगमन में वस्तुओं की कीमत शामिल है।

ग) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल सूची की लागत 1,16,210.30 लाख रुपए (व्यापार प्रोत्साहन के रूप में 0.95 लाख रुपए सहित) (31 मार्च 2019 : 1,38,331.70 लाख रुपए (व्यापार प्रोत्साहन के रूप में 51.16 लाख रुपए सहित)) है।

घ) स्टॉक और ऋणों की बही पर प्रथम एक ही समय में शुल्क पर ऋण प्रतिभूत किए गए हैं। (टिप्पणी 20 और 27 देखें)।

11 व्यापार प्राप्ति योग्य

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार प्राप्ति योग्य	285,544.09	194,375.67
अप्रतिभूति, सही माने गए	1,439.55	393.29
क्रेडिट में क्षति	286,983.64	194,768.96
घटाएं : क्रेडिट में क्षति व्यापार प्राप्ति योग्य के लिए प्रावधान	1,439.55	393.29
कुल	**285,544.09**	**194,375.67**

क) ऋण जोखिम के संबंध में विवरण हेतु टिप्पणी 44 देखें।

ख) संबंधित पक्षों से प्राप्त राशियों का प्रकटीकरण टिप्पणी 47 में किया गया है।

ग) प्राप्य (संबंधित पार्टी बैलेंस सहित) पुष्टिकरण, विनियोजन और परिणामी समायोजन के अधीन हैं जो विनियोजन पर उत्पन्न हो सकते हैं।

घ) स्टॉक और ऋणों की बही पर प्रथम एक ही समय में शुल्क पर ऋण प्रतिभूत किए गए हैं। (टिप्पणी 20 और 27 देखें)।

ङ) व्यापार प्राप्तियों में मुकदमेबाजी के तहत 2,190.05 लाख रुपए की प्राप्य राशि शामिल है।

च) सहायक कंपनियों की प्राप्य राशि में एक ग्राहक से 347.78 लाख रुपए देय राशि शामिल है जिसे परिसमापन में डाल दिया गया था, निदेशकों का मानना है कि 347.78 लाख रुपए की प्राप्य राशि पूरी तरह से वसूल की जाएगी। इसके अलावा, संविदा की शर्तों के अनुपालन के संबंध में वर्तमान में एक विवाद है जिसे संबोधित करने की प्रक्रिया में है, जिसका अंतिम परिणाम वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निदेशकों का मानना है कि समूह ऐसी विशिष्ट संविदाओं के कारण 361.54 लाख रुपए की प्राप्य राशि वसूल करने का पात्र है।

छ) व्यापार प्राप्तियों की अग्रेनीत राशि में प्राप्य राशियां शामिल थीं जो फैक्टरिंग व्यवस्था के अधीन हैं। कंपनी ने इस व्यवस्था के तहत नकद के बदले में संबंधित प्राप्तियों को बैंक में स्थानांतरित कर दिया था और प्राप्तियों को बेचने या गिरवी रखने से रोका जाता है। जबकि, कंपनी ने देर से भुगतान और क्रेडिट जोखिम को बरकरार रखा। इसलिए कंपनी ने अपनी तुलनपत्र में हस्तांतरित परिसंपत्तियों को उनकी संपूर्णता में पहचानना जारी रखा। फैक्टरिंग समझौते के तहत चुकाने योग्य राशि को प्रतिभूत उधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

12 नकदी और नकद समकक्ष

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंक में शेष राशियां –		
चालू खाते में	34,879.63	43,790.35
जमा खाते में	-	3.62
हाथ में नकदी	2.16	26.08
कुल	**34,881.79**	**43,820.05**

13 नकदी तथा नकद समकक्ष के अलावा अन्य बैंक में शेष

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
तीन माह से अधिक की मूल परिपक्वता और एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाली जमा राशियां (अर्जित ब्याज सहित)	18,068.21	33,269.28
ग्रहणाधिकार के तहत बैंकों में जमा (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	12,425.10	525.15
कुल	30,493.31	33,794.43

क) ग्रहणाधिकार के तहत बैंकों के पास जमा में अर्जित ब्याज शामिल है और प्रतिनिधित्व करता है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी	11,955.67	522.14
बॉन्डों को नकद संपार्श्विक बनाने हेतु प्रतिभूति के रूप में इन्वेस्टेक बैंक के पास जमा राशियां	465.38	-
सीएसटी और वैट के लिए जमा राशियां	4.05	3.01
कुल	**12,425.10**	**525.15**

14 वर्तमान ऋण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूति, सही माने गए		
कर्मचारियों के लिए ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	139.95	113.56
प्रतिभूति जमा	526.99	250.78
कुल	**666.94**	**364.34**

15 अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
गैर भुगतानित राजस्व	10,989.09	2,462.17
वित्तीय पट्टा प्राप्तियां (टिप्पणी टिप्पणी 7 और टिप्पणी 56 देखें)	1,711.52	888.45
अन्य (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	2,030.66	5,000.43
कुल	**14,731.27**	**8,351.05**

क) अन्य में तीसरे पक्ष की ओर से किए गए व्यय शामिल हैं जो वसूली योग्य हैं।

16 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम कर	2,040.21	894.72
स्व आकलन वापसी	2,785.32	2,360.41
टीसीएस वसूली योग्य	43.28	39.49
टीडीएस वसूली योग्य	348.14	521.21
अनुशंगी लाभ कर	-	-
कुल	**5,216.95**	**3,815.83**

17 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्य (टिप्पणी 31 देखें)	38,103.16	29,157.12
विरोध के तहत जमा की गई जमा राशि	4,852.69	4,327.95
पूर्व भुगतान किया गया व्यय (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	6,396.41	7,081.06
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	2,401.03	2,812.01
आस्थगित लागत	-	2,566.94
आस्थगित किराया	-	65.44
कर्मचारी के लिए अग्रदायी	45.05	13.40
अन्य (नीचे दी गई टिप्पणी ख देखें)	483.08	592.94
कुल	**52,281.42**	**46,616.86**

क) किसी राज्य में डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम पर विज्ञापन/जागरूकता पर होने वाले व्यय को वर्तमान वर्ष में वितरित एलईडी बल्बों के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण के लिए उस संबंधित राज्य हेतु कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण की शुरुआत में प्रभारित किया जाता है। वर्ष और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया प्रचार पर होने वाले खर्च को वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के अनुपात में डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के तहत कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित किया जाता है। वर्ष की शुरुआत और शेष राशि को बाद के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तदनुसार, पिछले वर्ष 2018–19 से अग्रेशित किए गए कुल व्यय में से 4287.50 लाख रुपए शेष, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान मीडिया/विज्ञापन व्यय में 1,071.88 लाख रुपए प्रभारित किया गया है, शीर्ष ''अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां'' के तहत प्रीपेड व्यय के रूप में 3,215.62 लाख रुपए आगे बढ़ाया गया है।

ख) अन्य में विक्रेताओं और कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि शामिल हैं।

18 शेयर पूंजी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत				
प्रत्येक 10 रुपए के प्रति मूल्य के इक्विटी शेयर	350,00,00,000	350,000.00	350,00,00,000	350,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण रूप से प्रदत्त				
प्रत्येक 10 रुपए के प्रति मूल्य के इक्विटी शेयर	**983,328,350**	**98,332.84**	**675,204,350**	**67,520.44**

क) इक्विटी शेयर पूंजी में आवागमन :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया	675,204,350	67,520.44	462,000,000	46,200.00
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	308,124,000	30,812.40	213,204,350	21,320.44
वर्ष के अंत में बकाया	**983,328,350**	**98,332.84**	**675,204,350**	**67,520.44**

कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत राइट इशू के लिए एक प्रस्ताव दिया। एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से 31 मार्च 2018 को 9,900.00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई और इसके बाद क्रमशः 27 अप्रैल 2018 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 9,900.44 लाख रुपए और 1,520.44 लाख रुपए प्राप्त हुए। कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 21,320.44 लाख रुपए के 213,204,350 शेयर जारी किए।

कंपनी ने 11 मार्च 2019 को मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत राइट इशू के लिए एक प्रस्ताव दिया। परिणामस्वरूप, 8 जून 2019 को क्रमशः एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 11,998.80 लाख रुपए, 7,160.00 लाख रुपए और 1,841.40 लाख रुपए की इक्विटी शेयर जारी किए गए थे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रस्ताव की सदस्यता नहीं ली।

कंपनी ने 22 जुलाई 2019 को मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत सही मुद्दे के लिए एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव को एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सब्सक्राइब किया गया था, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड ने एनटीपीसी लिमिटेड के पक्ष में अपने प्रस्ताव को त्याग दिया था। परिणामस्वरूप, 12 सितंबर 2019 को एनटीपीसी लिमिटेड को 9,812.20 लाख रुपए की आबंटित इक्विटी शेयर आबंटित किए गए थे। कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 30,812.40 लाख रुपए के 308,124,000 शेयर जारी किए।

ख) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार :

कंपनी के पास बराबर मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर वाले समानता शेयरों का एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेयरधारकों की बैठकों में अपनी शेयर धारिता के अनुपात के अधिकार के पात्र हैं।

ग) लाभांश :

लाख रु. में

विवरण	वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किया गया		31 मार्च 2019 को	
	प्रति शेयर (रुपए में)	राशि	प्रति शेयर (रुपए में)	राशि
इक्विटी शेयर				
अंतिम लाभांश	**0.10**	**948.79**	**0.16**	**1,102.99**

घ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धारिता
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	245,500,000	24.97%	245,500,000	36.36%
एनटीपीसी लिमिटेड	463,610,000	47.15%	245,500,000	36.36%
आरईसी लिमिटेड	218,100,000	22.18%	146,500,000	21.70%
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	56,118,350	5.70%	37,704,350	5.58%
कुल	**983,328,350**		**675,204,350**	

प्रमोटरों ने शुरुआत में प्रत्येक कंपनी को 25 प्रतिशत शेयरों की सदस्यता ली। पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के तहत राइट इशू के लिए प्रस्ताव दिया है। आरईसी लिमिटेड और पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रस्तावित शेयरों की सदस्यता नहीं ली है और तदनुसार शेयरधारिता का प्रतिशत 25 प्रतिशत से कम है।

19 अन्य इक्विटी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	-	-
डिबेंचर विमोचन रिजर्व	15,126.44	15,126.44
प्रतिधारित आय	344.76	(1,639.70)
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व	(862.26)	(1,442.49)
कुल	14,608.94	12,044.25

क) शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेश	-	9,900.00
शेयर आवेदन राशि प्राप्त की	30,812.40	11,420.44
इक्विटी शेयर जारी किए गए	(30,812.40)	(21,320.44)
समापन शेष	-	-

ख) डिबेंचर विमोचन रिजर्व

कंपनी को डिबेंचर के विमोचन के उद्देश्य के लिए लाभांश के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभों में से एक डिबेंचर विमोचन रिजर्व बनाने की आवश्यकता है। रिजर्व में आवागमन निम्नानुसार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेष	15,126.44	6,515.21
जोड़ें : प्रतिधारित आय से अंतरण	-	8,611.23
समापन शेष	**15,126.44**	**15,126.44**

ग) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी की जमा आय की मात्रा और परिभाषित लाभ योजनाओं तथा लाभ पर पुनः माप अंतर की राशि का प्रतिनिधित्व करती है। रिजर्व में आवागमन निम्नानुसार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेष	(1,639.70)	63.55
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष हेतु लाभ	3,119.20	10,073.76
लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव (टिप्पणी 55 देखें)	-	(1,658.90)
सहायक कंपनी में स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी 49 देखें)	-	(130.03)
लाभांश का भुगतान	(948.79)	(1,102.99)
लाभांश के भुगतान पर कर	(195.01)	(226.72)
डिबेंचर विमोचन रिजर्व में अंतरण	-	(8,611.23)
इक्विटी शेयर जारी करने पर उत्पन्न होने वाली लेनदेन की लागत, कर का निवल	-	(25.00)
प्रतिधारित आय में अन्य व्यापाक आय के आइटम सीधे मान्यता प्राप्त :	335.70	(1,617.56)
रोजगार के बाद लाभ दायित्व का पुनर्माप, कर का निवल	9.06	(22.14)
अंतिम शेष	**344.76**	**(1,639.70)**

घ) **विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व**

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेश	(1,442.49)	375.41
जोड़ें : मुद्रा ट्रांसलेशन समायोजन	580.23	(1,817.90)
घटाएं : प्रतिधारित आय में स्थानांतरित	-	-
अंतिम शेष	**(862.26)**	**(1,442.49)**

20 गैर-चालू उधार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिभूत डिबेंचर्स / बॉन्ड		
(i) 8.07 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) – वर्तमान और भविष्य दोनों गतिशील योग्य अचल परिसंपत्तियों पर इसी के साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित (8.07 प्रतिशत प्रति वर्ष 12,500.00 लाख रुपए के दो असमान अलग–अलग हस्तांतरणीय विमोचन योग्य मुख्य भाग (एसटीआरपीपी) के साथ गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय विमोचन योग्य कर योग्य बॉन्ड और 20 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2023 को क्रमशः (पहला निर्गत – निजी नियोजन) पर 25,000.00 लाख रुपए विमोचन योग्य।	39,104.08	52,133.59
अप्रतिभूत डिबेंचर्स / बॉन्ड		
(i) 7.80 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) (7.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय विमोचन योग्य कराधान बॉन्ड जुलाई 2022 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाए गए 45,000.00 लाख रुपए (दूसरा निर्गत–निजी नियोजन)	47,474.26	47,471.42
(ii) 8.15 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) (8.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर – परिवर्तनीय विमोचन योग्य कराधान बॉन्ड फरवरी 2021 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाए गए 20,000.00 लाख रुपए (तीसरा निर्गत–निजी नियोजन)	20,365.19	**20,361.73**
(iii) 8.29 प्रतिशत डिबेंचर्स (घरेलू बॉन्ड) (8.29 प्रतिशत प्रतिवर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर – परिवर्तनीय विमोचन योग्य कराधान बॉन्ड जुलाई 2021 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाए गए 12,500.00 लाख रुपए (दूसरा निर्गत – निजी नियोजन)	12,678.37	**12,676.02**
बैंकों से प्रतिभूत आवधिक ऋण		
(i) बैंक ऑफ बड़ौदा – वर्तमान और भविष्य दोनों की गतिशील अचल परिसंपत्तियों पर एक ही समय में प्रभार द्वारा प्रतिभूत (आरओआई 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा हुआ, मार्च 2021 से शुरू होने वाली 10 समान किश्तों में चुकाने और सितंबर 2025 में समाप्त होने योग्य है)	33,198.25	-

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(ii) कैनरा बैंक – वर्तमान और भविष्य दोनों की गतिशील अचल परिसंपत्तियों पर एक ही समय में प्रभार द्वारा प्रतिभूत (आरओआई 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा हुआ, सितम्बर 2020 से शुरू होने वाली 10 समान किश्तों में चुकाने और मार्च 2025 में समाप्त होने योग्य है)	50,361.05	-
(iii) आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी – एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड, एडिना यूके लिमिटेड और एडिना लिमिटेड के शेयरों और डिबेंचर पर प्रभार के माध्यम से सुरक्षित (आरओआई : 3 माह एलआईबीओआर प्लस 240 बीपीएस जीबीपी 750,000 की 10 समान किश्तों में चुकाने योग्य प्रत्येक जनवरी 2020 से शुरू)	6,209.37	-
(iv) आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी – एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड, एडिना यूके लिमिटेड, एडिना लिमिटेड, एडिना यूके लिमिटेड, एडिना पावर लिमिटेड, स्टैनबेक लिमिटेड और आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयरों और डिबेंचर पर प्रभार के माध्यम से सुरक्षित; और स्टैनबेक लिमिटेड और आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड की संपत्तियों पर गिरवी रखना (आरओआई : दिसंबर 2019 से शुरू होने वाले प्रत्येक जीबीपी 62,500 की 20 समान किश्तों में 3 माह एलआईबीओआर प्लस 343 बीपीएस चुकाने योग्य)	1,036.17	-
(v) नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक पीएलसी – एडिना यूके लिमिटेड की जमा राशियों सहित, वर्तमान और भविष्य की सभी संपत्ति और परिसंपत्तियों पर नियत और फ्लोटिंग प्रभार के माध्यम से सुरक्षित (आरओआई : आधार दर प्लस 179 बीपीएस प्रतिदेय 31 समान मासिक किस्तों में प्रत्येक जीबीपी 9850 और शेश 24 नवंबर 2020 को बुलेट भुगतान के रूप में)	-	**1,145.68**
बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण		
(i) पंजाब नेशनल बैंक (आरओआई 6 माह एमसीएलआर से जुड़ा हुआ, जून 2021 से शुरू होने वाली 10 समान किश्तों में चुकाने योग्य और 2025 में समाप्त हो रहा है।	50,307.08	**39,997.59**
(ii) बैंक ऑफ बड़ौदा, यूके (आरओआई : 3 माह एलआईबीओआर प्लस 280 बीपीएस 13.03. 2023 को 12 मिलियन जीबीपी के बुलेट भुगतान के रूप में चुकाने योग्य)	11,071.07	10,731.73
(iii) बैंक ऑफ बड़ौदा, यूके (आरओआई : 3 माह एलआईबीओआर प्लस 280 बीपीएस सितंबर 2020 से शुरू होने वाले प्रत्येक जीबीपी 375,000 की 8 समान किस्तों में चुकाने योग्य)	2,792.28	**2,714.27**
(iv) आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी (आरओआई : 6 माह एलआईबीओआर प्लस 170 बीपीएस अप्रैल 2022 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाने योग्य 10.50 मिलियन जीबीपी की राशि)	9,818.10	-
बैंकों के अलावा अन्य से अप्रतिभूत सावधि ऋण		
(i) केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (2,941,000 यूरो की प्रत्येक 14 किस्तों और 2,942,000 यूरो प्रत्येक की 3 किस्त में 30 जून 2018 से शुरू होने वाले अर्ध वार्षिक आधार पर 1.96 प्रतिशत प्रतिवर्ष चुकाने योग्य ऋण)	**31,912.17**	**34,455.63**
(ii) एएफडी ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (2,500,000 यूरो की 20 समान किस्तों में 31 अक्तूबर 2020 से शुरू होने वाले अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने योग्य ऋण 3,719,016.59 यूरो के लिए 1.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 1,205,674.41 यूरो के लिए 2.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 8,460,156.73 यूरो के लिए 2.19 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 3,112,936.93 यूरो के लिए 2.22 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 8,235,022.51 यूरो के लिए 1.35 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 5,932,983.01 यूरो के लिए 1.44 प्रतिशत प्रतिवर्ष)	**25,649.99**	**12,929.37**
(iii) एडीबी ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (1.23788 प्रतिशत प्रतिवर्ष (विधि : 6 माह एलआईबीओआर + 60 आधार बिंदु +/– छूट / अधिभार, यदि कोई है) 15 मार्च 2022 से 30 समान किस्तों में से अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने योग्य ऋण	**77,054.34**	**43,391.19**
(iv) भारत सरकार द्वारा आईबीआरडी ऋण-गारंटीकृत (2.61 प्रतिशत प्रतिवर्ष (विधि : 6 माह एलआईबीओआर + परिवर्तनशील फैलाव, यदि कोई हो) 3.57 प्रतिशत संवितरित राशि और 3.61 प्रतिशत की अंतिम किश्त की अंतिम किस्त की 27 समान किस्तों में 15 मई 2023 से शुरू होने वाले अर्ध वार्षिक आधार पर ऋण)	**82,804.97**	**38,484.04**
	501,836.74	**316,492.25**
घटाएं : दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	**45,230.45**	**17,149.14**
घटाएं : ब्याज उपार्जित किया जाता है, लेकिन उधार के कारण नहीं	**6,900.07**	**5,642.05**
कुल	**449,706.22**	**293,701.06**

21 गैर-वर्तमान भुगतान योग्य व्यापार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान योग्य व्यापार		
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	1,593.02	1,277.49
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	5,960.39	5,153.70
कुल	**7,553.41**	**6,431.19**

क) देय व्यापार पुष्टि, पुनःविनियोजन और परिणामी समायोजनों के अधीन है जो पुनःविनियोजन पर उत्पन्न हो सकते हैं।

ख) संबंधित पक्षों को देय राशि टिप्पणी 47 में प्रकट किया जाता है।

22 गैर-वर्तमान पट्टा देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पट्टा देयताएं (टिप्पणी 56 देखें)	1,856.31	-
कुल	1,856.31	-

23 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिधारण रुपए (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	9,220.60	40,680.09
कुल	9,220.60	40,680.09

24 गैर-वर्तमान प्रावधान

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	113.95	136.73
अवकाश नकदीकरण	807.75	144.21
कुल	921.70	280.94

क) ''कर्मचारी लाभ'' पर भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 50 देखें।

25 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्थगित कर देयताएं		
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	-	104.46
कुल	-	104.46

क) आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने हेतु कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

ख) भारतीय लेखा मानक 12 आय कर पर के अनुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 40 देखें।

26 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रचालित पट्टा देयताएं	-	59.00
सरकारी अनुदानों के खाते पर आस्थगित आय	-	427.68
कुल	-	486.68

क) सरकारी अनुदानों के कारण आस्थगित आय को लेखा नीति संख्या सी. 8 (टिप्पणी 1) के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ख) "इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ("विश्व बैंक") ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा ("जीईएफ") की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए एसएपी के कार्यान्वयन हेतु 1,500,000 अमेरिकी डॉलर और अन्य परामर्श हेतु 500,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान स्वीकृत किया था। स्वीकृत राशि में से कुल 880.94 लाख का अनुदान प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त अनुदान से जुड़ी कोई अधूरी शर्तें या अन्य आकस्मिकताएं नहीं हैं।

वर्ष के दौरान, समूह ने विश्व बैंक से अनुदान के रूप में शून्य (31 मार्च 2019 : 290.73 लाख रुपए) प्राप्त किया है और समूह ने 311.66 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 420.42 लाख रुपए) को अनुदान आय के रूप में मान्यता दी है (टिप्पणी 34 देखें)।

27 वर्तमान उधार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंकों से प्रतिभूत ऋण		
(i) आईसीआईसीआई बैंक – वर्तमान और भविष्य दोनों पर स्टॉक और प्राप्तियों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (संबंधित किस्त के आहरण की तिथि से ऋण की अवधि (1 वर्ष के अंदर) के बाद बुलेट भुगतान के रूप में एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	22,621.76	15,600.00
(ii) इंडसइंड बैंक – कंपनी के स्टॉक और बही की देनदारियों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऋण राशि के आहरण से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में देय आरओआई)	22,658.47	**10,000.00**
(iii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – कंपनी की वर्तमान और भविष्य की वर्तमान परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत (ऋण राशि के आहरण से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	30,117.33	-
(iv) आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी – एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड, एडिना यूके लिमिटेड, एडिना लिमिटेड, एडिना यूके लिमिटेड, एडिना पावर लिमिटेड, स्टैनबेक लिमिटेड और आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयरों और डिबेंचर पर प्रभार के माध्यम से सुरक्षित; और स्टैनबेक लिमिटेड और आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड की संपत्तियों पर गिरवी रखना (आरओआई : सितंबर 2020 से शुरू होने वाले प्रत्येक जीबीपी 375,000 की 8 समान किश्तों में 3 माह एलआईबीओआर प्लस 280 बीपीएस चुकाने योग्य)	933.24	-
(v) एचडीएफसी –वर्तमान और भविष्य दोनों पर स्टॉक और देनदारों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (संबंधित किस्त के आहरण की तिथि से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में देय 3 माह के एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	-	**7,500.00**
(vi) इंड्स इंड बैंक (व्यवस्थित प्राप्य राशि) – कंपनी के स्टॉक और बही ऋणों पर पारी पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूत (जुलाई 2019 के माह में 9,579.08 लाख रुपए की राशि की कंपनियों (जिनके बिलों में छूट दी गई है) से आय प्राप्त करने में चूक / विलंब की स्थिति में छूट की तिथि से 120 दिनों के बाद चुकाने योग्य 364 दिनों के टी–बिल से जुड़ा आरओआई)	-	**9,579.08**
(vii) इंवेसटेक बैंक, यूके (आरओआई : 3 माह एलआईबीओआर प्लस 400 बीपीएस से 450 बीपीएस अप्रैल 2019 में चुकाने योग्य)	-	**15,889.78**

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंकों से अप्रतिभूत ऋण		
(i) आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी (आरओआई : 6 माह एलआईबीओआर प्लस 135 बीपीएस जून 2020 के माह में बुलेट भुगतान के रूप में चुकाने योग्य जीबीपी 5.50 मिलियन की राशि)	5,119.18	**4,976.16**
(ii) सीटीबीसी बैंक (ऋण राशि के आहरण से 6 माह के बाद बुलेट भुगतान के रूप में चुकाने योग्य एमआईबीओआर से जुड़ा आरओआई)	4,000.91	-
(iii) इंड्स इंड बैंक (सितंबर 2019 के माह में बुलेट के रूप में चुकाने योग्य 3 माह एमआईबीओआर से जुड़ा आरओई 5,000.00 लाख रुपए)	-	**5,003.69**
(iv) जे एण्ड के बैंक (ऋण राशि के आहरण से 1 वर्ष के बाद बुलेट भुगतान के रूप में चुकाने योग्य 1 वर्ष एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई)	-	**14,999.91**
	85,450.89	83,548.62
घटाएं : वर्तमान उधारों पर ब्याज उपार्जित	400.96	3.69
कुल	85,049.93	83,544.93

28 भुगतान योग्य व्यापार

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान योग्य व्यापार		
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	5,868.63	**8,214.58**
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	125,348.58	**145,423.64**
कुल	**131,217.21**	**153,638.22**

क) देय व्यापार पुश्टि, पुनःविनियोजन और परिणामी समायोजनों के अधीन है जो पुनःविनियोजन पर उत्पन्न हो सकते हैं।

ख) संबंधित पक्षों को देय राशि टिप्पणी 47 में प्रकट किया जाता है।

ग) कुछ व्यापारिक देनदारियों ने समूह को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए शीर्षक आरक्षित किया था। चूंकि इस तरह के व्यापार देय प्रभावी रूप से सुरक्षित हैं, यह कई कारकों और शर्तों पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ आसानी से निर्धारित नहीं होते हैं, यह संकेत करना संभव नहीं है कि शीर्शक के आरक्षण के तहत उपरोक्त राशि कितनी सुरक्षित है।

29 वर्तमान पट्टा देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पट्टा देयताएं (टिप्पणी 56 देखें)	1,998.50	-
कुल	1,998.50	-

30 अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 20 देखें)	45,230.45	**17,149.14**
उधारों पर ब्याज उपार्जित	7,301.03	5,645.74
बॉन्डों पर अदावाकृत ब्याज	1.61	1.61
व्ययों के लिए देयताएं	4,141.32	2,333.37
प्रतिधारण धनराशि	32,245.92	15,546.09
बयाना राशि जमा	585.27	430.81
प्रतिभूति जमा राशियां	120.35	138.94
कर्मचारियों को देय	648.77	936.16
देय प्रतिबद्धता शुल्क	203.60	238.07
कुल	90,478.32	42,419.93

31 अन्य वर्तमान देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वैधानिक देय राशि (नीचे दी गई टिप्पणी क देखें)	26,167.77	20,004.60
परिसमाप्त क्षतियां	93.25	93.25
ग्राहकों से अग्रिम	4,644.09	1,308.50
अनर्जित आय	66.64	1,957.67
ऑपरेटिंग पट्टा देनदारियां	-	-
सरकारी अनुदानों के खाते पर आस्थगित आय (टिप्पणी 26 देखें)	354.56	238.54
कुल	**31,326.31**	**23,602.56**

क) जीएसटी और वैट रिटर्न में रिपोर्ट किए गए संबंधित इनपुट कर क्रेडिट के साथ बिक्री, संबंधित आउटपुट कर देयता और खरीद, निवल इनपुट की क्रेडिट प्राप्य या निवल आउटपुट कर देयता जैसा भी मामला हो, बही खातों के साथ सामंजस्य के अधीन हैं। जीएसटी/वैट रिटर्न के मिलान पर ज्ञात होने वाले अंतरों को वार्षिक जीएसटी/वैट विवरण/संशोधित रिटर्न में ठीक किया जाएगा।

32 वर्तमान प्रावधान

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	2.95	3.29
अवकाश नकदीकरण	26.53	8.37
कुल	**29.48**	**11.66**

क) भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण टिप्पणी 50 में किया गया है।

33 प्रचालनों से राजस्व

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तुओं की बिक्री	110,004.09	148,987.15
सेवाओं बिक्री	138,735.11	96,097.44
प्राप्त किराया	38.08	16.72
कुल	**248,777.28**	**245,101.31**

क) "ग्राहकों सहित संविदाओं से राजस्व" के संबंध में प्रकटीकरण हेतु भारतीय लेखा मानक 115, टिप्पणी 51 देखें।

ख) कंपनी ने कुछ मान्यताओं/अनुमानों के आधार पर यूएलबी के साथ समझौतों के तहत राजस्व को मान्यता दी है जैसे परियोजना अवधि की शुरुआत की तिथि को यूएलबी से प्राप्त पहले पूर्णता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट पूरा होने की तिथि के रूप में लिया जाता है, पीएमसी, एएमसी, ब्याज के लिए वास्तविक व्यय (अप्रत्यक्ष वित्त लागतों सहित), इक्विटी पर कर पूर्व/पश्चात विवरणी (कुछ मामलों में), एक निश्चित प्रतिशत पर अधिक/पर हैं जो समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत से अलग है। कंपनी ऐसे और अन्य मामलों पर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सभी समझौतों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है और तदनुसार सभी समझौतों को औपचारिक रूप दिया जाएगा।

ग) पिछले वर्षों में बिलिंग मामले को छोड़कर पूर्णता प्रमाण पत्र में उल्लिखित माह के अगले माह से शुरू हुई जहां पूरा होने की तिथि माह का पहला दिन है, उस स्थिति में उसी माह के लिए बिलिंग की गई थी।

घ) मूल कंपनी ने अनुमान के आधार पर कुछ डिस्कॉम में स्थापित स्मार्ट मीटरों के लिए 528.02 लाख रुपए के बिना बिल वाले राजस्व को बुक किया है, जहां औपचारिक समझौते अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं। इसके अलावा, मूल कंपनी अवधि के विस्तार, दरों में परिवर्तन आदि के लिए कुछ समझौतों में स्पष्टीकरण / संशोधन करने की प्रक्रिया में है, जिसके प्रभावों पर उस वर्ष में विचार किया जाएगा जिसमें ऐसे संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मूल कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर, प्रति मीटर के आधार पर एसएमएनपी सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए एक वेंडर नियुक्त किया है। मूल कंपनी ने प्रति मीटर के आधार पर व्यय बुक किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भुगतान प्रति मीटर के आधार पर आनुपातिक रूप से किए गए हैं, विक्रेता के साथ भुगतान की शर्तों को संशोधित और औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में है।

34 अन्य आय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय		
बैंक में जमा	3,908.48	3,411.73
व्यापार प्राप्ति योग्य /गैर भुगतानित राजस्व	327.75	1,332.14
कर्मचारियों के लिए ऋण	8.36	4.85
प्रतिभूति जमा	119.69	41.50
अन्य	600.18	971.30
आयकर वापसी पर ब्याज	227.54	-
अन्य गैर–परिचालन आय		
निविदा दस्तावेज शुल्क	25.82	38.63
ई–निविदा पंजीकरण शुल्क	10.20	11.10
विदेशी मुद्रा लेनदेन और ट्रांसलेशन पर निवल लाभ	252.63	3,410.89
लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापा गया निवेश पर लाभ	145.82	116.48
धरोहर राशि जब्त	0.39	1,424.00
आस्थगित किराया आय	-	15.97
अनुदान आय	311.66	420.42
विविध आय	1,674.96	154.03
कुल	7,613.48	11,353.04

35 माल-सूची में (वृद्धि) / कमी

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक स्टॉक	34,854.05	**41,221.60**
समापन स्टॉक	26,343.09	34,855.02
कुल	**8,510.96**	**6,366.58**

36 कर्मचारी लाभ व्यय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	13,445.91	**12,673.31**
अवकाश नकदीकरण	354.59	(100.11)
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	623.11	616.22
कर्मचारी कल्याण व्यय	233.51	314.98
कुल	14,657.12	13,504.40

क) भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार विभिन्न कर्मचारी लाभों हेतु किए गए प्रावधान के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 50 में किया गया है।

ख) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से प्रभावी था। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू –02/ 0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 के तहत दिनांक 3 अगस्त 2017 को बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और 1 जनवरी 2017 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गैर–संघीय पर्यवेक्षक के वेतनमान में संशोधन किया गया था। चूंकि ईईएसएल में नियमित कर्मचारियों के वेतनमान नियमित कर्मचारियों के एनटीपीसी वेतनमान के अनुसार तैयार किए गए हैं, अतः एनटीपीसी पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, अनुमानित आधार पर एक प्रावधान किया गया था वेतन संशोधन के कारण नियमित कर्मचारी प्रावधान में आवागमन इस प्रकार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेश	-	**550.00**
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशियां	-	(550.00)
कुल	-	-

37 वित्तीय लागत

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर वित्त प्रभार		
डिबेंचर्स / बॉन्ड	10,421.31	8,245.92
ऋण	14,197.27	10,918.42
प्रतिधारण रुपए पर छूट की अनवाइंडिंग	1,650.52	1,067.48
भुगतान योग्य व्यापार पर छूट की अनवाइंडिंग	1,330.22	1,108.23
पट्टा देयताएं	377.17	-
विदेशी मुद्रा लेन देन और ट्रांसलेशन पर निवल हानि	7,664.22	128.97
अन्य उधार लेने की लागत		
गारंटी शुल्क	866.16	547.70
विदेशी मुद्रा सावधि ऋणों के लिए प्रतिबद्धता शुल्क	11.70	243.05
प्रसंस्करण शुल्क	212.06	-
कुल	36,730.63	22,259.77

क) वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत 5,953.28 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 3,400.99 लाख रुपए) है।

38 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	45,866.91	**34,877.76**
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	577.81	678.60
कुल	46,444.72	35,556.36

39 अन्य व्यय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक रखरखाव प्रभार (परियोजनाएं)	17,780.37	**9,396.79**
कानूनी शुल्क और व्यावसायिक प्रभार	2,552.45	2,464.20
वाहन व्यय	10.39	25.20
संचार व्यय	530.57	633.16
भर्ती व्यय	214.33	72.77
मरम्मत और रखरखाव व्यय		
– भवन रखरखाव	189.60	123.16
– संयंत्र और मशीनरी	65.83	57.80
– कम्प्यूटर रखरखाव	184.60	119.45
– आवास रखरखाव	-	-
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	6.60	6.00
विज्ञापन और प्रचार व्यय	543.79	444.13
प्रिंटिंग और स्टेशनरी व्यय	165.49	210.91
पुस्तकें और पीरियॉडिकल्स	2.51	0.78
बैठक व्यय/आतिथ्य व्यय	339.83	175.76
टूर और यात्रा व्यय	2,532.35	2,573.65
किराया	304.19	2,131.12
बिजली व्यय	201.28	162.46
लेखा परीक्षकों को भुगतान	138.28	169.25
बैंक प्रभार	211.63	209.36
प्रायोजन व्यय	126.25	142.54
जनशक्ति व्यय	1,804.63	1,336.91
सबस्क्रिप्शन शुल्क	76.29	98.38
बीमा प्रभार	713.54	641.41
आस्थगित किराया व्यय	-	-
परीक्षण व्यय	88.51	117.29
व्यापार प्रचार	255.36	205.89
दर और कर	130.87	15.87
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर निवल हानि	3.37	135.66
जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियां	-	-
दिवाली उपहार व्यय	-	-
वार्षिक दिवस समारोह व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	**173.20**	**20.06**
विदेशी मुद्रा लेनदेन और ट्रांसलेशन पर निवल हानि	5,250.02	-
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	1,046.26	196.65
अन्य परियोजना व्यय	1,819.96	2,757.36
संदिग्ध ऋण	13.99	76.58
माल सूचियों की कमी के लिए प्रावधान	3.61	-
विविध व्यय	**405.89**	**250.88**
कुल	**37,885.84**	**24,971.43**

40 भारतीय लेखा मानक 12 'आय कर' के अनुसार प्रकटीकरण

क) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	129.05	7,045.92
गत वर्ष	(647.72)	-
पहले के वर्षो में	(518.67)	7,045.92
आस्थगित कर व्यय	(125.88)	(454.86)
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	201.28	-
कर दर में परिवर्तन	75.40	(454.86)
कुल आय कर व्यय	**(443.27)**	**6,591.06**

ख) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

लाख रु. में

विवरण	कर से पहले	कर व्यय / (लाभ)	कर का निवल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल कार्य हानि	12.11	3.05	9.06
विदेशी प्रचालनों के ट्रांसलेशन पर विनिमय अंतर	686.27	-	686.27
कुल	698.38	3.05	695.33
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल कार्य हानि	(34.03)	(11.89)	(22.14)
विदेशी प्रचालनों के ट्रांसलेशन पर विनिमय अंतर	(2,111.51)	-	(2,111.51)
कुल	**(2,145.54)**	**(11.89)**	**(2,133.65)**

ग) भारत के घरेलू कर की दर से कर व्यय और लेखा लाभ के गुणा का विनियोजन

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पहले लाभ	2,758.39	17,131.57
25.168 प्रतिशत की कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर (31 मार्च 2019 : 34.944 प्रतिशत)	694.23	5,986.46
इनका कर प्रभाव :		
गैर कटौती योग्य कर मद	51.71	1,051.90
ईएससीओ परियोजना का राजस्व अग्रिम रूप से बेचा गया	(744.20)	-
पिछले वर्ष कर देयता	(647.72)	-
आयकर दर में परिवर्तन	201.28	-
विदेशी शाखा पर कर	129.05	-
अन्य	(127.62)	(447.30)
(-) 16.07 प्रतिशत के प्रभावी आय कर दर में (31 मार्च 2019 % 38.47 प्रतिशत)	(443.27)	6,591.06

घ) कराधान कानूनों का प्रभाव (संशोधन) अध्यादेश, 2019

कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए की शुरूआत के अनुसार, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है, भारत में कंपनियों के पास निगम आयकर का भुगतान करने का विकल्प 22 प्रतिशत की दर से लागू अधिभार और उपकर है, जो पहले की 30 प्रतिशत की दर से अधिक लागू अधिभार और उपकर है, जैसे कुछ शर्तों के अधीन, कंपनी को सभी लाभों को छोड़ना होगा जैसे कर अवकाश, कर प्रोत्साहन/अतिरिक्त मूल्यह्रास और बकाया मैट क्रेडिट के माध्यम से उत्पन्न हानियों को आगे लाया।

धारा 115बीएए के तहत सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और धारा 115बीएए के तहत विकल्प के प्रयोग के अपेक्षित समय के आधार पर, कंपनी ने अपने आस्थगित कर शेश को फिर से माप लिया है जिसके कारण वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 तक 201.28 लाख रुपए तक मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्ति में कमी आई है। इसके लिए भविष्य की लाभप्रदता के बारे में धारणाओं की आवश्यकता होती है, जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। भविष्य की लाभप्रदता परिवर्तन के संबंध में मान्यताओं की सीमा तक, मान्यता प्राप्त राशियों में वृद्धि या कमी हो सकती है।

ङ) कंपनी ने अपने भंडार में से वर्ष के दौरान लाभांश वितरण पर कर के रूप में 195.01 लाख रुपए का भुगतान किया है।

च) आस्थगित कर शेष राशियों में चयन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

लाख रु. में

विवरण	निवल शेष राशियां 1 अप्रैल 2019	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	निवल शेष राशियां 31 मार्च 2020
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	4,614.31	(4,614.31)	-	-
अघोषित मूल्यह्रास और अग्रेषित की गई कर की हानियां	309.25	2,578.03	10.27	2,897.55
खर्चे की अनुमति नहीं है	351.90	(87.26)	7.29	271.93
अवकाश नकदीकरण	50.39	159.58	-	209.97
ग्रेच्युटी (उपदान) के लिए प्रावधान	47.78	(15.31)	(3.05)	29.42
बोनस के लिए प्रावधान	113.07	(109.62)	-	3.45
क्रेडिट क्षति प्राप्ति योग्य के लिए भत्ता	137.43	224.88	-	362.31
पट्टा देयताएं	37.84	(8.10)	-	29.74
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	(152.28)	152.39	(0.11)	-
परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधन	**(12.37)**	**26.08**	**-**	**13.71**
मालसूचियों में कमी के लिए प्रावधान	**-**	**0.91**	**-**	**0.91**
घटाएं : आस्थगित कर देयताएं				
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	931.57	(745.72)	5.37	191.22
परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधन	3,361.48	(2,065.04)	0.30	1,296.74
एफवीटीपीएल पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां	**30.11**	**(30.11)**	**-**	**-**
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**-**	**1,223.54**	**5.45**	**1,228.99**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं)	**1,174.16**	**(75.40)**	**3.28**	**1,102.04**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

लाख रु. में

विवरण	निवल शेष राशियां 1 अप्रैल 2018	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	निवल शेष राशियां 31 मार्च 2019
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	2,322.67	(1,391.10)	-	931.57
परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधन	1,867.10	1,494.38	-	3,361.48
एफवीटीपीएल पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां	8.43	21.22	0.46	30.11
घटाएं : आस्थगित कर देयताएं				
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	3,857.36	759.35	(2.40)	4,614.31
खर्चे की अनुमति नहीं है	301.19	44.06	6.65	351.90
अवकाश नकदीकरण	98.38	(47.99)	-	50.39
ग्रेच्युटी (उपदान) के लिए प्रावधान	55.68	(19.79)	11.89	47.78
बोनस के लिए प्रावधान	0.88	112.19	-	113.07
क्रेडिट क्षति प्राप्ति योग्य के लिए भत्ता	68.05	69.38	-	137.43
प्रचालित पट्टा देयताएं	25.95	11.89		37.84
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	37.47	(187.60)	(2.15)	(152.28)
अग्रेषित की गई कर की हानियां	441.29	(139.07)	7.03	309.25
परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधन	-	(10.91)	(1.46)	(12.37)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं)	**(688.05)**	**(467.01)**	**(19.10)**	**(1,174.16)**

छ) एक सहायक कंपनी को 33.33 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 18.04 लाख रुपए) की राशि में निवल प्रचालन हानि हुई थी जो भविष्य के कर योग्य लाभ के प्रति ऑफसेट करने हेतु अनिश्चित काल तक उपलब्ध हैं। समूह ने उस सहायक के संबंध में 4.17 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 2.25 लाख रुपए) की आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

41 भारतीय लेखाकरण मानक 108 - ''प्रचालन खण्ड'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) सामान्य सूचना

समूह के चार रिपोर्ट करने योग्य खंड हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है, जो कंपनी की महत्वपूर्ण कार्यनीतिक व्यापारिक इकाइयां हैं। ये कार्यनीतिक व्यापारिक इकाइयां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की प्रस्तुति करती हैं, और उन्हें अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि उन्हें विभिन्न तकनीक और विपणन कार्यनीतियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यनीतिक व्यापार इकाई के लिए, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा कम से कम तिमाही आधार पर आंतरिक प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

निम्नलिखित सारांश में समूह के प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खंड में प्रचालन का वर्णन किया जाता है :

व्यापार : विभिन्न ग्राहकों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों की बिक्री

सेवाएं : ईएससीओ मॉडल और परामर्श सेवाओं पर ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना।

औद्योगिक इंजन और घटक : डीजल और गैस संचालित जनरेटर और संबंधित स्पेयर पार्ट्स का निर्माण, बिक्री, स्थापना, किराया और सेवा।

ऊर्जा बचत सेवाएं (यूके) : यूनाइटेड किंगडम (यूके) में ईएससीओ विधि पर ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना।

प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खंड के परिणामों के बारे में जानकारी नीचे शामिल है। निष्पादन को आयकर से पहले खंड लाभ के आधार पर मापा जाता है, जैसा कि समूह के बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाने वाली आंतरिक प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल है। खण्ड लाभ का उपयोग के निष्पादन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि ऐसी जानकारी इन उद्योगों के भीतर काम करने वाली अन्य इकाइयों के सापेक्ष कुछ खण्ड के परिणामों के मूल्यांकन में सबसे अधिक संगत है।

ख) रिपोर्ट करने योग्य खंडों और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों के समाधान के बारे में जानकारी :

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	व्यापार	सेवाएं	औद्योगिक इंजन और घटक	कुल
खंड राजस्व				
''उत्पादों की बिक्री / ईएससीओ परियोजना आय / अन्य परामर्श''	67,125.96	112,583.17	69,937.17	**249,646.30**
अंतर–खंड राजस्व	-	-	-	**869.02**
खंड व्यय	66,333.00	60,573.40	68,090.00	**194,996.40**
खंड परिणाम	**792.96**	**52,009.77**	**1,847.17**	**53,780.88**
अनाबंटित निगमित ब्याज और अन्य आय				**8,644.47**
अनाबंटित निगमित व्यय, वित्त प्रभार				**59,666.33**
कर पूर्व लाभ				**2,759.02**
आयकर (निवल)				**(443.27)**
कर पश्चात लाभ				**3,202.29**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	व्यापार	सेवाएं	औद्योगिक इंजन और घटक	कुल
खंड राजस्व				
''उत्पादों की बिक्री / ईएससीओ परियोजना आय / अन्य परामर्श''	111,527.89	72,237.35	61,499.45	**245,264.69**
खंड व्यय	103,347.41	36,168.20	59,933.01	**199,448.62**
खंड परिणाम	**8,180.48**	**36,069.15**	**1,566.44**	**45,816.07**
अनाबंटित निगमित ब्याज और अन्य आय				**11,888.37**
अनाबंटित निगमित व्यय, वित्त प्रभार				**40,569.82**
कर पूर्व लाभ				**17,134.62**
आयकर (निवल)				**6,591.06**
कर पश्चात लाभ				**10,543.56**

31 मार्च 2020 को

लाख रु. में

विवरण	व्यापार	सेवाएं	औद्योगिक इंजन और घटक	कुल
खण्ड परिसंपत्तियां	80,844.69	606,678.80	84,931.34	**772,454.83**
अनाबंटित निगमित और अन्य परिसंपत्तियां				**154,739.45**
कुल परिसंपत्तियां	**80,844.69**	**606,678.80**	**84,931.34**	**927,194.28**
खण्ड देयताएं	23,416.03	89,976.34	54,113.05	**167,505.42**
अनाबंटित निगमित और अन्य देयताएं				**646,747.08**
कुल देयताएं	**23,416.03**	**89,976.34**	**54,113.05**	**814,252.50**

31 मार्च 2019 को

लाख रु. में

विवरण	व्यापार	सेवाएं	औद्योगिक इंजन और घटक	कुल
खण्ड परिसंपत्तियां	107,206.41	390,903.18	34,100.75	**532,210.34**
अनाबंटित निगमित और अन्य परिसंपत्तियां				**202,629.89**
कुल परिसंपत्तियां	**107,206.41**	**390,903.18**	**34,100.75**	**734,840.23**
खण्ड देयताएं	56,331.83	79,113.56	18,933.36	**154,378.75**
अनाबंटित निगमित और अन्य देयताएं				**500,896.79**
कुल देयताएं	**56,331.83**	**79,113.56**	**18,933.36**	**655,275.54**

ग) भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी :

लाख रु. में

विवरण	व्यापार	सेवाएं	औद्योगिक इंजन और घटक	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	42,790.99	925.56	**43,716.55**
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय	1,049.87	-	13.99	**1,063.86**
पूंजीगत व्यय	-	141,470.81	1,131.36	**142,602.17**
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	33,086.46	569.35	**33,655.81**
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय	196.65	-	76.58	**273.23**
पूंजीगत व्यय	-	123,889.79	210.92	**124,100.71**

घ) भौगोलिक क्षेत्रें के बारे में जानकारी :

लाख रु. में

विवरण	गैर वर्तमान परिसंपत्तियां*		बाह्य ग्राहकों से राजस्व	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भारत	404,558.71	303,526.16	179,709.14	183,601.86
यूनाइटेड किंगडम	45,974.34	44,868.44	6,815.97	52,845.84
आयरलैंड	2,259.60	1,680.43	60,500.69	7,204.82
शेष दुनिया	44.93	63.86	1,751.48	1,448.79
कुल	**452,837.58**	**350,138.89**	**248,777.28**	**245,101.31**

***वित्तीय साधनों और आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अलावा अन्य**

ङ) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी :

31 मार्च 2020 और 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी बाहरी ग्राहक ने व्यक्तिगत रूप से राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक का हिसाब नहीं दिया।

42. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष और 1 अप्रैल 2018 तक के लिए पुनर्कथन

भारतीय लेखा मानक 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' और इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार, समूह ने 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2018 (पिछली अवधि की शुरुआत) को अपनी समेकित तुलन पत्र को पूर्वव्यापी रूप से बहाल कर दिया है और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण नीचे दिए गए टिप्पणियों में बताए गए कारणों से है। उन मदों का विनियोजन जो समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि के समेकित विवरण में पूर्वव्यापी रूप से पुनर्कथित हैं, निम्नानुसार हैं :

क) **31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र के पुनर्कथित मदों का विनियोजन**

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2019 को		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
परिसंपत्तियां				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(i), (ii), (iii)	187,084.56	(5,103.65)	181,980.91
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	(i), (iii)	121,606.23	361.32	121,967.55
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	(iv)	559.16	719.46	1,278.62
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		63,721.96	-	63,721.96
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		**372,971.91**	**(4,022.87)**	**368,949.04**
वर्तमान परिसंपत्तियां		**365,891.19**	**-**	**365,891.19**
कुल परिसंपत्तियां		**738,863.10**	**(4,022.87)**	**734,840.23**
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		67,520.44	-	67,520.44
अन्य इक्विटी		14,897.00	(2,852.75)	12,044.25
कुल इक्विटी		**82,417.44**	**(2,852.75)**	**79,564.69**
		4,576.33	**-**	**4,576.33**
कुल इक्विटी		**86,993.77**	**(2,852.75)**	**84,141.02**
देयताएं				
गैर-वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1,277.49	-	1,277.49
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	(ii)	10,523.97	(5,370.27)	5,153.70
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	(iv)	814.06	(709.60)	104.46
अन्य गैर वर्तमान देयताएं		335,148.77	-	335,148.77
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		**347,764.29**	**(6,079.87)**	**341,684.42**
वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		8,214.58	-	8,214.58
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	(ii)	140,513.89	4,909.75	145,423.64
अन्य वर्तमान देयताएं		155,376.57	-	155,376.57
कुल वर्तमान देयताएं		304,105.04	4,909.75	309,014.79
कुल इक्विटी और देयताएं		**738,863.10**	**(4,022.87)**	**734,840.23**

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2018 को		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
परिसंपत्तियां				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(i), (ii), (iii)	91,157.78	(3,496.04)	87,661.74
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	(i), (iii)	129,348.91	-	129,348.91
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	(iv)	356.80	500.94	857.74
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		58,236.69	-	58,236.69
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		**279,100.18**	**(2,995.10)**	**276,105.08**
वर्तमान परिसंपत्तियां		**267,813.76**	**-**	**267,813.76**
कुल परिसंपत्तियां		**546,913.94**	**(2,995.10)**	**543,918.84**
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		**46,200.00**	**-**	**46,200.00**
अन्य इक्विटी		**18,122.45**	**(1,268.28)**	**16,854.17**
कुल इक्विटी		**64,322.45**	**(1,268.28)**	**63,054.17**
		4,684.84	**-**	**4,684.84**
कुल इक्विटी		69,007.29	(1,268.28)	67,739.01
देयताएं				
गैर–वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-	-
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	**(ii)**	**-**	**3,750.93**	**3,750.93**
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	(iv)	349.98	(180.29)	169.69
अन्य गैर वर्तमान देयताएं		215,588.38	-	215,588.38
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		**215,938.36**	**3,570.64**	**219,509.00**
वर्तमान देयताएं				
व्यापार देय				
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-	-
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	(ii)	151,612.76	(5,297.46)	146,315.30
अन्य वर्तमान देयताएं		110,355.53	-	110,355.53
कुल वर्तमान देयताएं		**261,968.29**	**(5,297.46)**	**256,670.83**
कुल इक्विटी और देयताएं		**546,913.94**	**(2,995.10)**	**543,918.84**

ख) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण के पुनर्कथित मदों का विनियोजन

लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2019 को		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
राजस्व				
प्रचालन से राजस्व		245,101.31	-	245,101.31
अन्य आय		11,353.04	-	11,353.04
कुल राजस्व		**256,454.35**	**-**	**256,454.35**
व्यय				
व्यापार में स्टॉक की खरीद	(ii)	130,798.94	1,115.02	131,913.96
वितरण व्यय (उजाला)		2,119.29	-	2,119.29
मीडिया व्यय (उजाला)		2,630.99	-	2,630.99
माल सूचियों में कमी		6,366.58	-	6,366.58
कर्मचारी लाभ व्यय		13,504.40	-	13,504.40
वित्त लागत	(ii) and (iii)	22,008.06	251.71	22,259.77
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(i)	34,590.79	965.57	35,556.36
अन्य व्यय		24,971.43	-	24,971.43
कुल व्यय		**236,990.48**	**2,332.30**	**239,322.78**
इक्विटी विधि और कर का उपयोग करने हेतु लेखा में लिए गए निवेशों के निवल लाभ के शेयर से पहले लाभ		19,463.87	(2,332.30)	17,131.57
जोड़ें : संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा इक्विटी विधि का उपयोग करने हेतु जिम्मेदार है		3.05	-	3.05
कर से पहले लाभ		**19,466.92**	**(2,332.30)**	**17,134.62**
कर व्यय				
वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष		7,045.92	-	7,045.92
पहले के वर्षों में		-	-	-
आस्थगित कर व्यय	(iv)	292.97	(747.83)	(454.86)
कुल कर व्यय		**7,338.89**	**(747.83)**	**6,591.06**
वर्ष के लिए लाभ		**12,128.03**	**(1,584.47)**	**10,543.56**
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)				
मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
– परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल कार्य हानि		(22.14)	-	(22.14)
मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा				
– विदेशी प्रचालनों के ट्रांसलेशन पर विनिमय अंतर		(2,111.51)	-	(2,111.51)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		**(2,133.65)**	**-**	**(2,133.65)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**9,994.38**	**(1,584.47)**	**8,409.91**

ग) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह के विवरण का विनियोजन

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	34,605.48	99.26	34,506.22
निवेश गतिविधियों में उपयोग निवल नकद प्रवाह	(142,978.29)	(280.71)	(142,697.58)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	96,792.33	181.45	96,610.88
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल कमी	(11,580.48)	-	(11,580.48)
ट्रांसलेशन पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(472.36)	-	(472.36)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य	55,872.89	-	55,872.89
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	43,820.05	-	43,820.05

घ) पुनर्कथन पर टिप्पणी

(i) मूल कंपनी विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को लाइटों को लगाने / बदलने के माध्यम से ऊर्जा दक्षता सेवाएं प्रदान करती है। ग्राहकों के साथ करार में लाइट लगाने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। पिछले वर्ष में, मूल कंपनी ने यूएलबी से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर परियोजनाओं का पूंजीकरण किया। मूल कंपनी को यूएलबी से कुछ पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमाण पत्र में उल्लिखित समापन तिथियां पिछले वर्ष में आती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए, मूल कंपनी ने पिछले वर्ष से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया है और तदनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 3,107.15 लाख रुपए के मूल्यह्रास व्यय को मान्यता दी है। 1 अप्रैल 2018 तक मूल्यह्रास पर प्रभाव 2,141.58 लाख रुपए प्रतिधारित आय में पहचाना गया है।

(ii) समूह की लेखा नीति के अनुसार, गैर–वर्तमान व्यापार देय राशियों को इंड एएस 109, 'वित्तीय साधनों' के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा जाता है। मूल कंपनी ने मूल कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण को संरेखित करने हेतु देय व्यापार के वर्तमान/ गैर–वर्तमान वर्गीकरण को संशोधित किया है। परिणामस्वरूप, गैर–वर्तमान व्यापार देय राशि को वर्तमान मूल्य से छूट दी गई है क्योंकि वे पूंजीगत कार्य प्रगति पर/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और बेची गई वस्तुओं की लागत पर संबंधित प्रभाव के साथ कोई ब्याज नहीं लेते हैं। इसके अलावा, व्यापार देय पर छूट को समाप्त करने पर ब्याज लागत को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी गई है।

इस समायोजन से निम्नलिखित वित्तीय विवरण लाइन मदों को प्रभावित किया गया है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
समेकित तुलन पत्र में प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,996.50)	(1,354.46)
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	553.49	-
गैर–वर्तमान व्यापार देय	(5,370.27)	3,750.93
वर्तमान व्यापार देय	4,909.75	(5,297.46)
प्रतिधारण राशि	(982.49)	192.07

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के समेकिम विवरण में प्रभाव	
वित्तीय लागत	59.53
बेचे गए सामान की लागत	1,115.02
कर से पहले लाभ	(1,174.55)

(iii) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनजाने में उधार लेने की लागत को पूंजीकृत कर दिया, जो सीधे योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। तदनुसार, कंपनी ने उधार लागत को कम कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति में कमी आई है और वित्तीय लागत में 192.17 लाख रुपए की वृद्धि हुई है।

(iv) इन समायोजनों का आस्थगित कर व्यय और आस्थगित कर दायित्व पर परिणामी प्रभाव पड़ा।

1 अप्रैल 2018 तक, आस्थगित कर देयताओं में 681.23 लाख रुपए की गिरावट आई, साथ ही प्रतिधारित आय में कमी आई। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, आस्थगित कर व्यय और आस्थगित कर देयता में 941.27 लाख रुपए की गिरावट आई।

(v) वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता बढ़ाने हेतु तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं।

आय प्रति शेयर

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय नीचे के रूप में बदल गई है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः लिखा गया है
मूल आय प्रति इक्विटी शेयर (रुपए)	1.78	(0.24)	1.54
तनुकृत आय प्रति इक्विटी शेयर (रुपए)	1.36	0.15	1.51

43. उचित मूल्य निर्धारण

क) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

मेपल लीफ में निवेश को छोड़कर समूह की सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं जैसे ऋण, नकदी और नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेष राशियों, बिल न किए गए राजस्व और व्यापार और अन्य प्राप्य, उधार, देय प्रतिधारण राशि, व्यय के लिए देयता और अन्य देय राशि को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ख) उचित मूल्य अनुक्रम

उचित मूल्य या मापी गई परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकट किया जा रहा है, समूह ने इन्हें भारतीय लेखा मानक 113, 'उचित मूल्य निर्धारण' विवरण के तहत निर्धारित स्तरों में वर्गीकृत किया है। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

विवरण (स्तर 2*)	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां - आवर्ती उचित मूल्य माप :		
निवेश	1,721.69	1,527.24
कुल	**1,721.69**	**1,527.24**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है :		
एनर्जी प्रो एसेट्स मैनेजमेंट लि. को ऋण	5,847.02	5,479.76
कर्मचारियों को ऋण	357.24	200.55
प्रतिभूति जमा	704.10	633.96
गैर भुगतानित राजस्व	12,213.10	4,596.36
वित्त पट्टा प्राप्तियां	13,973.17	8,576.41
बैंक में जमा	2,232.87	1,521.68
कुल	**35,327.50**	**21,008.72**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है :		
उधारी	487,373.42	311,889.27
प्रतिधारण राशि	42,494.52	65,682.89
व्यापार देय	140,665.31	165,059.76
कुल	**670,533.25**	**542,631.92**

*वित्तीय साधनों, जो सक्रिय बाजार का उचित मूल्य पर मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के प्रयोग को अधिकतम करता है और कंपनी – विशेष के अनुमानों पर कम से कम संभव पर निर्भर करता है। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी उल्लेखनीय इनपुट अवलोकन योग्य हैं तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक :

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए (प्रतिभूति जमा, कर्मचारी ऋण, बिल न किए गए राजस्व) – रियायती भविष्य के नकदी प्रवाह; छूट के लिए उपयोग की जाने वाली प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि के अनुसार उचित बाजार दर।

(ii) वित्तीय देयताओं के लिए (प्रतिधारण राशि देयताएं, डिबेंचर, विदेशी मुद्रा ऋण) : रियायती नकदी प्रवाह्य छूट के लिए उपयोग की जाने वाली प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इकाई की उपयुक्त बाजार उधार दर।

घ) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2020 को	
	ले जाई गई राशि	उचित मूल्य	ले जाई गई राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां :				
एनर्जी प्रो एसेट्स मैनेजमेंट लि. को ऋण	5,692.30	5,847.02	5,219.77	5,479.76
कर्मचारियों को ऋण	357.24	357.24	233.95	200.55
प्रतिभूति जमा	693.26	704.10	624.34	633.96
बिल न किया गया राजस्व	11,840.00	12,213.10	3,543.10	4,596.36
वित्त पट्टा प्राप्तियां	13,973.17	13,973.17	8,576.41	8,576.41
बैंक में जमा	2,232.87	2,232.87	1,521.68	1,521.68
कुल	**34,788.84**	**35,327.50**	**19,719.25**	**21,008.72**
वित्तीय देयताएं :				
गैर–वर्तमान उधारी	501,836.74	487,373.42	316,492.25	311,889.27
प्रतिधारण राशि	41,466.52	42,494.52	56,226.18	65,682.89
व्यापार देय	138,770.62	140,665.31	160,069.41	165,059.76
कुल	**682,073.88**	**670,533.25**	**532,787.84**	**542,631.92**

पूंजीगत व्यय, नकद और नकदी समतुल्य और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति, वर्तमान उधारी और अन्य वर्तमान वित्तीय और देयताओं के लिए वर्तमान व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, देय राशि की वहन राशि को उनकी अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

प्रतिभूति जमा, बिना बिल की आय, कर्मचारी सावधि ऋण, उधार और प्रतिधारण राशि के उचित मूल्यों की गणना एक विशेषज्ञ बाहरी एजेंसी के माध्यम से किए गए वर्तमान उधार देने की दर/उधार लेने की दर का उपयोग करते हुऐ छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अवलोकनीय बाजार आदानों के उपयोग के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर 2 के उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

44 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की मूल वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। समूह की मूल वित्तीय देयताओं में विदेशी के साथ–साथ घरेलू मुद्रा, व्यापार देय और अन्य देय ऋण और उधार शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन समूह के प्रचालनों को वित्तपोशित करना है।

वित्तीय साधनों के उपयोग से समूह को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता है :

– क्रेडिट जोखिम

– नकदी जोखिम

– तरलीकरण जोखिम''

इस टिप्पणी में उपरोक्त प्रत्येक जोखिम हेतु समूह के जोखिम, समूह के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम को मापने और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया जाता है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम समूह को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व, ऋण और अग्रिम, नकद और नकदी समतुल्य और बैंकों के पास जमा राशियों से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य और गैर भुगतानित राजस्व

समूह अपना राजस्व मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) से कमाती है। चूंकि ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, ऐसे प्राप्तियों से जुड़े प्रतिपक्ष जोखिम को महत्वहीन माना जाता है।

बाकी ग्राहकों के लिए, समूह बकाया की अवधि, विशिष्ट क्रेडिट परिस्थितियों, ग्राहकों का स्वरूप और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता को ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है।

समूह द्वारा आजीवन ईसीएल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए क्षति हानि भत्ता का आकलन किया जाता है जो उस व्यापारों के वातावरण पर आधारित होता है जिसमें समूह संचालित होती है। व्यापार प्राप्तियों को डिफॉल्ट (क्रेडिट क्षति) माना जाता है, जब ऊपर बताए गए मापदंडों पर आकलन / मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तियों की वसूली की संभावना बिगड़ रही है और उन्हें व्यवस्थित तरीके से संदिग्ध प्राप्तियों हेतु भत्ते के रूप में प्रदान करना आवश्यक है।

समूह ने पिछले वर्षों में व्यापार प्राप्तियों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण क्षति की हानि का अनुभव नहीं किया है। चूंकि समूह के ग्राहक भारत के विभिन्न राज्यों में हैं, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

नकद और नकदी समतुल्य

समूह के पास 34,881.79 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 43,820.05 लाख रुपए) के नकद और नकदी समतुल्य थे। नकद और नकदी समतुल्य उच्च रेटिंग वाले बैंकों के पास रखे जाते हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशियां

समूह के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 32,726.18 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 35,316.11 लाख रुपए) की जमा राशियां थी। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, समूह केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों / संस्थानों में जमाराशियां रखती है।

कर्मचारियों को ऋण

समूह ने कर्मचारियों को ऋण दिया है। समूह कर्मचारियों को पूर्ण और अंतिम भुगतान के बदले बकाया के निपटान के माध्यम से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम के संबंध में अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करती है।

एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लि. (ईपीएएम) को ऋण

''मूल कंपनी और ईपीएएम के बीच संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, यदि ईपीएएम अपनी देय तिथि तक ईपीएएल द्वारा दिए गए ऋण के तहत किसी भी राशि के भुगतान में चूक करता है, तो एक डीम्ड ट्रांसफर नोटिस कंपनी को दिया गया माना जाएगा जिससे निम्नानुसार ईपीएएम पर प्रभाव होगा :

- ईपीएएम शेयरधारकों की किसी भी बैठक में अपने सभी मतदान अधिकारों से वंचित हो जाएगा;
- ईपीएएम द्वारा नियुक्त निदेशक को सभी मतदान अधिकारों से वंचित किया जाएगा (और वे निदेशक बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के अपने अधिकार खो देंगे);
- चूककर्ता शेयरधारक कंपनी द्वारा देय किसी लाभांश या अन्य वितरण को प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
- ईपीएएल के पास ईपीएएम के सभी शेयरों को उचित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर के 90 प्रतिशत पर खरीदने का अधिकार होगा। ऋण समझौते के अनुसार, किसी भी चूक के मामले में, भुगतान न किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक, करार के तहत निर्दिष्ट दर से 2 प्रतिशत अधिक पर, भुगतान न की गई राशि पर दैनिक ब्याज अर्जित होगा। साथ ही, एनर्जीप्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड अपने नामित निदेशक के साथ ईपीएएल में शेयरधारक के रूप में अपने सभी मतदान अधिकारों से वंचित हो जाएगा और यह ईपीएएल द्वारा देय किसी भी लाभांश या अन्य वितरण का पात्र नहीं होगा। संयुक्त उद्यम समझौते और ऋण समझौते के उक्त उल्लिखित खंडों के मद्देनजर, प्रबंधन का विचार है कि डिफॉल्ट का जोखिम कम है।

निवेश

ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट लिमिटेड (ईपीएएल) ने एक साझेदारी फर्म मेपल लीफ स्टोरेज एलपीआई में सामरिक निवेश किया है। सदस्यता समझौते की शर्तों के अनुसार, यदि करार में निर्धारित शर्तों को समापन तिथि के एक वर्ष के अंदर एलपी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, ईपीएएल को उसके निवेश के संबंध में नकदी प्रवाह आबंटन, उस समय, ईपीएएल को कम से कम 10.0 प्रतिशत (15–वर्ष के वित्तीय मॉडल के आधार पर) का अनुमानित आईआरआर प्रदान करने के तरीके से स्थापित किया जाएगा।

(i) ऋण जोखिम का सामना करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम था :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का उपयोग करते हुए मापा जाता है।		
गैर–वर्तमान निवेश	1,721.69	1,527.24
गैर–वर्तमान ऋण	6,075.86	5,713.72
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां*	14,494.52	9,209.64
नकद और नकदी समतुल्य	34,881.79	43,820.05
बैंकों के साथ जमा	30,493.31	33,794.43
वर्तमान ऋण	666.94	364.34
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां '	3,742.18	5,888.88
कुल	92,076.29	100,318.30

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को जीवनकाल में संभावित हानियों का प्रयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	285,544.09	194,375.67
गैर भुगतानित राजस्व	11,840.00	3,543.10
कुल	297,384.09	197,918.77

*गैर भुगतानित राजस्व को छोड़कर

(ii) संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 माह की संभावित हानियों का उपयोग करते हुए मापा जाता है।

समूह के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनमें प्रतिपक्षी पार्टी के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और जिनमें चूक का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए किसी नुकसान भत्ते को मान्यता नहीं दी गई।

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को जीवन के समय में संभावित हानियों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है

समूह के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम कम है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो पिछले देय हैं, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय हैं। जबकि, समूह ने 31 मार्च 2020 (31 मार्च 2019 : 196.65 लाख रुपए) को समाप्त वर्ष के दौरान 196.65 लाख रुपए की संदिग्ध प्राप्य राशि के प्रावधान को मान्यता दी है।

इसके अलावा, समूह गैर–सरकारी नियंत्रित ग्राहकों के ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और ने ऐसे ग्राहकों के संबंध में उनके ऋण जोखिम का आकलन /मूल्यांकन लंबित रहने के संबंध में 30 सितंबर 2019 तक 360 दिनों से अधिक के लिए बकाया राशि के संबंध में 849.61 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा हानि भत्ते को मापा और अनुशंसित किया जाता है

सी एण्ड एजी ने 18 अक्तूबर 2017 की अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार/डीईआरसी से सब्सिडी प्राप्त नहीं होने के कारण 1,650.00 लाख रुपए के प्रावधान की सिफारिश की थी। जबकि, कंपनी ने प्रावधान नहीं किया है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि वसूली संबंधित प्राधिकारी के साथ की जा रही है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और वे अपने बकाया की वसूली के लिए आश्वस्त हैं।

(iii) व्यापार प्राप्यों का प्रभावन विश्लेषण

व्यापार प्राप्यों का प्रभावन विश्लेषण नीचे दिया गया है:

लाख रु. में

विवरण	ले जाई गई सकल राशि	
	31 मार्च 2020 तक सकल राशि	31 मार्च 2019 तक सकल राशि
देय नहीं	6,283.81	6,676.23
देय से 0–30 दिन बाद	50,644.21	39,888.90
देय से 31–60 दिन बाद	15,608.38	20,006.21
देय से 61–90 दिन बाद	9,865.66	5,968.02
देय से 91–120 दिन बाद	12,097.38	15,384.35
देय से 120 दिन बाद	192,484.20	106,845.25
कुल	**286,983.64**	**194,768.96**

(iv) **संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते का विनियोजन**

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के संबंध में संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते में आवागमन इस प्रकार है।

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेश	393.29	196.64
जोड़ें : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	1,046.26	196.65
समापन शेष	1,439.55	393.29

ख) तरलीकृत जोखिम

तरलीकृत जोखिम वह जोखिम है जो समूह को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए समूह का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि समूह की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम के जोखिम के बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने हेतु हमेशा पर्याप्त तरलता होगी।

समूह के पास लघु, मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषण और चलनिधि प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन हेतु एक उपयुक्त तरलीकृत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा है। समूह निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा का मिलान करके पर्याप्त नकदी भंडार, बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

आम तौर पर समूह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित, 60 दिनों की अवधि के लिए अपेक्षित परिचालन व्ययों को पूरा करने हेतु पर्याप्त नकदी है, इसमें उन चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं।

(i) वित्तीय व्यवस्था

समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित निकासी न की गई उधार सुविधाओं के लिए पहुंच थी :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
नियत दर ऋण		
विदेशी मुद्रा ऋण	178,700.98	181,436.83
कार्यशील पूंजी ऋण	26,081.15	15,304.76
कुल	**204,782.13**	**196,741.59**
अस्थायी-दर उधारी		
सावधि ऋण	17,000.00	10,002.41
विदेशी मुद्रा ऋण	157,448.85	208,762.33
कार्यशील पूंजी ऋण	-	2,500.10
कुल	**174,448.85**	**221,264.84**
कुल	**379,230.98**	**418,006.43**

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं :

31 मार्च 2020 को

लाख रु. में

विवरण	3 माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–वर्तमान उधार'	7,615.63	58,479.91	86,557.50	254,282.08	185,087.54	592,022.66
वर्तमान उधार'	29,514.60	59,903.13	-	-	-	89,417.73
व्यापार देय	133,490.71	1,734.11	2,072.09	4,205.16	59.55	141,561.62
प्रतिधारण धन	28,995.27	3,657.47	4,017.16	7,162.36	103.04	43,935.30
पट्टा देयताएं	619.07	1,617.36	1,441.41	545.77	-	4,223.61
व्ययों के लिए देयता	4,141.32	-	-	-	-	4,141.32
कर्मचारियों को देय	648.77	-	-	-	-	648.77
अन्य	325.56	585.27	-	-	-	910.83
कुल	**205,350.93**	**125,977.25**	**94,088.16**	**266,195.37**	**185,250.13**	**876,861.84**

31 मार्च 2019 को

लाख रु. में

विवरण	3 माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–वर्तमान उधार*	4,510.71	37,733.56	43,619.06	182,689.04	135,117.51	403,669.88
वर्तमान उधार*	47,674.63	38,227.92	-	-	-	85,902.55
व्यापार देय	151,529.59	2,121.26	2,332.99	5,000.96	1,795.38	162,780.18
प्रतिधारण धन	1,868.79	16,946.77	15,003.01	19,632.53	2,775.08	56,226.18
व्ययों के लिए देयता	2,333.37	-	-	-	-	2,333.37
कर्मचारियों को देय	936.16	-	-	-	-	936.16
अन्य	378.62	430.81	-	-	-	809.43
कुल	209,231.87	95,460.32	60,955.06	207,322.53	139,687.97	712,657.75

*संविदात्मक रूप से प्रतिबद्ध हित शामिल हैं।

ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दरों से समूह की आय प्रभावित होगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मानकों के अंदर जोखिम का प्रबंधन और बाजार जोखिम नियंत्रण करना है, जबकि रिटर्न का अनुकूलन करना है।

निदेशक मंडल समूह के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे सभी लेन–देन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत किए जाते हैं।

मुद्रा के जोखिम

समूह कुछ लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं, इसलिए विनिमय दर में उतार–चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग–अलग होगा।

31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को वित्तीय देयताओं की मुद्रा रूपरेखा नीचे दी गई है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को			31 मार्च 2019 को		
	यूरो	यूएसडी	जीबीपी	यूरो	यूएसडी	जीबीपी
वित्तीय देयताएं						
विदेशी मुद्रा उधार	-	-	17.44	47,385.00	81,875.23	-
देय प्रतिबद्धता शुल्क	57,681.88	159,943.19	17.44	80.00	158.24	-
व्यापार देय	2,758.07	-	123.50	4,185.63	-	50.96
कुल	**60,439.95**	**159,943.19**	**158.38**	**51,650.63**	**82,033.47**	**50.96**
वित्तीय परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्तियां	11.61	9,054.97	1,576.04	128.56	-	806.83
बैंक–वर्तमान खाते में शेष राशि	-	-	-	-	2,017.42	38.97
निवेश	-	1,721.69		-	1,527.24	
कुल	11.61	10,776.66	1,576.04	128.56	3,544.66	845.80
निवल एक्सपोजर	**60,428.34**	**149,166.53**	**(1,417.66)**	**51,522.07**	**78,488.81**	**(794.84)**

संवेदनशीलता का विश्लेषण

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, 31 मार्च को यूरो, यूएसडी और जीबीपी के मुकाबले भारतीय रुपए की मजबूत नीचे दिखाई गई राशियों से लाभ या हानि (कर से पहले) में वृद्धि/(कमी) होगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्नताओं पर आधारित है जिसे समूह ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील, विशेष रूप से ब्याज दरों में स्थिर रहते हैं। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया जाता है, सिवाय इसके कि उचित रूप से संभव विदेशी विनिमय दर भिन्नताएं भिन्न थीं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	मजबूती	कमी	मजबूती	कमी
10 प्रतिशत आवागमन				
भारतीय रुपए / ईयूआर	6,042.83	(6,042.83)	5,152.21	(5,152.21)
भारतीय रुपए / यूएसबी	14,916.65	(14,916.65)	7,848.88	(7,848.88)
भारतीय रुपए /जीबीपी	(141.77)	141.77	(79.48)	79.48
कुल	**20,817.72**	**(20,817.72)**	**12,921.60**	**(12,921.60)**

ब्याज दर जोखिम

समूह मुख्यतः फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ गैर वर्तमान उधारों से उठने वाले ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित हैं। समूह ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधारों के साथ संबद्ध नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तनों के साथ घटे बढ़ेंगे। समूह विभिन्न शर्तों के साथ विभिन्न प्रकार की ऋण व्यवस्थाओं में प्रवेश करके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है (जैसे निश्चित दर ऋण, फ्लोटिंग दर ऋण, रुपया अवधि ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, आदि)।

रिपोर्टिंग तिथि पर समूह के परिवर्ती ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय परिसंपत्ति		
नियत दर के साधन		
कर्मचारी ऋण	169.46	57.38
उप कुल	**169.46**	**57.38**
परिवर्तनीय -दर के साधन		
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लि. को ऋण	5,692.30	5,219.77
उप कुल	**5,692.30**	**5,219.77**
कुल	**5,861.76**	**5,277.15**

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय देयताएं		
नियत दर के साधन		
विदेशी मुद्रा ऋण	57,222.66	47,099.92
डिबेंचर	115,000.00	127,500.00
अल्पावधि ऋण	75,000.00	25,179.08
उप कुल	**247,222.66**	**199,779.00**
परिवर्तनीय -दर के साधन		
विदेशी मुद्रा ऋण	159,171.93	81,661.00
रुपया सावधि ऋण	132,965.47	39,997.59
अल्पावधि ऋण	10,049.94	58,365.86
बैंकों से सावधि ऋण	31,064.13	14,591.68
उप कुल	**333,251.47**	**194,616.13**
कुल	**580,474.13**	**394,395.13**

नियत दर वाले साधनों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह के नियत दर वाले साधनों को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर साधनों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज दरों में 50 आधार अंकों के परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों से लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होती। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी परिवर्तनीय, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा दरों में स्थिर रहते हैं। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया जाता है।

लाख रु. में

विवरण	लाभ और हानि (कर से पहले)			
	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लि. को ऋण	28.46	(28.46)	26.10	(26.10)
विदेशी मुद्रा ऋण	(795.86)	795.86	(408.31)	408.31
रुपया सावधि ऋण	(664.83)	664.83	(199.99)	199.99
अल्पावधि ऋण	(50.25)	50.25	(291.83)	291.83
बैंकों से सावधि ऋण	(155.32)	155.32	(72.96)	72.96
कुल	**(1,637.80)**	**1,637.80**	**(946.98)**	**946.98**

45 पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंध करते समय समूह के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

– जारी कंपनी के रूप में जारी करने के लिए इसकी क्षमता को सुरक्षित करना; ताकि यह शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य पणधारकों हेतु लाभ प्रदान करना जारी रख सके और

– ऋण और इक्विटी की उपयुक्त पूंजी संरचना बनाए रखना।

निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखें और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अवसरों का लाभ उठाकर धन की तैनाती और सोर्सिंग में विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से पूंजी की लागत को कम करें ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजारों के विश्वास को बनाए रखा जा सके और व्यापार के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की निगरानी भी करता है।

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, समूह को निम्नलिखित वित्तीय अनुबंधों का पालन करना आवश्यक है :

क) मूल कंपनी की उधारी :

(i) कम से कम 1.0 गुना का वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसंपत्ति को वर्तमान देयताओं से विभाजित) बनाए रखें।

(ii) 1.00 गुना की न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज बनाए रखें।

(iii) एक ऋण अनुरक्षित करना : इक्विटी अनुपात (संचित लाभ / हानि के इक्विटी निवल द्वारा विभाजित दीर्घकालिक ऋण) 80:20 से अधिक नहीं है।

(iv) कम से कम 1.2 के एक परिसंपत्ति ऋण सेवा कवरेज अनुपात (सभी मूल भुगतान और कर–संरक्षित ब्याज और पट्टा भुगतान सहित ऋण सेवा दायित्वों से विभाजित संचालन से निवल नकदी प्रवाह) बनाए रखें।

(v) उधारकर्ता को स्टॉक विस्तार के साथ–साथ बैंक को सूचित करना होगा यदि उनके लाभ या व्यापार पर पर्याप्त प्रभाव का अर्थ 20 प्रतिशत या अधिक का प्रतिकूल अंतर है।''

ख) सहायक कंपनियों की उधारी :

(i) ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड – कम से कम 1.4:1.0 के नकदी प्रवाह कवर (वित्त शुल्क सहित ऋण सेवा के लिए नकदी प्रवाह) बनाए रखें।

(ii) एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड – कुल प्रतिबद्धताओं की कुल राशि और अधिकतम ऋण 70 प्रतिशत के मूल्य पर कम से कम 1.4 का ऋण सेवा कवरेज अनुपात, कम से कम 3.0 का लीवरेज और मूर्त परिसंपत्ति का कुल मूल्य कम से कम 1.75 गुना बनाए रखें।

समूह आम तौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय अनुपातों की संख्या के आधार पर, तीन से पांच वर्ष के मध्यम अवधि के दृश्य का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है। समूह बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

समूह निम्नलिखित अनुपातों का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करता है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्तमान अनुपात [1]	1.32	1.18
ऋण–इक्विटी अनुपात [2]	3.82	3.49
ऋण सेवा कवरेज अनुपात [3]	1.81	2.52
परिसंपत्ति कवरेज अनुपात [4]	3.15	5.94

1. वर्तमान देयताओं (31 मार्च 2020 – 450,111.68 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 365,891.19 लाख रुपए) द्वारा विभाजित वर्तमान परिसंपत्ति (31 मार्च 2020– 340,228.80 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 309,014.79 लाख रुपए)
2. इक्विटी द्वारा विभाजित ऋण। ऋण में बॉन्ड और दीर्घावधि के उधार शामिल हैं जो वर्तमान परिपक्वता (31 मार्च 2020 – 449,706.22 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 293,701.06 लाख रुपए) के निवल हैं और इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी (31 मार्च 2020– 117,707.24 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 84,141.02 लाख रुपए) शामिल हैं
3. ऋण भुगतान द्वारा (मूल धन के भुगतान और ब्याज और दीर्घावधि के उधार से संबंधित वित्त प्रभार) (31 मार्च 2020 – 85,933.74 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 74,947.70 लाख रुपए) विभाजित मूल्यह्रास, ब्याज और कर (31 मार्च 2020– 47,353.34 लाख रुपए और 31 मार्च 2019 – 29,682.72 लाख रुपए) से पहले लाभ।
4. प्रतिभूत सावधि ऋण (बॉन्ड सहित) (31 मार्च 2020– 405,988.13 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 303,948.46 लाख रुपए) से विभाजित गैर–वर्तमान मूर्त परिसंपत्ति (परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य–प्रगति) (31 मार्च 2020– 128,760.50 लाख रुपए और 31 मार्च 2019– 51,145.68 लाख रुपए)

46 कंपनी द्वारा जारी किए गए गैर–परिवर्तनीय बॉन्ड की श्रृंखला सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निधियां जुटाई जाती हैं। कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर की स्वरूप में प्रतिदेय, कर योग्य, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय बॉन्ड का विवरण इस प्रकार है :

लाख रु. में

श्रृंखला	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	इशू का कुल आकार	प्रत्येक बॉन्ड का अंकित मूल्य	आबंटित तिथि	मूल पुनः भुगतान की अगली देय तिथि	वार्षिक ब्याज की अगली देय तिथि
श्रृंखला-I	प्रतिभूत*	37,500.00	₹ 30.00 Lakh**	20–सितंबर–16	20–सितंबर–21	20–सितंबर–20
श्रृंखला-II	अप्रतिभूत	45,000.00	₹ 10.00 Lakh	18–जुलाई–17	18–जुलाई–22	18–जुलाई–20
श्रृंखला-III	अप्रतिभूत	20,000.00	₹ 10.00 Lakh	10–जनवरी–18	10–फरवरी–21	10–जनवरी–21
श्रृंखला-IV	अप्रतिभूत	12,500.00	₹ 10.00 Lakh	29–जनवरी–18	28–मई–21	29–जनवरी–21

*श्रृंखला –I कंपनी की चल अचल परिसंपत्तियों पर 1.00 गुना की न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज के साथ पहले समान समय के प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

**श्रृंखला–I के प्रत्येक बॉन्ड में 10.00 लाख रुपए के मूल्य का 1 एसटीआरपीपी और 20.00 लाख के मूल्य का 1 एसटीआरपीपी शामिल है।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार जारी किए गए बॉन्डों के लिए कंपनी डिबेंचर मोचन रिजर्व बना रही है।

47 भारतीय लेखाकरण मानक 24 - ''संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) संबंधी पक्षकारों की सूची :

(i) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाली इकाइयां :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनटीपीसी लिमिटेड
आरईसी लिमिटेड
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

मूल कम्पनी

रजत कुमार सूद	प्रबंध निदेशक	7 अक्तूबर 2020 से प्रभावी
सौरभ कुमार	कार्यकारी उपाध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार)	1 अगस्त 2020 से प्रभावी
सौरभ कुमार	प्रबंध निदेशक	7 मई 2013 से 30 नवंबर 2019 तक प्रभावी
सौरभ कुमार	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1 दिसंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी
शंकर गोपाल	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1 अगस्त 2020 से 7 अक्टूबर 2020 तक प्रभावी
राजीव शर्मा	निदेशक और अध्यक्ष	5 फरवरी 2018 से प्रभावी
राज पाल	नामित निदेशक	14 जुलाई 2016 से प्रभावी
विजय कुमार सिंह	नामित निदेशक	21 अक्तूबर 2016 से 14 नवंबर 2018 तक प्रभावी
मोहित भार्गव	नामित निदेशक	5 फरवरी 2018 से 30 मई 2020 तक प्रभावी
संजीव गर्ग	नामित निदेशक	21 अक्तूबर 2018 से 16 मार्च 2020 तक प्रभावी
अभय बाकरे	नामित निदेशक	8 मई 2018 से प्रभावी
सी. के. मोंडाल	नामित निदेशक	30 मई 2020 से 13 अगस्त 2020 तक प्रभावी
राजू लक्ष्मण	नामित निदेशक	1 मई 2020 से प्रभावी
आदित्य डार	नामित निदेशक	22 अगस्त 2020 से प्रभावी
सीतापति चंदर	स्वतंत्र निदेशक	5 फरवरी 2018 से 3 अगस्त 2020 तक प्रभावी
गौरी सुरेंद्र त्रिवेदी	स्वतंत्र निदेशक	5 फरवरी 2018 से 4 अगस्त 2020 तक प्रभावी
रेणु नारंग	निदेशक (वित्त)	1 मार्च 2018 से 23 जनवरी 2019 तक प्रभावी
वेंकटेश द्विवेदी	निदेशक (पी एंड बीडी)	7 फरवरी 2019 से प्रभावी
शंकर गोपाल	निदेशक (वाणिज्य)	7 फरवरी 2019 से प्रभावी
शंकर गोपाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	8 जून 2016 से 5 अप्रैल 2018 तक प्रभावी
रेणु नारंग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	6 अप्रैल 2018 से 23 जनवरी 2019 तक प्रभावी
शंकर गोपाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	7 फरवरी 2019 से प्रभावी
लोकेश कुमार अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	11 दिसंबर 2020 से प्रभावी
पूजा शुक्ला	कंपनी सचिव	27 दिसंबर 2012 से प्रभावी

सहायक कंपनियां

ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड

सौरभ कुमार	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
स्टीवन डेरिक फॉक्स	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
शंकर गोपाल	निदेशक	20 मार्च 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एनेको एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड

मैथ्यू विलियम पम्फ्रे	निदेशक	13 मार्च 2018 से 1 मई 2020 तक प्रभावी
माइकल एंथोनी टिवेय	निदेशक	13 मार्च 2018 से 1 मई 2020 तक प्रभावी
नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
अमित कुमार भारद्वाज	निदेशक	20 मार्च 2019 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	20 मार्च 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

सीटन एनर्जी लिमिटेड

मैथ्यू विलियम पम्फ्रे	निदेशक	13 मार्च 2018 से 1 मई 2020 तक प्रभावी
माइकल एंथोनी टिवेय	निदेशक	13 मार्च 2018 से 1 मई 2020 तक प्रभावी
नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
अमित कुमार भारद्वाज	निदेशक	20 मार्च 2019 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	20 मार्च 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

ईपीएएल होल्डिंग लिमिटेड

सौरभ कुमार	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
स्टीवन डेरिक फॉक्स	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड

सौरभ कुमार	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
स्टीवन डेरिक फॉक्स	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड

सौरभ कुमार	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
स्टीवन डेरिक फॉक्स	निदेशक	13 मार्च 2018 से प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
शंकर गोपाल	निदेशक	19 फरवरी 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एडिना लिमिटेड

नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	28 अगस्त 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एडिना यूके लिमिटेड

नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	28 अगस्त 2019 से प्रभावी
सौरभ कुमार	निदेशक	2 दिसंबर 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड

नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
कैथरीन मार्गरेट जिनजेल	निदेशक	18 अक्तूबर 2013 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड

नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	28 अगस्त 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

स्टैनबेक लिमिटेड

नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	28 अगस्त 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड

नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	28 अगस्त 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

एडिना पावर लिमिटेड

नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
डेल्विन लेन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावी
ह्यूग केर रिचमंड	निदेशक	17 जुलाई 2018 से प्रभावी
नितिन वाधवा	निदेशक	28 अगस्त 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	3 मार्च 2020 से प्रभावी

ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड

सौरभ कुमार	निदेशक	20 दिसंबर 2018 से प्रभावी
नीलिमा जैन	निदेशक	13 मार्च 2018 से 3 फरवरी 2020 तक प्रभावी
शंकर गोपाल	निदेशक	8 जून 2019 से प्रभावी
अमित कुमार कौशिक	निदेशक	5 मार्च 2020 से प्रभावी

(iii) **सहायक कंपनियां :**
सहायक कंपनियों में हित टिप्पणी 49 में निर्धारित किया गया है।

(iv) **संयुक्त उद्यम :**
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड
इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(v) **समूह पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाली इकाइयों की सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां :**
यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

(vi) **रोजगार के बाद लाभ की योजनाएं :**
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कर्मचारी समूह अधिवर्शिता हेतु परिभाषित की गई अंशदान योजना ट्रस्ट

(vii) **गैर-नियंत्रित हित :**
एनर्जीप्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड

(viii) **एक ही सरकार के नियंत्रण में इकाइयां :**

कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा अपनी नियंत्रित इकाइयों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है (टिप्पणी 18 देखें)। भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, जिन इकाइयों पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित इकाइयों के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी इकाइयां जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेन देन हैं, उनमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, सीमेंट भारतीय निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारत पर्यटन विकास निगम, एनबीसीसी लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ख) **संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन इस प्रकार हैं :**

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
समूह द्वारा प्राप्त जनशक्ति सेवाएं		
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड	2,137.47	1,984.82
वस्तुओं की बिक्री		
एनटीपीसी लिमिटेड	4,559.41	5,873.43
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	805.14	2,257.51
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड	351.42	728.75
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10.80	8.11
ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	4.71	-
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	390.28	515.35
एनएचपीसी लिमिटेड	372.38	347.32
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	330.61	328.81
एसजेवीएन लिमिटेड	278.14	368.99
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	112.17	14.68
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	25.93	10.52
आरईसी लिमिटेड	-	2.47
कुल	7,240.99	10,455.94
वस्तुओं और सेवाओं की खरीद		
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	5,981.00	9,329.00
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	25.99	5,026.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	59.81	0.59
भारत पर्यटन विकास निगम	56.76	-
कुल	6,123.56	14,355.59

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया		
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	112.00	111.73
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	1,647.79	828.36
एनटीपीसी लिमिटेड	308.33	-
एनबीसीसी लिमिटेड	46.52	-
कुल	**2,114.64**	**940.09**
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति		
एनटीपीसी लिमिटेड	57.24	680.32
प्राप्त इक्विटी योगदान		
एनटीपीसी लिमिटेड	21,811.00	-
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,841.40	1,520.44
आरईसी लिमिटेड	7,160.00	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	9,900.00
कुल	**30,812.40**	**11,420.44**
भुगतान किया गया इक्विटी योगदान		
इंटेलीसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 4 देखें)	-	-
ब्याज आय		
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड	194.72	233.83
बैंकिंग शुल्क और गारंटी शुल्क वसूल किया गया		
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड	106.22	139.74
दिया गया ऋण		
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड	472.53	210.11
अंतिम लाभांश का भुगतान		
एनटीपीसी लिमिटेड	447.32	401.04
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	236.87	401.04
आरईसी लिमिटेड	210.45	239.32
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	54.15	61.59
कुल	**948.79**	**1,102.99**
रोजगार के बाद लाभ योजना के साथ लेनदेन		
वर्ष के दौरान किए गए योगदान	221.41	208.42
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को मुआवजा (केएमपी)		
अल्पकालिक लाभ	429.44	140.75
रोजगार के बाद के लाभ	73.57	15.92
अन्य दीर्घकालिक लाभ	33.86	0.40
कुल	**536.87**	**157.07**

ग) **संबंधित पक्षकरों के पास बकाया शेष इस प्रकार हैं :** लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूली योग्य राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड	4,320.28	4,349.98
पावर ग्रिड कॉर्पोरेषन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,448.16	1,564.61
आरईसी लिमिटेड	108.58	156.63
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेषन लिमिटेड	213.67	133.16
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	79.27	103.34
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	-	2.32
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	-	133.57
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	-	0.08
कुल	**6,169.96**	**6,443.69**
वसूली योग्य राशि (ऋण)		
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड	5,692.30	5,219.77
वसूली योग्य राशि (ऋण के अलावा)		
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड	9.31	-
देय राशि (ऋण के अलावा)		
यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड	336.00	27.49
एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड	-	36.19
केएमपी को बकाया मुआवजा	1.21	-

घ) **संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के शर्ते और निबंधन :**

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन सामान्य वाणिज्यिक शर्तें और निबंधनों पर और बाजार दरों पर किए जाते हैं।

(ii) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए संविदा या व्यवस्था या लेनदेन जो कम दूरी के आधार पर थे।

(iii) कंपनी मेसर्स यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) से जनशक्ति सेवाएं प्राप्त कर रही है, जो एनटीपीसी लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है।

(iv) समूह परामर्श (कंसल्टेंसी) सेवाएं प्रदान करती है और संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों को सामान बेचती है जिस पर वह ऐसी कंपनियों से लागत और सेवा षुल्क वसूल करती है।

(v) एनर्जीप्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड (ईपीएएम) को एलआईबीओआर प्लस मार्जिन (2.80 प्रतिशत) की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। बैंकिंग षुल्क और गारंटी षुल्क लागत दर लागत के आधार पर वसूल किए जाते हैं। ऋण समझौते के अनुसार, किसी भी चूक के मामले में, एनर्जीप्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड अपने नामित निदेशक के साथ ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट लिमिटेड (ईपीएएल) में शेयरधारक के रूप में अपने सभी मतदान अधिकारों से वंचित हो जाएगा, और यह किसी भी ईपीएएल द्वारा लाभांश या देय अन्य वितरण का पात्र नहीं होगा।

(vi) वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों की बकाया राशि असुरक्षित और ब्याज मुक्त होती है और निपटान नकद में होता है। समूह ने संबंधित पक्षों द्वारा देय राशियों से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्ष की वित्तीय स्थिति और बाजार की जांच के माध्यम से किया जाता है जिसमें संबंधित पक्ष संचालित होते हैं।

48. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार प्रकटीकरण

समूह में इकाइयों के नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए					
	निवल परिसंपत्ति, अर्थात् कुल परिसंपत्ति में से कुल देयताएं घटाएं		लाभ या हानि में शेयर		ओसीआई में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित निवल परिसंपत्ति का प्रतिशत	राशि	समेकित लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि	समेकित निवल परिसंपत्ति का प्रतिशत	राशि	समेकित लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि
मूल कंपनी								
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	96.44%	113,511.78	84.01%	2,690.34	1.30%	9.06	69.26%	2,699.40
विदेशी सहायक कंपनियां								
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	31.53%	37,110.42	85.93%	2,751.84	0.00%	-	70.60%	2,751.84
एनेको एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड	3.62%	4,263.06	0.24%	7.72	0.00%	-	0.20%	7.72
सीटन एनर्जी लिमिटेड	1.35%	1,588.78	1.07%	34.32	0.00%	-	0.88%	34.32
ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड	20.20%	23,775.94	-0.23%	(7.33)	0.00%	-	-0.19%	(7.33)
एडिना एक्विजिशन लिमिटेड	14.43%	16,984.47	-93.36%	(2,989.61)	0.00%	-	-76.70%	(2,989.61)
एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड	6.10%	7,176.93	3.42%	109.66	0.00%	-	2.81%	109.66
एडिना लिमिटेड	5.75%	6,765.70	-14.66%	(469.54)	0.00%	-	-12.05%	(469.54)
एडिना यूके लिमिटेड	9.55%	11,245.90	10.21%	327.04	104.00%	723.12	26.94%	1,050.16
एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड'	-0.16%	(187.10)	0.48%	15.38	0.00%	-	0.39%	15.38
आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड	0.29%	339.50	-0.13%	(4.31)	36.11%	251.07	6.33%	246.76
स्टैनबेक लिमिटेड	-0.10%	(120.60)	-0.43%	(13.73)	25.97%	180.58	4.28%	166.85
एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	0.00%	-	-0.54%	(17.20)	0.00%	-	-0.44%	(17.20)
एडिना पावर लिमिटेड	0.95%	1,115.99	14.14%	452.86	0.00%	-	11.62%	452.86
ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	-0.03%	(39.04)	-1.44%	(46.13)	0.00%	-	-1.18%	(46.13)
सभी सहायक कंपनियों में गैर–नियंत्रित हित	4.05%	4,765.46	2.59%	83.09	15.25%	106.04	4.85%	189.13
भारतीय संयुक्त उद्यम								
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड	0.01%	6.59	0.02%	0.63	0.00%	-	0.02%	0.63
समेकित समायोजन	-93.96%	(110,596.54)	8.66%	277.26	-82.63%	(574.54)	-7.63%	(297.28)
कुल	100.00%	117,707.24	100.00%	3,202.29	100.00%	695.33	100.00%	3,897.62

'एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी में 187.05 लाख रुपए की कमी है और एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो एक चालू संगठन के रूप में जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड को समूह की कंपनियों से वित्तीय सहायता जारी रखने की गारंटी मिली है और इसके वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं और एक चालू संगठन के आधार पर समेकित किए गए हैं।

समूह में इकाइयों के नाम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए					
	निवल परिसंपत्ति, अर्थात् कुल परिसंपत्ति में से कुल देयताएं घटाएं		लाभ या हानि में शेयर		ओसीआई में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित निवल परिसंपत्ति का प्रतिशत	राशि	समेकित लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि	समेकित निवल परिसंपत्ति का प्रतिशत	राशि	समेकित लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि
मूल कंपनी								
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	96.55%	81,143.78	78.41%	7,925.51	1.04%	(22.14)	94.93%	7,903.37
विदेशी सहायक कंपनियां								
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	34.48%	29,997.80	17.14%	2,078.46	0.00%	-	20.80%	2,078.46
एनेको एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड	3.51%	3,049.84	4.58%	555.93	0.00%	-	5.56%	555.93
सीटन एनर्जी लिमिटेड	1.35%	1,174.99	0.87%	106.08	0.00%	-	1.06%	106.08
ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड	7.03%	6,112.17	-0.04%	(4.97)	0.00%	-	-0.05%	(4.97)
एडिना एक्विजिशन लिमिटेड	3.43%	2,980.77	-34.40%	(4,172.45)	0.00%	-	-41.75%	(4,172.45)
एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड	6.42%	5,585.46	0.55%	66.80	6.69%	(142.67)	-0.76%	(75.87)
एडिना लिमिटेड	6.64%	5,775.58	0.14%	17.24	9.03%	(192.70)	-1.76%	(175.46)
एडिना यूके लिमिटेड	9.61%	8,362.41	29.86%	3,621.89	1.25%	(26.57)	35.97%	3,595.32
एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड'	-0.21%	(184.85)	-0.69%	(83.99)	0.00%	-	-0.84%	(83.99)
आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड	0.08%	67.44	0.02%	2.95	0.67%	(14.37)	-0.11%	(11.42)
स्टैनबेक लिमिटेड	-0.03%	(23.42)	-0.24%	(28.83)	0.13%	(2.69)	-0.32%	(31.52)
एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	0.02%	14.59	-0.09%	(10.97)	-0.25%	5.33	-0.06%	(5.64)
एडिना पावर लिमिटेड	0.64%	554.22	-3.35%	(406.45)	-17.51%	373.67	-0.33%	(32.78)
ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	0.01%	7.26	-0.01%	(1.42)	0.00%	-	-0.01%	(1.42)
सभी सहायक कंपनियों में गैर–नियंत्रित हित	5.26%	4,576.33	3.87%	469.80	13.76%	(293.61)	1.76%	176.19
भारतीय संयुक्त उद्यम								
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड	0.01%	5.96	0.03%	3.05	0.00%	-	0.03%	3.05
समेकित समायोजन	-74.79%	(65,059.32)	3.34%	404.93	85.20%	(1,817.90)	-14.14%	(1,412.97)
कुल	100.00%	84,141.02	100.00%	10,543.56	100.00%	(2,133.65)	100.00%	8,409.91

49 भारतीय लेखाकरण मानक 112 के अनुसार प्रकटीकरण 'अन्य इकाइयों में हित का प्रकटीकरण'

क) सहायक कंपनी में निवेश :

समूह की सहायक कंपनियां नीचे सूचीबद्ध हैं। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें केवल इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह द्वारा रखे जाते हैं, और स्वामित्व हितों का अनुपात समूह द्वारा आयोजित मतदान अधिकारों के बराबर होता है। निगमन या पंजीकरण का देश भी उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है।

इकाइयों का नाम	निगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित (प्रतिशत		गैर-नियंत्रित हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित (प्रतिशत)		मुख्य गतिविधियां
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	धारित कंपनी और व्यापार समर्थन
एनेको एनर्जी सर्विसेज (साउथ) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	ऊर्जा बचत सेवाओं का प्रावधान
सीटन एनर्जी लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	
ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	निवेश धारित कंपनी
एडिना एक्विजिशन लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	
एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड	आयरलैंड	84.55	84.55	15.45	15.45	
एडिना लिमिटेड	आयरलैंड	84.55	84.55	15.45	15.45	डीजल और गैस संचालित जनरेटर और संबंधित स्पेयर पार्ट्स का निर्माण, बिक्री, स्थापना, किराया और सेवा
एडिना यूके लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	
एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	
एडिना पावर लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	84.55	84.55	15.45	15.45	डीजल और गैस चालित जनरेटर का कंटेनरीकरण और कंटेनरीकरण के लिए उपकरणों का उत्पादन
एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड	ऑस्ट्रेलिया	84.55	84.55	15.45	15.45	उपकरण थोक बिक्री और रखरखाव गतिविधियां
आर्मोरा होल्डिंग्स लिमिटेड	आयरलैंड	84.55	84.55	15.45	15.45	परिसंपत्ति में निवेश और किराया
स्टैनबेक लिमिटेड	आयरलैंड	84.55	84.55	15.45	15.45	संपत्ति निवेश कंपनी
ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	84.55	84.55	15.45	15.45	ट्राइजनरेशन प्रौद्योगिकी समाधान

ख) सहायक में मूल स्वामी के स्वामित्व हित में परिवर्तन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों में स्वामित्व हित में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, ईपीएएल में मूल का स्वामित्व हित 80.00 प्रतिशत से बदलकर 84.55 प्रतिशत हो गया था। इसका प्रभाव इस प्रकार था :

विवरण	स्वामी हित		अल्पसंख्यक हित		कुल	
	शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी	शेयर पूंजी	अन्य इक्विट	शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी
1 अप्रैल 2019 को	19,621.43	(882.12)	4,905.36	(220.52)	24,526.79	(1,102.64)
वर्ष के दौरान इक्विटी निवेश	7,762.05	-	-	-	7,762.05	-
वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में शेयर	-	2,145.20	-	469.80	-	2,615.00
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय में शेयर	-	(1,817.90)	-	(293.61)	-	(2,111.51)
लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव (टिप्पणी 55 देखें)	-	(1,658.90)	-	(414.73)	-	(2,073.63)
प्रतिधारित आय में समायोजित स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव	-	(130.03)	-	130.03	-	-
31 मार्च 2020 को	**27,383.48**	**(2,343.75)**	**4,905.36**	**(329.03)**	**32,288.84**	**(2,672.78)**

ग) गैर-नियंत्रित हित (एनसीआई)

समूह के लिए महत्वपूर्ण गैर–नियंत्रित हित रखने वाली प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए नीचे दी गई वित्तीय जानकारी का सारांश दिया गया है। सहायक कंपनियों के लिए प्रकट की गई राशि अंतर–कंपनी समाप्ति से पहले की है।

लाख रु. में

सारांशित तुलन पत्र	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्तमान परिसंपत्तियां	22,635.50	24,843.11
वर्तमान देयताएं	27,159.56	40,239.26
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	(4,524.06)	(15,396.15)
गैर – वर्तमान परिसंपत्तियां	62,317.62	59,629.66
गैर – वर्तमान देयताएं	26,953.49	14,617.46
गैर - निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	35,364.13	45,012.20
निवल परिसंपत्तियां	30,840.07	29,616.05
संचित एनसीआई	4,765.46	4,576.33

लाख रु. में

लाभ और हानि के सारांशित विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	69,937.17	61,499.45
वर्ष के लिए लाभ	537.75	2,615.00
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	686.27	(2,111.51)
कुल व्यापक आय	1,224.02	503.49
एनसीआई के कारण लाभ	83.09	469.80
एनसीआई के कारण ओसीआई	106.04	(293.61)
एनसीआई के कारण कुल व्यापक आय	189.13	176.19
एनसीआई को लाभांश का भुगतान	-	-

लाख रु. में

सारांशित नकद प्रवाह	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह	554.74	(1,787.78)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(239.94)	(188.72)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	123.04	(497.51)
नकद और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	437.84	(2,474.01)

घ) महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का विवरण

ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड (ईपीएएल) :

आईसीआईसीआई बैंक के ऋण चुकौती में चूक की स्थिति में, बैंक ईपीएएल को ईईएसएल सहित अपने शेयरधारकों को लाभांश भुगतान करने से रोक सकता है।

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड :

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के निपटान की समाप्ति तिथि या पिछली मौजूदा आपूर्ति, स्थापना, प्रचालन और रखरखाव की समाप्ति तक प्रतिबंध है, एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुवनेश्वर, कटक, बरहामपुर, राउरकेला और संबलपुर शहरों में एक ऊर्जा दक्ष सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था विकसित करने के कार्यान्वयन के लिए समझौता किया गया है, जिसमें उनके संबंधित नगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003 के अनुसार सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर प्रोजेक्ट पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग पॉइंट्स के लिए निर्धारित किया गया है।

ङ) **संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश :**

समूह के संयुक्त उद्यम नीचे सूचीबद्ध हैं। उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें केवल इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह द्वारा रखे जाते हैं। निगमन का देश जो उनके व्यापार का प्रमुख स्थान भी है, भारत है। स्वामित्व हित का अनुपात धारित मतदान अधिकारों के अनुपात के समान है। संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है। संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध हैं और इसलिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं हैं।

लाख रु. में

कंपनी का नाम	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड		
समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	26.00%	26.00%
अग्रेशित की जाने वाली राशि	6.59	5.96
इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आईआईपीएल)		
समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	49.00%	0.00%
अग्रेशित की जाने वाली राशि	-	-

लाख रु. में

सारांशित तुलन पत्र	एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड		आईआईपीएल
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को
वर्तमान परिसंपत्तियां			
नकद और नकदी समतुल्य	4.35	0.05	-
अन्य परिसंपत्तियां	1,168.47	1,132.64	-
कुल वर्तमान देयताएं	1,172.82	1,132.69	-
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-	0.88
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	93.30	51.24	-
अन्य देयताएं	1,054.18	1,058.51	-
कुल - वर्तमान देयताएं	1,147.48	1,109.75	-
गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां			
वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	-	-	6.20
अन्य देयताएं	-	-	3.35
कुल गैर-वर्तमान देयताएं	-	-	9.55
निवल परिसंपत्तियां	25.34	22.94	(8.67)

लाख रु. में

लाभ और हानि के सारांशित विवरण	एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड		आईआईपीएल
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	451.06	2,883.33	-
ब्याज आय	-	-	-
अन्य आय	45.14	8.83	-
प्रयुक्त सामग्री की लागत	(438.62)	(2,819.69)	-
कर्मचारी लाभ व्यय	(15.91)	(14.52)	-
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-	-
ब्याज व्यय	(0.01)	(0.01)	-
अन्य व्यय	(22.33)	(55.63)	(9.56)
आयकर व्यय	(6.54)	(0.96)	0.88
निरंतर प्रचालन से लाभ	12.79	1.35	(8.68)
बंद किए गए कार्यों से लाभ	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	12.79	1.35	(8.68)
अन्य व्यापक आय	-	-	-
कुल व्यापक आय	12.79	1.35	(8.68)
प्राप्त लाभांश	-	-	-

लाख रु. में

अग्रेशित की जाने वाली राशि का विनियोजन	एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड		आईआईपीएल
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	22.94	11.20	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	0.01
वर्ष के लिए लाभ	12.79	1.35	(8.68)
पूंजीगत व्यय वार्षिकी आरक्षित	(10.39)	10.39	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-
निवल परिसंपत्तियों का समापन	25.34	22.94	(8.67)
प्रतिशत में समूह का शेयर	26.00%	26.00%	49.00%
भारतीय रुपए में समूह का शेयर	6.59	5.96	-
सद्भावना	-	-	-
अग्रेषित की जाने वाली राशि	6.59	5.96	-

समूह ने एक नव निगमित संयुक्त उद्यम आईआईपीएल में 490 रुपए का निवेश किया है। आईआईपीएल ने 31 मार्च 2020 तक अपना प्रचालन शुरू नहीं किया था और पूर्व–प्रचालित व्ययों के कारण इसे नुकसान हुआ था। समूह ने आईआईपीएल के घाटे में अपने शेयर को 490 रुपए के संयुक्त उद्यम में अपने हित की सीमा तक सीमित कर दिया है। तदनुसार, समूह ने आईआईपीएल के 4.25 लाख रुपए के नुकसान के अपने शेयर को मान्यता नहीं दी है।

50 भारतीय लेखाकरण मानक 19 - ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) निर्धारित योगदान योजनाएं

(i) **भविष्य निधि**

मूल कंपनी सरकार द्वारा प्रशासित एक पंजीकृत भविष्य निधि को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करती है। भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान से संबंधित 153.15 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 82.09 लाख रुपए) की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी 36 में ''कर्मचारी लाभ व्यय'' में शामिल किया गया है।

(ii) **सेवानिवृत्ति निधि**

मूल कंपनी एक अलग ट्रस्ट को सेवानिवृत्ति निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। सेवानिवृत्ति निधि में नियोक्ता के योगदान से संबंधित 221.41 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 213.91 लाख रुपए) की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी 36 में ''कर्मचारी लाभ व्यय'' में शामिल किया गया है।

(iii) **पेंशन निधि**

समूह स्वैच्छिक अपने सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बाहरी पेंशन निधि में 6 प्रतिशत का योगदान देता है। 444.40 लाख रुपए की राशि (31 मार्च 2019 : 467.54 लाख रुपए) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी 36 में ''कर्मचारी लाभ व्यय'' में शामिल किया गया है।

ख) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ - अवकाश नकदीकरण

मूल कंपनी, मूल कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश (ईएल) लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति हित) प्रदान करती है जो प्रतिवर्ष 30 दिनों में अर्जित होता है। सेवानिवृत्ति/पृथक्करण पर अधिकतम 300 दिनों (अर्जित अवकाश) के अधीन अवकाश नकदीकरण की अनुमति है। मूल कंपनी ऐसी अनुपस्थिति की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तथा संचित अवकाश को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। यह योजना निधिरहित है और इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए 354.59 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : (–) 100.11 लाख रुपए) की राशि की गई है और लाभ और हानि के विवरण में डेबिट की गई है।

ग) निर्धारित लाभ की योजनाएं (ग्रेच्युटी)

मूल कंपनी अपने नियमित कर्मचारियों के लिए एक ग्रेच्युटी योजना संचालित करती है जो अलग होने के समय कंपनी के साथ योग्यता वेतन और मूल कंपनी के साथ सेवा के पूर्ण वर्षों से जुड़े एकमुश्त लाभ प्रदान करती है। नियमित कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उसे अपनी सेवानिवृत्ति या संगठन से अलग होने के समय, जो भी पहले हो, ग्रेच्युटी प्राप्त करने की पात्रता है। नियमित कर्मचारी को देय उपदान लाभ की गणना ''ग्रेच्युटी (उपदान) भुगतान अधिनियम, 1972'' के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

मूल कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ एक कोश स्थापित किया है और एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा जारी ग्रेच्युटी पॉलिसी में योगदान दिया जाता है। इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका में ग्रेच्युटी योजना की स्थिति और तुलनपत्र की तिथि के अनुसार मूल कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को निर्धारित किया जाता है :

लाख रु. में

कंपनी का नाम	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
निवल निर्धारित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयताएं :	116.90	140.02
ग्रेच्युटी	**116.90**	**140.02**
गैर–वर्तमान	113.95	136.73
वर्तमान	2.95	3.29

(i) निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में उतार-चढ़ाव

लाख रु. में

कंपनी का नाम	परिभाषित लाभ दायित्व	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति)
1 अप्रैल 2019 तक शेष राशि	272.12	132.10	140.02
लाभ या हानि में शामिल :			
वर्तमान सेवा लागत	117.82	-	117.82
पिछली सेवा लागत	-	-	-
निवल सेवा लागत	21.09	16.42	4.67
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	138.91	16.42	122.49
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल :			
इससे उत्पन्न होने वाली पुनः मापन हानि/(लाभ) :			
वित्तीय धारणाएं	85.21	-	85.21
अनुभव समायोजन	(93.14)	-	(93.14)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी	-	4.18	(4.18)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(7.93)	4.18	(12.11)
अन्य			
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया योगदान	-	148.10	(148.10)
अधिग्रहण समायोजन	14.60	-	14.60
योजना परिसंपत्तियों में समायोजन	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(9.59)	(9.59)	-
31 मार्च 2020 तक शेष राशि	427.29	310.39	116.90

लाख रु. में

कंपनी का नाम	परिभाषित लाभ दायित्व	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति)
1 अप्रैल 2018 तक शेष राशि	**142.27**	**6.51**	**135.76**
लाभ या हानि में शामिल :			
वर्तमान सेवा लागत	74.89	-	74.89
पिछली सेवा लागत	-	-	-
निवल सेवा लागत	11.09	1.00	10.09
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**85.98**	**1.00**	**84.98**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल :			
इससे उत्पन्न होने वाली पुनः मापन हानि/(लाभ) :			
वित्तीय धारणाएं	2.15	-	2.15
अनुभव समायोजन	38.74	-	38.74
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी	-	6.86	(6.86)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**40.89**	**6.86**	**34.03**
अन्य			
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया योगदान	-	114.20	(114.20)
अधिग्रहण समायोजन	5.70	-	5.70
योजना परिसंपत्तियों में समायोजन	-	6.25	(6.25)
भुगतान किया गया लाभ	(2.72)	(2.72)	-
31 मार्च 2019 तक शेष राशि	**272.12**	**132.10**	**140.02**

(ii) योजना परिसंपत्तियां

मूल कंपनी की योजनागत परिसंपत्ति का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मूल कंपनी द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के माध्यम से मूल कंपनी के दायित्वों को पूरा करने हेतु ली गई बीमा पॉलिसी के रूप में किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 तक योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिदान 20.60 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 7.86 लाख रुपए) है।

(iii) **बीमांकिक धारणाएं**

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे :

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
छूट की दर	6.75%	7.75%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.00%
सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
निःशक्तता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	100% of IALM (2006 - 08)	
निकासी दर		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2.00%	2.00%
44 वर्ष से ऊपर	1.00%	1.00%

बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति, वरिश्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों पर विचार किया जाता है।

(iv) **संवेदनशीलता का विश्लेषण**

अन्य अनुमानों को स्थिर रखने वाले संगत बीमांकिक मान्यताओं में से किसी एक को रिपोर्टिंग तिथि पर यथोचित संभावित परिवर्तन, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाशित लाभ दायित्व को प्रभावित करते है।

लाख रु. में

विवरण	वृद्धि	कमी
31 मार्च 2020 को		
छूट दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	(32.21)	35.86
वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	32.22	(30.22)
31 मार्च 2019 को		
छूट दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	(20.77)	23.10
वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत आवागमन)	23.39	(21.19)

यद्यपि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का हिसाब नहीं लिया जाता है, फिर भी इसमें दिखाए गए अनुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसे तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव की बाह्य गणना की जाती है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध किया जा सकता है।

(v) **जोखिम प्रकटिकरण**

छूट की दर में परिवर्तन : बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।

वेतन वृद्धि : वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। वेतन में वृद्धि से भविष्य में मूल्यांकन में अनुमान देयता में वृद्धि होगी।

जीवन प्रत्याशा : योजना दायित्व सदस्य के जीवन के लिए लाभ प्रदान करना है, इसलिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के परिण ामस्वरूप योजनाओं की देयताओं में वृद्धि होगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुद्रास्फीति में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता होती है।

निवेश जोखिम - देयता में बेमेल और परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख पर अनुमानित रियायत दर से कम है तो देयता को प्रभावित कर सकती है।

(vi) भविष्य के वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	2.95	3.30
1–2 वर्ष के बीच	6.05	2.50
2–5 वर्ष के बीच	28.16	13.28
5 वर्ष से अधिक	370.95	253.04
कुल	**408.11**	**272.12**

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रोजगार के बाद लाभ योजनाओं में अपेक्षित योगदान 146.41 लाख रुपए है।

31 मार्च 2020 को परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 18.88 वर्ष (31 मार्च 2019 : 19.77 वर्ष) है।

51 भारतीय लेखाकरण मानक 20 - ''सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (''विश्व बैंक'') ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा (''जीईएफ'') की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए एसएपी के कार्यान्वयन के लिए 1,500,000 अमेरिकी डॉलर और अन्य परामर्श के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान स्वीकृत किया था। स्वीकृत राशि में से कुल 880.94 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त अनुदान से जुड़ी कोई अधूरी शर्तें या अन्य आकस्मिकताएं नहीं हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने विश्व बैंक से अनुदान के रूप में शून्य रुपए (31 मार्च 2019 : 290.73 लाख रुपए) प्राप्त किया है। समूह ने 311.66 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 420.42 लाख रुपए) को वर्ष के लिए अनुदान आय के रूप में मान्यता दी है (टिप्पणी 34 देखें)।

52 भारतीय लेखाकरण मानक 21 - ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'' के अनुसार प्रकटीकरण

लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किए गए विनिमय अंतर (निवल) की राशि 12,661.61 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : लाभ–हानि विवरण में 3,281.92 लाख रुपए जमा किए गए) है।

53 भारतीय लेखाकरण मानक 33 - ''प्रति शेयर आय'' के अनुसार प्रकटीकरण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय' (ए/बी)	0.33	1.54
प्रति शेयर की गई तनुकृत आय'	0.33	1.51
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य	10.00	10.00

***दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित**

क) मूल कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (क), (लाख रुपए में)	3,119.20	10,073.76
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का अथ शेष	675,204,350	462,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों का प्रभाव, यदि कोई हो	264,660,322	191,591,854
मूल ईपीएस (ख) के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	939,864,672	653,591,854
तनुकृत करने का प्रभाव	815,902	13,477,391
तनुकृत ईपीएस (ग) के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	940,680,574	667,069,246

54 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आकस्मिक देयताएं		
मूल कंपनी के प्रति दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (प्रतिरोधित वैट)	7,876.26	9,291.06
बैंक गारंटी– सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार	1,124.24	2,027.90
कुल	**9,000.50**	**11,318.96**
प्रतिबद्धताएं		
अनुबंध का अनुमानित मूल्य पूंजी/राजस्व खाते पर निष्पादित किया जाना है और बही खातों में प्रदान नहीं किया गया है	1,350,584.52	1,383,403.70
मेपल लीफ में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के और निवेश की प्रतिबद्धता	7,538.59	6,917.13
कुल	**1,358,123.11**	**1,390,320.83**

55 भारतीय लेखाकरण मानक 115 - ''ग्राहकों सहित संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) वस्तुओं और सेवाओं का स्वरूप

समूह के राजस्व में वस्तुओं की बिक्री, सेवाओं के प्रतिपादन और औद्योगिक इंजन और घटकों की बिक्री / जारी सेवाएं से राजस्व शामिल है। प्रमुख गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है :

वस्तुओं की बिक्री से राजस्व

समूह विभिन्न ग्राहकों को ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे एलईडी, स्ट्रीट लाइट, सोलर लैंप, कृशि पंप, ऊर्जा दक्षता वाले पंखे / ट्यूब आदि (मानक वारंटी सहित) बेचती है। राजस्व का अधिकांश हिस्सा सरकारी ग्राहकों से प्राप्त होता है। वस्तुओं की बिक्री समूह और ग्राहक के बीच किए गए समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार की जाती है।

स्वरूप, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

समूह वस्तुओं की बिक्री से राजस्व को ऐसे समय में मान्यता देती है जब वस्तुओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है। संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि और जहां कहीं लागू हो, परिवर्तनीय प्रतिफल के घटकों हेतु समायोजित की जाती है, जिसका अनुमान समूह के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के अंदर देय होती है जो 30 से 60 दिनों तक भिन्न होती है।

सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व

समूह विभिन्न ग्राहकों को ईएससीओ मॉडल और परामर्ष सेवाओं पर ऊर्जा दक्षता सेवाएं प्रदान करती है। राजस्व का अधिकांश हिस्सा सरकारी ग्राहकों से प्राप्त होता है। समूह और ग्राहक के बीच किए गए समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

स्वरूप, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

समूह समय के साथ सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक एक साथ समूह द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। जब वस्तुओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है। संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि और जहां कहीं लागू हो, परिवर्तनीय प्रतिफल के घटकों हेतु समायोजित की जाती है, जिसका अनुमान समूह के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के अंदर देय होती है जो 30 से 60 दिनों तक भिन्न होती है।

औद्योगिक इंजन और घटक से राजस्व

समूह एमडब्ल्यूएम इंजन प्रौद्योगिकी का वितरक है। आंतरिक उत्पादन सुविधा बाइस्पोक कंट्रोल पैनल सिस्टम और कंटेनरीकृत एमडब्ल्यूएम इंजन बनाती है जो साइट स्थापना में तेजी लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, कम रखरखाव लागत प्रदान करते हैं और अधिकतम संयंत्र उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। समूह एमडब्ल्यूएम इंजन बेचता है, ग्राहकों को इंजन कंटेनरीकरण और स्थापना सेवा प्रदान करता है। समूह आगे लंबी अवधि के सेवा संविदाओं के माध्यम से बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करता है और एमडब्ल्यूएम इंजन भागों को बेचता है।

स्वरूप, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

एमडब्ल्यूएम इंजन और क्लाइंट साइट पर इसकी स्थापना के संबंध में, कंपनी प्रदर्शन दायित्वों के माप के आधार पर समय की अवधि में वस्तुओं की बिक्री से राजस्व को मान्यता देती है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के अंदर देय होती है जो 7 दिनों से 30 दिनों के बीच भिन्न होती है। एमडब्ल्यूएम इंजन के भागों के संबंध में, कंपनी एक समय में वस्तुओं की बिक्री से राजस्व राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय की अवधि में सेवाओं की बिक्री से राजस्व को मान्यता देती है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के अंदर देय होती है जो 30 दिनों तक भिन्न होती है।

ख) **राजस्व का बंटवारा :**

राजस्व को वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार और स्वरूप और राजस्व मान्यता के समय से अलग किया जाता है।

लाख रु. में

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**वस्तुओं और सेवाओं का स्वरूप**		
	वस्तुओं की बिक्री		
	उजाला योजना	11,567.29	37,231.30
	कृषि मांग पक्ष प्रबंधन	3,968.03	13,249.56
	स्ट्रीट लाइट परियोजनाएं	34,304.10	34,140.86
	सौर लैंप	4,339.17	15,395.60
	सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजनाएं	10,818.31	7,307.51
	निर्माण परियोजनाएं	852.06	1,758.06
	ई–वाहन	69.78	-
	अन्य	1,207.22	2,445.00
	कुल (क)	67,125.96	111,527.89
	सेवाओं का प्रतिपादन		
	सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	91,122.45	64,290.18
	निर्माण परियोजनाएं	5,488.55	1,982.10
	स्मार्ट मीटर	5,930.45	50.00
	कृषि मांग पक्ष प्रबंधन	2,235.38	521.14
	सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	2,591.49	354.92
	सौर ऊर्जा	1,104.94	55.46
	सौर लैंप	255.75	191.57
	ई–वाहन	1,744.34	1,228.79
	अन्य	2,108.51	3,399.81
	कुल (ख)	112,581.86	72,073.97
	औद्योगिक इंजन और घटक		
	वस्तुओं की बिक्री	42,878.13	37,459.26
	प्रचालन और रखरखाव सेवाएं	26,153.25	24,023.47
	कुल (ग)	69,031.38	61,482.73
	कुल (क + ख + ग)	248,739.20	245,084.59
(ii)	**राजस्व मान्यता का समय**		
	उत्पादों और सेवाओं को एक समय में स्थानांतरित किया गया	110,004.09	148,987.15
	समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	138,735.11	96,097.44
	कुल	248,739.20	245,084.59

ग) संविदा मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का विनियोजन :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदा की कीमत	248,739.20	245,084.59
समायोजन	-	-
प्रचालन से राजस्व	248,739.20	245,084.59

घ) संविदा की शेष राशि

संविदा की परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब संविदाओं पर बिलिंग से अधिक राजस्व अर्जित किया जाता है। नकद प्राप्त करने का बिना षर्त अधिकार होने पर संविदा की परिसंपत्ति को बिल के बिना राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार केवल

समय बीतने की आवश्यकता होती है। संविदा देयताएं मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित हैं जिन्हें 'ग्राहकों से अग्रिम' और अग्रिम बिलों को 'अनर्जित राजस्व' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका में व्यापार प्राप्तियों, बिल न किए गए राजस्व, ग्राहकों से अग्रिम और ग्राहकों के साथ संविदाओं से अनर्जित राजस्व के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार प्राप्तियां	285,544.09	194,375.67
गैर-वर्तमान बिल न किया गया राजस्व	850.91	1,080.93
वर्तमान बिल न किया गया राजस्व	10,989.09	2,462.17
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम रकम	4,644.09	1,308.50
अनर्जित राजस्व	66.64	1,957.67

पिछली अवधियों में संतुश्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्वों से वर्तमान वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि, मुख्य रूप से सक्षम अधिकारियों द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के कारण 2,111.45 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 3,956.70 लाख रुपए) है।

कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को ग्राहकों से अनर्जित राजस्व खोलने से उत्पन्न 1,957.67 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अनर्जित राजस्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ग्राहकों से अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त नकदी के कारण हुई है, जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त या व्ययों के प्रति समायोजित राशि शामिल नहीं है।

ङ) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपाय :

(i) समूह ने भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 121 के अनुसार व्यावहारिक उपाय लागू किया है और शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी को प्रकट नहीं किया है जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां आज तक पूरे किए गए इकाई के निष्पादन के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व के ग्राहक के मूल्य से सीधे मेल खाता है। इस बहिष्करण मानदंड को पूरा करने वालों के अलावा, कोई भी निष्पादन दायित्व 31 मार्च, 2020 तक पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट नहीं हैं।

(ii) समूह ऐसी किसी संविदाओं की अपेक्षा नहीं करती है जिसके लिए उस वर्ष के दौरान राजस्व की पहचान की जाती है जहां ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। परिणामस्वरूप, समूह ने पैसे के समय मूल्य हेतु लेनदेन की कीमतों को समायोजित नहीं किया है।

च) संविदा प्राप्ती पर वृद्धिशील लागत

समूह ने किसी ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं ली है और इसलिए, ऐसी लागतों के लिए एक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

छ) महत्वपूर्ण निर्णय

(i) निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय

समूह यह निर्धारित करने में निर्णय लेती है कि निष्पादन दायित्व एक समय पर या समय की अवधि में संतुष्ट है या नहीं। समूह उन संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि ग्राहक सेवाओं के रूप में लाभ का उपभोग कैसे करता है या परिसंपत्ति

को नियंत्रित करता है क्योंकि इसे बनाया जा रहा है या निष्पादन के लिए भुगतान हेतु लागू करने योग्य अधिकार का अस्तित्व और ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम और रिवॉर्ड के हस्तांतरण आदि।

समय के साथ संतुष्ट होने वाले निष्पादन दायित्वों के लिए, समूह राजस्व मान्यता हेतु उपयोग की जाने वाली विधि का निर्धारण करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है। समूह इनपुट विधि का उपयोग करती है जहां पूर्णता की दिशा में प्रगति की सीमा को निष्पादन दायित्व के पूरा होने पर कुल अनुमानित लागतों के अनुपात के आधार पर मापा जाता है। प्रगति के माप के आधार पर राजस्व आनुपातिक रूप से दर्ज किया जाता है। समूह उत्पादन विधि का उपयोग करती है जहां ग्राहक के लिए मूल्य का प्रत्यक्ष माप सर्वेक्षण के आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन पर आधारित होता है।

(ii) लेन–देन मूल्य के निर्धारण और लेन–देन मूल्य के आबंटन में महत्वपूर्ण निर्णय

संविदा हेतु लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए भी निर्णय की आवश्यकता होती है। परिवर्ती प्रतिफल की अनुमानित राशि को केवल उस सीमा तक लेन–देन मूल्य में समायोजित किया जाता है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण रिवर्सल नहीं होगा और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

ज) **समूह ने 1 अप्रैल 2018 से संचयी प्रभाव विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखाकरण मानक 115 को अपनाया। भारतीय लेखाकरण मानक 115 को अपनाने के कारण 1 अप्रैल 2018 को 2,073.63 लाख रुपए का संचयी समायोजन (प्रतिधारित आय में 1,658.90 लाख रुपए और गैर-नियंत्रित हित में 414.73 लाख रुपए) आवश्यक था।**

56 भारतीय लेखाकरण मानक 116 - ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) प्रचालित पट्टे

भारतीय लेखा मानक 116 पट्टा हेतु लेन देन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 ''पट्टा'' के रूप में अपनाया और संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी पट्टा संविदाओं हेतु मानक लागू किया। तदनुसार, तुलनात्मक जानकारी को पुनर्कथित नहीं किया गया है और भारतीय लेखा मानक 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

समूह ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि को वृद्धिशील उधार दर पर छूट वाले शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता दर्ज की और पट्टे की देयता के बराबर राशि पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार, आस्थगित किराए की राशि और परिचालन पट्टा देयताएं प्रारंभिक आवेदन की तिथि से ठीक पहले तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त उस पट्टे से संबंधित किसी प्रीपेड या उपार्जित पट्टा भुगतान किया।

मूल कंपनी में, लीजहोल्ड भूमि को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान अवधि हेतु लाभ और हानि के विवरण में, पट्टा व्यय अन्य व्ययों से मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के उपयोग के अधिकार के लिए पट्टे की परिसंपत्ति और पट्टे की देयता पर अर्जित ब्याज के लिए वित्त लागत में बदल गया है।

1 अप्रैल, 2019 को पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर मूल कंपनी के लिए 10.05 प्रतिशत और सहायक कंपनी के लिए 3.50 प्रतिशत है।

प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक उपायों का सारांश निम्नलिखित है :

(i) समान समाप्ति तिथि के साथ समान आर्थिक वातावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की

(ii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 माह से कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार और देयताओं को मान्यता नहीं देने के लिए छूट लागू की

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को शामिल नहीं किया गया।

(iv) यदि संविदा में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प हैं, तो पट्टा अवधि का निर्धारण करते समय प्रयुक्त बाधा।

(v) ग्रैंडफादर के लिए व्यावहारिक उपाय लागू किया जिसका मूल्यांकन लेनदेन पट्टे हैं। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 116 केवल उन संविदाओं पर लागू होता है जिन्हें पहले भारतीय लेखा मानक 17 के तहत पट्टों के रूप में पहचाना गया था।

कंपनी ने कुछ आवासीय/कार्यालय परिसरों और गोदामों को गैर रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा व्यवस्था के तहत लिया है।

नए लेखांकन मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप 01 अप्रैल, 2019 को 2,921.69 लाख रुपए की परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार और 2,844.31 लाख रुपए की पट्टा देयता की मान्यता और क्रमशः 99.71 लाख रुपए और 22.33 लाख रुपए के आस्थगित किराए और परिचालन पट्टा देयताओं का पुनर्वर्गीकरण हुआ।

लाख रु. में

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	पट्टा देयताएं
01 अप्रैल 2019 को अथ शेष	2,921.69	2,844.31
लीजहोल्ड भूमि का पुनर्वर्गीकरण	743.64	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,892.61	2,879.99
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	(2,128.20)	-
ब्याज की वृद्धि	-	377.17
भुगतान	-	(2,269.64)
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	42.38	22.98
31 मार्च, 2020 को अधिशेष	4,472.12	3,854.81

पट्टा देयताओं का विभाजन

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्तमान	1,998.50	1,859.62
गैर – वर्तमान	1,856.31	984.68
कुल	3,854.81	2,844.30

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में क्रमशः परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास और पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय के रूप में 2,128.20 लाख रुपए और 377.17 लाख रुपए को मान्यता दी है और नकदी प्रवाह के विवरण में 2,269.64 लाख रुपए के पट्टों के लिए नकद बहिर्वाह को मान्यता दी है। कंपनी ने अल्प कालिक पट्टों के कारण 304.19 लाख रुपए के व्यय को मान्यता दी है।

समूह ने कुछ कार्यालय भवनों और गोदामों को 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर प्रदान किया है, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता है। पट्टों के संबंध में वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लीज रेंटल आय 38.08 लाख रुपए (31 मार्च 2019 : 16.72 लाख रुपए) है।

भारतीय लेखा मानक 17 पट्टा के अनुसार प्रकटीकरण

मूल कंपनी ने कुछ आवासीय/कार्यालय परिसरों और गोदामों को गैर रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा व्यवस्था के तहत लिया है। पट्टा का किराया प्रति वर्ष 15 प्रतिशत तक की वृद्धि के अधीन हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पट्टा का किराया का व्यय, लाभ और हानि राशि के 2,015.59 लाख रुपए प्रभारित किया गया।

गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत देय कुल भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	1,370.95
एक से पांच वर्ष के बीच	2,410.64
पांच वर्ष से अधिक	-
कुल	3,781.59

समूह ने कुछ कार्यालय परिसरों और गोदामों को 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर लिया है, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता है। लाभ–हानि विवरण में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान लीज रेंटल व्यय 115.53 लाख रुपए है।

ख) वित्त पट्टा

(i) कंपनी छह वर्ष की अवधि हेतु वित्त पट्टे पर विद्युत वाहन (ई–वाहन) प्रदान करती है। पट्टा का किराया 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के अधीन हैं। गैर–रद्द करने योग्य वित्त पट्टों के तहत देय कुल भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	2,517.17	1,159.05
एक से पांच वर्ष के बीच	9,560.60	4,405.29
पांच वर्ष से अधिक	765.26	353.48
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	**12,843.03**	**5,917.82**
अनर्जित वित्त आय	2,843.25	1,204.79
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	**9,999.78**	**4,713.03**

गैर–रद्द करने योग्य वित्त पट्टों के तहत देय भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	2,396.90	1,127.00
एक से पांच वर्ष के बीच	7,186.83	3,383.96
पांच वर्ष से अधिक	426.38	202.07
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	**10,010.11**	**4,713.03**

(ii) यह समूह ग्राहकों को 19 वर्ष तक की अवधि के लिए ऊर्जा बचत उपकरण भी पट्टे पर देता है। पट्टे का किराया 2.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के अधीन हैं। रद्द करने योग्य वित्त पट्टों के तहत देय कुल भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	411.07	325.69
एक से पांच वर्ष के बीच	1,868.73	2,006.99
पांच वर्ष से अधिक	4,195.10	3,636.83
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	**6,474.90**	**5,969.51**
अनर्जित वित्त आय	2,511.84	2,106.13
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	**3,963.06**	**3,863.38**

गैर–रद्द करने योग्य वित्त पट्टों के तहत देय भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है :

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से कम	395.69	76.23
एक से पांच वर्ष के बीच	1,439.34	1,117.17
पांच वर्ष से अधिक	2,128.03	2,669.98
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	**3,963.06**	**3,863.38**

57 मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

नए और संशोधित मानक और व्याख्याएं जो जारी की गई हैं, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं, समूह के वित्तीय विवरण जारी करने की तिथि तक समूह के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। समूह ने किसी भी संशोधन, मानक या व्याख्या को जल्दी नहीं अपनाया है जो जारी किया गया है लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है।

58 कोविड-19 का प्रभाव

कोविड–19 महामारी भारत और अन्य देशों सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है तथा सरकारें अनिवार्य लॉकडाउन और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने सहित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कर रही हैं। समूह ने व्यापार और इससे जुड़े वित्तीय जोखिमों पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। समूह ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं (ईएससीओ) और अन्य परियोजनाओं को लागू करने के व्यापार में है, जो सार्वजनिक महत्व की हैं, जिन्हें एक आवश्यक सेवा माना जाता है। समूह ने कई सक्रिय कदम उठाकर, लगभग सभी क्षेत्रों में निरंतर संचालन सुनिश्चित किया, जिसमें स्ट्रीट लाइट, सौर और स्मार्ट मीटर परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव शामिल हैं। कुछ मामलों में, पूंजीकरण (परिणाम स्वरूप राजस्व मान्यता) और कुछ परियोजनाओं की आपूर्ति और निष्पादन में देरी हो सकती है लेकिन कंपनी, समूह के मुनाफे और वित्तीय स्थिति पर किसी भी भौतिक प्रभाव की परिकल्पना नहीं करती है। अत्यधिक सावधानी की बात के रूप में, समूह ने ग्राहकों के साथ अपने समझौतों के तहत, जहां भी आवश्यक हो, 'अप्रत्याशित घटना' खंड के तहत नोटिस जारी किए हैं। समूह का मानना है कि कोविड–19 के प्रकोप के कारण प्रभाव अल्पकालिक स्वरूप का होने की संभावना है और समूह की क्षमता को जारी रखने की क्षमता में किसी भी मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम का अनुमान नहीं है। इसमें शामिल अनिश्चितता को देखते हुए कोविड–19 का प्रभाव मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। समूह भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन के नजदीकी से निगरानी करना जारी रखेगी और उस पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
के के सोनी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 000947एन)

संत सुजात सोनी
भागीदार
(सदस्यता संख्या – 094227)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 दिसंबर, 2020

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रजत कुमार सुद
प्रबंध निदेशक डीआईएनः
06582245

एस. गोपाल
निदेशक वाणिज्यिक डीआईएनः
08339439

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

लोकेश कु. अग्रवाल
सीएफओ

प्रपत्र एओसी -1

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं

भाग ए - सहायक कंपनियां

लाख रु. में

1	क्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	**सहायक कंपनियों के नाम**	ईईएसएल प्रो एसेट्स लिमिटेड	एनेको एनर्जी सर्विसेज (साउथ) लिमिटेड	सीटन एनर्जी लिमिटेड	ईपीएएल होल्डिंग लिमिटेड	एडिना एक्विजिशन लिमिटेड	एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड	एडिना लिमिटेड	एडिना यूके लिमिटेड	एडिना ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड	आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड	स्टैनबेक लिमिटेड	एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	एडिना पावर लिमिटेड	ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड
3	सहायक कंपनी का अधिग्रहण करने की तिथि	13-मार्च-18	13-मार्च-18	13-मार्च-18	13-मार्च-18	13-मार्च-18	14-मार्च-18	14-मार्च-18	14-मार्च-18	14-मार्च-18	14-मार्च-18	14-मार्च-18	14-मार्च-18	14-मार्च-18	20-दिसं-18
4	संबंधित सहायक के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	विदेशी सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग मुद्रा	जीबीपी	जीबीपी	जीबीपी	जीबीपी	जीबीपी	यूरो	यूरो	जीबीपी	एयूडीएस	यूरो	यूरो	जीबीपी	जीबीपी	आईएनआर
	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार विनिमय दर	93.0760	93.0760	93.0760	93.0760	93.0760	82.5169	82.5169	93.0760	45.8772	82.5169	82.5169	93.0760	93.0760	1.0000
6	शेयर पूंजी	32,746.09	4,588.79	1,861.52	23,792.55	23,792.55	6,207.65	7,048.19	3,723.04	0.05	0.00	165.04	0.09	0.09	10.00
7	आरक्षित और अधिशेष	4,364.33	(325.73)	(272.74)	(16.61)	(6,808.09)	969.28	(282.49)	7,522.86	(187.10)	339.49	(285.63)	(O.Q9)	1,115.90	(49.04)
8	कुल परिसंपत्ति	75,565.77	4,405.14	1,688.08	59,569.80	56,336.99	15,719.85	8,259.71	27,979.06	443.97	1,061.13	1,014.41	-	3,759.15	645.29
9	कुल देयताएं	38,455.35	142.07	99.30	35,793.86	39,352.52	8,542.91	1,494.01	16,733.16	631.02	721.64	1,135.01	-	2,643.16	684.33
10	निवेश	1,721.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	कारोबार	1,886.54	403.41	184.72	-	-	-	8,190.56	62,447.71	753.23	23.65	-	-	7,086.28	867.71
12	कराधान से पहले लाभ	2,774.05	9.54	42.36	(5.27)	(2,772.65)	108.18	(556.30)	312.42	17.37	(4.25)	(13.54)	(17.20)	467.11	(62.71)
13	कराधान के लिए प्रावधान	(22.20)	(1.81)	(8.05)	(2.06)	(216.96)	-	93.06	14.62	(1.99)	-	-	-	(14.26)	15.08
14	कराधान के बाद लाभ	2,751.84	7.72	34.32	(7.33)	(2,989.61)	108.18	(463.23)	327.04	15.38	(4.25)	(13.54)	(17.20)	452.86	(47.63)
15	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	शेयरधारिता का प्रतिशत	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%	84.55%

टिप्पणी :

1.उपरोक्त वित्तीय जानकारी समेकित लेखापरीक्षित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से मानी गई लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी पर आधारित है।

2.वित्तीय जानकारी समेकित लेखापरीक्षित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए विचार में लिए गए प्रस्तुतीकरण से निकाली गई है।

3.निवेश में सहायक कंपनियों में निवेश शामिल नहीं है।

4.एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड की शेयर पूंजी में वरीयता शेयर पूंजी शामिल है

भाग बी - सहयोगी और संयुक्त उद्यम

क्र. सं	संयुक्त उद्यम का नाम	तिथि जिस पर संयुक्त या संबद्ध उद्यम अधिग्रहण किया गया था	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर			संयुक्त नियंत्रण करने का विवरण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारकों के कारण निवल कीमत	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		
				शेयरों की संख्या	निवेश की राशि	धारिता की सीमा			समेकित में माना गया	समेकित में नहीं माना गया	समेकित में नहीं माना गया
1	एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड	12-जुलाई-17	31-मार्च-20	2,600	0.26	26%	शेयरहोल्डिंग के आधार पर	6.59	0.63	-	-
2	इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	13-नवंबर-19	31-मार्च-20	49	0.00	49%	शेयरहोल्डिंग के आधार पर	-	-	-	-

टिप्पणी :

1.संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के अग्रेशित मूल्य पर आधारित है।

2.वर्ष के दौरान किसी भी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम का परिसमापन या बिक्री नहीं की गई है। इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 31 मार्च 2020 को परिचालन शुरू करना बाकी था। समूह का कोई सहयोगी निवेश नहीं है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एनएफएल भवन, 5वां एवं 6ठा तल,
कोर-III, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : +91-11 45801260 ई–मेल : info@eesl.co.in
वेबसाइट : www.eeslindia.org